4 दिसम्बर, 1995
अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पंद्रहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

4 दिसम्बर, 1995 के लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
विषय सूची	7	तारांकित प्रश्न संख्या: 101	तारांकित प्रश्न संख्या: 101-120
1	7	दुख	दु:ख
9	3	गुडा-डिल्ली	गुडाडिल्ली
9	23	मीरार	मीरार जी
9	22	(क्योंकि)	(क्योंकि)
41	6	मैं भारतीय.....	मै0 भारतीय....
43 (393 (	नीचे से 3 नीचे से 2	श्री गिरधर गमांग	श्री गिरिधर गमांग
65	अंतिम पंक्ति	नागर विमानन और पर्यावरण मंत्री	नागर विमानन और पर्यटन मंत्री
78	8	अपना बैठक	अपनी बैठक
97	नीचे से 11	ग्रामीण क्षेत्र तता	ग्रामीण क्षेत्र तथा
98	नीचे से 14-15	संसदय कार्य...... मंत्री (श्री विलास मुत्तमवार)	संसदीय कार्य........ मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार
111	नीचे से 9	9वां 8 अक्तूबर, 1995 को हुए	8 अक्तूबर, 1995 को हुए 9वें
164	प्रथम	प्र	प्रश्न
217 और 229	नीचे से 7 (नीचे से 3 (	श्री रमेश चेन्नितला	श्री रमेश चेन्निथ्तला
224	नीचे से 10	दण्ड्य	दण्डनीय
229	14-15	(.....उन्मक्त विभाग) में राज्य मंत्री............ (श्री विलास मुत्तमवार	(....उन्मुक्त विभाग) में राज्य मंत्री..... (श्री विलास मुत्तेमवार)
232	4	(क) और (ख)	(क) से (ख)
251	6	(गामणा.....)	(ग्रामीण......)
273	नीचे से 7	श्री सैयद सहाबुद्दीन	श्री सैयद शहाबुद्दीन
349	10	प्रश्न्न	प्रश्न
375	13	श्री रमेश चन्निरतला	श्री रमेश चेन्नित्तला
395	4	विशाखापत्तमम	विशाखापत्तनम

विषय-सूची

दशम माला, खंड 45, पन्द्रहवां सत्र 1995/1917 (शक)

अंक 6, सोमवार, 4 दिसम्बर, 1995/13 अग्रहायण, 1917 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-9
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	10-422
*तारांकित प्रश्न संख्या: 101 -	10-47
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1063 — 1292	47-417

लोक सभा

सोमवार, 4 दिसम्बर, 1995 / 13 अग्रहायण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 म. पू. पर समवेत हुई।

—

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्य गण, मुझे बहुत दुख के साथ अपने दो सहयोगियों श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी और श्री बी.के. गुडाडिन्नी के निधन की सूचना सभा को देनी है।

श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे, जो आंध्र प्रदेश से ओंगोले निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

पेशे से एक किसान, व्यापारी और उद्योगपति होने के साथ–साथ श्री रेड्डी ने पत्रकारिता में भी गहरी रुचि ली, उन्होंने सामाजिक कार्यों जैसे गरीब लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने, मंदिरों का निर्माण कराने, कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए सामुदयिक भवनों इत्यादि का निर्माण कराने आदि में सक्रिय रूप से भाग लिया।

श्री रेड्डी ने मद्रास के एक प्रसिद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन "कला सागर" के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने एक तेलगू दैनिक "उदयम" का भी प्रकाशन किया। वे 48 वर्ष के थे। श्री सुब्बारामा रेड्डी को कुछ अज्ञात हमलावरों ने आंध्रप्रदेश, ओंगोले में उनके निवास भाग्यनगर में 1 दिसम्बर, 1995 को गोली मार दी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।

श्री बी.के. गुडाडिन्नी सभा के वर्तमान सदस्य थे और कर्नाटक के बीजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इससे पहले वह चौथी और नौवीं लोक सभा के सदस्य थे और 1968–70 तथा 1989–91 में उसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। वह 1974–86 के दौरान कर्नाटक विधान परिषद के भी सदस्य थे।

पेशे से किसान और पत्रकार श्री गुडाडिन्नी एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। अपने लम्बे संसदीय जीवन काल के दौरान श्री गुडाडिन्नी ने लोक सभा की याचिका समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और रेल संबंधी स्थायी समिति और कर्नाटक विधान मण्डल की अनेक समितियों में कार्य किया।

वह शिक्षा संस्थान और छात्रावास खोलने सहित सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल थे वह अम्बेडकर शिक्षा समिति और ईश्वर विद्या वर्द्धक संघ, सारावाड़ के अध्यक्ष थे। उन्होंने बीजापुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के निदेशक और अध्यक्ष, कर्नाटक राज्य आवास निगम के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और कर्नाटक विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। वह कन्नड़ साप्ताहिक "कर्नाटक संदेश" के सम्पादक भी थे।

श्री गुडाडिन्नी ने सभा की कार्यवाही में गहरी रुचि ली।

श्री गुडाडिन्नी का 66 वर्ष की आयु में 1 दिसम्बर, 1995 को मुम्बई में निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा शोकसंतप्त परिवार को सांत्वना देने में मेरे साथ हैं।

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव): उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि जब से यह सत्र शुरू हुआ है तब से बहुत से सदस्यों का निधन हो गया है। हमारे बहुत से मित्र जो हमारे साथ थे और जो तत्काल अपने घरों को गए उनका इस तरह से निधन हो गया जो एकदम अविश्वसनीय है। ये बातें हुई हैं और इससे हमारा दुख और बढ़ा है। ऐसी बात नहीं है कि कोई बीमार था, ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसी स्थिति में था कि जिसमें लोग संदेह कर सकें कि ये तो होना ही था बल्कि ये बातें अचानक हुई चाहे श्री शंकरदयाल सिंह के साथ हुआ हादसा हो या श्री रेड्डी के साथ हुआ हादसा हो। यह वास्तव में बहुत दुख की बात है।

मैं अपने दो वर्तमान सदस्यों श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी और श्री. बी. के. गुडाडिन्नी के दुखद निधन पर अत्यधिक वेदना और गहरे दुख के साथ दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदय, जैसा कि मैंने कहा है कि श्री रेड्डी की हत्या स्तब्ध कर देने वाली और कायरतापूर्ण थी। बृहस्पतिवार को वह सभा में उपस्थित थे। रात को जब मैंने आंध्र प्रदेश के सदस्यों को बुलाया था तो उस समय वह उपस्थित थे। वह मेरे साथ थे और मेरे बराबर में बैठे हुए थे। किसने ऐसा सोचा होगा कि अगली

सुबह वह एक विवाह समारोह में शामिल होने जाएंगे या वहां से वापस आयेंगे, उनके अपने निवास पर दिनदहाड़े उनकी हत्या कर दी जाएगी? यह बात केवल अविश्वसनीय ही नहीं है, लेकिन जो घटना घटी उससे इस बात पर विश्वास करना पड़ता है कि मौत उस तरह से भी आ सकती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो।

उनकी हत्या से इस बात को बल मिलता है कि हम सब को सार्वजनिक जीवन में हिंसा की निन्दा करनी चाहिए। श्री रेड्डी श्री रंगनाथस्वामी मंदिर, नेल्लोर के न्यासी थे और उनकी सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यों में गहरी रुचि थी, महोदय, मैं समझता हूं कि कल जिस तरह की भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उनकी शव यात्रा में एकत्र हुई उससे स्पष्ट तौर से पता चलता है कि वह कितने उदार और धर्मात्मा थे।

मैं अपने दल की ओर से कहना चाहता हूं कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के 1992 के तिरुपति पूर्ण अधिवेशन के लिए लगभग हर व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई थी। वह बहुत कर्मठ व्यक्ति थे, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था। वह "उदयम" समाचार पत्र के मालिक भी थे, जिसने एक अच्छे दैनिक के रूप में अच्छी ख्याति प्राप्त की और आज हम देखते हैं कि वह हमारे बीच नहीं हैं। उन्हें उनके सामाजिक और परोपकार के कार्यों के लिए जाना जाता है और उनकी प्रशंसा की जाती है।

महोदय, हमने इस सभा के एक युवा सदस्य को खो दिया है। सबको उनकी कमी महसूस होगी।

श्री गुडाडिन्नी एक अनुभवी संसदविद थे और सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए थे। उनके निधन से हमने एक प्रतिबद्ध राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है जिनकी गतिविधियां कर्नाटक के उस भाग में अच्छी तरह से जानी जाती है जिसमें सामाजिक कार्यों के अनेक क्षेत्र शामिल हैं।

श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी और श्री बी.के. गुडाडिन्नी के निधन पर मुझे जो व्यक्तिगत क्षति हुई है और राष्ट्र और हम सबको जो शोक हुआ है उस पर गहरा दुख प्रकट करता हूं।

उनकी आत्माओं को शांति मिले।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ): उपाध्यक्ष जी, अभी श्री छोटेलालजी यादव की आकस्मिक मृत्यु का घाव भरने भी नहीं पाया था कि हमारे दो और सहयोगी, इसी सदन के सदस्य हमसे सदा के लिए बिछुड़ गए हैं। श्री रेड्डी पहली बार लोक सभा के सदस्य चुने गए थे। उनकी उम्र ही क्या थी, शायद 50 साल से भी कम होगी। अनेक गतिविधियों में वह सक्रिय थे, विभिन्न कृतित्व के धनी थे—कृषि, व्यापार, फिल्म, पत्रकारिता आदि। पता नहीं "उदयम्" पत्र के कारण इस निर्मम हत्या का कहां तक संबंध है।

लेकिन जिस तरह से हत्या हुई, वह जघन्य है। हम सब उसकी निन्दा करते हैं। ऐसा लगता है कि नक्सलपंथी हिंसा का अभी उस क्षेत्र में पूरी तरह से निर्मूलन नहीं किया जा सका है।

श्री गुडाडिन्नी संसदीय समितियों में बहुत सक्रिय थे। उन्होंने अपने क्षेत्र में शिक्षा संस्थाओं का जाल बिछाया था। विद्यालय चला रहे थे, छात्रावास चला रहे थे। डा. अम्बेडकर की स्मृति में उन्होंने अनेक काम अपने हाथ में लिए थे।

उपाध्यक्ष महोदय, दोनों दिवंगत सदस्यों के संबंध में आपने और प्रधानमंत्री जी ने सदन के नेता के नाते जो कुछ कहा है, उसके साथ मैं स्वयं को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूं। हम शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। आप हमारी संवेदना उनके परिवारों तक पहुंचा दें, यह आपसे अनुरोध है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष जी, मैं सदन के नेता और विपक्ष के नेता की भावनाओं के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। श्री रेड्डी का निधन बहुत ही क्रूर, अमानवीय और हिंसक तरीके से हुआ है। वे हमारे सदन के सक्रिय सदस्य थे, हमारे साथी थे। आंध्र में जिस तरह से कई राजनैतिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की हत्या का दौर शुरू हुआ है, इस तरह की हत्याओं से पूरे देश को आघात पहुंचता है। उनकी उम्र 45 वर्ष थी। ऐसे सक्रिय साथी के बारे में अटल जी ने जो बयान किया, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। वे सम्पूर्ण जिंदगी जीने वाले व्यक्ति थे। आंध्र में जिस तरह से हिंसा का दौर चला हुआ है, फोर्स के लोग मारे गए, नेता भी मारे गए, यह राष्ट्र के लिए बहुत ही चिन्ता का विषय है।

देश में बहुत तरह की बीमारियां सिर उठाए हुए हैं। इस मौके पर हम सबको एक साथ मजबूती से उठकर उन्हें दूर करना है। यह महात्मा जी का देश है। हिंसा के प्रतिरोध में जितनी बहादुरी होती है उसके विपरीत कायरता के रास्ते पर चलकर जो लोग परिवर्तन के काम में लगे हुए हैं, मैं सोचता हूं कि सैद्धान्तिक तरीके से वे गुमराह लोग हैं। जिस तरह से श्री रेड्डी को मारा गया, वह निन्दा का विषय है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस हत्या की घोर निन्दा करता हूं। मैं यह प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस आघात को सहने की शक्ति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल अपने सदन के नेता विपक्ष के नेता और शरद जी ने जो कुछ कहा है उससे संबद्ध करते हैं और हम अपने दो सहयोगियों, जो कुछ दिन पहले सदन में हमारे साथ थे, के निधन पर संवेदना प्रकट करते हैं।

यह एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि श्री रेड्डी की उनके जीवन के महत्वपूर्ण समय में हिंसक मौत हुई। वह एक ऐसे सदस्य थे जिन्होंने यहां पर अपना योगदान दिया और लोगों के हितों की रक्षा की। उनकी विविध रुचियां थीं और वह बहुत लगन से अपने क्षेत्र के और राज्य के लोगों की सेवा कर रहे थे। हम श्री रेड्डी की कायरतापूर्ण हत्या की कटु निन्दा करते हैं।

इससे यह पता चलता है कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयास करना होगा कि हमारी राजनीति की मुख्य धारा से ऐसी गतिविधियों को केवल कम ही नहीं किया

जाये बल्कि उन्हें समाप्त किया जाए।

महोदय, श्री गुडाडिन्नी भी इस सभा के बहुत सक्रिय सदस्य थे और मेरा उनसे घनिष्ठ संबंध रहा है क्योंकि वह रेल संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे और स्थायी समिति विचार-विमर्शों में बहुत सक्रिय रूप से भाग लेते थे, वहां भी हमने एक सक्रिय सदस्य, एक वृहद अनुभवी सदस्य को खो दिया है, जिन्होंने समिति के विचार-विमर्शों में हमेशा बहुत सकारात्मक योगदान दिया।

महोदय, इस सभा के सदस्यों के बारे में जो कुछ कहा गया है मैं स्वयं को उससे संबद्ध करता हूं। हम उनकी क्षति पर शोक प्रकट करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि शोकसंतप्त परिवारों को हमारी हार्दिक सांत्वना प्रेषित की जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): उपाध्यक्ष महोदय, हम अपने नए लेकिन अत्यधिक सक्रिय सदस्य श्री सुब्बारामा रेड्डी की इस कायरतापूर्ण हत्या की कटु निन्दा करते हैं। निसंदेह उन पर ऐसा हमला होने की अपेक्षा नहीं थी क्योंकि ऐसा लगता है कि वहां पर उनके लिए किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। यदि नक्सलवादियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया है। मुझे मालूम नहीं है कि इसके लिए नक्सलवादी जिम्मेदार हैं या कोई और-तो उनके लिए कुछ सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी। अतः यह त्रासदीपूर्ण हत्या हुई और मुझे आशा है कि हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा। मुझे मालूम नहीं है कि क्या उन्हें किसी ने पहचाना भी है क्योंकि उस समय वहां पर काफी भीड़ थी। कुछ भी हो इससे पता चलता है कि जीवन कितना भंगुर है और जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं उनका भाग्य कितना अनिश्चित है। मैं श्री रेड्डी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं लेकिन हर तरह से और जैसा कि यहां पर बताया गया है कि वह विविध रुचियों वाले व्यक्ति थे और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लाभ के लिए सामाजिक और सार्वजनिक अनेक कार्यों में रत थे। अतः यह हमारे लिए एक बहुत दुखद दिन है।

महोदय, दूसरे सदस्य भी एक शिक्षाविद, पत्रकार और लब्धप्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह यहां पर संसदीय समितियों और अन्य कार्यों में बहुत सक्रिय थे।

महोदय, मैं और मेरे दल द्वारा यहां पर जो भावनाएं प्रकट की गई हैं उनसे पूरी तरह से अपने आपको संबद्ध करते हैं। हम इन दो सहयोगियों की क्षति पर शोक प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि आप हमारी संवेदना शोकसंतप्त परिवारों तक प्रेषित करेंगे।

श्री पी. जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम): उपाध्यक्ष महोदय, युवावस्था में श्री सुब्बारामा रेड्डी की दुखद मृत्यु का समाचार सुनकर हम स्तब्ध हैं। अज्ञात लोगों ने दिनदहाड़े उनकी हत्या कर दी। उन्होंने अनन्तपुर जल योजना के लिए एक करोड़ रुपए दान दिए थे। वह बहुत लोकप्रिय व्यक्ति थे। इतने अच्छे व्यक्ति की हत्या एक पैशाचिक कार्य है जिसकी हम सबको निन्दा करनी चाहिए।

मैं श्री गुडाडिन्नी जिनका भारी दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है के निधन पर भी शोक प्रकट करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस सभा की कर्यवाहियों में उनका योगदान सराहनीय है। वह एक कृषक, शिक्षाविद और पत्रकार भी थे।

दो वर्तमान सदस्यों का निधन सदन को और हमारे देश की बहुत बड़ी क्षति है। ए. आई. ए. डी. एम. के. की ओर से मैं शोकसंतप्त परिवारों के साथ हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): उपाध्यक्ष जी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो विचार और भावनाएँ व्यक्त की हैं, वह सब की भावनाएँ हैं, जो उन्हें जानते थे।

यद्यपि वह उद्योगपति थे, फिर भी बहुत सेवा की भावना से, व्यक्तिगत लोगों की भी सहायता में और संगठनों की सहायता में, अच्छे कार्यों की सहायता में उनका बहुत बड़ा योगदान था। मगर उनकी सारी सेवा, उनका सारा अच्छा व्यवहार, उनकी सहृदयता उन हत्यारों पर कोई असर नहीं डाल सकी, जिन्होंने बड़े जघन्य और बड़े निर्मम तरीके से उनकी हत्या की।

हत्यारे उनसे मिलने आये। शायद उस वक्त वह व्यस्त भी थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि कुछ लोग उनसे मिलने आये हैं तो वह उनसे मिलने के लिए गये, उनको अपना परिचय दिया और इसके बाद उनकी हत्या उनके निवास स्थान पर ही कर दी गई। उनके अंगरक्षक भी अपना कर्त्तव्य निभाते हुए उनकी रक्षा करने का प्रयास करने में मारा गया। यह हमारे देश में एक अत्यन्त बड़ी चिन्ता, राष्ट्रीय चिन्ता बन रही है कि हिंसा कुछ लोगों के लिए जैसे एक जीवन पद्धति बन रही है। हमारे जैसे देश में जहां हमने सबसे बड़े सम्राज्यवाद को महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसक तरीके से चुनौती दी थी, इतनी बड़ी लड़ाई हमने लड़कर जीती, उसी देश में हिंसा जीवन की एक पद्धति बन जाय और बड़े पैमाने पर सामने आये, यह अत्यन्त चिन्ता की बात है और मैं समझता हूं कि सारे देश को, सारे समाज को गम्भीरता से इसके ऊपर सोचना चाहिए और ऐसा वातावरण देश में बनना चाहिए।

मैं समझ सकता हूं कि एक युवक सांसद, एक युवक उद्योगपति, सेवा की भावना से काम करने वाले एक व्यक्ति की जब असामयिक मृत्यु हो तो उसके परिवार पर और सम्बन्धियों पर, दुःखों का पहाड़ टूटना जिसको कहते हैं, वह टूटा होगा। हम सब की उस परिवार के प्रति संवेदना है।

श्री बी.के. गुडाडिन्नी जी, जैसा बताया गया है, वह स्वयं एक बहुत बड़े समाजसेवी थे, बड़ी निष्ठा से काम करते थे और वह भी स्वस्थ्य दिखाई पड़ते थे, अचानक हृदय की बीमारी से उनका भी देहान्त हुआ।

मेरा अनुरोध है कि मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से इन दिवंगत नेताओं के परिवार के प्रति हमारी संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्रीमती लवली आनन्द (वैशाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है, तब से लगातार हम लोग

शोक सभा ही मनाते आ रहे हैं और अपने सदन के सम्माननीय सदस्यों को लगातार खोते जा रहे हैं।

स्वर्गीय श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी की जो हत्या हुई है, उसकी जितनी भी कठोर शब्दों में निन्दा की जाय, वह कम है। हमारे देश में राजनैतिक हत्याओं का जो अन्तहीन सिलसिला जारी है, इसको रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है, हत्यारे बख्शे नहीं जायें। सदन को इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि किस तरह से यह अन्तहीन सिलसिला गांधी के देश में गांधी की ही हत्या से शुरू हुआ है। इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे, यह भी सदन के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है और इस पर सदन को सोचने की जरूरत है।

हमें आज काफी दुख हो रहा है कि अभी तक कितने ही पार्लियामेंट के सम्मानित सदस्यों को हम खो चुके हैं, उसके लिए हम अपनी पार्टी और अपनी ओर से संवेदना व्यक्त करते हैं।

कृपया उनके परिवार तक हमारी संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने दल, इण्डियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से स्वयं को प्रधान मंत्री जी और दलों के नेताओं द्वारा व्यक्त गहरी भावनाओं से संबद्ध करता हूं।

महोदय, यह बहुत दुखद और किसी की कल्पना से परे की बात है कि श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी जैसे अच्छे स्वभाव के व्यक्ति का अन्त अज्ञात लोगों के हाथों इतने दुखद ढंग से होगा। मुझे आशा है कि राज्य सरकार और भारत सरकार इसे एक गंभीरता से लेगी औरयह सरकार के लिए देश के चुने हुए सदस्यों की हत्या रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के सरकार की आंखे खोलने वाली एक घटना होगी।

महोदय, श्री गुड्डाडिन्नी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से दलितों की शिक्षा हेतु योगदान दिया। उनकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने साथियों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं से सहमति प्रकट करता हूं और मैं इस सभा के एक वर्तमान सदस्य की हत्या और दूसरे सदस्य के निधन पर संवेदना प्रकट करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सत्र चल रहा है। हमारे एक साथी गुजर गये, दूसरे को मार दिया गया। कहावत है कि आदमी जब जन्म लेता है तो खुद रोता है लेकिन आजू–बाजू के लोग उसके लिए हंसते रहते हैं। लेकिन जिन्दगी में उसको ऐसा कार्य करना चाहिये कि उसे खुद हंसते–हंसते मरना चाहिये, लेकिन आजू–बाजू के लोग उसके लिए रोते रहें। जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि वे सभी के अच्छे दोस्त थे और हमेशा हंसते रहते थे। चन्द्रजीत यादव जी ने भी अभी बताया कि कई लोग उनसे मिलने के लिए आये थे। वह हंसते–हंसते चले गये। उन्हें क्या पता था कि वह मौत से मिलने जा रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह निधन संबंधी उल्लेख है।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: आज दो सांसद हमारे बीच नहीं रहे, वे कांग्रेस के सदस्य थे। उनमें से एक आन्ध्र प्रदेश के थे और हमारे प्रधानमंत्री जी वहीं से आते हैं। *

हम सब सांसद हैं। हर अलग–अलग तरीके से यहां मामले उठाते हैं, कभी बमकांड के खिलाफ तो कभी देशद्रोह के खिलाफ मामले उठाते हैं। लेकिन आज हमें हर जगह बाहर जाते हुए डर लगता है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि हम सबकी सुरक्षा करना आपका फर्ज होता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री वी. एस. विजयराघवन (पालघाट): महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।..... (व्यवधान)..

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इसे निकालूंगा, इसे निकाला जा रहा है।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं अपनी ओर से और अपने दल मणिपुर पीपल्स पार्टी की ओर से इस सभा के अपने दो सहयोगियों की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करता हूं। मैं व्यथित मनोदशा में हूं। मैं श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी की हत्या की कटु निन्दा करता हूं।

मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मुझे भी भूमिगत संगठनों ने इस सभा में उनके विरुद्ध बोलने, भाषण देने के लिए धमकी दे रखी है। मैं भी माननीय अध्यक्ष से अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए कहता रहा हूं। इस बात से अब तक इन्कार किया जाता रहा है। यह हमारा भाग्य है। अतः मैं भूमिगत संगठन द्वारा इस तरह की हत्या की कटु निन्दा करता हूं।

महोदय, इन्हीं कुछ शब्दों के साथ इस सभा के दो सहयोगियों की मृत्यु पर अपने साथियों के साथ संवेदना प्रकट करता हूं।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री डी.के. नायकर (धारवाड़ उत्तर): महोदय, मैं श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी की हत्या और श्री बी.के. गुडा–डिग्री के निधन पर संवेदना प्रकट करता हूं। इस दुखद समाचार को सुनकर मैं बहुत बेचैन हो गया हूं। आपने अपने निधन संबंधी उल्लेख में जो भी कहा है वह सब ठीक है। श्री गुडाडिग्री मेरे सहयोगी थे। मुझे पता चला है कि वह लोगों के साथ बढ रहे थे। वह एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। उन्हें अजातशत्रु कहा जाता था।

महोदय, मेरा श्री गुडाडिग्री से बहुत घनिष्ठ संबंध था। वह शिक्षाशास्त्री होने के साथ–साथ पत्रकार भी थे। वह अनेक शैक्षिक संस्थान चला रहे थे। मैंने उनमें बहुत से गुण देखे जिन्होंने मुझे उनकी ओर बहुत आकृष्ट किया। वह हमेशा लोगों के साथ चलते थे। वह अमीर, गरीब और महिलाओं में कोई अन्तर नहीं करते थे। वह बहुत लोकप्रिय थे। उन्हें अजातशत्रु कहा जाता था अर्थात् उनका कोई शत्रु नहीं था। उनके इस गुण की सभी ने सराहना की है। राजनीतिक क्षेत्र में भी उनका जीवन एक महत्वपूर्ण पहलू था। वह अपने राजनीतिक जीवन में बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उनका आर्थिक स्तर कल तक भी वही था जो कि राजनीति में प्रवेश करते समय था। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है कि आजकल ऐसे गुणों वाले व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। कल मैं उनकी शव यात्रा में गया हुआ था। पूरा शहर शोक में डूबा हुआ था और इतनी भीड़ पहले कभी एकत्र नहीं हुई थी। इससे पता चलता है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के साथ–साथ वह राजनीति में कितने लोकप्रिय थे। मैं यह जानता हूं। मेरे साथ हमारे माननीय मंत्री श्री राजशेखर मूर्ति भी वहां थे और हमें इस बारे में बहुत दुःख हुआ। मैंने महसूस किया कि मैंने एक ऐसा व्यक्ति खो दिया है जिसके साथ मेरे बहुत घनिष्ठ संबंध थे। मैं सभा की भावनाओं से सहमत हूं।

* श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दुख के साथ इस सभा में किए गए निधन संबंधी उल्लेखों के बारे में कुछ शब्द कहता हूं। मैं दूसरी बार इस सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। मैं पहली बार 1977 में निर्वाचित हुआ था जब श्री मोरार देसाई प्रधानमंत्री थे, उसके बाद स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने। उसके बाद श्री वी.पी. सिंह, श्री चन्द्रशेखर और अब श्री पी.वी. नरसिंह राव हमारे प्रधानमंत्री हैं। इस बीच बहुत से सदस्यों का निधन हो चुका है और उनके लिए इस सभा में निधन संबंधी उल्लेख हुए हैं।

श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी और श्री बी.के. गुडाडिग्री दसवीं लोक सभा के माननीय वर्तमान सदस्य थे। श्री मगुन्टा सुब्बारामा रेड्डी की पीपल्स वार ग्रुप (पी.डब्लू. जी.) के लोगों ने हत्या कर दी और श्री गुडाडिग्री का रेल गाड़ी पकड़ने के लिए जाते समय निधन हो गया। इन दो माननीय सदस्यों की मृत्यु राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है।

यह खेद की बात है कि श्री रेड्डी आंध्र प्रदेश से इस सभा के सदस्य थे जो कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव का गृह राज्य है। मुझे वास्तव में आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री के अपने राज्य में कांग्रेस दल के सदस्यों को सुरक्षा कैसे प्रदान नहीं की गई है। यदि उन्हें समुचित सुरक्षा दी गई होती तो पी.डब्लू.जी. के आतंकवादियों के हाथों श्री रेड्डी की हत्या नहीं होती। गृह मंत्री जी कहां हैं ? संसद सदस्यों को समुचित सुरक्षा क्यों नहीं दी जा रही है ? वह हमारी परवाह क्यों नहीं करते हैं ? प्रत्येक सदस्य को समुचित सुरक्षा दी जानी चाहिए, मैं इन दो मित्रों की मृत्यु पर शोक प्रकट करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: हमने अपने दो मित्रों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया।

अब सभा थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

11.33 म.पू.

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 5 दिसम्बर, 1995 को ग्यारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

* 101. श्री दिलीप भाई संघाणी:
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एकक स्थापित करने हेतु प्राप्त आवेदनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) अगस्त, 1995 तक सरकार द्वारा उनमें से राज्यवार कितने आवेदनों/को स्वीकृति दी गई; और

(ग) उनमें से संयुक्त उद्यम एककों तथा निर्यातोन्मुख एककों की राज्यवार संख्या कितनी–कितनी है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री. के. पी. सिंह देव): (क) से (ग). अल्कोहल.युक्त पेयों के किण्वन और आसवन, चीनी तथा लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाइसेंस मुक्त हैं इसलिए ऐसे मामलों में किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती और केवल एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है।

तथापि संयुक्त उद्यमों/100% नियातोन्मुखी इकाइयों/विदेशी सहभागिता आदि के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार/रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदन दिया जाता है।

---

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान 1894 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए और 559 अनुमोदन दिए गए हैं। इन 559 अनुमोदनों में से 459 संयुक्त उद्यम और 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लिए हैं। पेश किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों तथा मंजूर किए गए अनुमोदन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों (1992–93, 1993–94, 1994–95) के दौरान अनुमोदित प्रस्तावों (शतप्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों/संयुक्त उद्यमो/औद्योगिक लाईसेंसों आदि) तथा देश किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के राज्यवार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य का नाम	पेश किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	अनुमोदन		कुल
			निर्यातोन्मुखी प्रस्ताव	अन्य संयुक्त उद्यम/	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	436	106	13	119
2.	असम	2	–	–	–
3.	बिहार	18	2	–	2
4.	गुजरात	136	27	–	27
5.	हरियाणा	174	34	7	41
6.	हिमाचल प्रदेश	27	4	4	8
7.	जम्मू एवं कश्मीर	8	–	1	1
8.	कर्नाटक	60	20	9	29
9.	केरल	24	36	–	36
10.	मध्य प्रदेश	165	3	10	13
11.	महाराष्ट्र	326	80	20	100
12.	मणिपुर	0	–	–	–
13.	मेघालय	0	–	–	–
14.	नागालैंड	0	–	–	–

क्र. सं.	राज्य का नाम	पेश किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन	अनुमोदन संयुक्त उद्यम/ निर्यातोन्मुखी प्रस्ताव	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
15.	उड़ीसा	9	1	3	4
16.	पंजाब	154	8	3	11
17.	राजस्थान	135	20	10	30
18.	तमिलनाडु	86	46	1	47
19.	त्रिपुरा	0	–	–	–
20.	उत्तर प्रदेश	318	21	9	30
21.	पश्चिम बंगाल	61	7	6	13
22.	सिक्किम	0	1	–	1
23.	अंडमान निकोबार	0	3	–	3
24.	अरुणाचल प्रदेश	0	–	–	–
25.	चंडीगढ़	2	–	–	–
26.	दादर एवं नगर हवेली	11	2	–	2
27.	दिल्ली	17	–	–	–
28.	दमन एवं दीव	7	4	1	5
29.	एल एम एवं ए आईलैंड	0	–	–	–
30.	मिजोरम	0	–	–	–
31.	पांडिचेरी	12	2	–	2
32.	गोआ	6	14	3	17
	स्थानों का उल्लेख नहीं किया गया/यूनिटें एक से अधिक स्थानों पर हैं		18	–	18
	कुल	1894	459	100	559

डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत-यात्रा

*102. **श्री राम विलास पासवानः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सितम्बर, 1995 के दौरान डेनमार्क के प्रधान मंत्री की भारत यात्रा की उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) क्या मानवाधिकारों की निगरानी के संबंध में लाई गई पारदर्शिता और उसके लिये संगठनों की स्थापना के फलस्वरूप भारत के प्रति डेनमार्क के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन आया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) डेनमार्क के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से भारत-डेनिश द्विपक्षीय संबंधों को काफी प्रोत्साहन मिला है। यूरोपीय संघ से बाहर के देश को यह उनकी पहली यात्रा थी और 10 दिन की यह उनकी काफी लम्बी यात्रा थी। उनकी इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण करार सम्पन्न किए गएः

(1) निवेश संरक्षण सम्बन्धी एक द्विपक्षीय करार;

(2) विदेश मंत्रालयों के बीच नियमित द्विपक्षीय परामर्श संबंधी प्रोटोकोल, इसके अतिरिक्त, भारतीय उद्योग परिसंघ और इसके डेनिश समकक्ष के बीच एक समझौता ज्ञापन भी संपन्न किया गया। इस यात्रा से डेनमार्क और भारत के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंध सुदृढ़ होंगे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीन के साथ सीमा विवाद

*103. **श्री डी. वेंकटेश्वर रावः**
श्री ललित उरांवः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत और चीन अगस्त, 1995 के दौरान पूर्वी क्षेत्र की सीमा से संबंधित अपनी-अपनी सैनिक चौकियों को खाली करने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुए समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए अभी भी अनेक मुद्दों को निपटाया जाना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन मुद्दों को निपटाने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ङ) 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान चीन ने कुल कितने क्षेत्र पर कब्जा किया था;

(च) चीन के कब्जे में अभी भी भारत की कुल कितनी जमीन है; और

(छ) चीन से उस क्षेत्र को पुनः वापस लेने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (छ). सीमा के प्रश्न से संबंधित भारत-चीन संयुक्त कार्य-दल की आठवीं बैठक 18 से 20 अगस्त, 1995 को नई दिल्ली में हुई। दोनों शिष्टमंडलों के बीच हुए विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप पूर्वी क्षेत्र में सुमदोरोंग चू घाटी (वांग डुंग क्षेत्र) में एक दूसरे के काफी निकट स्थित चार भारतीय और चीनी चौकियों, जिनमें से दोनों तरफ दो-दो चौकियां हैं, को पीछे हटाने के बारे में सहमति हुई। इस कार्रवाई से इस क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के रेखांकन के संबंध में भारत और चीन की अपनी-अपनी स्थितियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दोनों पक्षों ने सीमा से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी विचार किया जिनमें सीमा के प्रश्न का समाधान, विश्वास उत्पन्न करने वाले उपाय, भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में स्पष्टीकरण और वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तैनात बलों में कटौती शामिल है।

जम्मू एवं कश्मीर में लगभग 38,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा समझौते" के अन्तर्गत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगभग 5120 वर्ग कि.मी. भारतीय क्षेत्र अवैध रूप से चीन को दे दिया।

भारत और चीन सीमा के प्रश्न के एक न्यायोचित, न्यायसंगत तथा परस्पर स्वीकार्य समाधान के लिए कार्य करने के प्रति वचनबद्ध हैं। इस संबंध में भारत-चीन संयुक्त कार्यदल की रूपरेखा के अन्तर्गत विचार-विमर्श किया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में परस्पर विश्वास बढ़ाने के लिए भारत और चीन द्वारा उठाए गए ठोस कदमों से सीमा के प्रश्न का समाधान करने के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करने में मदद मिलेगी।

विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सुविधा

*104. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोयले तथा गैस की अनियमित आपूर्ति की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का विचार अपने आठ संयंत्रों में चरणबद्ध रूप से विभिन्न प्रकार की ईंधन-सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये संयंत्र किन–किन स्थानों पर स्थित है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे): (क) और (ख). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन. टी. पी. सी.) के अपने पांच विद्युत केन्द्रों में दोहरी–दहन सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। एन. टी. पी. सी. के किन्हीं अन्य विद्युत केन्द्रों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

*105. **श्रीमती भावना चिखलिया:**
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार और संयंत्रवार इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इस्पात का उत्पादन मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो इस्पात की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु निजी कम्पनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) वर्ष 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान परिसज्जित इस्पात का संयंत्र–वार उत्पादन निम्नानुसार रहा :–

(हजार टन)

संयंत्र	*1992–93*	*1993–94*	*1994–95*
भिलाई इस्पात संयंत्र	2138	2189	2207
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	454	500	579
राउरकेला इस्पात संयंत्र	1151	1104	1159
बोकारो इस्पात संयंत्र	2864	3084	2999
कुल ("सेल" संयंत्र)	6607	6877	6944
इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कं. लिमिटेड (इस्को)	322	254	282
राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., (आर. आई. एन. एल.)	540	666	968
टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि., (टिस्को)	945	971	1372
कुल मुख्य उत्पादक	8414	8768	9566
गौण उत्पादक	6790	6431	8253
सकल योग	15204	15199	17819

(ख) से (ङ) वर्ष 1995–96 के दौरान अनुमानित 203.2 लाख टन की स्वदेशी मांग की तुलना में परिसज्जित इस्पात का स्वदेशी उत्पादन 207.9 लाख टन होने की आशा है।

सरकार ने बढ़ रही मांग को पूरा करने के संबंध में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। संसाधन संबंधी अड़चनों के कारण सरकारी क्षेत्र में कोई नया इस्पात संयंत्र लगाने की योजना नहीं है। अतएव सरकार निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन एवम् सहूलियत दे रही है। इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं:–

(1) सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से लोहा और इस्पात को हटाना।

(2) कतिपय स्थान–स्थिति संबंधी प्रतिबंधों की शर्तों पर लोहा तथा इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना।

(3) विदेशी पूंजी–निवेश के प्रयोजनार्थ लोहा तथा इस्पात को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में शामिल करना।

(4) लोहा और इस्पात के मूल्यन और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करना।

(5) पूंजीगत–माल के आयात पर शुल्कों को कम करना।

(6) आयात और निर्यात नीति को उदार बनाना।

(7) नई औद्योगिक इकाइयों को लौह अयस्क, कोयला और परिवहन हेतु सहलग्नता का प्रावधान करना।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित व्यक्ति

*106. श्री नीतीश कुमारः
श्री नवल किशोर रायः

क्या ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आज तक कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं;

(ख) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं परन्तु अभी भी गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिए कुछ विशेष–प्रबंध किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र): (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इसके प्रारम्भ से लेकर अक्टूबर 1995 तक 475.51 लाख परिवारों को सहायता दी गई है।

(ख) से (ङ). 1986 से, कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता का जायजा लेने के लिए समवर्ती मूल्यांकन कराने की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। चौथे दौर के समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्षों के अनुसार कुल 14.92% परिवारों ने 11,000 रूपए की गरीबी की रेखा को पार किया है और 50.63% परिवार पूर्व की 6400 रू की गरीबी की रेखा को पार कर सके।

गरीबी रेखा को पार करने वाले लोगों के कम प्रतिशत के मुख्य कारण आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियों की वास्तविक लागत की तुलना में प्रति इकाई लागत कम होना, प्रारम्भिक वर्षों में प्रति परिवार अपर्याप्त निवेश, आधार भूत ढांचे की कमी, पूर्वा पर सम्पर्कों की कमी, प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, बैंकों द्वारा कम वित्तपोषण और लाभार्थी क्षेत्र का असंगठित होना है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की स्थिति का पता करने हेतु मंत्रालय स्वतंत्र अनुसंधान संस्थाओं से समवर्ती मूल्यांकन करता है। अभी तक चार चरण पूरे कर लिये गये हैं।

[अनुवाद]

सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

*107. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेयः
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरीः

क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 13000 कि.मी. के प्रस्तावित सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का कार्य इस समय किस स्थिति में है;

(ख) क्या सरकार ने इन राजमार्गों के निर्माण पर होने वाले खर्च का आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस परियोजना की समीक्षा कराने हेतु केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान जैसे भारतीय तकनीकी निकायों की सहायता ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) से (ङ). सरकार की ओर से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने महानगर क्षेत्रों और निर्माणकर्ता कस्बों को भारत के महापत्तनों के साथ जोड़ने वाले प्रस्तावित सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के इच्छुक पक्षों से विश्वव्यापी स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की हैं। ये मार्ग नए सरेखणों पर एक्सप्रेस मार्ग बन जाएंगे और इन्हें निजी क्षेत्र की सहायता से निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण के आधार पर बनाए जाने का प्रस्ताव है। विश्वव्यापी स्तर की बोलियों के आधार पर इन व्यवहार्यता अध्ययनों को करने के लिए 22 पार्टियों ने अपनी बोलियां भेजी हैं। अभी इन सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की लागत नहीं बतायी जा सकती। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान एक अनुसंधान संगठन होने के कारण इस परियोजना के साथ प्रत्यक्ष रूप सम्बंधित नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन. टी. पी. सी.) को गैस आपूर्ति

*108. **श्री गिरधारी लाल भार्गव**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अपेक्षित मात्रा में गैस उपलब्ध न होने के कारण राजस्थान को विद्युत आपूर्ति में 250 मेगावाट की कटौती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को गैस की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उक्त कारण से बिजली में कटौती न होने पाये?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे): (क) से (ग). उत्तरी क्षेत्र में एन. टी. पी. सी. के गैस आधारित विद्युत केन्द्रों नामशः अन्ता (413 मे. वा.), औरैया (652 मे.वा.) और दादरी (817 मे.वा.) में प्रचालन हेतु गैस की आवश्यकता 85 प्रतिशत संयंत्र भार अनुपात पर 9 मिलियन घन मीटर प्रति दिन (एम. सी. एम. डी.) है। तथापि, 7 एम. सी. एम. डी. की लिंकेज की तुलना में एन. टी. पी. सी. इन केन्द्रों के लिए वर्तमान में औसतन 5.83 एम. सी. एम. डी. प्राप्त कर रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए विद्युत उत्पादन में लगभग 250 मे.वा. की हानि हुई है। तथापि, विद्युत उत्पादन की इस हानि को केवल राजस्थान के लिए ही विभाजित नहीं किया गया है, बल्कि यह हानि उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न भागीदार राज्यों के मध्य उनके आबंटन के आधार पर विभाजित की गई है। विद्युत मंत्रालय और एन. टी. पी. सी. गैस की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति के लिए पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ लगातार सम्पर्क बनाए हुए है, ताकि इन केन्द्रों में अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम समुपयोजन सुनिश्चित किया जा सके। गैस की अपर्याप्त आपूर्ति को मद्देनजर रखते हुए वैकल्पिक द्रव ईधन के लिए भण्डारण सुविधाओं में वृद्धि की जा रही है, ताकि इन्हें द्रव ईधन से चलाया जा सके और इन केन्द्रों में हो रही गैस आपूर्ति में गिरावट को भी पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश का प्रस्ताव

*109. **श्री सैयद शहाबुद्दीन**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी निवेश के कौन–कौन से प्रमुख प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों के विचाराधीन हैं और उनकी प्रस्तावित क्षमता कितनी है तथा उनमें कुल कितनी राशि का निवेश किया जाएगा;

(ख) क्या सरकार ने इन सभी परियोजनाओं को एक निर्धारित आमदनी की गारंटी दी है;

(ग) प्रत्येक परियोजना के बारे में चल रही बातचीत इस समय किस स्थिति में है;

(घ) क्या सरकार ने किसी मामले में शीघ्रता से चल रही बातचीत को अंतिम रूप देने अथवा उसमें तेजी लाने के लिए परस्पर स्वीकार्य शर्तों के आधार पर हस्तक्षेप किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या देश में विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे): (क) भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अब तक की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र में 52 विद्युत उत्पादक परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिनमें कुल 37503 मे.वा. क्षमता अभिवृद्धि के लिए लगभग 1,46,600 करोड़ रूपये लागत का विदेशी निवेश (एन. आर. ई. और संयुक्त उद्यम प्रस्ताव समेत) शामिल हैं।

(ख) टैरिफ मानदण्डों में, अन्य बातों के साथ–साथ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत परियोजना के मामले में 90 प्रतिशत उपलब्धता पर और ताप विद्युत संयंत्रों के मामले में 65.5 प्रतिशत संयंत्र भार अनुपात (पी एल एफ) पर 16 प्रतिशत इक्विटी पर लाभांश का प्रावधान किया गया है। लाभांश को संयंत्र के विशिष्ट कार्यनिष्पादन से जोड़ा गया है और यह विद्युत परियोजना में मात्र निवेश के लिए एक सुनिश्चित लाभांश नहीं है।

(ग) विदेशी निवेश वाली 52 निजी विद्युत परियोजनाओं में से 16 परियोजनाओं को विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और शेष 36 परियोजनाएं अपने विदेशी निवेश प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की प्रक्रियाधीन हैं और विभिन्न सांविधिक तथा गैर–सांविधिक स्वीकृतियां भी सुनिश्चित कर रही हैं।

विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त 16 परियोजनाओं में से 9 परियोजनाओं

को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है शेष 7 परियोजनाएं के.वि.प्रा. की तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति समेत, विभिन्न अन्य सांविधिक तथा गैर–सांविधिक स्वीकृतियां सुनिश्चित करने की प्रक्रियाधीन हैं।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्राप्त 9 परियोजनाओं में से एक परियोजना यथा, महाराष्ट्र में दभोल विद्युत परियोजना चरण–1 (695 मे.वा.) ने वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया है। तथापि, इस परियोजना के सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुनः बातचीत की जा रही है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त अन्य आठ परियोजनाएं वित्तीय समापन प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करने की प्रक्रियाधीन है।

(घ) और (ङ). निजी विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने की जिम्मेवारी प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड की है। तथापि, भारत सरकार समय–समय पर विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं समेत निजी विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करती है और इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में आने वाली बाधाओं, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करती है। भारत सरकार इन प्रस्तावों पर कार्रवाई कर रही है, ताकि परियोजनाएं शीघ्र ही स्थापित की जा सकें। केन्द्रीय सरकार केवल काउन्टर गारंटी के संबंध में की जाने वाली बातचीत तथा उन मामलों से संबंधित दस्तावेजों, जिन पर भारत सरकार काउंटर गारंटी प्रदान करने के लिए सहमत हुई है, के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है।

[हिन्दी]

मध्यस्थता के लिये अमरीकी पेशकश

*110. श्री राम पाल सिंह:
श्री सत्यदेव सिंह:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर मध्यस्थता करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पर भी अमरीकी मध्यस्थता की मांग की है;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में अपने दृष्टिकोण से अमरीका को अवगत करा दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख). भारत–पाक संबंधों में अनसुलझे मसलों पर बातचीत शुरू करने में भारत और पाकिस्तान की मदद करने में अमरीका ने अपनी इच्छा जाहिर की है बशर्ते कि दोनों पक्ष इस बात के इच्छुक हों।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) सरकार ने साफ–साफ शब्दों में यह कहा है कि कश्मीर के मसले सहित भारत पाक संबंधों में सभी अनसुलझे मसले शिमला समझौते के अन्तर्गत भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता के जरिए ही सुलझाए जा सकते है। सरकार ने इस संबंध में अमरीका सहित किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता किए जाने की बात अस्वीकार कर दी है।

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकान

*111. श्रीमती वसुन्धरा राजे: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 सितम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कितने मकानों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में आवास निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) इस उद्देश्य हेतु राज्यवार उपलब्ध कराई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (डा. जगन्नाथ मिश्र): (क) वर्ष 1985–86 में इंदिरा आवास योजना के प्रारंभ होने से लेकर 30 सितम्बर, 1995 तक बनाये गये मकानों की कुल संख्या 21,89,644 है (बनाये गये मकानों के वर्षवार ब्यौरे विवरण –I में दिए गए हैं)

(ख) योजना के अंतर्गत, चालू वित्तीय वर्ष के लिए 10 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है (चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मकानों के निर्माण हेतु निर्धारित राज्यवार लक्ष्य के ब्यौरे विवरण–II में दिये गये हैं)।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को 30 सितम्बर, 1995 तक 50189.36 लाख रूपये रिलीज किये जा चुके हैं (30 सितम्बर, 1995 तक रिलीज की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण–III में दिए गए हैं)।

विवरण–I

इंदिरा आवास योजना

	निर्मित आवासों की संख्या
सातवीं योजना	
1985–86	51252
1986–87	160197
1987–88	169302
1988–89	139192
1989–90	186023
योग	705966
वार्षिक योजना	
1990–91	181800
1991–92	207299
योग	389099
आठवीं योजना	
1992–93	192585
1993–94	360047
1994–95	372275
1995–96 (सितम्बर, 95 तक)	169679
कुल	1094579
महायोग	2189644

विवरण–II

1995–96 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लक्ष्य और निर्मित आवास (30.09.95 तक)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य इकाइयां	निर्मित आवास संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	77642	10087
2.	अरुणाचल प्रदेश	797	35
3.	असम	25560	1136
4.	बिहार	152292	34704
5.	गोवा	861	183
6.	गुजरात	28501	4705

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य इकाइंया	निर्मित आवास संख्या
1	2	3	4
7.	हरियाणा	6846	926
8.	हिमाचल प्रदेश	2736	264
9.	जम्मू व कश्मीर	5561	789
10.	कर्नाटक	52133	4009
11.	केरल	24624	5807
12.	मध्य प्रदेश	98384	33594
13.	महाराष्ट्र	84641	5071
14.	मणिपुर	1022	208
15.	मेघालय	1195	64
16.	मिजोरम	504	152
17.	नागालैंड	1281	0
18.	उड़ीसा	62986	7832
19.	पंजाब	7047	0
20.	राजस्थान	40875	975
21.	सिक्किम	466	9
22.	तमिलनाडु	70187	1074
23.	त्रिपुरा	1327	0
24.	उत्तर प्रदेश	189211	3232
25.	पश्चिम बंगाल	69579	710

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वार्षिक लक्ष्य इकाइयां	निर्मित आवास संख्या
1	2	3	4
26.	अंडमान निकोबार	377	0
27.	दादर व नगर हवेली	205	1*
28.	दमन व दीप	121	–
29.	लक्षद्वीप	188	–
30.	पांडिचेरी	369	–
	योग	1007519	169672

* अगस्त, 95 तक

विवरण--III

30.9.95 की स्थिति के अनुसार केन्द्र द्वारा जारी की गई राशि

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आई. ए. वाई
1	2	4
1.	आंध्र प्रदेश	3882.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	55.78
3.	असम	1277.98
4.	बिहार	7614.61
5.	गोवा	43.06
6.	गुजरात	1425.08
7.	हरियाणा	342.34
8.	हिमाचल प्रदेश	136.84

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आई. ए. वाई
9.	जम्मू व कश्मीर	278.04
10.	कर्नाटक	2606.68
11.	केरल	948.38
12.	मध्य प्रदेश	4919.18
13.	महाराष्ट्र	4247.26
14.	मणिपुर	38.56
15.	मेघालय	29.89
16.	मिजोरम	50.36
17.	नागालैण्ड	64.05
18.	उड़ीसा	3149.26
19.	पंजाब	352.35
20.	राजस्थान	2043.74
21.	सिक्किम	23.32
22.	तमिलनाडु	3509.40
23.	त्रिपुरा	132.69
24.	उत्तर प्रदेश	9460.62
25.	पश्चिम बंगाल	3478.95
26.	अंडमान निकोबार	23.58

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आई. ए. वाई
27.	दादर व नगर हवेली	12.80
28.	दमन व दीव	7.54
29.	लक्षद्वीप	11.82
30.	पांडिचेरी	23.10
	योग	50189.36

राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव/मरम्मत

* 112. श्री शान्ताराम पोतदुखेः
श्री जितेन्द्र नाथ दासः

क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव हेतु सरकार के कोई स्थाई दिशानिर्देश है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों का रख–रखाव और मरम्मत संबंधी कार्य समुचित संसाधनों की कमी के कारण उपेक्षित रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत संबंधी कार्यों के लिए आबंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख). जी हां। राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत के लिए मानदण्ड हैं जिन्हें वर्ष 1993 के अद्यतन करके सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है जिनके आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत के लिए प्रतिवर्ष निधियों की आवश्यकताओं की गणना की जाती है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव और मरम्मत के लिए निधियाँ, वास्तव में सामान्यतया आवश्यकताओं का 50% ही उपलब्ध होती हैं इसलिए अनुमोदित मानकों के अनुसार वांछित स्तर का रख–रखाव करना संभव नहीं हो पाया है।

(ङ) किए गए आबंटनों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख–रखाव/मरम्मत के लिए किया गया राज्य–वार आबंटन।

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटन (लाख रु)		
		1992–93	1993–94	1994–95
1.	आन्ध्र प्रदेश	1249.44	1716.42	2146.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	35.41	53.51	67.24

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटन (लाख रु.)		
		1992–93	1993–94	1994–95
3.	असम	1039.62	1355.22	1678.23
4.	बिहार	1072.66	1276.45	1472.53
5.	चण्डीगढ़	15.43	14.00	21.00
6.	दिल्ली	171.80	208.21	143.25
7.	गोवा	208.30	225.05	385.65
8.	गुजरात	881.37	1033.95	1316.64
9.	हरियाणा	380.83	513.86	560.43
10.	हिमाचल प्रदेश	529.55	881.70	894.80
11.	जम्मू एवं कश्मीर	143.39	94.54	75.60
12.	कर्नाटक	1105.87	1234.19	1506.78
13.	केरल	587.62	726.15	924.10
14.	मध्य प्रदेश	1213.25	1316.28	1696.01
15.	महाराष्ट्र	1506.67	1815.54	2150.45
16.	मणिपुर	73.32	130.47	115.20
17.	मेघालय	170.27	231.13	270.06
18.	नागालैण्ड	3.50	7.29	4.00
19.	उड़ीसा	738.52	1016.11	1186.50
20.	पाण्डिचेरी	5.78	16.02	14.73
21.	पंजाब	638.97	661.30	736.97

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आबंटन (लाख रू)		
		1992–93	1993–94	1994–95
22.	राजस्थान	1141.02	1339.07	1810.83
23.	तमिलनाडु	1134.69	1643.67	1702.86
24.	उत्तर प्रदेश	1394.96	1710.52	2065.48
25.	पश्चिम बंगाल	1071.51	1760.45	1744.02
26.	सीमा सड़क विकास बोर्ड (बी.आर.डी.बी.)*	1796.81	1953.77	1947.90

* अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में बी. आर. डी. बी. को सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित आबंटन।

[हिन्दी]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटनाएं

• 113. श्रीमती शीला गौतमः
श्री रामेश्वर पाटीदारः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनमें कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं के कारण क्या हैं और इनके फलस्वरूप इस संयंत्र को कुल कितनी क्षति हुई; और

(ग) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

वर्ष	नियमित कर्मचारी			ठेकेदारों के श्रमिक		
	घातक	प्रतिवेदय (अघातक)	कुल	घातक	प्रतिवेदय (अघातक)	कुल
1992–93	6	231	237	3	4	7
1993–94	2	168	170	4	8	12
1994–95	शून्य	139	139	4	10	14

उपरोक्त आंकड़ों में सड़क/वाहन दुर्घटनाएं शामिल नहीं हैं।

(ख) दुर्घटना होने के कारणों में अन्य बातों के साथ–साथ फिसलना, गिरना, बिजली के कारण, तप्त धातु से जलना, अन्य तप्त वस्तुओं से घायल होना, चलायमान वस्तुओं और गिर रहे सामान से चोट लगना, वस्तुओं से टकराना, वस्तुओं के बीच में दबना आदि शामिल हैं।

इन दुर्घटनाओं के कारण उत्पादन/सम्पत्ति को कोई हानि नहीं हुई।

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने/न्यूनतम करने के लिए विशाखापतनम इस्पात संयंत्र द्वारा की गई की जा रही उपचारात्मक कार्रवाई संक्षेप में नीचे दी गई है:–

(i) बड़ी अथवा छोटी, सभी प्रकार की दुर्घटनाओं की तत्काल जांच की जाती है।

(ii) असुरक्षित परिस्थितियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के उद्देश्य से नियमित रूप से शॉप–फ्लोर निरीक्षण किए जाते हैं और सुरक्षा उपकरणों के उपयोग करने संबंधी कार्य को कड़ाई से लागू किया जाता है।

(iii) नियमित कर्मचारियों और ठेके के कर्मचारियों दोनों को सुरक्षा शिक्षा और प्रशिक्षण देने पर काफी बल दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर:–

(1) नए भर्ती हुए सभी कर्मचारियों को प्रेरण सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है।

(2). प्रत्येक बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को नियमित आधार पर सामग्री संभाल में सुरक्षा संबंधी त्रिपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

(iv) वी.एस.पी. में एक अद्वितीय सुरक्षा प्रोत्साहन योजना है। जिसके तहत किसी माह में "शून्य", प्रतिवेदय दुर्घटना के लिए विभाग विशेष के कर्मचारी 75 रू प्रति माह का नकद लाभ प्राप्त करते हैं। माह के दौरान "शून्य" अग्नि दुर्घटना के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है।

(v) उप विभागीय सुरक्षा समितियों और एक शीर्षस्थ नियंत्रण समिति जिनमें कामगारों और प्रबंधन का समान प्रतिनिधित्व होता है, के जरिए सुरक्षा के प्रति जागरूकता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(vi) सुरक्षा संवर्धन कार्यकलाप जैसे सुरक्षा सप्ताह, अन्तर–विभागीय आन्तरिक प्रबंध प्रतियोगिताएं और अन्य सुरक्षा प्रतियोगिताएं पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं।

(vii) बी.आई.एस. विनिर्दिष्टियों के अनुरूप सभी कर्मचारियों को उच्च क्वालिटी के सुरक्षा उपकरण निःशुल्क दिए जाते हैं।

(viii) पारी के शुरू में और अन्त में कुछ निर्धारित समय के दौरान भारी वाहनों और माल संभाल वाहनों का आना–जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सके।

(ix) दुपहिया चालकों को क्रैश हैल्मेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लगातार अभियान चलाए जाते हैं।

[अनुवाद]

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

*114. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः
प्रो. के. वी. थामसः

क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रत्येक वर्ष में दर्शाई गई लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) कंपनी के पास आज की स्थिति के अनुसार पोत–निर्माण एवं मरम्मत कार्य संबंधी कितने आर्डर लम्बित हैं;

(ग) प्रत्येक परियोजना के संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के विस्तार का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोचीन शिपयार्ड लि. (सी एस एल) को हुए लाभ/हानि के ब्यौरे इस प्रकार हैः–

		(करोड़ रू)
1992–93	हानि	7.95
1993–94	हानि	1.98
1994–95	लाभ	11.16

(ख) और (ग). फिलहाल कोचीन शिपयार्ड के पास निम्नलिखित आर्डर हैं:–

जहाज निर्माण	–	7
जहाज मरम्मत	–	4

जहाज निर्माण/जहाज मरम्मत परियोजनाओं पर हुई प्रगतिः

जहाज निर्माणः

(i) मैं भारतीय नौवहन निगम के लिए जहाज 009

83400 डी डब्ल्यू टी के डबल हल टैंकर का निर्माण कार्य 18 अक्टूबर, 1995 को शुरू हुआ।

(ii) नव मंगलूर पत्तन न्यास के लिए 32 टी बोलार्ड पुल टग

यह जलयान 13.10.1995 को लांच किया गया और क्वे साइड में आऊटफिट कार्य चल रहा है।

(iii) केरल मत्स्य विभाग के लिए पांच गश्ती नौकाएं

सभी पांचों गश्ती नौकाओं की कील 18.8.1995 को डाली गई।

जहाज मरम्मत

(i) भारतीय नौसेना का वायुयान वाहक, आई एन एस विराट

सभी जलगत कार्य पूरे हो गए और जलयान 7 नवम्बर, 1995 को गोदी से बाहर निकाला गया। जहाज को मरम्मत के लिए नौसेना जैट्टी में बर्थ पर लगाया गया है।

(ii) मै. भारतीय नौवहन निगम लि. का कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, पी. वी. सी., टैंकर

जलयान को 13 नवम्बर, 1995 को ड्राईडॉक किया गया और मरम्मत कार्य नियत समय के अनुसार चल रहे हैं।

(iii) भारतीय नौसेना का आई. एन. एस. जमुना

जलयान 23.11.1995 को ड्राई डॉक किया गया।

(iv) भारतीय नौसेना का एल सी यू–38
जलयान 23.11.1995 को ड्राईडॉक किया गया।

जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत संबंधी सभी परियोजनाएं नियत समय–सारणी के अनुसार प्रगति पर हैं।

(घ) और (ङ). कोचीन शिपयार्ड लि. में जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत सुविधाओं के विस्तार के लिए भारत सरकार ने आठवीं योजना में 47.80 करोड़ रू आबंटित किए हैं। स्कीम–वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

(करोड़ रू)

(क) जहाज मरम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण	8.00
(ख) अतिरिक्त मरम्मत सुविधाएं	25.00
(ग) क्षमता उपयोगिता में सुधार	11.20
(घ) नवीकरण और प्रतिस्थापन्न	3.60

मांडले जेल में तिलक स्मारक

* 115. श्री राम नाईकः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि म्यांमार की वर्तमान सरकार ने मांडले जेल स्थित लोकमान्य तिलक के स्मारक को नष्ट कर दिया है;

(ख) क्या रंगून स्थित भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी स्थानीय भारतीयों ने पहले से ही दे दी थी; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय दूतावास द्वारा उक्त स्मारक को बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी हां। भारत की सरकार को इस बात की जानकारी है कि म्यांमार की सरकार ने एक लेक्चर हाल, जो मांडले जेल परिसर के अन्दर लोकमान्य तिलक के स्मारक के रूप में निर्मित किया गया था, नष्ट कर दिया गया है।

(ख) और (ग). जी नहीं हमारे दूतावास को म्यांमार प्राधिकारियों की 1988 से मांडले किले के अन्दर स्थित जेल का, जिसमें भीड़–भाड़ बहुत हो गई थी, पुनः निर्माण करने के लिए आस–पास की इमारतों सहित इस कक्ष को गिरा देने की योजना की जानकारी थी। जनवरी, 1995 में भारतीय राजदूत ने म्यांमार के प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया कि इस स्मारक के प्रति भारतीय भावनाओं के देखते हुए इसे सुरक्षित रखा जाए तथापि पैलेस के नवीकरण के दौरान म्यांमार के प्राधिकारियों द्वारा अन्य इमारतों सहित यह मेमोरियल हाल भी गिरा दिया गया। मई, 1995 में इसे नष्ट किए जाने के बारे में जानकारी मिलने के फौरन बाद हमारे राजदूत ने म्यांमार के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ यह मुद्दा उठाते हुए यह प्रस्ताव किया कि दोनों सरकारों के बीच द्विपक्षीय विचार–विमर्श

के बाद उसी स्थल पर एक मेमोरियल हाल का निर्माण किया जाए।

इसके बाद यांगोन में हमारे वर्तमान राजदूत ने म्यांमार की सरकार के साथ अपने विचार–विमर्शों में इस अनुरोध को दोहराया। एक उपयुक्त स्मारक निर्मित करने से संबंधित एक औपचारिक अनुरोध उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है। हमारे राजदूत ने भी इस मसले के संबंध में मांडले के मेयर और अन्य अधिकारियों के साथ सम्पर्क कायम किया हुआ है।

पाकिस्तान द्वारा रूस से हथियारों की प्राप्ति

*116. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसीः**
श्री हरिन पाठकः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा रूस से अत्याधुनिक हथियारों को प्राप्त करने हेतु हाल में किये गये प्रयासों की जानकारी है;

(ख) क्या पाकिस्तान तथा रूस के बीच इस संबंध में कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने रूस के साथ इस मामले को उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा रूस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां। सरकार को पाकिस्तान द्वारा रूस से हथियार प्राप्त करने के प्रयास करने की जानकारी है।

(ख) और (ग). जी नहीं। रूस की सरकार ने हाल ही में पुनः यह बताया है कि उसने पाकिस्तान को हथियार बेचने की कोई अनुमति नहीं दी है।

(घ) और (ङ). जी हां। इस संबंध में भारत सरकार की चिन्ता से रूसी प्राधिकारियों को विभिन्न स्तरों पर अवगत करा दिया गया है। दिसम्बर, 1994 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान, रूस के प्रधानमंत्री चेर्नोमिरदिन ने सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि रूस ने न तो पाकिस्तान को हथियार बेचे हैं और न ही बेचने का इरादा है।

इस्पात का निर्यात

[हिन्दी]

117. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्माः** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जहां इस्पात का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में इस्पात के निर्यात में कमी आयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस्पात के निर्यात में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या योजनाएं बनायी गयी हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देवः) (क) भारत से चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, कोरिया, थाइलैण्ड, इण्डोनेशिया, मलेशिया, ताइवान, नेपाल, आस्ट्रेलिया और जर्मनी सहित विभिन्न देशों को इस्पात का निर्यात किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः माह के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान इस्पात के किये गए निर्यात की तुलना में, मात्रा की दृष्टि से, 14.5% की वृद्धि हुई।

(ग) उपरोक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बाल्को की विधानबाग इकाई

*118. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक :**
श्री हाराधन रायः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने "बाल्को" के बिधानबाग एकक के पुनर्गठन/आधुनिकीकरण के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करने हेतु मेकान की सेवाएं ली थीं;

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी;

(ग) क्या सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ). यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) मेकान की समस्त सिफारिशों को कब तक लागू कर दिया जायेगा?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग): (क) से (च). जी नहीं, तथापि, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि. (बाल्को) ने मैसर्स मेकान को अपनी बिधानबाग इकाई के आधुनिकीकरण की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया था। मैसर्स मेकान ने 43.3 करोड़

रू को अनुमानित लागत पर कन्डक्टर प्लांट, फोइल प्लांट, एक्ट्रान प्लांट और कुछ अन्य सुविधाओं का स्तर सुधारने और आधुनिकीकरण के लिए एक रिपोर्ट जून, 1987 में दी थी। रिपोर्ट को व्यवहार्य नहीं पाया गया था। मेकान ने 196 लाख रू की अनुमानित लागत पर दो चरणों में केवल कन्डक्टर प्लांट के पुनरुद्धार के लिए एक संशोधित रिपोर्ट दिसम्बर, 1987 में भेजी। प्रथम चरण में सभी एल्युमिनियम एलाय कन्डक्टर के 1000 टन के उत्पादन के लिए 76 लाख रू का निवेश अन्तर्निहित था। इसको बाल्को द्वारा कार्यान्वित किया गया लेकिन उसमें संचालन समस्याएं उत्पन्न हो गई। कंपनी ने अब कन्डक्टर प्लांट को सुव्यवस्थित करने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए एक अन्य ठेकेदार को टर्न की ठेका दे दिया है।

[हिन्दी]

विद्युत की मांग

* 119. **डा. चिन्ता मोहनः**
श्री गुमान मल लोढ़ाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युत की मांग में कितनी औसत–वार्षिक वृद्धि हुई;

(ख) देश में विद्युत आपूर्ति में किस दर पर सुधार हुआ है;

(ग) क्या देश में विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत विश्व के अन्य देशों में बिजली की खपत की तुलना में काफी कम है; और

(घ) यदि हां, तो यूरोपीय और उत्तरी अमरीकी देशों की तुलना में भारत में विद्युत को प्रतिव्यक्ति खपत को स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में ऊर्जा की आवश्यकता में वृद्धि की दर निम्नलिखित रही हैः–

वर्ष	प्रतिशत वृद्धि
1992–93	5.6
1993–94	5.9
1994–95	8.9

(ख) उक्त 3 वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन निम्नलिखित थाः–

वर्ष	विद्युत उत्पादन (बि.यू.)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1992–93	301	5.0
1993–94	323	7.5
1994–95	351	9.3

(ग) और (घ). जी, हां। वर्ष 1993–94 के दौरान देश में विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत 299 कि. वा. घ. थी। वर्ष 1990, 1991, और 1992 के दौरान कुछ यूरोपीय और उत्तर अमरीकी देशों में विद्युत की प्रतिव्यक्ति खपत संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

वर्ष 1990 से 1992 के दौरान कुछ यूरोपीय और उत्तर अमरीकी देशों में विद्युत की वार्षिक प्रतिव्यक्ति खपत

	देश का नाम	प्रतिव्यक्ति खपत (कि. वा. घं. में)		
		1990	1991	1992
1.	कनाडा	18078	18134	18117
2.	यू.एस.ए.	12056	12197	12160

देश का नाम		प्रतिव्यक्ति खपत (कि. वा. घं. में)		
		1990	1991	1992
3.	इटली	4361	4452	4525
4.	स्वीट्जरलैण्ड	7966	8100	8015
5.	यू.के.	5743	5872	5933
6.	जर्मनी	उपलब्ध नहीं	7199	6627
7.	फ्रांस	6597	7044	7140
8.	स्वीडन	18890	16967	16655
	भारत	253	270	283

स्रोत : ऊर्जा सांख्यिकी, वार्षिक पुस्तिका— संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन

[अनुवाद]

अमरीका में "लाबीईस्ट फर्म"

*120. **श्री सुदर्शन राय चौधरीः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अमरीका में किसी नई "लाबीईस्ट फर्म" की स्थापना करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औषध कम्पनियां

1063. **श्री पीयूष तीरकीः** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की पांच में से चार औषध कम्पनियां रूग्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) इन कम्पनियों द्वारा उठाए गए घाटों का गत तीन वर्षों के दौरान कम्पनीवार तथा वर्षवार क्या ब्यौरा है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित औषधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग). चार केंद्रीय सरकारी क्षेत्र की औषध कंपनियों नामतः इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आईडीपीएल), बंगाल इम्युनिटी लि. (बीआईएल), बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्सल. (बीसीपीएल) और स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि. (एसएसपीएल) को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) ने मुख्य रूप से रूग्ण घोषित कर दिया है। इन सभी चार कंपनियों के पुनरूद्धार योजना को बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अन्य बातों के साथ—साथ, पुनरूद्धार योजना में उच्च उत्पादन/बिक्री, व्यापार/पूंजी का पुनर्गठन, अतिरिक्त जनशक्ति में कमी इत्यादि का उल्लेख है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों की शुद्धहानि निम्न प्रकार थी:—

(रू करोड़ में)

पी. एस. यू. का नाम	1992–93	1993–94	1994–95
आई.डी.पी.एल.	83.44	69.64	69.93*
बी. आई. एल.	7.26	9.50	5.69
बी. सी. पी. एल.	12.74	10.98	6.38
एस. एस. पी. एल.	6.64	6.99	4.38*

*अनन्तिम (अपरीक्षित–लेखा)

(ङ) औषधों और भेषजों के अनुमानित आयात निम्न प्रकार थेः–

	(करोड़ रू में)
1992–93	1100
1993–94	1440
1994–95	1800

बंजर भूमि क्षेत्र

1064. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्रीः क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान अब तक, वर्षवार और राज्यवार, कुल कितने हेक्टेयर बंजर भूमि को हरित पट्टी के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया है;

(ग) इस अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को इस योजना हेतु वर्षवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है;

(घ) इस संबंध में राज्यवार अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ङ) अप्रयुक्त राशि का प्रयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं। उठाये जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह)ः (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के विषय बिन्दु 16 के अंतर्गत बंजरभूमि सहित भूमि की विभिन्न श्रेणियों में वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधि चलाई जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और वर्षवार कवर किया गया कुल क्षेत्र संलग्न विवरण–I में दर्शाया गया है।

(ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के विषय बिन्दु 16 के अंतर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य केन्द्र और राज्य योजनाओं के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में बंजरभूमि विकास विभाग की योजनाएं शामिल हैं जो नीचे दर्शाई गई हैः–

(1) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना

(2) सहायता अनुदान

(3) निवेश संवर्धन योजना

(4) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण

(5) बंजरभूमि विकास कार्य बल

तदनुसार 1995–96 के लिए वनरोपण/वृक्षारोपण के लक्ष्य संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ). 20 सूत्री कार्यक्रम के विषय बिन्दु 16 के अंतर्गत गत तीन वर्षों के लिए आवंटन और उपयोग के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं।

(ङ) 20 सूत्री कार्यक्रम के विषय बिन्दु 16 के अंतर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण

गतिविधियों की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निधियों के उचित तथा पूर्ण उपयोग के लिए नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

विवरण-I

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए राज्यवार वर्षवार उपलब्धियां।

(क्षेत्र हेक्टेयर में
अंकुरण लाख में)

		1992-93 उपलब्धि		1993-94 उपलब्धि		1994-95 उपलब्धि	
क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1102.63	47453.00	917.19	34530.00	418.69	44642.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	7200.00	5.00	7500.00	7.33	8341.00
3.	असम	11.80	22486.60	20.76	18144.00	21.46	16941.00
4.	बिहार	180.00	20357.00	190.03	45855.39	32.39	5214.00
5.	गोवा	27.23	1722.00	33.46	1854.00	20.86	1652.00
6.	गुजरात	2281.46	64847.00	1631.76	7371.66	1566.72	69983.00
7.	हरियाणा	300.00	34826.00	231.81	33813.00	55.15	31430.00
8.	हिमाचल प्रदेश	88.59	31280.00	33.19	32315.00	48.49	36500.00
9.	जम्मू और कश्मीर	64.83	17010.85	42.01	15928.20	33.14	7802.00
10.	कर्नाटक	374.38	36479.97	274.19	46429.36	559.74	58452.00
11.	केरल	173.79	17342.70	136.61	3127.69	51.27	14360.00
12.	मध्य प्रदेश	600.12	121394.19	439.00	125187.19	438.12	135000.00
13.	महाराष्ट्र	824.97	153621.38	1141.25	100062.17	1339.30	136523.36
14.	मणिपुर	22.46	8600.00	22.00	6928.00	24.45	7415.00

(क्षेत्र हेक्टेयर में
अंकुरण लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992-93 उपलब्धि		1993-94 उपलब्धि		1994-95 उपलब्धि	
		अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	मेघालय	26.58	5148.00	54.88	11684.00	17.10	7575.00
16.	मिजोरम	5.86	14000.00	16.31	16758.00	23.25	14130.00
17.	नागालैंड	20.10	4700.00	54.30	2799.00	53.80	1710.00
18.	उड़ीसा	425.42	74134.85	390.04	78819.00	448.23	64687.00
19.	पंजाब	85.90	19360.00	51.78	17800.00	34.81	13593.00
20.	राजस्थान	405.13	66729.00	453.34	67238.00	353.82	88437.00
21.	सिक्किम	9.50	8665.38	10.85	3484.82	26.79	एन.आर.
22.	तामिलनाडु	1037.36	113553.10	1124.32	86816.51	1007.30	92561.30
23.	त्रिपुरा	37.05	15253.00	28.14	8603.54	25.98	7171.00
24.	उत्तर प्रदेश	3468.29	100139.26	2929.00	83723.24	3015.00	72025.00
25.	पश्चिम बंगाल	802.00	50000.00	800.00	38200.00	1118.35	41285.00
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5.33	3200.00	5.00	3488.67	5.00	3506.80
27.	चण्डीगढ़	0.28	430.20	0.05	8.00	एन.आर.	450.00
28.	दादर और नागर हवेली	7.90	518.00	12.82	894.60	14.39	788.50

(क्षेत्र हेक्टेयर में
अंकुरण लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992–93 उपलब्धि		1993–94 उपलब्धि		1994–95 उपलब्धि	
		अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दमन और दीव	1.14	83.34	0.94	62.00	1.03	47.00
30.	दिल्ली	41.60	1512.70	43.51	1740.40	42.21	1680.00
31.	लक्षद्वीप	3.36	50.00	4.27	54.20	4.30	61.00
32.	पान्डिचेरी	10.01	128.00	0.60	126.53	2.18	131.30
योग	12450.87	1062225.52	11097.61	963888.17	10810.65	984102.05	*

* अनंतिम
एन. आर. –असूचित

विवरण –II

1995–96 के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम के विषय बिन्दु 16 के अंतर्गत राज्यवार लक्ष्य।

(क्षेत्र हेक्टेयरमें
अंकुरण लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य बीजाकुर वितरण (निजी भूमि पर पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनकि भूमि)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1100.00	45000.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.00	9078.00

(क्षेत्र हेक्टेयर के
अंकुरण लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य बीजाकुर वितरण (निजी भूमि पर पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजकि भूमि)
1	2	3	4
3.	असम	27.50	27500.00
4.	बिहार	825.00	55000.00
5.	गोवा	38.50	2090.00
6.	गुजरात	1650.00	59400.00
7.	हरियाणा	250.00	29700.00
8.	हिमाचल प्रदेश	22.00	26200.00
9.	जम्मू और काश्मीर	60.00	22000.00
10.	कर्नाटक	495.00	52800.00
11.	केरल	330.00	17600.00
12.	मध्य प्रदेश	495.00	148500.00*
13.	महाराष्ट्र	1100.00	133100.00*
14.	मणिपुर	33.00	11000.00
15.	मेघालय	82.50	22000.00
16.	मिजोरम	22.00	19800.00
17.	नागालैंड	82.50	8250.00
18.	उड़ीसा	330.00	79200.00

(क्षेत्र हेक्टेयर के
अंकुरण लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य बीजांकुर वितरण (निजी भूमि पर पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	
19.	पंजाब	49.50	18700.00
20.	राजस्थान	330.00	86900.00
21.	सिक्किम	22.00	10120.00
22.	तामिलनाडु	1100.00	82500.00
23.	त्रिपुरा	23.65	8500.00
24.	उत्तर प्रदेश	2000.00	101200.00
25.	पश्चिम बंगाल	833.80	41800.00
26.	अण्डमान और निकोबार समूह द्वीप	5.00	3300.00
27.	चंडीगढ़	0.00	495.00
28.	दादर और नागर हवेली	15.95	1100.00
29.	दमन और दीव	1.10	165.00
30.	दिल्ली	15.00	500.00
31.	लक्ष्यद्वीप	4.51	66.00
32.	पॉण्डिचेरी	4.40	220.00
	कुल	11354.91	1123784.00

* बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के जारी रखे जाने के आधार पर लक्ष्यों को और अधिक संशोधित किए जाने की संभावना है।

विवरण –III

1992–93 से 1994–95 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए निधियों का राज्यवार आवंटन और उपयोग।

(रुपए लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1992–93		1993–94		1994–95	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2510.52	3671.15	3324.70	1966.49	2579.47	एन. आर.
2.	अरुणाचल प्रदेश	434.55	429.23	511.00	1078.53	1324.00	488.80
3.	असम	1520.00	703.13	1217.00	–	267.69	एन. आर.
4.	बिहार	2112.46	1864.70	3381.46	1533.87	4715.60	एन. आर.
5.	गोवा	156.95	128.23	150.80	149.64	154.66	एन. आर.
6.	गुजरात	6713.93	6663.94	6684.04	7367.54	6881.12	एन. आर.
7.	हरियाणा	4576.57	3940.35	3777.40	4112.20	3669.10	एन. आर.
8.	हिमाचल प्रदेश	4746.00	4536.73	6063.13	4429.36	एन. आर.	,,
9.	जम्मू और काश्मीर	1795.95	931.55	1108.02	–	,,	,,
10.	कर्नाटक	6157.87	5844.53	7548.06	8316.61	11513.51	,,
11.	केरल	1215.00	1261.15	695.05	300.00*	330.00*	,,
12.	मध्य प्रदेश	5512.96	5884.01	7350.68	5266.36	5800.98	,,
13.	महाराष्ट्र	7624.11	6321.10	8936.45	9044.30	9525.86	,,
14.	मणिपुर	573.65	308.55	284.49*	482.98	542.61	एन.आर.
15.	मेघालय	1164.07	1196.93	1084.20	–	एन. आर.	,,
16.	मिजोरम	870.00	980.55	906.09	936.14	927.44	,,

(रुपए लाख में)

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1992–93		1993–94		1994–95	
		आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग	आबंटन	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
17.	नागालैंड	155.38	69.45	150.11	624.46	744.00	"
18.	उड़ीसा	4208.00	3842.85	4069.59	1815.29	978.35	"
19.	पंजाब	1159.50	1903.22	1672.70	1015.22	908.35	"
20.	राजस्थान	9583.00	9390.41	12550.44	)883.37	14339.17	"
21.	सिक्किम	383.87	436.60	364.82	–	एन. आर.	"
22.	तामिलनाडु	4640.70	5111.08	5199.39	9849.80	8868.00	"
23.	त्रिपुरा	1158.04	978.15	1163.63	780.12	861.67	"
24.	उत्तर प्रदेश	6790.16	9174.84	9043.33	8144.42	12983.49	"
25.	पश्चिम बंगाल	2880.00	3618.21	2098.30*	4250.74	3057.27	"
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	116.25	112.97	114.85	127.60	127.50	132.02
27.	चंडीगढ़	30.00	39.00	170.00	50.00	45.00	एन. आर.
28.	दादर और नागर हवेली	97.20	137.97	200.00	186.90	146.87	"
29.	दमन और दीव	13.00	15.00	13.00	14.77	22.50	"
30.	दिल्ली	281.00	193.25	197.00	218.03	193.00	"
31.	लक्षद्वीप	16.00	16.00	16.50	–	एन. आर.	"
32.	पाण्डिचेरी	91.33	106.81	131.00	69.50	92.00	"
	योग	79288.02	79811.64	90177.14*	82090.24*	91599.21*	620.82

* अनंतिम

एन. आर.–असूचित

जापान के साथ संबंध

1065. डा. खुशीराम डुंगरोमल जेस्वाणी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जापान के साथ भारत के संबंधों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान जापान और भारत के कितने उच्च स्तरीय सरकारी और गैर-सरकारी व्यापार शिष्ट मंडलों ने परस्पर देशों की यात्रा की;

(ग) भारत और जापान में जापानी समकक्षों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने के क्षेत्र में भारत के गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी आमंत्रित करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित है;

(घ) क्या सरकार का विचार भारतीय व्यापार और उद्योगों के विषय में जानकारी के प्रसार के लिए टोक्यो में एक भारत निवेश केन्द्र और सूचना केन्द्र खोलने जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ग). भारत के प्रधान मंत्री ने जून, 1992 में जापान की यात्रा की जिसके परिणाम स्वरूप जापान के साथ द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार हुआ। सितंबर 1995 में विदेश मंत्री की जापान की यात्रा से उच्च स्तरीय वार्ता पुनः आरम्भ हुई। पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रिस्तरीय अनेक यात्राओं से आर्थिक सुधारों एवं उदारीकरण की नीति के बारे में जागरूकता और समझबूझ बढ़ी है।

सरकारी एवं व्यवसायिक/वाणिज्यिक स्तरों पर आदान-प्रदान से द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने की प्रक्रिया में और मदद मिली है। (संलग्न विवरण में दिया गया है) जापान सहित संयुक्त उद्यमों एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी के संबंध में भारत सरकार द्वारा अपनायी गई नीति से समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा है।

(घ) और (ङ). इस संबंध में संगत सूचना टोक्यो स्थित भारतीय राजदूतावास के आर्थिक, वाणिज्यिक एवं सूचना स्कन्धों के माध्यम से तथा ओसाका स्थित भारत के प्रधान कौंसलावास द्वारा और व्यापार एवं उद्योग चैम्बरों तथा एसोसिएशनों सहित सरकारी एवं गैर-सरकारी निकायों के साथ परस्पर क्रियाकलाप के जरिये प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सूचना अन्य के अलावा समाचार पत्रों, बुलेटिनों, प्रैस विज्ञप्तियों (जापानी भाषा में जारी विज्ञप्तियों सहित) के माध्यम से तथा भारत विषयक संगोष्ठियों, आयोजित करके, शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान करके तथा प्रदर्शनियां आयोजित करके प्रदान की जाती है। फिलहाल जापान में भारत निवेश केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

(i) मंत्रिस्तरीय

1993 जापान के लिए	1993 जापान से
1. श्री एन. के.पी. साल्वे ऊर्जा मंत्री (मई 5 जून)	1. श्री हतकेयमा, उप मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग (मार्च)
2. डा. मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री (जून)	2. श्री कुनीहीको सईतो, उप विदेश मंत्री (अप्रैल)
3. श्री सी. के. जाफर शरीफ, रेलवे मंत्री (सितम्बर)	
4. कैप्टन सतीश शर्मा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (अप्रैल)	
1994	**1994**
1. श्री कमल नाथ पर्यावरण और वन मंत्री (फरवरी)	1. श्री शीजो आजूमा, संसदीय विदेश, उपमंत्री (जनवरी)
2. डा. बलराम जाखड़, कृषि मंत्री (म	2. श्री तोशि.की कैफू, भूतपूर्व प्रधान मंत्री, जापान (अप्रैल)
3. श्री सुखराम, संचार राज्य मंत्री (अगस्त)	3. श्री शीजो आजूमा, जापानी संसदीय विदेश उप मंत्री (अप्रैल)
4. श्री पी.ए. संगमा, श्रम मंत्री (सितम्बर)	
5. श्री गुलाम नबी आजाद, नागर विमानन और पर्यावरण मंत्री (नवम्बर)	

1995	1995
1. श्रीमती कृष्णा साही उद्योग मंत्री (औद्योगिक एवं भारी उद्योग) (फरवरी)	1. श्री रियातरो ह्राशिमोतो, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री (जनवरी)
2. श्री रंगरयाय नायडू, जल संसाधन मंत्री तथा सांसद मुख्य मंत्री, श्री सुभाष यादव (जुलाई)	2. वित्त उप मंत्री (अगस्त)
3. श्री प्रणव मुखर्जी विदेश मंत्रालय तथा विदेश सचिव श्री सलमान हैदर (सितम्बर)	3. परिवहन उप मंत्री (अक्तूबर)
	4. उप विदेश मंत्री (आर्थिक) (अक्तूबर)
4. श्री गुलाम नबी आजाद, नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (अक्तूबर)	5. उप विदेश मंत्री (राजनीतिक) (अक्तूबर)
5. श्री एन.के.पी. साल्वे, उर्जा मंत्री (अक्तूबर)	6. श्री वाई, सकामोतो, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और उद्योग मंत्री
6. श्री जगदीश टाइटलर कोयला राज्य मंत्री (अक्तूबर)	
7. श्री के. करुणाकरण उद्योग मंत्री (नवम्बर)	
8. श्री संतोष मोहन देव इस्पात मंत्री	

(ii) **गैर सरकारी शिष्टमंडलों की विस्तृत सूची**

1993	
अप्रैल	श्री पी. चिदम्बरम, पूर्व वाणिज्य मंत्री ने आई. जे. बी. सी. सी. की 24 वीं बैठक में भाग लेने के लिए जापान की यात्रा की।
मई	कॉयर बोर्ड से एक तीन–सदस्यीय शिष्टमंडल ने जापान में कॉयर उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जापान की यात्रा की।
जून	आई टी पी ओ ने ओसाका में 14 वां इंडिया गारमेंट फैशन एल्फेरीज फेयर का आयोजन किया।
अगस्त	उच्च किस्म के प्रबंधन सेमिनार के लिए सी आई आई से एक 35 सदस्यीय शिष्टमंडल ने जापान की यात्रा की।
अगस्त–सितम्बर	आई टी पी ओ ने टोक्यो में चौथा इंडिया होम फिनिशिंग फेयर, 1993 का आयोजन किया।
नवम्बर	स्थायी समिति के अध्यक्ष और तोशिवा निगम के वरिष्ठ सलाहकार, श्री के. कडरानो के नेतृत्व में एक आई जे बी सी सी शिष्ट मंडल ने आई जे बी सी सी की 16 वीं स्थायी समिति में भाग लिया।
नवम्बर	बैंक आफ टोक्यो के सलाहकार श्री ई. मात्सुमोतो ने विश्व आर्थिक मंच, जेनेवा और दि सी आई आई, भारत द्वारा आयोजित इंडिया फोरम मीटिंग में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।
दिसम्बर	जापान आटो पार्टस इन्डस्ट्री एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित एक–7 सदस्यीय शिष्टमंडल ने आटो एक्सपो में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की।
दिसम्बर	आई जे बी सी सी ने ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में उपलब्ध व्यवसाय अवसरों पर अध्ययन करने के लिए एक सर्वेक्षण मिशन प्रायोजित किया।

1994	
मार्च	जापान कमेटी आफ इंडिया, जापान बिजनेस कारपोरेशन कमेटी के अध्यक्ष श्री एमी यमाशिता के नेतृत्व में इक्नामिक मिशन।
जून	दूसरा ऊर्जा सर्वेक्षण मिशन।
जुलाई	श्री के. मित्रा, इतोफू उप–अध्यक्ष के अन्तर्गत शिष्टमंडल।
जुलाई	श्री सेकोजना अध्यक्ष फयूजीत्सू
जुलाई	इलैक्ट्रानिकी और दूरसंचार संबंधी मरूबेणी शिष्टमंडल।
सितम्बर	श्री तोयोशिमो, अध्यक्ष, जेट्रो के नेतृत्व में शिष्टमंडल।
अक्तूबर	10 संयुक्त उद्यमों का पता लगाने के लिए मरूबेनी कारपोरेशन शिष्टमंडल।
नवम्बर/दिसम्बर	निवेश अवसरों का पता लगाने के लिए कंकेरियन शिष्टमंडल ।
दिसम्बर	मिटी–एम ई ए, वार्ता टोक्यो।
दिसम्बर	इंडस्ट्रीयल बैंक आफ जापान, टोक्यो द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडल।
1995	
जनवरी	मिटी मंत्री श्री आर. हाशिमोतो के नेतृत्व में शिष्टमंडल।
जनवरी	श्री नोरिया ओहगा, अध्यक्ष सोनी कारपोरेशन के नेतृत्व में शिष्टमंडल।
जनवरी/फरवरी	श्री के. उतादा उपाध्यक्ष कैदनरेन के नेतृत्व में केदनरेन शिष्टमंडल।
फरवरी/मार्च	श्री इकदा, उप अध्यक्ष द्वारा सकूरा बैंक मिशन।
मार्च	वित्त के पूर्व उप मंत्री श्री चीनों के नेतृत्व में सोसाइटी आफ मार्डनाइजेशन का शिष्टमंडल।
मार्च/अप्रैल	आर्थिक और तकनीकी सहयोग संबंधी मिशन।
अप्रैल	26वां भारतीय जापान व्यापार सहकारी समिति श्री अरुणाचलम के नेतृत्व में 40 सदस्यीय भारतीय शिष्टमंडल।
अप्रैल	क्रेता–विक्रेता सम्मेलन के लिए प्राण तलवार के नेतृत्व में 16 सदस्यीय आटोमेटिव कम्पोनेन्टस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन।
अप्रैल	भारत जापान अध्ययन समिति–द्विपक्षीय संबंधों, जिसमें आर्थिक संबंधों का विस्तार शामिल है, के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष श्री वसन्त साठ्के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल।
अप्रैल	जापानी फीड मिल एसोसिएशन के साथ चर्चा के लिए साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन से 6 सदस्यीय शिष्टमंडल।
अक्तूबर	श्री गोडा, सह–अध्यक्ष के नेतृत्व में 40 सदस्यीय सोफ्टवेयर और इलैक्ट्रानिकी शिष्टमंडल।
नवम्बर	श्री केनीयी ओहमे के नेतृत्व में 40 सदस्यीय सोफ्टवेयर और इलैक्ट्रानिकी शिष्टमंडल।
नवम्बर	पूर्व मिटी उप मंत्री श्री यानो के नेतृत्व में 35 सदस्यीय छोटे और मझौले उद्यमों का शिष्टमंडल।
नवम्बर	क्षेत्र से भिन्न 120 वरिष्ठ अधिकारी।
नवम्बर/दिसम्बर	उप मंत्री मिटी के नेतृत्व में मिटी अध्ययन समूह।

कम्पनियों पर बकाया धनराशि

1066. श्री सोमजीभाई डामोर: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने औषध मूल्य समकरण खाते (डी. पी. ई. ए.) के अनुरूप लगभग 200 औषधि कम्पनियों को अपनी बकाया धनराशि चुकाने के लिए नए नोटिस जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन डी. पी. ई. ए. बकाया धनराशि का कम्पनी–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन बकाया धनराशि के भुगतान के संबंध में औषध कम्पनियों की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और कम्पनी–वार अब तक कितनी धनराशि वसूल की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (घ). औषध कंपनियों की देयताओं की राशि के मामले की उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त जज की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा पुनरीक्षा की जा रही है।

पत्तनों पर भीड़भाड़

1067. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल माल वाहक यातायात में तेजी से वृद्धि के कारण कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों पर भीड़ भाड़ हो रही है;

(ख) क्या अभी हुगली के बालू के ढेर में प्रतीक्षा सूची काफी परेशान करने वाली होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने बढ़ते मालवाहक यातायात की समस्या से निबटने के लिए कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों पर अतिरिक्त बर्थ स्थापित करने का निश्चय किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा किस तरह आगामी दो से तीन वर्षों तक बालू के ढेरों में भीड़भाड़ का स्तर रोके जाने का विचार है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख). जी नहीं। कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों पर बर्थों की अनुपलब्धता के कारण हुगली के बालू के ढेरों (सैण्डहेड्स) में प्रतीक्षा समय नहीं लगता।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

मोटरयान अधिनियम, 1988

1068. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 22 जनवरी, 1993 को हुई परिवहन विकास परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 71 के उप–खंड 3 के अंतर्गत सूचीबद्ध श्रेणियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण की अनुमति प्रदान करने हेतु कोई सीमा नहीं निर्धारित की जानी चाहिए और इसके स्थान पर किसी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को राज्य सरकारों द्वारा वरीयता देने हेतु धारा 71 (iii) के उपबन्ध में उपखण्ड (ख) जोड़ा जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो मोटर यान अधिनियम, 1988 में तदनुरूप संशोधन न किये जाने और राज्य सरकारों जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार द्वारा धारा 71 के उपखंड 3 के अन्तर्गत सूची बद्ध श्रेणियों को वरीयता दिया जाना बरकरार रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). परिवहन विकास परिषद की सिफारिशों के अनुसार धारा 71 की उप धारा 3 के खंड (घ) के अंतर्गत 1994 के संशोधन विधेयक संख्या 54 के तहत अन्य श्रेणी के व्यक्तियों को तरजीह देने के लिए दिनांक 4.11.94 से एक उप खंड जोड़ा गया है जो निम्न प्रकार है:–

"(IV) व्यक्तियों की अन्य कोई श्रेणी अथवा वर्ग जिसे राज्य सरकार लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणोंवश आवश्यक समझें।"

संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतंत्रीकरण

1069. **श्री सुदर्शन राय चौधरी:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतंत्रीकरण हेतु कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रस्तावों पर अन्य सदस्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र के अनेक सदस्य राज्यों सहित भारत ने सुरक्षा परिषद को पुनर्गठित किए जाने का प्रस्ताव किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के "औपन एन्डेड" कार्यदल में इस पर चर्चा की जा रही है। पुनर्गठन में सुरक्षा परिषद के सुधार, विस्तार और लोकतंत्रीकरण के प्रस्ताव शामिल हैं, इन प्रस्तावों के लिए व्यापक समर्थन है।

[हिन्दी]

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र

1070. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने में विलम्ब कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख). राज्य सरकार को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत/सहायता के केन्द्रीय अंश को वर्ष में दो किस्तों में रिलीज किया जाता है। राज्य सरकार को पहली किस्त बिना किसी पूर्व शर्तों के रिलीज की जाती है। जिलों को केन्द्रीय निधियों की दूसरी किश्त राज्य के अनुरोध पर निर्धारित प्रोफार्मा में रिलीज की जाती है। रिलीज के समय जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती है जिसमें आवेदन के समय उनके पास उपलब्ध कुल निधियों के 50 प्रतिशत उपयोग तथा उस समय तक प्रयुक्त किए जा चुकी राशि के लिए उपयोगिकता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना शामिल है। जहां तक उत्तर–प्रदेश क्री प्रश्न है, द्वितीय किश्त के लिए प्रस्ताव तब भेजे जाएंगे जब उनके द्वारा निधियों का 50 प्रतिशत उपयोग कर लिया जाएगा।

गुजरात में रासायनिक संयंत्र

1071. श्री एन. जे. राठवा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषतः गुजरात में कुछ रासायनिक संयंत्र रूग्ण हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन इकाइयों को अर्थक्षम बनाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का इन इकाइयों का निजीकरण करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (घ). पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में स्थित केन्द्रीय सरकार का रसायन क्षेत्र का कोई उपक्रम (पी एस यू) रूग्ण नहीं हुआ है। यद्यपि आन्ध्र प्रदेश में स्थित केन्द्रीय सरकार के दो उपक्रम (पीएसयू) अर्थात् हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड (एच एफ एल) तथा सदर्न पेस्टिसाइड्स कारपोरेशन लिमिटेड (एस पी ई सी) को बी.आई.एफ.आर. द्वारा इस अवधि के दौरान रूग्ण घोषित किया गया है और बी.आई.एफ.आर. रूग्ण उद्योग कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार उनके पुनरूद्धार पर विचार कर रहा है।

भारतीय ग्रामीण वित्तीय विकास निगम

1072. डा. मुमताज अंसारी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय ग्रामीण वित्तीय विकास निगम का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय कहां–कहां स्थित हैं; और

(ग) निगम के मुख्य कार्य क्या हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मैंगनीज और क्रोमाइट अयस्क

1073. श्री गोपीनाथ गजपति: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में मैंगनीज और क्रोमाइट अयस्क के कुल भंडार का आकलन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन खनिज संसाधनों का उपयोग करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग): (क) जी, हां।

(ख) 1.4.1990 को आई.बी.एम. की खनिज सूची के अनुसार उड़ीसा के विभिन्न जिलों में मैंगनीज और क्रोमाइट के भण्डार निम्नलिखित है:–

मैंगनीज अयस्क उड़ीसा के बोलंगीर, क्योंझर, कोरापुट, सुन्दरगढ़ और सम्बलपुर जिलों में मैंगनीज अयस्क का कुल 40.84 मिलियन टन (एम.टी.) वसूली योग्य भण्डार होने का अनुमान है। जिसमें से 4.79 एम. टी. साबित 7.61 एम. टी. सम्भावित और 28.44 एम. टी. सम्भव भण्डार है।

क्रोमाइट उड़ीसा के बालासोर, कटक, ढेनकानाल और क्योंझर जिलों में 86.39

एम.टी. क्रोमाइट का कुल वसूली योग्य भण्डार होने का अनुमान है जिसमें से 27.07 एम. टी. साबित, 30.66 एम. टी. सम्भावित और 28.66 एम. टी. सम्भव भण्डार है।

(ग) मार्च, 1993 में घोषित नई राष्ट्रीय खनिज नीति के अंतर्गत, क्रोमाइट उन 13 खनिजों में से एक है जिसे अनारक्षित कर दिया गया है और गवेषण और विदोहन के लिए निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है।

निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन

1074. **श्री शिव चरण वर्माः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं को लगाए जाने से संबंधित मुद्दों की समीक्षा हेतु एक विशेष समिति का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो समिति के गठन और कार्यकरण संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उर्मिला सी. पटेल): (क) और (ख). सरकार ने वैकल्पिक टैरिफ ढांचों का अध्ययन करने तथा राज्य बिजली बोर्डों को न्यूनतम लागत पर विद्युत की उपलब्धता के अंतिम उद्देश्य के साथ किसी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव देने, जो आवश्यक हो, के लिए एक अन्तःमंत्रालय समिति का गठन किया है। समिति के गठन का ब्यौरा निम्नवत हैः–

(1)	सचिव, विद्युत मंत्रालय	अध्यक्ष
(2)	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	सदस्य
(3)	सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग	सदस्य
(4)	वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
(5)	संयुक्त सचिव (आई. पी. सी.), विद्युत मंत्रालय	सचिव

पंचायत चुनाव

1075. **श्री परसराम भारद्वाजः** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किन–किन राज्यों में पंचायतों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) क्या केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के मार्गदर्शन और उनके द्वारा अच्छे उपाय किये जाने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई हारजीभाई पटेल): (क) पंचायतों के गठन के लिए चुनाव बिहार, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में होते हैं। जिला परिषदों के चुनाव केवल गोवा और मणिपुर राज्य में होने बाकी हैं। अन्य राज्यों, जहां संविधान के भाग 9 के प्रावधान लागू होते हैं, ने पंचायतों का विधिवत गठन कर लिया है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां, कार्यों और पंचायतों संबंधी अधिकार सौंपने में उनके मार्गदर्शन हेतु सौंपे जाने वाली शक्तियों और कार्यों की एक सुझावात्मक रूपरेखा परिचालित की है।

बिहार के ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति

1076. **श्री राम टहल चौधरीः** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेयजल समस्या के समाधान के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के कितने गांवों में जल की सुविधा प्रदान किए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के आदिवासी क्षेत्रों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल सप्लाई हेतु निर्धारित 27326 गांवों के लक्ष्य की तुलना में पूर्णतः अथवा आंशिक तौर पर कवरेज के रूप में वास्तविक उपलब्धि 26955 गांव थी।

(ख) और (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों अर्थात 1992–93 से 1994–95 तक के दौरान बिहार में स्वच्छ पेयजल सप्लाई हेतु 20964 गांवों/बसावटों को कवर करने का लक्ष्य है। जिसकी तुलना में पहले तीन वर्षों के दौरान 1994–95 तक वास्तविक उपलब्धि 15903 गांव/बसावटे थी। 1995–96 के दौरान 17621 बसावटों में स्वच्छ पेयजल सप्लाई के लक्ष्य की तुलना में 30.9.1995 तक 2374 बसावटों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1996–97) के लिए अभी तक कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी कानून

1077. **श्री सुधीर सावन्तः** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गहरे समुद्र में चोरी–छिपे मछली पकड़ना रोकने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनाने का विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी कानूनों को लागू करने के लिए देश में कोई संगठन विद्यमान है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के इ.इ.जेड. में चोरी–छिपे मछली पकड़ते हुए पकड़े गये लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पकड़े गये इन लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) भारतीय जल में विदेशी ध्वज वाले जलयानों द्वारा चोरी–छिपे मछली पकड़ना रोकने के लिए भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981 पहले से लागू है।

(ख) तटरक्षक बल भारतीय जल में इस अधिनियम को लागू करता है।

(ग) एक जनवरी 1993 स 28 नवम्बर 1995 के दौरान चोरी–छिपे मछली पकड़ते कुल 97 विदेशी मत्स्यन जलयानों को 1247 व्यक्तियों समेत पकड़ा गया है।

(घ) भारतीय जल में अप्राधिकृत रूप से मछली पकड़ते पाए गए विदेशी ध्वज वाले जलयानों के मालिकों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया जाता है और आगे की कार्रवाई भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत अदालत द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के अनुसार की जाती है।

डी. टी. सी. बसों के किराए

1078. **श्री अमर रायप्रधानः** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि डी.टी.सी. बस में 8 कि.मी. तक की यात्रा करने के लिए एक यात्री को 2 रूपए का टिकट लेना होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह यात्री दोबारा 1 रूपए की टिकट लेकर 10 कि.मी. तक की यात्रा कर सकता है;

(ग) यदि हां, तो यात्रियों से 9 से 10 कि.मी. के बीच यात्रा करने के लिए 3 रूपया किराया लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का विचार इन विषमताओं को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाने का है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) से (घ). दिल्ली परिवहन निगम के निदेशक मंडल ने दिनांक 29.11.95 को हुई अपना बैठक में वर्तमान भाड़े ढांचे में विसंगति के मामले पर विचार–विमर्श किया है। दि.प.नि. से सिफारिश प्राप्त होने पर सरकार इस मामले की जांच करेगी।

अमरीका के साथ किए गए समझौता ज्ञापन

1079. **श्री चन्द्रेश पटेलः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत मंत्री ने जून, 1995 में अमरीका का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ग) दौरे के दौरान उनके अमरीकी समकक्ष के साथ हुए समझौतों और समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके अनुपालन की दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) जी, हां।

(ख) निजी विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना तथा भारतीय निजी विद्युत कार्यक्रम के संबंध में संदर्शी अमरीकी निवेशकों के मन से भय को दूर करना, निम्नलिखित सम्मेलनों में भाग लेते समय–दौरे का उद्देश्य थाः–

(1) काउंटर गारंटी के विकल्प,

(2) भारत में विद्युत परियोजनाएं–लाभप्रद साझेदारी तथा वित्तीय नीति; और

(3) भारतीय विद्युत पर छठवां वार्षिक स्वतंत्र सम्मेलन।

(ग) दौरे के दौरान किसी समझौते और समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

भोपाल गैस दुर्घटना

1080. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस दुर्घटना के संबंध में अब तक कितने न्यायालयों की स्थापना की गई है तथा चालू वर्ष के दौरान कितने न्यायालयों की स्थापना किये जाने की संभावना है;

(ख) इन न्यायालयों द्वारा अब तक मुआवजे की कितनी धन राशि का भुगतान किया गया है;

(ग) कल्याण आयोग, भोपाल को मुआवजा देने हेतु उच्चतम न्यायालय ने अब तक कितनी धनराशि आबंटित की है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ उच्चतम न्यायालय में मूल धन तथा ब्याज की राशि सहित कुल कितनी धनराशि जमा की गई है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (घ). क्षति पूर्ति दावों के न्याय–निर्णयन की प्रक्रिया फरवरी, 1992 में शुरू हुई और क्षति पूर्ति के भुगतान के लिए धनराशियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कल्याण आयुक्त को अक्तूबर , 1992 में उपलब्ध करा दी गई थीं। 44 न्यायालय क्षतिपूर्ति के दावों का निपटारा कर रहे हैं तथा 12 और न्यायालयों का गठन किए जाने का प्रस्ताव है ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा कल्याण आयुक्त के खाते में स्थानांतरित लगभग 1000 करोड़ रुपये की राशि में से भारतीय रिजर्व बैंक ने 31. 10. 95 तक 662. 82 करोड़ रुपये आबंटित किए है और क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए 573. 84 करोड़ रू. की राशि का उपयोग किया जा चुका है ।

[अनुवाद]

एन. टी. पी. सी./एन. एच. पी. सी.

1081. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल लक्ष्य/संशोधित लक्ष्य की तुलना में एन. टी. पी. सी./एन. एच. पी. सी. द्वारा कार्यान्वयनाधीन विभिन्न नई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) कौन–कौन सी परियोजनाओं का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अनुसार चल रहा है;

(ग) कौन–कौन सी परियोजनाओं का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि से पीछे चल रहा है जिसके कारण इनके निर्माण में कितना अधिक समय और कितनी अधिक लागत आई है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाओं पर अधिक लागत न आए और इसमें अधिक समय न लगे पिछले अनुमान को देखते हुए क्या निवारात्मक/ सम्भावित कदम उठाए गए हैं / उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में लिए गए नीतिगत/प्रशासकीय फैसलों का ब्यौरा क्या है? ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) से (ग). राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन. टी. पी. सी.) और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन. एच. पी. सी.) द्वारा कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं से सम्बन्धित ब्यौरा, क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिया गया है ।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लागत में अत्यधिक वृद्धि न हो और समय में वृद्धि को रोका जा सके, उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं, संसाधनों और अन्य स्थानीय परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, जहाँ तक सम्भव हो, वास्तविक आधारों पर परियोजनाओं के निर्माण–कार्यक्रम की आयोजना करना, उचित दरों पर अत्यधिक दक्ष ठेकेदारों को ठेका प्रदान करना, परियोजना कार्य की प्रगति की निरन्तर मानिटरिंग और समीक्षा करना एवं आवश्यक उपचारात्मक उपायों को अपनाना, आधुनिक उपस्करों का प्रयोग करना, लागत/कार्यक्रम नियंत्रण प्रणाली मानदण्डों पर कम्प्यूटरीकृत मोड्यूलों सहित परियोजना प्रबन्धन प्रणाली का क्रियान्वयन करना , पर्याप्त संसाधन जुटाना, इत्यादि।

(ङ) समय और लागत में वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित नीतिगत/प्रशासनिक निर्णय लिए गए हैं :–

(1) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा, पर्यावरणीय स्वीकृति और वित्तपोषण सुनिश्चित किए जाने हेतु लम्बित पड़ी विद्युत परियोजना को तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी । लोक निवेश बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करने से पहले इन निवेशों को सुनिश्चित किया जाना होगा। परियोजना की स्वीकृति के लिए, के. वि. प्रा. द्वारा केवल ईंधन और जल लिंकेजों हेतु दबाव डाला जाएगा ।

(2) प्रमुख परियोजना की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े आधारभूत ढांचे सम्बन्धी कार्य पर अग्रिम कार्रवाई आरम्भ करने के लिए द्विस्तरीय स्वीकृति प्रक्रिया को आरम्भ करना ।

(3) परियोजनाओं को, निधियां सुनिश्चित किए जाने के पश्चात ही क्रियान्वयन हेतु हाथ में लिया जाता है ।

विवरण– I

क्रियान्वयनाधीन एन. टी. पी. सी. परियोजनाओं की स्थिति

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	परियोजना का नाम	लागत		समय कार्यक्रम		समय एवं लागत में वृद्धि के कारण	वर्तमान स्थिति
		वास्तविक	अद्यतन	वास्तविक	अद्यतन		
1.	विन्ध्याचल एसटीपीपी चरण–2 (मध्य प्रदेश) (2X 250 मे. वा.)	2753.38	2753.38	फरवरी, 2001	फरवरी, 2001	लागत व समय में कोई वृद्धि नहीं ।	प्रमुख संयंत्र (बॉयलर एवं टरबाईन) पैकेज के लिए आर्डर दे दिया गया है । सिविल कार्य , जेसे कि पाइलिंग और नींव, आधारभूत ढांचे का इस्पात, कोयला हैण्डलिंग संयंत्र इत्यादि कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर हैं ।
2.	ऊंचाहार टीपीपी चरण –2 (उ. प्र.) (2X 210 मे. वा.)	1279.51	1279.51	जुलाई, 2000	जुलाई, 2000	लागत व समय में कोई वृद्धि नहीं ।	प्रमुख संयंत्र (बॉयलर एवं टरबाईन) पैकेज के लिए आर्डर दे दिया गया है सिविल कार्य , जैसे कि पाइलिंग और नींव, आधारभूत ढांचे का इस्पात कोयला हैण्डलिंग संयंत्र इत्यादि, कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर हैं ।
3.	कायमकुलम सी.सी. पी.पी. (केरल.. 400 में वा.)	1310.58	1310.58	फरवरी, 1999	फरवरी, 1999	समय और लागत में कोई वृद्धि नहीं	प्रमुख संयंत्र पैकेज हेतु बोलियों को नवम्बर,1995 में खोला गया था । आधारभूत ढांचे सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है और प्रगति कार्यक्रम के अनुसार है ।

टिप्पणी : एस. टी. पी. पी.–सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
टी. पी. पी.– थर्मल पावर प्रोजेक्ट
सी. सी. पी. पी– कम्बाईण्ड साईकल पावर प्रोजेक्ट

विवरण – II

क्रियान्वनाधीन एन. टी. पी. सी. परियोजनाओं की स्थिति

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	परियोजना का नाम(क्षमता)	लागत		समय कार्यक्रम		समय एवं लागत में वृद्धि के कारण	वर्तमान स्थिति
		वास्तविक	अद्यतन	वास्तविक	अद्यतन		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उड़ी एचई प्रोजेक्ट (जम्मू एवं कश्मीर) (4X120 मे वा)	16.32	3139.45	नवम्बर, 1995	मई, 1997	उग्रवादियों द्वारा कन्सोर्टियस के दो स्वीडिश इंजिनियरों के अपहरण के परिणामस्वरूप अप्रैल, 91 से नवम्बर, 91 के दौरान काम पूरी तरह बन्द रहा और घाटी की अन्य दिन–प्रतिदिन की आतंकवादी घटनाओं के कारण भी समय में वृद्धि हुई। लागत में वृद्धि, विनिमय परिवर्तनों, मूल्य में उतार–चढ़ाव, सांविधिक शुल्कों/करों, आई.डी.सी. इत्यादि के कारण हुई।	कुल मिलाकर 87% कार्य पूरा हो। गया है। इस परियोजना के नवीनतम निर्धारित समय के भीतर पूरा होने की पूरी संभावना है।
2.	सलाल एचई प्रोजेक्ट (जम्मू एवं कश्मीर) (3X115मे.वा.)	303.77	307.68	सितम्बर, 1993	मार्च, 1996	समय में वृद्धि, प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों, सितम्बर, 92 में अचानक आई बाढ़, विद्युतगृह और टेलरस सरंग–2 में पानी भर जाने इत्यादि के कारण हुई। लागत में वृद्धि कीमत में उतार चढ़ाव, सांविधिक शुल्कों/करों, आई.डी.सी. इत्यादि के कारण हुई।	हालांकि सभी तीन यूनिटों को पहले ही टी.आर.टी.–1 के जरिए चालू कर दिया गया है परन्तु टी आर–2 के पूरा हो जाने तक इसे समस्त रूप से चालू नहीं किया जाएगा। टी आर–2 में लगभग 86% कार्य पूरा कर लिया गया है।
3.	रंगीत एचई प्रोजेक्ट (सिक्किम) (3X20 मे.वा.)	181.15	287.31	नवम्बर, 1995	मार्च 1997	समय में वृद्धि निधियों की कमी और ठेके सम्बन्धी समस्याओं के कारण है। लागत में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन आई.डी.सी. इत्यादि के कारण है।	लगभग 40% कार्य पूरा कर लिया गया है। मार्च, 97 तक नवीनतम पूरा किए जाने के कार्यक्रम जुलाई, 95 में अचानक आई भारी बाढ़ के कारण और भी आगे खिसकने की सम्भावना है क्योंकि कारण कॉफर बाँध बह गया था और कार्यों की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

(करोड़ रुपये)

क्र.स.	परियोजना का नाम(क्षमता)	लागत		समय कार्यक्रम		समय एवं लागत में वृद्धि के कारण	वर्तमान स्थिति
		वास्तविक	अद्यतन	वास्तविक	अद्यतन		
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	दुलहस्ती एच.ई. प्रोजेक्ट (जम्मू एवं कश्मीर) (3X130 मे.वा.)	1262.97	2505.90	जुलाई, 1994	जुलाई 1998	समय में वृद्धि परियोजना क्षेत्र में आतंकवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों के आधार पर, अगस्त, 92से फ्रेंच कन्सोर्टियम द्वारा कार्य बन्द करने कारण हुई। लागत में वृद्धि विनिमय दरों में परिवर्तन, मूल्य में वृद्धि, एम ओयू में उलझाव, सांविधिक शुल्कों/करों –1 और आईडीसी इत्यादि के कारण हुई।	लगभग 28% कार्य पूरा हो गया है। कार्य को पुनः आरम्भ करने के लिए फ्रेंच कन्सोर्टियम के सिविल ठेकेदार, डी.एस.बी. के साथ सिविल ठेके को रद्द करने के लिए एक रद्दीकरण समझौता और फ्रेंच कन्सोर्टियम के सोध सम्पूर्ण रूप से संशोधित समझौते पर जून, 1995 में हस्ताक्षर लिए गए। शेष सिविल कार्यों हेतु नये ठेकेदार को नियुक्त करने के लिए एन. एच. पी. सी. द्वारा व्यापक संविदाएं आमंत्रित की गई है। और इस समय बोलियां मूल्यांकनाधीन है। इस बीच कार्य, विभागीय तौर पर आरम्भ कर लिया गया है।
5.	धौलीगंगा एच ई प्रोजेक्ट (उ.प.) (4X70 मे.वा.)	601.98	1513.33	निर्माण कार्य होने से	आरम्भ 7–1/2 वर्ष	निधियों की कमी के कारण, निर्माण आरम्भ नहीं किया जा सका। लागत में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि, सांविधिक शुल्कों/ करों और आईडीसीहै। इत्यादि के कारण है।	प्रमुख कार्यों के निर्माण के वित्तपोषण को अभी हाल ही में, ओईसीएफ, जापान के साथ सुनिश्चित किया गया है। भूमि–अधिग्रहण पर कार्रवाई चल रही
6.	कोयलकारो एचई प्रोजेक्ट (बिहार) (710 मे.वा.)	1338.79	2400.30	निर्माण कार्य	आरम्भ होने से 8 वर्ष	स्थानीय विरोध और निधियों की कमी के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका। लागत में अभिवृद्धि, मूल्यों में वृद्धि, सांविधिक शुल्कों/करों और निर्माण के दौरान ब्याज (आई डी सी) के कारण हुई।	अन्तिम बिक्री दर पर विद्युत की खरदी, भूमि उपलब्ध कराने, पुनर्वास और सर्वोच्च न्यायालयके निर्देश के अनुसार रोजगार का आश्वासन दिए जाने पर बिहार के मुख्य मंत्री के साथ हुए विचार–विमर्श के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पुनर्विचार किया गया है। परियोजना के लिए जापान के ओई सी एफ से वित्तीय सहायता की सम्भवनाओं का पता लगाया जा रहा है।

महाराष्ट्र में पुलों की मरम्मत

1082. श्री अन्ना जोशीः क्या जल– भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों की मरम्मत की गयी अथवा की जा रही है; और

(ख) उक्त अवधि में इस मद पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

जल– भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). स्थिति इस प्रकार है :–

राष्ट्रीय राजमार्गों पर मरम्मत हेतु स्वीकृत कार्य		किया गया व्यय	
1993–94	1994–95	1993–94	1994–95
5	4	16.24	15.87

बंगला देश के प्रधान मंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में द्विपक्षीय मुद्दों का उठाना

1083. श्री मनोरंजन भक्तः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 अक्टूबर, 1995 के बिजनेस स्टैंडर्ड के नई दिल्ली संस्करण में "बंगला देश में टैक रो ओवर वाटर टू इनन्टरनेशनल फोरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वर्ण जयंती सत्र में संबोधित करते हुए बंगला देश की प्रधान मंत्री ने फरक्का मुद्दे सहित कुछ द्विपक्षीय मुद्दे उठाये है;

(ग) यदि हाँ, तो भारत ने इस संबंध में क्या रुख अपनाया है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि भारत और बंगलादेश के बीच यह जल का मुद्दा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए नहीं है बल्कि यह द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल किया जा सकता है; और

(घ) इस समय जहां तक चल रही द्विपक्षीय बातचीत का संबंध है इस मामले की क्या स्थिति है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी हां ।

(ख) बंगलादेश की प्रधान मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की 50 वीं वर्षगांठ की विशेष स्मारक बैठक को सम्बोधित करते हुए फरक्का का मसला उठाया ।

(ग) भारत की सरकार फरक्का के मसले को द्विपक्षीय विचार विमर्श का मुद्दा मानती है और जल के बंटवारे की एक दीर्घावधिक, व्यापक और न्यायोचित व्यवस्था के लिए सकारात्मक द्विपक्षीय वार्ता के लिए वचनबद्ध है।

(घ) जून, 1995 में विदेश सचिव की ढाका की यात्रा के दौरान संयुक्त नदी आयोग (जे आर सी) की बैठक पुनः बुलाने पर सहमति हुई, जे आर सी की बैठकों के लिए भारत द्वारा अगस्त, सितम्बर तथा नवम्बर, 1995 की तारीखों का प्रस्ताव बंगलादेशी पक्ष द्वारा सुविधाजनक नहीं पाया गया । संयुक्त नदी आयोग की बैठक के लिए तारीखें अब बंगलादेश के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावित की जाएंगी ।

पाक समाचार पत्रों द्वारा दुष्प्रचार

1084. श्री संतोष कुमार गंगवारः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान कुछ पाकिस्तानी समाचार पत्रों द्वारा भारत के विरूद्ध शुरू किए गये दुष्प्रचार की तरफ दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इसप्रकार के दुष्प्रचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं /उठाए जा रहे है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान के अधिकांश समाचार पत्र भारत विरोधी प्रचार करते रहते है। भारत की सरकार ने विदेशी सरकारों, निर्णय तथा मत निर्माताओं तथा अन्तरराष्ट्रीय एवं भारतीय मीडिया को पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार एवं आतंकवाद प्रोत्साहित करके जम्मू एवं कश्मीर में क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा पूरी करने के उसके प्रयासों से अवगत करा दिया है ताकि पाकिस्तान के समाचार पत्रों द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार का प्रभावकारी ढंग से खंडन किया जा सके ।

नेताजी की अस्थियां

1085. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुलः
श्री मनोरंजन भक्तः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि उन्होंने अपने हाल की विदेश यात्रा के दौरान जर्मनी में नेताजी की विधवा पत्नी से भेंट की और नेताजी की अस्थियों को भारत लाने के संबंध में उनके साथ चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो इस चर्चा के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या उन्होंने जापान से नेताजी की अस्थियों को वापस लाने पर स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी हां। विदेश मंत्री अक्तूबर, 1995 में ऑग्सबोर्ग गए जहां उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की पत्नी तथा पुत्री से मुलाकात की।

(ख) चर्चा के दौरान विदेश मंत्री ने नेताजी की पुत्री प्रो. अनिताप्फाफ से नेताजी की जन्म शताब्दी समारोह से संबंधित राष्ट्रीय समिति का सदस्य बनने का अनुरोध किया उन्होंने विदेश मंत्री का अनुरोध स्वीकार कर लिया।

(ग) और (घ). विदेश मंत्री के साथ चर्चा के दौरान नेताजी की पुत्री ने सभी संबद्ध दलों से परामर्श करने के बाद एक उपयुक्त समय पर नेताजी की अस्थियां जापान से भारत लाने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को अमरीकी रडार

1086. **प्रो. प्रेम धूमलः**
श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्लः
श्री सत्यदेव सिंहः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 1995 के नवभारत टाइम्स में " अमेरिका पाकिस्तान को रडार भी देगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) अमरीकी कांग्रेस ने फारेन आपरेशन्स एप्रोप्रिएशन बिल में सीनेटर हैन्क ब्राउन का संशोधन स्वीकार कर लिया है, जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के अलावा प्रैसलर संशोधन में छूट देते हुए पाकिस्तान को 368 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के आधुनिक सैन्य उपकरण मुहैया कराने की व्यवस्था है, जिन पर अक्तूबर, 1990 से प्रतिबंध लगा हुआ था। इस बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाने के बाद अमरीका पाकिस्तान को प्रस्तावित सैन्य उपकरणों की सप्लाई करने की स्थिति में होगा, जिनमें पी–3 सी समुद्री विमान, हार्पून मिसाइलें, रडार, एम–198 हॉविट्जर, एफ–16 इंजन किटें, नाइट विजन किटें आदि शामिल हैं।

(ग) सरकार के विचार से एक ऐसे देश को आधुनिक सैन्य उपकरणों का प्रस्तावित हस्तांतरण जिसने विगत में इस प्रकार के हथियारों को हमेशा भारत के विरूद्ध इस्तेमाल किया है और जो अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद को प्रशिक्षित एवं निर्देशित करने तथा नशीले द्रव्यों के अवैध व्यापार से प्राप्त राशि से इस प्रकार की गतिविधियों के वित्त पोषित करने में अग्रणी है, दक्षिण एशिया में शांति, सुरक्षा एवं स्थायित्व संवर्द्धित करने में सहायक नहीं होगा। अमरीका से भारी मात्रा में सैन्य एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करते हुए पाकिस्तान द्वारा तीसरे देशों से चोरी छिपे नाभिकीय हथियार संबंधी प्रौद्योगिकी एवं सामग्री और बैलिस्टिक मिसाइलें प्राप्त करने पर भी इस प्रस्तावित हस्तांतरण के संबंध में गौर किया जाना चाहिए। पाकिस्तान को दिए जा रहे आधुनिक सैन्य उपकरणों में ऐसे कई शक्ति गुणक और नई मदें शामिल हैं जो इस क्षेत्र की सैन्य सामग्री में अभी उपलब्ध नहीं हैं और इनसे भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अतः सरकार पाकिस्तान को अमरीका द्वारा दिए जाने वाले सैन्य उपकरणों के प्रतिकूल प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति वचनबद्ध है।

[अनुवाद]

ताप विद्युत संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण

1087. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्तिः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के 70 में से 40 ताप विद्युत संयंत्रों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित उत्सर्जन मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है और ये संयंत्र प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बन गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) जिन ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके लिए प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों को, प्रचालनाधीन नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इन ताप विद्युत केन्द्रों के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों के क्रियान्वयन हेतु विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) द्वारा ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। 1995–96 के अंत तक इनमें से ग्यारह ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा उत्सर्जन मानकों का अनुपालन किए जाने की संभावना है।

परमाणु हथियारों का पूर्णतः समापन

1088. **श्री ए. वेंकटेश नायकः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या प्रधान मंत्री ने 24 अक्टूबर, 1995 को संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान विश्व समुदाय से निर्धारित समय के अन्दर सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने हेतु विश्वसनीय कदम उठाने का आह्वान किया था; और

(ख) यदि हां, तो अन्य सदस्य देशों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया की और इस विषय पर क्या सहमति हुई ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी हां ।

(ख) भारत, म्यांमार, इंडोनेशिया, कोलम्बिया, मिस्र, पाकिस्तान तथा क्यूबा सहित राष्ट्रों के एक समूह ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 50 वें सत्र की पहली समिति में "नाभिकीय निरस्त्रीकरण" संबंधी एक संकल्प प्रस्तुत किया जिसमें अन्य बातों के अलावा निरस्त्रीकरण संबंधी कांफ्रेंस से प्राथमिकता के आधार पर नाभिकीय निरस्त्रीकरण पर एक तदर्थ समिति स्थापित करने का आहवान किया गया है ताकि नाभिकीय निरस्त्रीकरण के चरणबद्ध कार्यक्रम के सम्बंध में तथा एक निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नाभिकीय हथियारों को अन्ततः समाप्त करने के लिए 1996 के आरंभ में बातचीत शुरू की जा सके । यह संकल्प 16 नवम्बर को पारित कर दिया गया जिसके पक्ष में 89 मत प्राप्त हुए, विरोध में 39 मत तथा 15 अनुपस्थितियां रहीं ।

[हिन्दी]

भारत के संबंध में अमरीका की दोहरी नीति

1089. **श्री ब्रह्मानन्द मंडलः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका भारत के प्रति व्यापार और सुरक्षा के संबंध में दोहरी नीति अपना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख). ऐसी कोई भी नीति नहीं है जो एक देश के दूसरे देश के साथ संबंधों के सभी पहलुओं का निर्धारण करती हो । प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ प्रत्येक क्षेत्र में किए जाने वाले क्रियाकलापों के संबंध में अलग-अलग नीति का निर्धारण करता है । अतः इस बात की उम्मीद करना स्वाभाविक नहीं होगा कि भारत के साथ अमरीका की व्यापार एवं सुरक्षा संबंधी नीतियां समान होंगी ।

[अनुवाद]

भारतअमरीका वार्ता

1090. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा अमरीका के मध्य सितम्बर, 1995 में कोई वार्ता हुई;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता में क्या मुद्दे उठाए गये तथा इसका परिणाम क्या है;

(ग) बाकी बचे हुये मुद्दों को कब तक सुलझा लिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या वार्ता में रक्षा सामग्री की आपूर्ति का मुद्दा भी उठाया गया; और

(ङ) यदि हां, तो अमरीका की भारतीय रक्षा जरूरतों के संबंध में वर्तमान दृष्टिकोण क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां । जनवरी 95 में अमरीकी डिफेंस सैक्रेटरी के भारत के दौरे के दौरान हस्ताक्षरित सहमत कार्यवृत के तहत स्थापित रक्षा नीति ग्रुप (डी पी जी) तथा संयुक्त प्रौद्योगिकी ग्रुप (जे टे जी) की पहली बैठक सितंबर, 95 में हुई ।

(ख) फारस की खाड़ी से लेकर प्रशान्त रिम तक के अनेक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई । शान्ति स्थापना कार्य तथा दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी सहयोग को बढ़ाने के मुद्दों सहित समान हित के अन्य क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई । संयुक्त प्रौद्योगिकी ग्रुप ने प्रौद्योगिकी में समान हित के मुद्दों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने इस बात को नोट किया कि एल सी ए के बारे में जारी सहयोग संतोषजनक है और ऐसे मिशन क्षेत्रों का विकास करने की आवश्यकता है ।

(ग) ऐसे कोई बकाया मुद्दे नहीं थे जिनका डीपीजी तथा जेटीजी द्वारा निराकरण अपेक्षित हों ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठाता ।

एनरॉन विद्युत परियोजना

1091. **प्रो. अशोक आनंदराव देशमुखः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत क्षेत्र में गैर सरकारी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार की नीति क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) महाराष्ट्र में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा लागू की जा रही विद्युत परियोजनाओं की क्या संख्या है; और

(घ) एनरॉन विद्युत परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) सरकार ने अक्तूबर, 1991 में निजी विद्युत नीति की घोषणा की थी, जिसे समय–समय पर संशोधित किया जाता रहा है। नीति की मुख्य विशेषताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) अब तक निजी विद्युत क्षेत्र में अधिष्ठापित किए जाने हेतु 245 परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें 3, 39, 708. 405 करोड़ रुपये की कुल अनंतिम पूंजीगत लागत पर 93,661. 25 मेगावाट की कुल क्षमता अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है ।

(ग) महाराष्ट्र में, निजी प्रवर्तकों द्वारा अब तक 8 विद्युत परियोजनाओं के संबंध में रूचि दर्शाई गई है।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने , अगस्त, 1995 में चरण–1 को रद्द कर दिया , स्थल पर कार्य को बंद करने के आदेश दे दिए और एनरॉन विद्युत परियोजाना के चरण–2 को रद्द कर दिया । राज्य सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि उनके द्वारा परियोजना के पुर्नोद्धार हेतु गठित एक समझौता समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समय रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार के विचाराधीन है ।

विवरण

विद्युत उत्पादन और वितरण में अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के लिए निजी निवेश को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से संबंधित नीति के बारे में प्रोत्साहन/मार्गदर्शी सिद्धान्त

विद्युत उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने से संबंधित स्कीम का ब्यौरा निम्नवत है :–

* विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों के लिए नयें कानून, प्रशासनिक और वित्तीय वातावरण की स्थिति बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया है ।

* निजी क्षेत्र किसी आकार की ताप विद्युत परियोजनाएं (कोयला / गैस आदि) और जल विद्युत परियोजनाएं तथा पवन/ सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर सकते हैं।

* ऐसी विद्युत परियोजनाएं जिनके समग्र परिव्यय की राशि 100 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है, उनको स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है ।

* निजी क्षेत्र कंपनियां लाइसेंसधारी अथवा विद्युत उत्पादन कंपनियों के रूप में प्रचालन हेतु उद्यम स्थापित कर सकती हैं ।

* सभी निजी कंपनियों को जब विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगी इनको ऋण इक्विटी का अनुपात 4:1 बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी ।

* प्रवर्तकों का अंशदान कम से कम समग्र परिव्यय का II प्रतिशत होना चाहिए। इस क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के लिए समग्र परिव्यय की कम से कम 60 प्रतिशत राशि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से भिन्न स्रोतों से जुटायी जानी चाहिये ।

* विदेशी निजी निवेशकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं के लिए शत–प्रतिशत (100%) विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है ।

* विदेशी निवेश के मामलों में निर्यात अर्जन के द्वारा लाभांश संतुलन को 51% इक्विटी की शर्त, जोकि सामान्यतः लागू होती है, विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के लिए यह लागू नहीं होगी ।

* परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यहास की दरों को उदार बनाया गया है ।

* ऐसे मामले जिनमें विदेशी सप्लाईकर्ता (सप्लाईकर्ताओं) अथवा एजेंसी (एजेंसियों) रियायती ऋण की सुविधा प्रदान करती है, विद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार के अनुमोदन से उपस्कर आयात करने की भी अनुमति दी जाएगी ।

* विद्युत उपस्कर आयात करने के लिए सीमा–शुल्क को घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है और विद्युत संयंत्र के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण हेतु अपेक्षित मशीनरी के लिए भी इस दर की सुविधा प्रदान की गई है ।

* पांच साल के लिए कर की छूट के लिए अनुमति प्रदान की गई है ।

* विद्युत क्षेत्र की अधिकांश पूंजीगत सामग्री और यंत्रों के लिए सीमा शुल्क की दर कम कर दी गई है ।

* टैरिफ में शामिल विदेशी इक्विटी पर 16 प्रतिशत तक के लाभांश की राशि संबंधित विदेशी मुद्रा में उपलब्ध कराई जा सकेगी ।

* 68. 5 प्रतिशत के संयंत्र भार अनुपात पर निर्धारित लागत वसूल की जा सकती है । इस संयंत्र भार अनुपात से बेहतर कार्य निष्पादन के लिए आकर्षक प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं ।

* मार्च, 1992 की टैरिफ अधिसूचना में निर्धारित मानदण्डों में परिवर्तन करके टैरिफ का निर्धारण किया जा सकता है, बशर्ते प्रति यूनिट निर्धारित की गई टैरिफ का राशि मानदण्डों के आधार और निर्धारित की गई टैरिफ की राशि से अधिक न हो।

विद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए विशेष प्रोत्साहन

* अधिसूचित नियामक मानदण्डों जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ 68.5 प्रतिशत संयंत्र भार अनुपात पर इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश और संयंत्र भार अनुपात में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि पर 0.7% लाभांश का प्रावधान किया गया है।

* कोयला आधारित, गैस आधारित विद्युत उत्पादन कंपनियां और जल विद्युत परियोजनायें समुचित रूप से निर्धारित टू–पार्ट–टैरिफ पर विद्युत की बिक्री कर सकती हैं।

* निर्धारित की गई टैरिफ तथा अन्य मानदण्ड केवल सीमा निर्धारण मानदण्ड हैं और बोर्डों तथा विद्युत उत्पादन कंपनियों को संशोधित मानदण्डों को अपनी सहमति प्रदान करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

* शेयरपूंजी जारी करते समय और विद्यमान कम्पनी को मुक्त आरक्षित राशि में से आंतरिक संसाधन जुटाकर निवेश करते समय विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा जुटाए गए प्रीमियम के लिए इक्विटी पर लाभांश की पात्रता भी होगी, बशर्ते विद्युत उत्पादन परियोजना के पूंजीगत व्यय की पूर्ति किए जाने के लिए वस्तुतः इस प्रकार की राशि का समुपयोजन किया गया हो और यह राशि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का एक अंग हो।

* जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ संबंधी मानदण्डों को भी उदार बनाया गया है, यथा क्षमता प्रभार, प्रारंभिक ऊर्जा प्रभार, 90 प्रतिशत के अधिक अधिष्ठापित क्षमता की उपलब्धता में प्रत्येक प्वाइंट की वृद्धि के लिए इक्विटी लाभांश (आर ओ ई) में 0.7% की वृद्धि का प्रोत्साहन देना।

लाइसेंसधारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन

* प्रारंभ में दीर्घावधि के लिए 3 वर्ष हेतु लाइसेंस जारी किया जाएगा। तदुपरांत इसका नवीकरण जो कि पहले क्रमशः 20 और 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता था, इसके स्थान पर अब यह 20 वर्ष के लिए किया जाएगा।

* विगत के 2 प्रतिशत के लाभांश की दर के स्थान पर 5 प्रतिशत की लाभांश की दर जोकि आर. बी. आई. की दर से अधिक है।

* विगत की आर. बी. आई. की दर से एक प्रतिशत अधिक दर होने की अपेक्षा वास्तविक लागत पर निर्माण के दौरान ब्याज का पूंजीकरण (विस्तार परियोजनाओं के लिए भी)।

* ऋण विमोचन दायित्वों की पूर्ति के लिए विशेष विनियोग।

[हिन्दी]

गैट समझौता

1092. डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री संतोष कुमार गंगवार:
श्री देवी बक्स सिंह :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैट समझौते से फार्मास्युटिकल उद्योग प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी दवाइयां हैं जिनके मूल्यों में गत दो वर्षों के दौरान 40 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हुई है;

(ग) समझौते के पश्चात जीव रक्षक औषधों के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं और इस प्रवत्ति को रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). पेटेन्ट अधिनियम, 1970 को ट्रिप्स समझौते के अनुरूप बनाने के लिए अभी इसे संशोधित किया जाना है। अतः जहां तक भेषज उद्योग का संबंध है, यथापूर्व स्थिति बनी हुई है और कीमतों में यदि कोई वृद्धि होती है तो इसे गैट समझौते से प्रभावित नहीं माना जा सकता है।

[अनुवाद]

अमरीका पाकिस्तान संबंध

1093. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिनांक 24 सितम्बर, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यू. एस. फोर मोर पलेम्सिबल टायस विद् पाकिस्तान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार से अवगत है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अमरीका को यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यद्यपि भारत पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध बेहतर बनाने की अमरीका की इच्छा समझता है तथापि हम पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों के प्रस्तावित हस्तान्तरण पर चिन्तित हुए बिना नहीं रह सकते जिसने विगत में इस प्रकार के हथियार हमेशा भारत के विरूद्ध इस्तेमाल किए हैं और अन्तर्राष्ट्रीय आंतकवाद को प्रशिक्षित तथा निर्देशित करने तथा नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त धन से इस प्रकार की गतिविधियों को वित्तपोषित करने में अग्रणी है। पाकिस्तान को अमरीका द्वारा सैन्य उपकरणों का हस्तान्तरण दक्षिण एशिया में शान्ति, सुरक्षा एवं स्थिरता स्थापित करने में सहायक नहीं होगा। पाकिस्तान को दिए जाने वाले आधुनिक सैन्य उपकरणों में कई ऐसे शक्ति गुणक एवं नई मदें शामिल हैं जो इस क्षेत्र में अभी उपलब्ध नहीं है और जिनसे भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। अतः सरकार पाकिस्तान को अमरीका द्वारा दी जा रही सैन्य सहायता के प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति वचनबद्ध है।

भूमि सुधार अधिनियम

1094. **श्री वी. धनंजय कुमारः** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम में हाल ही में किये गये संशोधनों के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय विधि मंत्रालय द्वारा संशोधित अधिनियम के कानूनी प्रभाव की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण क्षेत्र तता रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) जी, हां, केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम में हाल ही में किये गए संशोधनों के संबंध में कुछक शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) और (ग). संशोधित अधिनियम के कानूनी प्रभाव की जांच विधि मंत्रालय के परामर्श से की जा रही है तथा भारत सरकार उनकी कानूनी राय के पश्चात उपयुक्त उपाय करेगी।

[हिन्दी]

पेयजल परियोजना

1095. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जर्मन सहयोग से कोई पेयजल परियोजना शुरू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना किन–किन राज्यों शुरू किए जाने की सम्भावना है और इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तमवार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). हिमाचल–प्रदेश, मध्य–प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल राज्यों में शुरू किए जाने वाले पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या – 1095 जिसका उत्तर 4. 12. 95, को दिया जाना है के उत्तर के संबंध में विवरण

क्र. सं. राज्य	परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रू में)	विवरण
1. हिमाचल प्रदेश	ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	203. 00	2. 05 लाख जनसंख्या को कवर करते हुए 12 जिलों (बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर कांगडा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्फीती, मण्डी, शिमला, सोलन, सिरमौर और ऊना) की 3883 बसावटों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता द्वारा कवरेज

क्र. सं.	राज्य	परियोजना	अनुमानित लागत (करोड़ रू में)	विवरण
2.	मध्यप्रदेश	ग्रामीण जल आपूर्ति चरण-II	44.94	37 जिलों के 355 गांवों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता
3.	महाराष्ट्र	ग्रामीण जल आपूर्ति	187. 60	4,81,211 जनसंख्या को (1991 जनगणना) को कवर करते हुए 3 जिलों -पूना, अहमदनगर तथा औरंगाबाद के 165 गावों जल आपूर्ति, स्वच्छाता और स्वास्थ्य शिक्षा
4.	राजस्थान		253 . 01	685 करोड़ रू. की लागत पर जल आपूर्ति एवं स्वच्छता 3 चरणों जिसमें चरण-1 में 253. 01 करोड़ रू. है, में 956 गांवों और 10 नगर में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता परियोजना को कवर करना 3 जिले श्रीगंगानगर, नागौर और चुरू कवर करने वाले क्षेत्र हैं।
5.	पश्चिमी	जल आपूर्ति, स्वच्छता	30. 00	पुरलिया और बीरभुम जिले बंगाल और स्वास्थ्य शिक्षा में 2 जुडे हुए प्रान्तों में रघुनाथपुर और इससे जुडे गये तथा भोलेपुर तथा इससे जुड़े गांवों में जल आपूर्ति स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा ।

[अनुवाद]

कश्मीर के संबंध में अमरीकी दृष्टिकोण

1096. **श्री गुरुदास कामतः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सरकार अलग-अलग वक्तव्य जारी करके कश्मीर समस्या को जटिल बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये/ उठाये जा रहे हैं ।

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख). कुछ अमरीकी अधिकारियों द्वारा जम्मू-कश्मीर के संबंध में दिये गये वक्तव्य वास्तविक तथ्यों तथा वहां व्याप्त स्थिति के संबंध में हमारे आकलन के अनुरूप नहीं है। बुनियादी तौर पर इसका संबंध जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए उग्रवादियों को धन देने, उन्हें शस्त्र देने, उनकी घुसपैठ और उन्हें निर्देश देने में पाकिस्तान की प्रत्यक्ष तथा सक्रिय भूमिका से है जिससे कई वर्ष से जम्मू-कश्मीर के लोग स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक सरकार पाने के अपने अधिकार से वंचित होते रहे हैं दूसरी तरफ अमरीकी सरकार की स्थिति यह रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच

शिमला समझौते की व्यवस्था के अनुसार सीधी बातचीत कश्मीर मसले को हल करने का सर्वोत्तम तरीका है । अमरीका की सरकार ने इस बात का भी संकेत दिया है कि वे निर्णय–प्रक्रिया में जम्मू–कश्मीर के लोगों को शामिल करने के लिए चुनावों के पक्ष में है।

(ग) अमरीकी अधिकारियों के साथ कार्यकलापों के दौरान हम बराबर यह बात दोहराते रहे है कि जम्मू–कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान का सीधा समर्थन और प्रायोजन बराबर जारी है, तथा हम इस बात पर बल देते रहे है कि इसे रोका जाना चाहिए। जम्मू–कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया जिसमें राज्य विधान सभा के लिए चुनाव करवाना भी शामिल है, को बहाल करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनसे भी हमने अमरीकी अधिकारियों को अवगत कराया है ।

[हिन्दी]

विदेशों की यात्रा कर रहे शिष्ट मंण्डल द्वारा हिंदी का प्रयोग

1097. **श्री महेश कनोडियाः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत एक वर्ष के दौरान विदेशों की यात्रा पर गये केन्द्रीय सरकार के शिष्टमण्डलों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक शिष्टमंण्डल के सदस्यों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) विदेश दौरे के दौरान जिन सदस्यों ने अंग्रेजी तथा हिन्दी में भाषण दिये उनकी संख्या वार संख्या क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी दौरे के दौरान शिष्टमंण्डल के सदस्यों द्वारा अपना भाषण हिन्दी में देने को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना

1098. **श्री पवन दीवानः** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से घनी आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने जनजातीय /दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने हेतु कोई मास्टर प्लान या अन्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). सांविधानिक दृष्टि से भारत सरकार केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर शेष अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं, इसमें जन–जातीय क्षेत्रों की सड़कें भी शामिल हैं ।

[अनुवाद]

लैटिन अमरीकी देशों के साथ समुद्री मार्ग द्वारा सम्पर्क

1099. **श्री राम कापसे** : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण अफ्रीका होते हुए लैटिन अमरीकी देशों के साथ समुद्री–सम्पर्क बनाने की सम्भावनाओं का पता लगा रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख). जी नहीं । सरकार का दक्षिण अफ्रीका होते हुए लैटिन अमरीकी देशों के साथ समुद्री संपर्क स्थापित करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। लैटिन अमरीकी देशों के साथ भारत के समुद्री संपर्क मार्ग, कोलम्बो अथवा सिंगापुर अथवा दुबई अथवा यूरोपीय पत्तनों पर कार्गो की ट्रांशिपमैंट के आधार पर पहले से ही मौजूद है ।

भारतीय नौवहन कंपनियों द्वारा अर्थात सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों में तथा कार्गो की उपलब्धता और वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर विदेशी नौवहन कंपनियों द्वारा भी नौवहन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । तथापि, सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारतीय नौवहन निगम, बम्बई से दुबई वाया सैसल्स और पोर्ट लुईस तक नौवहन सेवा स्थापित करने की संभावना की जांच कर रहा है । ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे लैटिन अमरीकी देशों के लिए कन्टेनरीकृत कार्गो की दुलाई पर वाया डरबन ट्रांशिपमैंट आधार पर विचार किया जाएगा बशर्ते इसे आर्थिक रूप से व्यवहार्य पाया जाए ।

भारतीय तेल निगम को भूमि का आवंटन

1100. श्री लोकनाथ चौधरी :
श्री दत्तात्रेय बंडारू:
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अक्टूबर, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार शीर्षक " रो ओवर लैंड अलौटमेंट टू आई. ओ. सी. " की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/ की जाएगी?

जल– भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) यह समाचार, तेल शोधक कारखाने की स्थापना से संबंधित है। पारादीप पत्तन ने भारतीय तेल निगम द्वारा तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए कोई भूमि आबंटित नहीं की है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत की कमी

1101. श्री वी. धनंजय कुमार: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में विद्युत की कमी से अवगत है;

(ख) क्या सरकार ने कर्नाटक विद्युत बोर्ड द्वारा विधुत की आपूर्ति में नियत तथा अनियमित कटौती लागू करने को अधिसूचित किया है;

(ग) क्या यह सच है कि कर्नाटक को दक्षिणी विद्युत ग्रिड से विद्युत की निर्धारित आपूर्ति प्राप्त नहीं हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या योजनाएं तैयार की जा रही हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) अप्रैल–अक्तूबर,1995 की अवधि के दौरान देश में विद्युत की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कर्नाटक बिजली बोर्ड द्वारा अपनी दिनांक 27. 10. 95 की हाल ही की अधिसूचना द्वारा 3. 11. 95 से एच टी और एल टी अधिष्ठापनों पर 30–50% के बराबर उर्जा की कटौती और 15–25% के बराबर की मांग की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त कर्नाटक बिजली बोर्ड द्वारा वास्तविक उपलब्धता के आधार पर समय–समय पर गैर–निर्धारित विद्युत की कटौती भी की जाती है।

(ग) और (घ). अप्रैल–अतूबर, 1995 के दौरान दक्षिणी क्षेत्रों में कर्नाटक द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से हकदारी की तुलना में वास्तविक निकासी निम्नलिखित है:–

हकदारी (मि. यू.)	2167. 2
वास्तविक (मि. यू.)	2326. 2
प्रतिशत	107 . 3

विद्युत उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपायों में ये शामिल हैं, अधिष्ठापित क्षमता का अधिक समुपयोजन, ताप विद्युत केन्द्रों के लिए कोयले की उचित गुणवत्ता और मात्रा की आपूर्ति की मानिटरिंग करना और विद्यमान विद्युत केन्द्रों का उन्नयनीकरण करना। पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने सम्बन्धी स्कीमें आरम्भ करने के अलावा, केन्द्रीय और राज्य स्तरों दोनों पर सार्वजनिक क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु भी कदम उठाए गए हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

विवरण

विद्युत की आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(सभी आंकड़े मि. यू. मिवल में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 95– अक्तूबर, 95			
	मांग	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	494	450	4	0. 8
दिल्ली	8110	8044	66	0. 8
हरियाणा	7755	7632	123	1. 6
हिमाचल प्रदेश	1193	1193	0	0. 0
जम्मू एवं कश्मीर	2370	1966	415	17. 0
पंजाब	13305	13018	207	2. 2
राजस्थान	10265	9921	344	3. 1
उत्तर प्रदेश	22305	19736	2549	11. 1
जोड़ः उत्तरी क्षेत्र	65797	62009	3788	5. 8
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	20675	19704	971	4. 7
मध्य, प्रदेश	16085	15102	283	6. 1
महाराष्ट्र	31175	30672	503	1. 6
गोवा	642	642	0	0. 0
जोड़ः पश्चिमी क्षेत्र	68577	66120	2457	3. 6
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	19900	16206	3694	18. 6
कर्नाटक	13610	11628	1982	14. 6

(सभी आंकड़े मि. यू. मिवल में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 95– अक्तूबर, 95			
	मांग	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
केरल	6285	5529	756	12.0
तमिलनाडु	19535	17345	2190	11.2
जोड़ः दक्षिणी क्षेत्र	59330	50708	8622	14. 5
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	5540	3849	1691	30. 5
डीवीसी	4805	4602	203	4. 2
उड़ीसा	5755	5359	396	6. 9
प. बंगाल	8900	8378	522	5. 9
जोड़ः पूर्वी क्षेत्र	25000	22188	2812	11. 2
उत्तर–पूर्वी क्षेत्र				
अरुणाचल प्रदेश	95.1	62. 0	33.1	34.8
असम	1663.1	1469. 0	194. 1	11.7
मणिपुर	203.6	157.9	46. 3	22.8
मेघालय	209.5	205. 4	4. 1	2.0
मिजोरम	91.2	70. 5	20. 7	22.7
नागालैण्ड	89.5	73. 5	16. 0	17.9
त्रिपुरा	231.1	166. 7	64. 4	27.9
जोड़ः उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	2583.0	2204. 3	378.7	14.7
अखिल भारत	221287	203229	18058	8. 2

पंचायतों का सम्मेलन

1102. **श्री भोगेन्द्र झा:**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचित पंचायतों को और ज्यादा शक्तियां देने के संबंध में तथा सरकार की गरीबी उन्मूलन नीतियों और योजनाओं को लागू करने के लिए उन्हे प्रभावी तंत्र बनाने से सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए राजधानी में 9 तथा 10 अक्टूबर, 1995 को दो दिवसीय अखिल भारतीय पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले शिष्टमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी;

(ग) इस सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए तथा केन्द्र सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) जी ,हां ।

(ख) विवरण विवरण-I पर है ।

(ग) महत्वपूर्ण सिफारिशों को दर्शाने वाला एक विवरण विवरण-II पर है । संघ/राज्य सरकारों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उपाय किए गए हैं ।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण-I

क्रम संख्या	राज्य का नाम	पंजीकृत प्रतिनिधि
1.	आन्ध्र प्रदेश	888
2.	अरूणाचल प्रदेश	27
3.	असम	210
4.	बिहार	430
5.	गोवा	21
6.	गुजरात	97
7.	हरियाणा	285
8.	हिमाचल प्रदेश	93
9.	कर्नाटक	340
10.	केरल	197
11.	मध्य प्रदेश	1164
12.	मणिपुर	10

क्रमसंख्या	राज्य का नाम	पंजीकृत प्रतिनिधि
13.	मिजोरम	4
14.	महाराष्ट्र	952
15.	नागालैण्ड	52
16.	पंजाब	288
17.	राजस्थान	514
18.	सिक्किम	21
19.	उत्तर प्रदेश	1121
20.	पश्चिम बंगाल	43
21.	चंडीगढ़	11
22.	अंडमान व निकोबार	9
	कुल	6777

विवरण–II

इन्दिरा गांधी इनडोर स्टेडियम नई दिल्ली में 9वां 8 अक्तूबर, 1995 को हुए पंचायत अध्यक्षों के सम्मेलन की सिफारिशें

1. चुनाव

जहां कहीं पंचायतों का गठन नहीं हुआ है, वहां चुनाव तत्काल कराये जाने चाहिएं

2. सुपुर्दगी

पंचायतें गठित करने के बाद उन्हें कार्यशील बनाने के लिए पर्याप्त शक्तियां, कार्य और वित्तीय सुपुर्दगी के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

3. वित्तीय सहायता

4. केवल विषयों को हस्तांतरित कर देने से पंचायतें तब तक सक्षम नहीं बन सकती जब तक कि उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता न दी जाए। इसलिए राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें मिलने तक पंचायती राज संस्थाओं की पर्याप्त धनराशि दिये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

4. साधनों को जुटाना

अपने स्वयं के संसाधन जुटाने के लिए पंचायतों को अधिकार दिये जाने चाहिए और उन्हें गतिशील बनाया जाना चाहिए।

5. प्रशासन को सुदृढ़ बनाना

पंचायतों को सौंपी गई जिम्मेदारियों और निधियों की अधिक मात्रा में प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें प्रशासनिक और तकनीकी तौर पर सुदृढ़ बनाया जाए। कर्मचारियों के सभी पद भरे होने चाहिएं। ग्राम पंचायत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक अलग संवर्ग बनाया जाना चाहिए।

6. पंचायतों के चुने प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध

पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को सौहार्दपूर्ण तरीके से काम करने की स्वस्थ परम्परा का विकास करना चाहिए तथा नई व्यवस्था के प्रभावशील ढंग से कार्यान्वित करने के लिए एक दूसरे की भूमिका के प्रति परस्पर सम्मान करने की भावना होना चाहिए।

7. प्रशिक्षण एवं जागरूकता सृजन

पंचायतों के नवनिर्वाचित सदस्यों को अपनी भूमिका से पूर्ण परिचित करने के लिए उन्हें सूचना एवं शिक्षा के माध्यम से अपनी नई जिम्मेदारियों के प्रति सजग बनाया जाना चाहिए। इसके लिए समस्त संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। जागरूकता सृजन की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए। इस संबंध में भी सुधार किए जाने की आवश्यकता है कि उन तक सभी सूचना पहुंचे।

8. स्थायी समितियां

उपयोगी और शीघ्र निर्णय लेने तथा सामाजिक और आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए पंचायतों की स्थायी समितियां गठित करनी चाहिए। इन समितियों में महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शामिल किया जाना चाहिए।

9. जिला आयोजनन

सामाजिक–आर्थिक आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जिले की योजना बनाने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

10 ग्राम सभा

ग्राम सभा को एक प्रतिनिधि जनतंत्र के मंच के रूप में सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है। इसकी बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए और उनमें विकास के कार्यों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार होना चाहिए। ग्राम सभा में स्थानीय लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं पर चर्चा होनी चाहिए और इसे लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु कार्य करना चाहिए। ग्राम सभा को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों का चयन करना चाहिए।

11. पारदर्शिता

पंचायतों को स्वशासी संस्थाओं के कार्यों में लोगों के विश्वास को सुदृढ़ करने में अपनी पारदर्शिता और जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

12. उपेक्षित समूहों के प्रति सकारात्मक कार्रवाई

पंचायतों को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विकास कार्यों को तेज किया जाए और उन्हें इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदार बनाया जाए। पंचायतों को विशेष रूप से इन वर्गों के प्रति होने वाले सभी प्रकार के शोषण और भेदभाव को समाप्त करने तथा विकास के लाभों का समान वितरण करने के लिए कार्य करना चाहिए।

13. सामाजिक भागीदारी

पंचायतों को सामाजिक विकास, विशेष रूप से साक्षरता, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम आदि के लिए लोगों को एक जुट करना चाहिए।

14. ग्रामीण विवादों का निपटान

ग्रामीण स्तर के विवादों के समाधान में पंचायतों की भूमिका होनी चाहिये। यह सम्भव है कि ग्राम पंचायतों को न्यायिक शक्तियां दी जाएं। इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और इससे गांवों पर एक सामाजिक दायित्व भी आएगा। ग्राम पंचायतों को विगत में चल रही प्रणाली की गहन समीक्षा करने के बाद गांवों में न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। इससे पंचायती राज प्रणाली की सामान्य प्रतिष्ठा बढ़ेगी और विशेष रूप से गांव के दैनिक कार्यों में उनका महत्व बढ़ेगा।

15. भूमि सुधार

पंचायतें भूमि सुधार कार्यक्रम को सफल बनाने और सीमा से अधिक भूमि का उचित वितरण सुनिश्चित करने में प्रभावशाली भूमिका निभा सकती हैं।

16. जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषदों के साथ समन्वय

जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषदों के साथ समन्वय होना चाहिए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को जिला परिषद में मार्गदर्शन के कार्य को करना चाहिए। जिला परिषदों के अध्यक्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पदेन अध्यक्ष होने चाहिएं।

17. ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित एवं कार्यान्वित हो रहे सभी गरीबी उन्मूलन कार्य पंचायतों के अधीन होने चाहिएं।

18. अखिल भारतीय स्तर पर पंचायतों के आकार, स्वरूप, कर्तव्यों एवं अधिकारों में एकरूपता लाने के प्रायस किये जाने चाहिएं।

19. पंचायती राज संस्थाओं में तालमेल बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य स्तर पर परिषदों का गठन किया जाना चाहिए।

20. विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा वित्तपोषित सभी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायतों को शामिल किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में विदेशी कंपनियां

1103. **श्री खेलन राम जांगड़े :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारतीय तथा विदेशी कम्पनियों के वार्षिक कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें सब्जियों तथा फल के व्यवसाय का हिस्सा कितना है; और

(ग) शीतलन–पूर्व (प्री–कूलिंग), शीतागारों, (कोल्ड स्टोरेज) तथा गहन हिमीकरण (फ्रीजिंग) के संबंध में क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) और (ख). किसी कंपनी विशेष द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किए जाने वाले सालाना कारोबार के बारे में सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

(ग) मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास के लिए अनेक योजना स्कीमें बनाई हैं और उन्हें कार्यान्वित कर रहा है। कुछ स्कीमों के तहत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता में प्री–कूलिंग, कोल्ड–स्टोरेज और डीप–फ्रीजिंग के लिए सुविधायें शामिल हैं।

विद्युत समिति का गठन

1104. **श्री फूलचंद वर्मा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति की कार्य योजना क्या है;

(ग) क्या राज्यों के प्रतिनिधि भी इस समिति में शामिल होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

गैर–सरकारी क्षेत्र को विद्युत परियोजनाओं की स्वीकृति

1105. **श्री श्रीकांत जेना :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गैर–सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को "सी ई ए" द्वारा स्वीकृति के प्रावधानों को समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रतियोगात्मक निविदाओं पर सफलतापूर्वक समझौता करने हेतु विद्युत बोर्डों की सहायता करने के लिए मानकीकृत विद्युत क्रय समझौतों, ईंधन आपूर्ति समझौतें, परिवहन समझौतों और पर्यावरण दिशा–निदेशों को विभाजित करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तथापि, विद्युत मंत्रालय द्वारा पहले ही "भारतीय विद्युत परियोजनाओं हेतु पीपीए निर्धारित करते समय अपनाए जाने वाले सिद्धान्त और "विद्युत क्रय करारों के कुछ प्रमुख मुद्दे" नामक पुस्तिकाओं को राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों को परिपत्रित कर दिया गया है। र मॉडल विद्युत क्रय, ईंधन आपूर्ति और ईंधन अंतरण करारों को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

केरल को विश्व बैंक की सहायता

1106. **श्री के. एम. मैथ्यू :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त केरल में निचली पेरियार पनबिजली परियोजना का निर्माण विशेष रूप से ताप, बांध, विद्युत गृह तथा पारेषण लाईन की प्रगति किस चरण में है;

(ख) इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद कितनी विद्युत का उत्पादन होगा;

(ग) क्या निर्माण कार्य के समय हाल ही में कोई तालाबंदी या हड़ताल हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और मामले के निपटारे और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) 3X60 मे. वा. की अधिष्ठापित क्षमता वाली लोअर पेरियार पनबिजली परियोजना का क्रियान्वयन केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) द्वारा किया जा रहा है और परियोजना का कार्य प्रगति

की अग्रिम अवस्था में है। वर्तमान अनुमान के अनुसार यूनिट–1 को चालू करने का कार्यक्रम मार्च, 1996 है और यूनिट–2 तथा 3 का वर्ष 1996–97 है। लोअर पेरियार–थ्रिसूर 220 के. वी. पारेषण लाइन, परियोजना की मुख्य पारेषण लाइनों में से एक के कार्य के सम्बन्ध में पुनः निविदाएं प्रदान करने का कार्य पूरा हो चुका है तथा कार्य का ठेका प्रदान कर दिया गया गया है।

के एस ई बी ने पारेषण कार्य को तीव्र गति से करने के लिए 3 नये उपखण्डों के निर्माण कार्य के लिए कार्रवाई भी की है।

(ख) लोअर पेरियार पन बिजली परियोजना चालू हो जाने के बाद 180 मे. वा. विद्युत के समतुल्य 493 जीडब्ल्यूएच ऊर्जा उत्पादित करेगी।

(ग) और (घ). सिविल कार्य के ठेकेदार के मजदूरों द्वारा हड़ताल किए जाने के कारण लोअर पेरियार पन बिजली परियोजना पर कार्य 11.9.95 से रुक गया था।

2.11.1995 को आयोजित समझौता बैठक में हुए समझौते के उपरांत हड़ताल वापस लेने के बाद 6.11.1995 से कार्य पुनः शुरू हो गया था।

अमरीकी दूतावास सेवाओं में कटौती

1107. **श्री तारा सिंहः**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 1995 के दि टाइम्स ऑफ इण्डिया में "यू. एस. एम्बैसी कट्स सर्विसेज इन केपिटल, बाम्बे कान्सुलेट क्लोज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अमरीकी सरकार के निर्णय से बड़ी संख्या में भारतीय जिन्होंने वीसा और कान्सुलर सेवाओं के लिए आवेदन किया है, प्रभावित हुये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) बजट के सम्बन्ध में अमरीका के राष्ट्रपति और रिपब्लिकन बहुलता वाली कांग्रेस के बीच असहमति होने के कारण जिसकी वजह से अमरीकी सरकार अस्थायी रूप से "बंद" हो गई, भारत तथा अन्य देशों में स्थित अमरीकी राजदूतावासों एवं कौंसलावासों में सामान्य कार्य प्रभावित हो गया। 6 दिन की इस अवधि के दौरान अमरीकी राजदूतावास एवं कौंसलावास केवल आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर रहे थे। 15 दिसम्बर, 1995 तक अमरीकी सरकार को धनराशि उपलब्ध कराने की अनुमति देते हुए सीनेट द्वारा इस बिल को 19 नवम्बर, को अनुमोदित किए जाने के पश्चात 20 नवम्बर, 1995 से कौंसली सेवाएं सामान्य स्तर पर पुनः आरम्भ कर दी गई।

(ग) कार्य रुक जाने के 6 दिन की इस अवधि के दौरान ऐसे बहुत से भारतीयों को दिक्कत हुई होगी जो अमरीका जाना चाहते थे।

(घ) यह मामला एक अन्य प्रभुता सम्पन्न देश से सम्बन्धित है। अतः इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई करने का सरकार का इरादा नहीं है।

ऊर्जा की बचत

1108. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है कि वर्तमान व्यवस्था की दक्षता को बढ़ाकर बेहतर घरेलू प्रबन्धन द्वारा और दिनांक 11 सितम्बर, 1995 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित नई प्रौद्योगिकियों के प्रयोग द्वारा कहां तक ऊर्जा की बचत की जा सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऊर्जा संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). ऊर्जा की बचत करने, विद्यमान प्रणालियों की दक्षता में वृद्धि करने और प्रौद्योगिकियों का सदुपयोग करने के बारे मे विद्युत मंत्रालय ने अनेक अध्ययन कार्य करवाए हैं। ऊर्जा संरक्षण परियोजनाओं/क्रियान्वित कराई गई तथा स्वीकृत की गई स्कीमों के बारे में ब्यौरा विवरण–I और II में दिया गया है।

विवरण–I

क्रियान्वित परियोजनाएं

1. आन्ध्र प्रदेश में 80,000 ऊर्जा दक्ष पम्पसेट अधिष्ठापित किये जाने के लिए किसानों को व्यवसायिक सलाह देना।

2. आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र में 20,000 कृषि पम्पसेटों का आंशिक रूप से संशोधन।

3. मध्य प्रदेश में 30,000 कृषि पम्पसेटों का आंशिक रूप से संशोधन।

4. मेरठ जिले (उत्तर प्रदेश) में इलेक्ट्रिकल्स नेटवर्क में ऊर्जा संवर्धन की प्रथम स्कीम।

5. मेरठ जिले (उत्तर प्रदेश) में इलेक्ट्रिकल्स नेटवर्क में ऊर्जा संवर्धन की दूसरी स्कीम।

6. मेरठ जिले (उत्तर प्रदेश) में इलेक्ट्रिकल्स नेटवर्क में ऊजा संवर्धन की प्रथम स्कीम के अतिरिक्त कार्य।

7. केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सी. आई. आर. टी.), पूना द्वारा राज्य परिवहन के लिए ईंधन दक्षता एरोडिनक बस बॉडी का निर्माण।

8. मेसर्स केन्द्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सी. आई. आर. टी.), पूना द्वारा सड़क परिवहन के लिए ऊर्जा संरक्षण पर वीडियों फिल्म तैयार करना।

9. श्रमशक्ति भवन में ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य करना।

10. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन. पी. सी.) द्वारा प्रौद्योगिकी भवन के एन. आई. सी. (सीजियो कॉम्पलेक्स) के ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य करना।

11. मैसर्स मैनेजमेंट कंसल्टिंग अपलाइड रिसर्च ग्रुप (एम. ए. आर. जी.), नोयडा द्वारा आन्ध्र प्रदेश में आवासीय/वाणिज्यिक भवन के ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य करना।

12. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा अशोका होटल के ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य किया जाना।

13. भारतीय रेल में ऊर्जा संरक्षण के प्रशिक्षण की तैयारी करना।

14. केन्द्रीय ग्रामीण विद्युतीयकरण संस्थान (सी. आई. आर. ई.) द्वारा विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबन्ध किया जाना।

15. ऊर्जा दक्षता डेजर्ट कूलर के टेकनो-इकोनिमक अध्ययन कार्य की योजना करना।

16. ऊर्जा प्रबंध केन्द्र द्वारा किसी क्षेत्र में विभिन्न ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाना।

17. पर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा डीजल इलैक्ट्रिक लोको मोसन के आनुसांगित हेतु ऊर्जा समुपयोजन में सुधार के लिए अध्ययन कार्य किए जाने।

18. सहकारी प्रबंध संस्थान (आई. सी. एम.), अहमदाबाद द्वारा गुजरात में 500 पम्पसटों के सम्पूर्ण संशोधन कार्य दिए जाने।

19. सहकारी प्रबंध संस्थान, (अहमदाबाद) द्वारा गुजरात में 250 पम्पसेट अधिष्ठापित किए जाने के लिए निदर्शन परियोजना की व्यवस्था किया जाना।

20. रेलवे बोर्ड द्वारा नॉन इलैक्ट्रो स्टैटिक सील नियंत्रण का परीक्षण किया जाना।

21. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान द्वारा ऊर्जा मीटरों, स्ट्रीट लाइट नियंत्रक इलैक्ट्रोनिक चोक जैसे विद्युत उपकरणों के कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।

22. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा डिजाइन निर्धारण और ऊर्जा दक्षता संरक्षण का मूल्यांकन कार्य करने से संबंधित निदर्शन परियोजना की व्यवस्था किया जाना।

23. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा श्रम शक्ति भवन में मीटर स्वीचर्स उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था किया जाना।

24. तमिलनाडु ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा तमिलनाडु में 10,000 पम्पसेटों के संशोधन कार्य किया जाना।

25. गुजरात में, 20,000 कृषि पम्पसेटों के संशोधन कार्य करना।

26. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा परीक्षण एवं मूल्यांकन प्रयोगशाला अधिष्ठापित की जानी।

27. मैगनेटिक कार्ड प्रचालित ऊर्जा मीटर।

28. राष्ट्रीय उत्पादक परिषद द्वारा विभिन्न औद्योगिक यूनिटों में ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य किए जाने।

29. कोप्स द्वारा 5 ऊर्जा सघन उद्योगों में निदानात्मक लेखा परीक्षा कार्य किए जाने।

30. 12 औद्योगिक यूनिटों के प्रारम्भिक ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य किए जाने।

31. टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वार 8 ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य ऊर्जा बस द्वारा किए जाने।

32. केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान द्वारा 3 औद्योगिक यूनिटों के निदानात्मक ऊर्जा लेखा कार्य किए जाने।

33. नया गांव सीमेंट फैक्ट्री (मध्य प्रदेश) में सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निदर्शन परियोजनाएं अधिष्ठापित की जानी।

34. राष्ट्रीय उत्पादक परिषद (एन. पी. सी.) द्वारा विद्युत ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्यशाला की व्यवस्था की जानी।

35. एन. पी. सी. द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा नियम पुस्तिका तैयार की जानी।

36. मैसर्स बालमेर लौरी एण्ड कम्पनी द्वारा 7 औद्योगिक यूनिटों में व्यापक ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य किए जाने।

37. 18 औद्योगिक यूनिटों के प्रारम्भिक ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य हेतु टेरी से दूसरा प्रस्ताव प्राप्त होना।

38. उत्तरी भारत वस्त्र उद्योग द्वारा स्पीनिंग मिल्स में विद्युत की खपत के बारे में मानदंडों का निर्धारण करने के लिए अनुसंधान एसोशिएशन (एन. आई. टी. आर. ए.) गाजियाबाद द्वारा अध्ययन कार्य किए जाने।

39. मैसर्स राष्ट्रीय केन्द्रीय मानव आवास तथा पर्यावरण (एन. सी. एच. एस. ई.) द्वारा विद्युत प्रणाली हेतु ईष्टतम तकनीक के लिए अध्ययन कार्य किए जाने।

40. राष्ट्रीय उत्पादक परिषद द्वारा डेयरी संयंत्रों के ऊर्जा लेखा परीक्षा और संवर्धन संबंधी कार्य किए जाने।

41. तमिलनाडु में बायलर प्रचालकों को प्रशिक्षण देना।

42. दक्ष पम्प सेट प्रचालन के लिए विभिन्न संघटनों के 800 अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

43. चुनींदा क्षेत्रों के अध्ययन कार्य के लिए इंडिया–यू. एन. डी. पी. परियोजना।

44. इंडिया–ई. ई. सी. ऊर्जा बस परियोजना।

45. ऊर्जा विकास सेवा संबंधी कार्यक्रम (प्रोब)

इसके अलावा विद्युत प्रणाली में ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण किया गया है जिनके आधार पर विभिन्न पारेषण एवं वितरण हानियों के बारे में संट कैपसिटर अधिष्ठापित किए जाने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया। ऊर्जा संरक्षण के लिए विद्युत सक्यता के रूप में 5000 मे. वा. की बचत होने का अनुमान लगाया गया है जिसका ब्यौरा अनुबंधों में दिया गया है।

विद्युत मंत्रालय ने विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों और विद्युत यूटिलीटीज के लिए ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा बचत हेतु निम्नलिखित निदर्शन परियोजनाएं भी स्वीकृत की हैं:–

(1) कृषि पम्पसेटों में सुधार करना।

(2) राज्य बिजली बोर्डों की विद्युत प्रणाली के ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य करना।

(3) उद्योगों/ताप विद्युत संयंत्रों के ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य करना।

(4) विभिन्न राज्यों में 3000 निम्न वोल्टता स्वीचड कैपसिटर स्थापित किए जाने के लिए प्रायोगिक परियोजना तैयार करना।

(5) ऊर्जा मीटर परिक्षण सुविधाओं का निर्धारण करना।

(6) अमोरफ्स कोर ट्रांसफार्मर्स अधिष्ठापित करना।

(7) प्रचालानात्मक तापमान को कम करके ऊर्जा संरक्षण इलेक्ट्रोलाइट की व्यवस्था करना।

(8) सॉयकालीन व्ययस्तम घंटों के दौरान ऊर्जा की बचत के लिए प्रायोगिक परियोजना की व्यवस्था करना।

(9) औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के लिए इंडो–जर्मन तकनीकी सहयोग।

(10) इंडो–ई. ई. सी. ऊर्जा प्रबंध सहयोग कार्यक्रम सोपान–II

(11) नापेन 7 वाँ राष्ट्रीय ड्राइंग पोस्टर, निबन्ध तथा अपने आप कीजिए किट प्रतिस्पर्धा।

(12) गुजरात बिजली बोर्ड के लिए डी. एस. एम. योजना।

(13) जागरूकता अभियान के लिए स्कीम।

इसके अलावा विद्युत मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 14 दिसम्बर को ऊर्जा संवर्धन दिवस का आयोजन करता है और इस प्रकार की क्रियाकलापों के लिए एक सप्ताह तक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

विवरण–II

अधिष्ठापित क्षमता में बचत (मेगावाट)

संभावित उपाय		प्रत्याशित बचत (मेगावाट)
(क)	**सप्लाई की दृष्टि से**	
1.	**विद्युत उत्पादन केन्द्रों की क्षमता में सुधार के जरिए**	
	(क) ताप विद्युत संयत्रों में उच्च क्षमता समुपयोजन	760
	(ख) ताप विद्युत संयत्रों में ऊष्मा दर में सुधार करके	260
	(ग) ताप विद्युत केन्द्रों अनुसांगित खपत को कम करके	330
	उप जोड़ (1)	1350
2.	**बेहतर पारेषण एवं वितरण**	
	(क) कैपसिटर लगाकर तकनीकी हानियों को कम करना	425
	(ख) प्रणाली सुधार स्कीमों के द्वारा तकनीकी हानियों को कम करना	225
	(ग) वाणिज्यिक हानियों की मात्रा को कम करना	250
	उप जोड़ (2)	900
	जोड़ (क)–उप जोड़ (1)+ उप जोड़ (2)	2250
	(ख) मांग की दृष्टि से	
3.	**औद्योगिक प्रायोगिकता**	
	(क) बेहतर अन्तः समुपयोजन क्षमता	1000
	(ख) ईष्टतम सह–विद्युत उत्पादन	300
	उप जोड़ (3)	1300
	बेहतर दक्ष प्रकाश व्यवस्था	450

संभावित उपाय		प्रत्याशित बचत (मेगावाट)
5.	घरेलू उपकरणों की कुछ क्षमता	200
6.	वाणिज्यिक क्षेत्र में ऊर्जा उपयोग में कटौती	150
7.	लिफ्ट सिंचाई कार्यों में बिजली का कम उपयोग किया जाना	350
8.	बेहतर ग्रिड प्रबन्धन	300
जोड़ (ख)– मांग के दृष्टि से		2750
जोड़ (क+ख)		5000

गैर–सरकारी क्षेत्र को छूट की सुविधा

1109. **डा. वसंत पवार :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत वित्त निगम का विचार निजी फर्मों को छूट की सुविधा देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस छूट की सुविधा देने में क्या मानदंड अपनाए जायेंगे; और

(ग) सरकार को इससे क्या लाभ मिलेंगे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) विद्युत क्षेत्र में अपने ग्राहकों के लिए बिल डिस्काउंटिंग फेसिलिटी स्कीम आरंभ करने हेतु विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) ने सिद्धान्त रूप में निर्णय ले लिया है।

(ख) यह सुविधा प्रदान करने के मानदण्डों में, अन्य बातों के साथ–साथ, यह निर्धारित किया गया है कि विक्रेता संस्था कम से कम 3 वर्षों से प्रचालन में होनी चाहिए, इसका कार्य निष्पादन संबंधी रिकार्ड और वित्तीय परिस्थिति अच्छी होनी चाहिए तथा सावधि ऋणदाताओं के मामलों में चूककर्ता नहीं होनी चाहिए।

(ग) इस स्कीम में अल्पकालिक नकदी संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए विद्युत क्षेत्र के संगठनों को सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत संकट

1110. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**
श्री पवन दीवान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1994 से 1996 के बीच विद्युत की कुल कितनी अनुमानित मांग रही और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक राज्य में कितनी विद्युत के उत्पादन की सम्भावना है;

(ख) मध्य प्रदेश से सम्बन्धित कितनी विद्युत परियोजनाएं विचाराधीन हैं, सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत परियोजनाओं के क्या नाम हैं; और प्रत्येक परियोजना के लागत व्यय में कितनी वृद्धि दर्ज की गई;

(ग) मध्य प्रदेश में पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए किन–किन स्थानों का चयन किया गया है, इनकी अनुमानित लागत क्या है, और इनसे कितना मुनाफा या घाटा होने की संभावना है; और

(घ) राज्य में विद्युत संकट का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) वर्ष 1994–95 के दौरान मध्य प्रदेश में 24391 मि. यू. ऊर्जा की प्रत्याशित आवश्यकता थी और 1995–96 के दौरान ऊर्जा की प्रत्याशित आवश्यकता 26182 मि. यू. है। मध्य प्रदेश में राज्य क्षेत्र में आठवीं योजना के दौरान 1125 मे. वा. की क्षमता जोड़े जाने की प्रत्याशा है।

(ख) और (ग). क्रियान्वयन के लिए विचाराधीन/अनुमोदित विद्युत परियोजनाओं के बारे में लागत समेत ब्यौरा संलग्न विवरण–I, II, III, और IV में दिया गया है। विद्युत केन्द्र की लाभ और हानि की स्थिति के बारे में निर्धारण केवल तभी किया जा सकता है, जबकि वह दीर्घावधि के लिए प्रचालनाधीन रहा हो।

(घ) मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं; नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य–निष्पादन में सुधार करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण और वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करना, बेहतर मांग प्रबन्ध को क्रियान्वित करना और ऊर्जा संवर्धन के उपाय करना तथा पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से विद्युत का अंतरण करना। इसके अतिरिक्त, पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से राज्य को अपने समुचित हिस्से की विद्युत भी प्राप्त होती है।

विवरण– I

परियोजनाओं का नाम (ताप विद्युत/जल विद्युत)		सार्वजनिक/ निजी	क्षमता (मे. वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)
1.	मारिखेड़ा (जल विद्युत)	सार्वजनिक क्षेत्र	2X20= 40	106.90
2.	माहेश्वर (मै. एस. कुमार्स लि.) (जल विद्युत)	निजी क्षेत्र	10X40=400	1073.00
3.	ओंकारेश्वर (जल विद्युत)	निजी क्षेत्र	8X65 =520	1216.95

विवरण– II

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विचारार्थ/जांचाधीन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

मध्य प्रदेश

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम (संगठन)	सार्वजनिक/ निजी	थर्मल/ हाइड्रो	क्षमता (मे. वा.)	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ों में)
1	2	3	4	5	6
1.	पेंच (मै. पेंच पावर (लि.)	निजी	थर्मल	2X250	2710

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम (संगठन)	सार्वजनिक/ निजी	थर्मल/ हाइड्रो	क्षमता (मे. वा.)	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ों में)
1	2	3	4	5	6
2.	भिलाई (मै. एल एण्ड टी, सेल एण्ड सीईए, यूएसए सहित)	निजी	थर्मल	2X250	2135
3.	भण्डेर में सीसीएसटी संयंत्र (मै. इस्सार इन्वेस्टमेंट्स लि.)	निजी	थर्मल	330	1232
4.	ग्वालियर डी. जी. संयंत्र (मै. ग्वालियर पावर लि.)	निजी	थर्मल	126	525
5.	ओल्ड कोरवा में ईस्ट पावर हाऊस-1 कोयला आधारित मध्य भारत पावर कारपोरेशन लि. (रायपुर एल्लॉयस एण्ड स्टील द्वारा संप्रवर्तित)	निजी	थर्मल	3X30	239
6.	कोरवा ईस्ट टीपीएस (मै. डाईबू कारपोरेशन)	निजी	थर्मल	2X500	4630
7.	कोरवा वैस्ट (मै. आरपीजी इन्टरप्राइजेज)	निजी	थर्मल	2X250	2248
8.	बीना टीपीएस (मै. बीना पावर सप्लाई कम्पनी लि.)	निजी	थर्मल	2X250	2450
9.	गुना सीसीपीपी (मै. एसटीआई पावर इण्डिया लि.)	निजी	थर्मल	330	1267.71
10.	नरसिंहपुर डीजी (मै. जीवीएल पावर लि.)	निजी	थर्मल	125	519

विवरण– III

मध्य प्रदेश में अनुमोदित ताप विद्युत परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	क्षमता/ (मे. वा.)	जिले में अवस्थित	लागत करोड़ रू में मूल	संशोधित	लागत वृद्धि (%)
क.	ताप विद्युत केन्द्रीय क्षेत्र					
1.	विंध्याचल एसटीपीएस					
	चरण–2					
	यूनिट–1	500	सीधी	2753.38	2753.40	–
	यूनिट–2	500	–वही–			
ख.	निजी क्षेत्र		शून्य			
ग.	राज्य क्षेत्र					
1.	संजय गांधी विस्तार टीपीपी					
	यूनिट–3	210	शहडोल	493.00	817.18	65.8
	यूनिट–4	210	–वही–			
2.	पेंच					
	यूनिट–1	210	छिंदवाड़ा	534.75	–	–
	यूनिट–2	210				
3.	कोरबा पश्चिमी विस्तार					
	यूनिट–5	210	बिलासपुर	581.15	1274.00	119.2
	यूनिट–6	210				

विवरण- IV

मध्य प्रदेश में अनुमोदित जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	ज. वि. परियोजनाओं का नाम	क्षमता/ (मे. वा.)	जिले में अवस्थित	लागत करोड़ रू में		लागत वृद्धि (%)
				मूल	संशोधित	
क.	**सार्वजनिक क्षेत्रः**					
1.	बाणसागर टौन्स (फेज–2 व 3)	2X15+3X20=90	रीवा	301.17	694.41	130.57
2.	बाणसागर टौन्स (फेज–4)	2X10=20	सतना शहडोल	41.88	–	–
3.	इंदिरा सागर (नर्मदा सागर)	8X125=1000	खंडवा	1190.12	2325.7	95.42
4.	इंदिरा सरोवर (बोधघाट)	4X125=500	बस्तर	209.3	880.0	320.45
(ख)	**संयुक्त उद्यम :**					
1.	सरदार सरोवर (म. प्र./ गुजरात एवं महाराष्ट्र द्वारा संयुक्त रूप से)	6X200+550 =1450 (महाराष्ट्र के शेयर 57%= 826.5)	भरूच (गुजरात)	1551.86	2673.43	72.27
2.	राजघाट (म. प्र. एवं उ. प्र. द्वारा संयुक्त रूप में)	3X15=45 (म. प्र. का शेयर 50%= 22.6 मे. वा.)	गुना	37.47	118.35	215.88
	केन्द्रीय निजी क्षेत्र					
1.	तावा एलबीसी (मै. एच ई जी लि. द्वार	2X12=24	होशंगाबाद	13.86	50.00	260.75
2.	महेश्वर (मै. एस एम एच पी लि. द्वारा)	10X40=400	खारगोन खंडवा	1073.0	–	

[अनुवाद]

पेंसीलीन नीति

1111. श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक पेंसीलीन नीति तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). पोटाशियम पेन. जी फर्स्ट क्रिस्टल्स के आयात को नियमित करने के लिए पेन. जी नामक नीति की घोषणा समय-समय पर की जाती है। यह नीति स्वदेशी निर्माताओं की पहचान करती है जिनसे घरेलू इकाइयों को पेन. जी उठाना (लेना) होता है ताकि वे आयात के पात्र बन सकें और यह घरेलू व आयातित पेन. जी के प्रयोग का अनुपात भी निर्धारित करती है।

मौजूदा नीति के अन्तर्गत मै. आई. डी. पी. एल., हिन्दुस्तान मेक्स जी. बी., एस. पी. आई. सी., जे. के., एलेम्बिक तथा टोरेन्ट को स्वदेशी निर्माताओं के रूप में मान्यता दी गई है तथा 70 (स्वदेशी) : 30 (आयातित) का अनुपात निर्धारित किया गया है।

केरल को वित्तीय/तकनीकी सहायता

1112. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गत तीन वर्षों के दौरान केरल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु कोई वित्तीय/तकनीकी सहयाता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो दो गयी वित्तीय/तकनीकी सहायता तथा अन्य तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख). जी हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना के शुरू के तीन वर्षों के दौरान, केरल स्थित विभिन्न संगठनों से खाद्य प्रसंस्करण के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों के सिलसिले में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वित्तीय सहायता दी गई है:-

क्षेत्र	सहायता (लाख रुपये में)
फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र	37.317
मांस तथा पाल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र	33.000
मछली पालन क्षेत्र	75.000
अनाज प्रसंस्करण क्षेत्र	7.500
कुल	157.817

भूमि सुधार अधिनियम में संशोधन

1113. श्री रवि राय :
श्री गुरुदास कामथ :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने कृषि भूमि की अधिकतम सीमा में छूट प्रदान करने हेतु अपने-अपने राज्यों में भूमि सुधार अधिनियमों में संशोधन करने हेतु कदम उठाये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को कुछ राज्य सरकारों की ओर से अपने-अपने रा[illegible] में भूमि सुधार अधिनियमों में संशोधन के पक्ष में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ङ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने भूमि जोत पर पहले ही अधिकतम सीमा बढ़ा दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सरकारों ने कृषि भूमि अधिकतम सीमा में छूट देने/वापस लेने के लिए मसौदा अध्यादेश सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किए हैं। महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत सीमा) (संशोधन) अध्यादेश 1993 में कतिपय श्रेणियों के व्यक्तियों, फर्मों, कम्पनियों आदि को भूमि पट्टा निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक करने का प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अध्यादेश, 1994 में औद्योगिक गतिविधियों और नगरीय विकास के लिए किसी व्यक्ति, फर्म या किसी कम्पनी आदि द्वारा भूमि अधिग्रहीत करने और भूमि रखने की सीमा समाप्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कर्नाटक सरकार ने औद्योगिक विकास आवास परियोजनाएं हाथ में लेने, शैक्षिक संस्थानों, कृषि आधारित उद्योगों आदि की स्थापना करने के लिए कर्नाटक भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1995 अधिनियमित करके भूमि रखने की सीमा बढ़ा दी है।

[हिन्दी]

बिहार को वित्तीय सहायता

1114. श्री राम कृपाल यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को 1993–94 के दौरान 388.76 करोड़ रुपये कुल परिव्यय मंजूर किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस राशि को राज्य में किस प्रकार उपयोग किया गया था और तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) 1994–95 के दौरान बिहार में विद्युत क्षेत्र के लिए कितना परिव्यय मंजूर किया गया है;

(घ) क्या 1993–94 और 1994–95 के दौरान इस राशि के उपयोग के बाद विद्युत उत्पादन में कोई विशेष सुधार आया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति उर्मिला सी. पटेल) : (क) वर्ष 1993–94 के लिए बिहार में विद्युत क्षेत्र के लिए 388.76 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था।

(ख) वर्ष 1993–94 के दौरान बिहार में विद्युत क्षेत्र के लिए 85.66 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय किया गया था, जिसमें से विद्युत उत्पादन पर 11.06 करोड़ रू. पारेषण एवं वितरण पर 68.60 करोड़ रुपये तथा ग्रामीण विद्युतीकरण पर 6.00 करोड़ रुपये व्यय हुआ था।

(ग) वर्ष 1994–95 के लिए बिहार में विद्युत क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय 398.26 करोड़ रुपये था।

(घ) और (ङ). बिहार में कुल विद्युत उत्पादन 1992–93 में 2963 मि. यू. से बढ़कर वर्ष 1993–94 में 2988 मि. यू और वर्ष 1994–95 में 3286 मि. यू. हो गया है।

[अनुवाद]

बिजली घरों में कोयले की कमी

1115. श्री अनिल बसु : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरी राज्यों में स्थित बिजली घरों में कोयले की भारी कमी की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). उत्तरी राज्यों में स्थित विद्युत घर कोयले की घटती–बढ़ती कमी का सामना कर रहे हैं। चालू वर्ष के दौरान अक्तूबर, 1995 तक की कोयले की आवश्यकता तथा प्राप्ति का केन्द्र–वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

अप्रैल–अक्तूबर, 1995 के दौरान कोयले की आवश्यकता तथा प्राप्ति दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्र. सं.	ता. वि. के. का नाम	आवश्यकता (आनुपातिक)	प्राप्ति	प्रतिशत
उत्तरी क्षेत्र				
1.	बदरपुर	2304	1856	81%
2.	इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	6838	562	89%
3.	राजघाट	368	350	95%

(आंकड़े हजार टन में)

क्र. सं.	ता. वि. के. का नाम	आवश्यकता (आनुपातिक)	प्राप्ति	प्रतिशत
4.	फरीदाबाद	408	425	104%
5.	पानीपत	1336	994	74%
6.	भटिण्डा	1114	980	88%
7.	रोपड़	3016	2473	82%
8.	कोटा	2730	1787	65%
9.	अनपारा	4352	3956	91%
10.	हरदुआगंज	642	426	66%
11.	ओबरा	3121	2011	64%
12.	पनकी (ओ)	–	–	–
13.	पनकी (ई)	478	292	61%
14.	परिछा	403	175	43%
15.	टाण्डा	706	405	57
16.	ऊंचाहार	1068	1320	124%
17.	रिहन्द	2549	2651	104%
18.	सिंगरौली एसटीपीएस	5332	4890	92%
19.	एनसीटीपीपी दादरी	1336	1693	127%

परिवहन में अवरोध

1116. **श्री प्रवीन डेका :** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्य परिवहन के क्षेत्र में अवरोध का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों की, जिसमें उत्तर–पूर्वी राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल

है, उपलब्ध निधियों में से यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

[हिन्दी]

अकाल ग्रस्त देशों को सहायता

1117. श्री राम पूजन पटेल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993–94, 1994–95 और 1995–96 के दौरान अकाल ग्रस्त देशों को भारत द्वारा देश–वार कितनी वित्तीय सहायता और कितनी मात्रा में खाद्यानों की आपूर्ति की गयी है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : विवरण संलग्न है।

विवरण

भारत द्वारा विदेशों को दी गई वित्तीय सहायता तथा खाद्य सामग्री

1993–94

क्रम संख्या	देश का नाम	भेजी गई सामग्री	राशि (रूपयों में)
1.	एरिजिया	कम्बल	10,84,000
2.	मंगोलिया	दवाईयां	10,00,000
3.	उक्रेन	दवाईयां	50,00,000
4.	अजरबैजान	दवाईयां, बेबीफूड, कम्बल, चाय, चीनी और चावल	16,48,000
5.	अजबेकिस्तान	दवाईयां	36.48 लाख
6.	किर्गीस्तान	वर्ष 1992 के दौरान भेजी गई दवाईयों/भोजन/कम्बल/चाय/चीनी के रूप में दी गई मानवीय सहायता के सम्बन्ध में सेवा ऐजेन्सी प्रभार इत्यादि (50 लाख रूपये मूल्य की)	19,35,992
7.	कीनिया	चावल	50,00,000
8.	लाइबीरिया	भोजन और कृषि मदें	10,00,000
9.	कजाखस्तान	दवाईयां	11,98,413
10.	सोमालिया	दवाईयां और बीज	5,00,000
11.	मैडागास्कर	दवाईयां/बेबीफूड	5,00,000

क्रम संख्या	देश का नाम	भेजी गई सामग्री	राशि (रुपयों में)
12.	मारीशस	अमरीकी डालर के रूप में विदेशी मुद्रा में नकद सहायता	3,00,00,000
13.	क्यूबा	चावल	1,49 करोड़
14.	एन्टी गुआ और बारबुडा	चिकित्सा सामग्री	5 लाख
15.	बेलारूस	–वही–	50 लाख
16.	मोलदोवा	–वही–	50 लाख
17.	अफगानिस्तान	चाय	1 करोड़
18.	कम्बोडिया	2000 टन चावल	1,13,36,400
19.	श्रीलंका	अनुदान	1,00,000
20.	सैशेल्स	कम्प्यूटर	58,927
21.	जांजीबार	डेस्क (3 सीट वाले)	50,236
22.	उगान्डा	खेलकूद्र सामग्री	1,60,000
23.	बुरकीनाफासो	ग्राइन्डिग मिल्स, बजाज स्कूटर	16,60,063
24.	तंजानिया	साइकिल संयत्र की पुर्नस्थापना	18,75,000
25.	जिम्बाब्वे	रिफ्रैक्टरीब्रिक प्लांट	3,21,000
26.	मोजाम्बिक	तीन एम्बुलैंस और स्पेयरपार्टस	18,18,750
27.	अंगोला	उपभोक्ता सामग्री	16,03,220

भारत द्वारा विदेशों को दी गई वित्तीय सहायता तथा खाद्य सामग्री

1994–95

क्रम संख्या	देश का नाम	भेजी गई सामग्री	राशि (रूपयों में)
1.	तंजानिया	दवाईयां, बिस्कुट आदि	4,97,000
2.	मोजाम्बीक	दुग्धचूर्ण, बिस्कुट तथा सूखी खाद्य सामग्री	10,00,000
3.	बगदाद से विमान द्वारा निकासी	बगदाद में फंसे भारतीयों की निकासी– पुराने बिलों का भुगतान	2,40,00,000
4.	अफगानिस्तान	दवाईयां	42,00,000
5.	इथोपिया	दुग्धचूर्ण तथा दवाईयां	10,00,000
6.	लाइबीरिया	दवाईयां तथा सूखी खाद्य सामग्री	5,00,000
7.	तंजानिया	दवाईयां (रूआंडा शरणार्थियों के लिए)	7,83,000
8.	ग्रनाडा	दवाईयां	4,95,000
9.	जीबूती	दुग्धचूर्ण	10,00,000
10.	मैडागास्कर	दवाईयां , दुग्ध चूर्ण	12,30,000
11.	लाइबीरिया	कृषि संबंधी हाथ.के औजार आदि	9,74,000
12.	जांजीवार	दवाईयां	3,00,000
13.	जाइर में रूआंडा शरणार्थी	दवाईयां (संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से)	26,47,000
14.	जार्जिया	दवाईयां	5,00,000
15.	पापुआ न्यू गिनी	टैंट	2,15,000
16.	कोलम्बिया	अमरीकी डालर के रूप में विदेशी मुद्रा में नकद सहायता	10,00,000
17.	कोलम्बिया	–वही–	10,00,000

क्रम संख्या	देश का नाम	भेजी गई सामग्री	राशि (रुपयों में)
18.	जापान (कोवे भूकम्प दुर्घटना)	कम्बल स्टेशनरी आदि	2,96,00,000
19.	आर्मेनिया	चिकित्सा सामग्री	5 लाख
20.	अफगानिस्तान	दवाईयां	39.41 लाख
		दवाईयां, टैंट, चाय	45.15 लाख
21.	श्री लंका	अनुदान	1,00,000
		5000 मि. टन दालें	2.8 करोड़
22.	घाना एवं लाइबीरिया	इलैक्ट्रानिक टाइपराईटर तथा ट्रांजिस्टर	2,99,389
23.	जांजीबार	खेलकूद का सामान	3,31,382
24.	नामिबिया	पेयजल के स्त्रोतों का अन्वेषण और संचालन	53,12,000
25.	बुर्किना फासो	मकई पीसने की मिलें, तिपहिये तथा ड्रीलिंग	43,51,334
26.	तंजानिया	साइकिल प्लांट का पुर्नस्थापना	25,00,000
27.	जिम्बाब्वे	रिफ्रैक्ट्री ब्रिक प्लांट	7,07,000
28.	सोमालिया	दवाईयां	1,00,000

भारत द्वारा विदेशों को दी गई वित्तीय सहायता तथा खाद्य सामग्री

1995–96

क्रम संख्या	देश का नाम	भेजी गई सामग्री	राशि (रुपयों में)
1.	कम्बोडिया	2000 टन चावल	1,51,25,070
2.	ईराक	भारतीय मानवीयता पहल में ईराक को भेजी गई राहत सहायता पर भारत सरकार द्वारा वहन किया गया विमान माल भाड़ा	10,82,000
3.	जापान	जापान को राहत सहायता (कोबे के भूकम्प पीड़ितों के लिए	1,46,60,000

क्रम संख्या	देश का नाम	भेजी गई सामग्री	राशि (रुपयों में)
4	आर्मेनिया	दवाईयां	2,13,313
5.	जांजीबार	दवाईयां	49,700
6.	म्यांमार	मांडले, म्यांमार में आग लगने से पीड़ितों के लिए नकद सहायता	3,10,000
7.	लाओस	बाढ़ से राहत के लिए लाओस में नकद सहायता	9,30,000
8.	बुर्किना फासो	दवाईयां.	12,50,000
9.	टोगो	दवाईयां	12,50,000
10.	किर्गीजस्तान	दवाईयां	28,99,061
11.	ताजिकिस्तान	दवाईयां	37,64,886
12.	ईराक	चाय	50,00,000
13.	रूआंडा	जीप (10 अदद)	31,00.,000
14.	नामीबिया	गेहूं (1000 मी. टन)	70,06,653
15.	इराक	भारतीय मानवीयता पहल द्वारा प्रबन्धित इराक को भेजी गई दवाईयां/फार्मास्यूटिकल्स के दूसरी खेप की शिपमेंट के लिए एस टी सी को देय समुद्री मालभाड़ा	2,85,150
16.	उत्तरी कोरिया (डी पी आर के)	कम्बल	11,69,300
17.	अन्गिला और सेंट किट्स और नेविस	नकद सहायता	10,00,000

कश्मीर के संबंध में राफेल का बयान

1118. **श्री बृशिण पटेल :**
डा. महादीपक सिंह शाक्यः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 सितम्बर, 1995 के "बिजनेसस्टैंडर्ड" में "पाकिस्तान नॉट एन्डिंग जे. एण्ड के. मिलर्टेंट्स, सेज राफेल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पाकिस्तान द्वारा जम्मू तथा कश्मीर में आतंकवाद को प्रश्रय देने के संबंध में वास्तविक स्थिति बताने हेतु अमरीका के साथ बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) इस समाचार में यह बताया गया है कि कोलम्बो की अपनी यात्रा के दौरान दक्षिण एशिया कार्यों से संबद्ध अमरीका की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने, अन्य बातों के अलावा यह कहा कि अमरीका के अनुसार कश्मीर उग्रवादी किसी सरकार के "अधीन" नहीं हैं। हमने हमेशा यह कहा है कि इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि कश्मीर में आतंकवादी पाकिस्तान की सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे हैं और इसके द्वारा दुष्प्रेरित किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने बार-बार यह कहा है कि भारत और अमरीका के पास उपलब्ध प्रमाणों से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि उग्रवादियों को आर्थिक सहयता प्रदान करने, दुष्प्रेरित करने प्रशिक्षण एवं हथियार देने तथा भारत में विशेषकर जम्मू एवं कश्मीर में उसकी घुसपैठ में पाकिस्तान सक्रिय रूप से मदद कर रहा है। अमरीका के प्राधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि सार्वभौम आतंकवाद की प्रणाली के संबंध में उनके स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, जिसमें "कश्मीरी उग्रवादियों को पाकिस्तान की सरकार द्वारा समर्थन दिए जाने की विश्वसनीय खबरों का जिक्र किया गया है" हमारी स्थिति का समर्थन करती है। अमरीका की सरकार के अनुसार प्राप्त साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि पाकिस्तान "ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी गतिविधियों के लिए बार-बार समर्थन प्रदान किया है"। उन्होंने यह भी कहा है कि वे स्थिति पर निगाह रखना जारी रखेंगे।

सब्जियों का उत्पादन

1119. श्री बृशिण पटेल :
श्री नवल किशोर राय :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विश्व में कौन सा देश सबसे ज्यादा सब्जी का उत्पादन करता है तथा भारत में अनुमानतः कितनी सब्जी का वार्षिक रूप से उत्पादन होता है;

(ग) क्या सब्जी के इतने अधिक उत्पादन के बावजूद 285 ग्राम प्रति व्यक्ति आवश्यकता के स्थान पर प्रति व्यक्ति उपलब्धता केवल 135 ग्राम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (घ). चीन के बाद सब्जी उत्पादक देशों में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है और देश में सब्जी का वार्षिक उत्पादन लगभग 72 मिलियन टन है। सब्जी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 200 ग्राम प्रतिदिन से थोड़ा अधिक है।

पेयजल परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश को सहायता

1120. डा. साक्षीजी : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बतान को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए और अधिक धनराशि देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबध में क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी नहीं,

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि

1121. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परमाणु परिसीमन संधि को स्थाई बनाने और ब्राउन संशोधन को ध्यान में रखते हुए व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी. टी. बी. टी.) और विखंडनीय विस्फोटक सामग्री कटौती संबंधी संधि (एफ. एम. सी. टी) के स्थाई विस्तार के संबंध में भारत का क्या दृष्टिकोण है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : नाभिकीय निरस्त्रीकरण के संबंध में सरकार की सैद्धांतिक एवं स्थायी स्थिति सुविदित है। हम व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) एवं विदल्य सामग्री नियंत्रण संधि (एफ एम सी टी) को एक निर्धारित समय सीमा से अन्तर्गत नाभिकीय हथियारों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उद्देश्य से चरण बद्ध तरीके के सार्वभौम नाभिकीय निरस्त्रीकरण का भाग मानते हैं। नाभिकीय निरस्त्रीकरण संधि के अनिश्चित कालीन विस्तार से इन मद्दों पर हमारी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। सरकार ने ब्राउन संशोधन के अन्तर्गत पाकिस्तान को भारी मात्रा में आधुनिक सैन्य उपकरण स्थानान्तरित करने की अनुमति देने के अमरीका की सीनेट के निर्णय पर खेद व्यक्त किया है। सरकार इस प्रस्तावित हस्तांतरण से हमारी सुरक्षा को होने वाले प्रतिकूल प्रभाव का सामना करने

के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के प्रति वचन बद्ध है।

पड़ौसी देशों की कैद में भारतीय मछुआरे

1122. श्री मोहन रावले :
श्री दत्ता मेघे :
क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ौसी देशों द्वारा हाल ही में कुछ भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ते हुए गिरफ्तार किया था और कुछ को मार दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ मछुआरे पड़ौसी देशों की जेलों में हैं;

(घ) यदि हां, तो पड़ौसी देशों द्वारा कैद किए गए भारतीय मछुआरों का देशवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इन मछुआरों को शीघ्र रिहा कराने के लिए देश-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). 1995 के दौरान श्रीलंका की नौसेना द्वारा की गई गोलाबारी में भी भारतीय मछुआरे कथित रूप से मारे गए। तथापि, श्रीलंका की सरकार ने इन घटनाओं में अपनी नौसेना का हाथ होने से इन्कार किया है।

(ग) और (घ). जी हां। यद्यपि पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा 1994 के उत्तरार्द्ध में और 1995 के पूर्वार्द्ध में पकड़े गए 191 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत में हैं, तथापि, पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीय कैदियों के बारे में ब्यौरा पाकिस्तान द्वारा नहीं दिया जाता। अक्तूबर, 1995 में अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए 46 भारतीय मछुआरे बंगलादेश के प्राधिकारियों द्वारा कथित रूप से पकड़े गए। ढाका स्थित भारत के हाईकमीशन ने बंग्लादेश की सरकार से इस सूचना की पुष्टि करने के लिए कहा है।

(ङ) और (च). विदेशी समुद्री सीमा के अन्दर मछली पकड़ने के लिए भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किए जाने की सूचना जैसे की हमारे मिशनों को मिलती है तो उनकी शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी के लिए यह मामला स्थानीय सरकारों के साथ उठाया जाता है। चूंकि मछुआरों पर हमला किए जाने की अधिकांश घटनाएं कथित रूप से पाक-खाड़ी क्षेत्र में हुई हैं, ये मामले भारत की सरकार द्वारा श्रीलंका की सरकार के साथ गंभीरता पूर्वक उठाए गए हैं। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 1993 से विदेश सचिव स्तर पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श हुआ और मार्च 1994 में पुनः सरकारी स्तर पर विचार-विमर्श किया गया। ये उपायः-

(i) हमारे मछुआरों द्वारा बरती जाने वाली सावधानी;

(ii) निर्दोष मछुआरों को तंग न किए जाने के लिए श्रीलंका की सेना द्वारा किए जाने वाले उपाय से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का हमारे मछुआरों द्वारा अतिक्रमण किए जाने की घटनाएं बार-बार हुई हैं, तथापि भारतीय पक्ष ने भारतीय मछुआरों पर हमले की वारदातों पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्ष भारतीय मछुआरों की समस्या का समाधान करने के लिए प्रभावकारी उपाय करने की आवश्यकता पर सहमत हुए। इस विषय पर दिसम्बर, 1994 में श्रीलंका के विदेश मंत्री की यात्रा और मार्च, 1995 में श्रीलंका की राष्ट्रपति कुमारतुंगा की भारत की यात्रा के दौरान भी चर्चा की गई। दोनों पक्ष इस विषय पर द्विपक्षीय विचार-विमर्श की प्रक्रिया जारी रखने पर सहमत हुए हैं। कोलम्बो स्थित भारत के हाई कमीशन से प्राप्त सूचना के आधार पर हाल के महीनों में हमारे मछुआरों पर हमले की वारदातें कम हुई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग-47 पर पुल

1123. श्री एन. डेनिस : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिवेंद्रम-कन्याकुमारी राजमार्ग-47 पर कुझीथुराई में पुराने एवं संकरे पुल को बदलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : तमिलनाडु में रा. रा.-47 के त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी खंड पर कुझीथुराई में (604/4 कि. मी.) पुराने और संकरे पुल के पुनर्निर्माण कार्य को आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में शामिल कर लिया गया है और भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति पर है। भूमि अधिग्रहण के बाद परियोजना की संस्वीकृति पर विचार किया जाएगा बशर्ते निधियां उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में लगे कार्मिक

1124. डा. लालबहादुर रावल : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में कितने कार्मिक लगे हुए हैं;

(ख) इनमें से कितने कार्मिक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के हैं;

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में कितने पद रिक्त हैं; और

(घ) तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख). 1.1.95 की स्थिति के अनुसार "सेल" (इसकी सहायक कम्पनियों सहित) की कुल श्रमशक्ति और

उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या नीचे दी गयी है:–

कुल श्रमशक्ति		223164
अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या		30458
अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या	:	20650

चूंकि ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आरक्षण 8.9.93 से ही लागू किया गया है, इसलिए ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए पहले पृथक रूप से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते थे।

(ग) और (घ). "सेल" के संयंत्रों/इकाइयों में श्रमशक्ति को इष्टतम करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इस दिशा में कदम उठाने के रूप में "सेल" ने स्वीकृत श्रमशक्ति प्रणाली के स्थान पर बजटीय नियंत्रण श्रमशक्ति प्रणाली को अपनाया है। स्वीकृत पदों का प्रचालन बन्द कर दिया गया है और इसके स्थान पर प्रत्येक संयंत्र/इकाई में प्रत्येक वर्ष के लिए श्रमशक्ति बजट तैयार किया जा रहा है। इसलिए "सेल" में रिक्त स्थानों की कोई अवधारणा नहीं है। तथापि, भर्ती में कमी की गणना नये भर्ती हुए कर्मचारियों के कार्यग्रहण करने के आधार पर की जाती है जिसका ब्यौरा (1.1.1995 की स्थिति के अनुसार) नीचे दिया गया है:–

	अ. जाति	अ. ज. जा.
ग्रुप "ए"	39	47
ग्रुप "बी"	17	11
ग्रुप "सी"	122	36
कुल	178	94

[अनुवाद]

गुजरात में आर. जी. एन. डी. डब्ल्यू. एम. की शुरूआत

1125. डा. अमृतलाल कालीदास पटेल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर गुजरात में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें किसी स्वयंसेवी संगठन को शामिल करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, मिनी–मिशन, उप–मिशन शिक्षा एवं संचार, मानव संसाधन विकास और अनुसंधान और विकास आदि के अंतर्गत सभी योजनाएं कवर की गई और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों में सतत रूप से स्वच्छ पेयजल सप्लाई उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) और (घ). ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के संचलन और रख–रखाव, जनजागरूकता जुटाने आदि के कार्यान्वयन में स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को वेतन

1126. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन महीनों से दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान में अत्यधिक विलंब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं तथा वेतन का भुगतान कब किया गया था;

(ग) क्या कर्मचारियों का वेतन, बोनस तथा उन्हें देय राशियां अभी भी बकाया हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार के विलंब को जिसके कारण कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, रोकने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां, ।

(ख) पिछले अनेक वर्षों से दि.प.नि. को काफी घाटा हो रहा है। दि.प.नि. के आंतरिक संसाधन इसकी वचनबद्ध देनदारियों का समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

इसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने में कुछ विलम्ब हुआ है। दि.प.नि. के कर्मचारियों को अगस्त और सितम्बर, 1995 का वेतन अक्तूबर, 1995 में दिया गया।

(ग) जी हां।

(घ) दि.प.नि. के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए निधियां उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं। दि.प.नि. अधिक निधियां जुटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है ताकि यह अपनी वचनबद्ध देनदारियों का भुगतान कर सके।

कश्मीर पर इस्लामिक देशों के संगठन का दबाव

1127. श्री श्रवण कुमार पटेलः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में 1 अक्तूबर, 1995 में न्यूयॉर्क में इस्लामिक देशों के संगठन के मंत्रियों की बैठक में हुई चर्चा की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान और विद्रोही कश्मीरी उग्रवादी नेताओं ने इस्लामिक देशो से कश्मीर के मुद्दे पर भारत पर दबाव डालने का अनुरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी हां।

(ख) और (ग). उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार पाकिस्तान के प्रवक्ताओं तथा कश्मीर के उग्रवादियों ने इस सभा को सम्बोधित किया तथा भारत विरोधी वक्तव्य दिए। सरकार जम्मू एवं कश्मीर में स्थिति सामान्य बनाने और चुनावों के माध्यम से सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाएं पुनः प्रारम्भ करने के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर पूर्व शर्तों के बिना पाकिस्तान के साथ बात करने की अपनी इच्छा बार-बार दोहराई है। पाकिस्तान ने इस पेशकश का अभी तक कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दिया है।

बरास्ता बंगलादेश स्टीमर सेवा

1128. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थः क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सिल्चर से कलकत्ता तक बरास्ता बंगलादेश स्टीमर सेवा शुरू करने के सम्बंध में बंगलादेश से सम्पर्क किया है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में बंगलादेश से कोई सकारात्मक उत्तर मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्टीमर सेवा शुरू करने हेतु उस देश के साथ किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) से (घ). भारत और बंगलादेश के बीच अन्तर्देशीय जल पारगमन और व्यापार से संबंधित समझौते में बंगलादेश के रास्ते से सिल्चर और कलकत्ता के बीच स्टीमर मार्ग शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं था। इसलिए वर्तमान समझौते में भी सिल्चर और कलकत्ता के बीच कोई स्टीमर मार्ग शामिल नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण तथा मरम्मत

1129. श्री शैलेन्द्र महतोः क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 63 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 काफी समय से टूटी-फूटी हालत में है जिसके कारण प्रायः दुर्घटनाएं होती रहती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राथमिकता के आधार पर इन जीर्ण-शीर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, रख-रखाव तथा चौड़ीकरण के लिए सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है तथा कितनी धनराशि खर्च की गई है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) से (ग). राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है। रा.रा.-36 और रा.रा.-6 को उपलब्ध निधियों से यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है।

(घ) मंत्रालय राज्यों को समग्र रूप में निधियां जारी करता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार । रा.रा.-6 और रा.रा.-33 बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरते हैं। इनके लिए पिछले तीन वर्षों में किया गया आबंटन और व्यय इस प्रकार है:-

(करोड़ रू)

	आंबटन		व्यय	
राज्य	मूल कार्य	रख–रखाव, मरम्मत	मूल कार्य	रख–रखाव, मरम्मत
बिहार	55.263	38.215	60.56	38.045
उड़ीसा	61.54	29.41	40.035	29.411
मध्य प्रदेश	59.40	42.254	66.902	54.609
महाराष्ट्र	93.739	54.725	104.496	48.979
पश्चिम बंगाल	97.17	45.75	107.993	53.499

[अनुवाद]

बेरोजगार युवाओं को रोजगार

1130. डा. कार्तिकेश्वर पात्र: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय बेरोजगार युवाओं की संख्या कितनी है;

(ख) देश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया गया?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) योजना आयोग के अनुसार, आठवीं योजना यथा, अप्रैल, 1992 की शुरूआत में सुस्पष्ट बेरोजगारी लगभग 17.0 मिलियन थी। योजना आयोग में किया गया एक आकलन दर्शाता है कि अप्रैल, 1993, अप्रैल, 1994 और अप्रैल, 1995 की शुरूआत में बेरोजगारी क्रमशः लगभग 17.10 मिलियन, 18.87 मिलियन और 18.69 मिलियन थी। यह आकलन ग्रामीण शहरी एवं आयु वर्ग के आधार पर नहीं किया गया है।

(ख) आठवीं योजना में रोजगार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, प्रधान मंत्री रोजगार योजना आदि जैसे विशेष रोजगार कार्यक्रमां द्वारा रोजगारान्मुख विकास नीति के माध्यम से औसतन 8.5 मिलियन प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करने पर बल देती है।

(ग) इन योजनाओं में से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना को इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है तथा ट्राइसेम योजना विशेष तौर पर ग्रामीण युवाओं को स्व/श्रम रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने हेतु अभिप्रेत है। पिछले तीन वर्षों के दौरान ट्राइसेम द्वारा प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं, जिन्हें रोजगार प्रदान किए गए, की संख्या निम्नानुसार है:–

1992–93	1.41 लाख
1993–94	1.50 लाख
1994–95	1.31 लाख

गोरखपुर एकक को बेचना

1131. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम ने भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर एकक को बेच देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे निजी कम्पनी को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). फर्टिलाइजर कोर्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफसीआई) के लिए पुनरुद्धार पैकेज बनाते समय गोरखपुर एकक के पुनर्वास को प्रौद्योगिक आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया। चूंकि इसके पुनरुद्धार में 810 करोड़ रु. का नया निवेश करके एक नये संयंत्र को स्थापित करने की आवश्यकता होगी अतः गोरखपुर एकक के पुनर्वास के लिए निजी पूंजी जुटाने के विकल्प पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, एफ सी आई के पुनरुद्धार के संबंध में अंतिम निर्णय जिसमें इसका गोरखपुर एकक भी शामिल है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) जो एक न्यायिक कल्प है, के समक्ष लम्बित कार्रवाइयों के परिणामों पर निर्भर करता है।

भारत–बंगलादेश सन्धि

1132. श्री चित्त बसु: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बंगला देश सरकार ने मित्रता, सहयोग तथा शांति संधि 1972 को समाप्त करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पत्तनों/सड़कों हेतु ढांचागत विकास निगम

1133. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी: क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय/वाणिज्य मंत्री ने अपने मंत्रालय को देश में छोटे और बड़े पत्तनों से जुड़ी सड़कों के निर्माण, विकास और सुधार के लिए ढांचागत विकास निगम की स्थापना संबंधी प्रस्ताव दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित निगम द्वारा क्या–क्या उद्देश्य प्राप्त किए जाएँगे;

(ग) उनके मंत्रालय की उक्त प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने उन राज्य सरकारों से परामर्श किया था जहां छोटे और बड़े पत्तन स्थित हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रस्तावित पत्तन/सड़क परियोजना पर आने वाले व्यय तदनुपरान्त वित्त पोषण आदि के संबंध में कोई आकलन किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) वाणिज्य मंत्रालय से दिनाँक 29.11.95 को प्राप्त ब्यौरे इस प्रकार हैः– "केन्द्र, राष्ट्रीय राजमार्गों और पत्तनों को जोड़ते हुए विशेष तौर पर बेहतर सड़कों की व्यवस्था के लिए राज्य स्तर पर अवसंरचना विकास निगम को प्रोत्साहन देने के लिए कार्रवाई कर सकता है। यह भी निर्णय लिया गया था कि वाणिज्य मंत्रालय जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के साथ परामर्श करके इस संबंध में संकल्पना दस्तावेज तैयार करेगा।"

(ग) से (छ). इस मामले में कोई राय कायम करना अभी संभव नहीं है।

विदेशों में राजभाषा के रूप में हिन्दी

1134. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसी अन्य देश में हिन्दी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) जी नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

गुजरात में विद्युत की कमी

1135. श्री हरिभाई पटेल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में कोयले पर आधारित विद्युत मंत्रालय की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने संयंत्र को स्वीकृति दे दी है;

(ग) अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों का इसमें कितना–कितना हिस्सा है; और

(घ) इस संयंत्र की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति उर्मिला सी. पटेल): (क) और (ख) 2X500 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित तटीय ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना के लिए तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु एक व्यवहार्यता रिपोर्ट गुजरात बिजली बोर्ड से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में सितम्बर, 1995 में प्राप्त हुई है। गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा सभी आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित किए जाने के पश्चात ही परियोजना के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

(ग) इस परियोजना की लागत लगभग 3112.93 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और इसे गुजरात बिजली बोर्ड द्वारा राज्य क्षेत्र में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इस तरह की परियोजनाओं की लागत की राज्य प्राधिकरणों के साथ भागीदारी नहीं की जाती है।

(घ) संयंत्र की स्थापना, गुजरात के अमरेली जिले के कोडिना तालुका में किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

स्वर्ण खनन में विदेशी उद्यम

1136. श्री मोहनसिंह (देवरिया): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में सोने, हीरे और यूरेनियम खानों में खनन के लिए किन–किन विदेशी कम्पनियों के साथ समझौते किए गए हैं;

(ख) क्या बिहार की अभ्रक खानें केन्द्र सरकार द्वारा किसी अमरीकी कम्पनी को दे दी गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये कम्पनियां इन खानों में कब से खनन कार्य शुरू कर देंगी?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग): (क) खान मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड से दो समझौते किये हैं एक शीशा, जिंक, तांबा, स्वर्ण और संबंधित खनिजों के मूल गवेषण कार्य के लिए 26 अक्टूबर, 1994 को बी एच पी मिनरलस इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन इन्क (बी एच पी एम) के साथ दूसरा भारत में पाये गये स्वर्ण भंडारों, यदि व्यवहार्य हों के विकास और मूल्यांकन के लिए 18 जुलाई, 1994 को न्यूगीनी माइनिंग लि. (एनएमएल) के साथ केरल खनिज गवेषण और विकास परियोजना, केरल राज्य सरकार के विभागीय संगठन ने भी नीलाम्बर वैली केरल में लेशर स्वर्ण भंडारों के गवेषणऔर पायलेट पैमाने पर खनन के लिए 9 सितम्बर, 1994 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिना पासपोर्ट कार्यालय वाले राज्य

1137. श्री दत्ता मेघे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जहां पासपोर्ट कार्यालय नहीं है;

(ख) क्या इन राज्यों के लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक राज्य में निकट भविष्य में पासपोर्ट कार्यालय खोलने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) निम्नलिखित राज्यों में कोई पासपोर्ट कार्यालय नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा

(ख) इन राज्यों के लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है क्योंकि उन्हें एक उपयुक्त समयावधि के अन्दर पासपोर्ट सेवाएं मुहैया करायी जाती हैं। पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक को स्वयं पासपोर्ट कार्यालय जाना अपेक्षित नहीं है। आवेदक विकल्प के तौर पर डाक द्वारा भी अपने पासपोर्ट आवेदन पत्र भेज सकते है। ऐसे आवेदकों को पासपोर्ट डाक द्वारा ही भेजे जाते हैं।

(ग) इस बात की समीक्षा करने के लिए कि क्या पासपोर्ट कार्यालय के भौगोलिक वितरण में किस प्रकार का असंतुलन है 1992 में एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में किसी प्रकार का असंतुलन नहीं दर्शाया गया। इनमें से कोई भी राज्य, जिनमें पासपोर्ट कार्यालय नहीं है, प्रतिवर्ष कम से कम 50,000 आवेदनों की आवश्यकता पूरी करता है जो संसद की स्थायी समिति द्वारा एक पासपोर्ट कार्यालय स्थापित करने के लिए निर्धारित मानदण्ड है।

जयपुर–जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग

1138. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1994–95 तथा 1995–96 के दौरान जयपुर–जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग और भोपाल–नागपुर बाईपास की वर्तमान स्थिति क्या है और सरकार ने इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): जयपुर–जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12,890 कि.मी. लम्बा है और राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों से गुजरता है। इसमें 347 कि.मी. में एक लेन, 49 कि.मी. में इंटरमिडिएट

लेन, 488 कि.मी. में दो लेन और 6 कि.मी. में 4 लेन वाला कैरिजवे है। 1994–95 में 5.95 करोड़ रु. की लागत के तेरह निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई थी और वर्ष 1995–96 में अब तक किसी कार्य की स्वीकृति नहीं दी गई है। आठवीं योजना में भोपाल–नागपुर बाईपास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय तांबा निगम द्वारा तांबे की चादरों का उत्पादन

1139. **श्री एस. एम. लालजान वाशाः** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई विचार भारतीय तांबा निगम में तांबे की चादरों का उत्पादन करने का है;

(ख) क्या इसकी संभावनाओं का पता लगाने हेतु कोई बाजार–सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग): (क) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे की चादरों का उत्पादन नहीं कर रहा है और वर्तमान में इनके उत्पादन की कोई योजना भी नहीं है।

(ख) और (ग). जी, नहीं।

[हिन्दी]

फल और सब्जियां

1140. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवारः** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान महाराष्ट्र में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में कार्यरत राज्य सरकार के संगठनों तथा सहकारी क्षेत्र की ईकाइयों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम जिसकी सब्जी और फल प्रसंस्करण की तीन यूनिटें हैं, महाराष्ट्र में फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों के विकास के लिए नोडल एजेंसी है। इसके अलावा संलग्न विवरण में दिए अनुसार 20 सार्वजनिक, सहकारी और स्वैच्छिक संगठन राज्य में फल तथा सब्जी प्रसंस्करण हेतु प्रसंस्करण एवं विकास कार्यों में लगे हुए हैं।

विवरण

महाराष्ट्र में प्रसंस्करण या विकास कार्यकलापों में कार्यरत सरकारी, सहकारी और स्वयंसेवी संगठनों के नाम

1. महाराष्ट्र एग्रो फूड कॉरपोरेशन (मफको) बम्बई (चार एकक)
2. ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, राजापुर
3. महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ
4. ग्रेटर बम्बई मिल्क स्कीम, बम्बई
5. डा. बाबा साहेब लोक स्मारक समिति ट्रेनिंग स्कूल, कुडाल
6. वरणा सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रक्रिया संघ (लि.) कोल्हापुर
7. प्रकाश कॉपरेटिव एग्रो, संगली
8. अपना बाजार कॉपरेटिव डिपार्टमेंटल स्टोर, तालोजा
9. महाबलेश्वर माधव उत्पादक सहकारी समिति, महाबलेश्वर
10. गायत्री ग्रामीण विकास सेवा संघ समिति, वीरार
11. [illegible] कॉपरेटिव फल प्रक्रिया खरीदी बिक्री संस्था
12. अपना बाजार सहकारी केन्द्र, दियोगढ़
13. पन्नालाल कुंकड चैरिटि ट्रस्ट, पुणे
14. महानन्दा डेयरी, बम्बई
15. सर रतन टाटा संस्थान, बम्बई
16. मतरू समाज उद्योग गृह, बम्बई
17. वूमेन इंडिया ट्रस्ट प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र, पानवेल
18. श्री तुलसीदास तात्या स्वरूप, राजापुर
19. सावित्रीबाई फूले महिला कॉपरेटिव औद्योगिक संस्थान, पुणे
20. महाराष्ट्र स्टेट कृषि विपणन बोर्ड, पुणे

बिहार में विद्युत की आवश्यकता

1141. **श्री लालबाबू रायः**
श्री रामटहल चौधरीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में विद्युत की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ख) 30 जून, 1994 की स्थिति के अनुसार विद्युत का वर्तमान उत्पादन कितना है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राज्य में स्थापित की जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(घ) उक्त परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध की जाएगी; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध की जायेगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) अप्रैल 1995 को अवधि के दौरान बिहार में 5540 मि.यू. ऊर्जा की आवश्यकता थी।

(ख) अप्रैल 1994–जून, 1994 की अवधि के दौरान बिहार में 706 मि.यू. वस्तुतः ऊर्जा का उत्पादन किया गया।

(ग) और (घ). आठवीं योजना अवधि के दौरान बिहार में स्थापित की गई विद्युत परियोजनाओं/स्थापित की जा रही अन्य विद्युत परियोजनाओं के नाम और इनके बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) आठवीं योजना के आरम्भ होने से पूर्व गुजरात और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया था तथापि वर्ष 1995–96 के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी कार्यों यथा पम्प सेटों को उर्जित करना एवं भार विस्तार कार्यों हेतु योजना आयोग द्वारा क्रमशः 3300 और 11,658 लाख रूपए आबंटित किए गए हैं।

विवरण

आठवीं योजना अर्थात् 1992–97 के दौरान स्थापित की गई विद्युत परियोजनाओं/स्थापित की जा रहीं अन्य विद्युत परियोजनाओं के नाम तथा इनके बारे में ब्यौरा।

(क) आठवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान स्थापित की गई परियोजनाएं।

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वरूप	क्षमता (मे.वा.)	चालू करने की वास्तविक तारीख
वर्ष 1992–93				
1.	सोन पश्चिम नहर यू.–1	जलविद्युत	1.65	18.01.93
2.	सोन पश्चिम नहर यू.–2	जलविद्युत	1.65	06.03.93
3.	सोन पश्चिम नहर यू.–4	जलविद्युत	1.65	30.03.93
4.	बोकारो (ख) चरण–2 (बिहार–डीवीसी) यू.–3	तापविद्युत	210.00	31.03.93
			214.95	
वर्ष 1993–94				
1.	सोन पश्चिम नहर यू.–3	जलविद्युत	1.65	28.08.93
2.	कहलगांव यूनिट–2 (बिहार/एन. टी. पी. सी.)	तापविद्युत	210.00	16.02.94
			211.65	

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वरूप	क्षमता (मे.वा.)	चालू करने की वास्तविक तारीख
वर्ष 1994–95				
1.	पूर्वी गंडक नहर यू.–1	जलविद्युत	5.00	04.08.93
2.	तेनूघाट यू.–1	तापविद्युत	210.00	14.04.94
3.	कहलगांव यू.–3 (बिहार/एन. टी. पी. सी)	तापविद्युत	210.00	24.03.94
			425.00	

(ख) आठवीं योजना के अन्तिम 2 वर्ष अर्थात 1995–96 और 1996–97 के दौरान जिन परियोजनाओं को स्थापित किए जाने का कार्यक्रम है, आठवीं योजना के दौरान जिन मामलों में परिव्यय उपलब्ध होगा, इस समेत ब्यौरा।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वरूप	क्षमता (मे.वा.)	आठवीं योजना के दौरान का परिव्यय (करोड़ रू में)
वर्ष 1995–96				
1.	पूर्वी गंटक नहर यूं.–2	जलविद्युत	5.00	2.02(3 यू. के लिए)
2.	पूर्वी गंटक नहर यू.–2	जलविद्युत	5.00	
3.	सोन ई. एल. नहर यू.–1	जलविद्युत	1.65	6.95
4.	सोन ई. एल. नहर यू.–2	जलविद्युत	1.65	
5.	तेनूघाट यू.–2	तापविद्युत	210.00	
			223.30	
वर्ष 1996–97				
1.	चान्दिल (2X4)	जलविद्युत	8.00	13.08
2.	कहलगांव यू.–3 (बिहार/एन. टी. पी. सी.)	तापविद्युत	210.00	
3.	उत्तरी कोयलकारी (2X12)	जलविद्युत	24.00	7.84
	जलविद्युत परियोजना		242.00	

गुजरात में पुल

1142. श्री काशीराम राणाः क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1994–95 के दौरान गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर किन–किन पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) राज्य में इस समय कौन–कौन से पुल निर्माणाधीन हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत पर कितना व्यय हुआ है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) गुजरात राज्य में वर्ष 1994–95 के दौरान 16 पुलों को चौड़ा/निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था।

(ख) तिहत्तर

(ग) 1.44 करोड़ रू की राशि जारी की गई है।

[अनुवाद]

फल प्रसंस्करण एकक

1143. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डेः क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा उन उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या सुविधाएं दी जा रही हैं जो फल प्रसंस्करण उद्योगों को कुटीर उद्योगों के रूप में चला रहे हैं;

(ख) क्या इन सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु कतिपय प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) से (ग). इस मंत्रालय के अधीन फल व सब्जी निदेशालय के अधिकारियों द्वारा फल व सब्जी प्रसंस्करणकर्ताओं जिसमें कुटीर स्तर पर कार्यरत उद्यमी भी शामिल हैं को तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाता है। सरकार उन खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों जिनमें ग्रामीण उद्यमियों को फल व सब्जी प्रसंस्करण समेत खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हो, की स्थापना में भी सहायता प्रदान कर रही है ताकि उन्हें लघु और कुटीर एककों की वैज्ञानिक ढंग से स्थापना और अथवा प्रचालन हेतु योग्य बनाया जाए और प्रोत्साहित किया जाए। 8वीं योजना के दौरान ऐसे 250 केन्द्रों को सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। ये केन्द्र मौजूदा उद्यमियों को मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करेंगे। मंत्रालय की योजना स्कीमों के अंतर्गत वर्तमान खाद्य एककों के उन्नयन/नवीकरण हेतु और लघु एककों के उत्पादनों के विपणन हेतु भी सहायता उपलब्ध है। प्रधान मंत्री जी की रोजगार योजना और सरकार की अन्य स्कीमों के तहत लघु एककों की स्थापना हेतु भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

विद्युत की कमी

1144. श्री चन्द्रजीत यादवः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विद्युत क्षेत्र संकट के दौरे से गुजर रहा है क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 16,000 मेगावाट से अधिक विद्युत प्राप्त नहीं होगी और नौवीं योजना के लिए कोई अग्रिम कार्ययोजना तैयार नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो विद्युत संबंधी राष्ट्रीय कार्य दल द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार विद्युत की स्थिति की समीक्षा किए जाने हेतु उपाय किए गए हैं। किए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के अनुसार 8वीं योजना के दौरान सम्भावित क्षमता अभिवृद्धि 20729.7 मे.वा. है। नौवीं योजना के दौरान लाभ प्रदान करने वाली स्कीमों पर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ख) निजी विद्युत नीति के संबंध में राष्ट्रीय कार्यदल ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। विद्युत मंत्रालय द्वारा मुद्रित कराए गए प्रकाशन "द लीगल एण्ड पालिसी फ्रेमवर्क आफ प्राईवेट पावर डेवलेपमेन्ट एण्ड क्लेरिफिकेशन्स", जिसे माननीय संसद सदस्यों के बीच समेत, व्यापक रूप से परिचालित किया गया था, में इनको स्पष्ट किया गया है।

[हिन्दी]

मुख्यमंत्रियों के विदेशी दौरे

1145. श्री ललित उरांवः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों द्वारा किये गए सरकारी विदेशी दौरों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन दौरों के दौरान उनके द्वारा दूसरे देशों के साथ किये गए समझौतों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया): (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

गुजरात में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की रुग्ण इकाइयां

1146. डा. अमृतलाल कालिदास पटेलः क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत दो वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की गुजरात में घाटे में चल रही इकाइयों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) उनकी रुग्णता के क्या कारण हैं; और

(ग) इन इकाइयों को अर्थक्षम बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) से (ग). खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं अतः सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की संख्या के साथ–साथ घाटे में चल रहे उक्त उद्योगों के बारे में केन्द्रीय रूप से कोई सूचना नहीं रखी जाती है। रुग्ण इकाइयां पुनरुद्धार पैकेज/बंद होने के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से संपर्क कर सकती हैं।

आइसक्रीम का विपणन

1147. श्री नवल किशोर रायः क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आइसक्रीम लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है;

(ख) क्या दिल्ली में सरकारी अथवा गैर–सरकारी क्षेत्र के किसी वृहत–एकक (एककों) द्वारा लघु क्षेत्र के साथ खाता–लेखा की व्यवस्था (बुक अरेंजमेंट) करके अनधिकृत रूप से आइसक्रीम का विपणन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कानून के दुरूपयोग और उल्लंघन को रोकने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) जी हां। आइसक्रीम लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है।

(ख) और (ग). बहुत एककों को लघु उद्योग द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादनों, इसमें आइसक्रीम शामिल है, का विपणन करने की अनुमति है।

कापार्ट

1148. श्री सैयद शहाबुद्दीनः क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चालू योजना के दौरान ग्रामीण विकास के लिए "कापार्ट" को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई और 30.9.95 तक कितनी धनराशि वास्तव में जारी की गई;

(ख) "कापार्ट" द्वारा देश में विभिन्न गैर–सरकारी संगठनों को राज्य–वार कितनी धनराशि जारी की गई और इन संगठनों की राज्य–वार संख्या क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ गैर–सरकारी संगठनों को प्रतिकूल पाया गया है और उन्हें छंटी हुई श्रेणी में रखा गया है;

(घ) अब तक कितने ऐसे संगठन छंटी श्रेणी में रखे गए हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि अवास्तविक गैर सरकारी संगठनों को धन के दुर्विनियोग और गलत इरादे से धनकोषों के जारी किए जाने के मामले प्रकाश में आए हैं; और

(च) ऐसे मामलों में कितने गैर–सरकारी संगठन संलिप्त हैं और ऐसे कितने संगठनों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) स्वैच्छिक एजेन्सियां निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत कापार्ट द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं हैं:–

(1) जन सहयोग

(2) लाभार्थियों का संगठन

(3) ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना

(4) जवाहर रोजगार योजना

(5) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(6) ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा)

(7) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

(8) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

कापार्ट के लिए प्रथम तीन योजनाओं के लिए आठवीं योजना परिव्यय 160 करोड़ रूपए हैं। शेष योजनाओं के लिए कापार्ट को निधियाँ स्वैच्छिक संगठनों से कापार्ट को प्राप्त प्रस्तावों सहित विभिन्न कारकों पर आधारित वार्षिक आधार पर रिलीज की जाती है।

आठवीं योजना के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत 30.9.95 तक इस मंत्रालय ने कापार्ट को 176.91 करोड़ रूपये रिलीज किए हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) से (च). अन्य सरकारी एजेन्सियों/विभागों द्वारा काली सूची में डाले गए संगठनों सहित कापार्ट ने 30.9.1995 तक 360 स्वैच्छिक संगठनों को काली सूची में डाल दिया है। कापार्ट द्वारा इन स्वैच्छिक संगठनों को मुख्यतया निधियों के दुरूपयोग, गलत सूचना देने, दस्तावेज में जालसाजी करने आदि के आधार पर काली सूची में डाला गया है। कापार्ट ने सूचित किया है कि उसने दोषी स्वैच्छिक संगठनों को निधियों को वसूल करने के निर्देश दे दिए हैं, जहां कि सहायता को रोक दिया गया है अथवा परियोजनाओं को रद्द कर दिया गया है। कुछ मामलों में ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी शुरू की गई है। कुछ मामलों को कापार्ट द्वारा जांच के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भी अग्रेषित किया गया है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव

1149. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1995–96 की अवधि के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/रख–रखाव हेतु कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के किन–किन हिस्सों की मरम्मत/निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया जायेगा: और

(ग) इस संबंध में अब तक कितना कार्य किया गया है तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) 1995–96 में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए कुल आबंटन इस प्रकार हैः–

(करोड़ रू)

(i)	मूल कार्य	23.00
(ii)	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	19.00
(iii)	रख–रखाव और मरम्मत (दिसम्बर, 1995 तक)	6.05

(ख) रा.रा.–17 के 46 कि.मी., रा.रा.–47 के 76 कि.मी. और रा.रा.–49 के 10 कि.मी. तथा रा.रा.–17 पर दो पुलों को चालू वर्ष के दौरान किए जाने वाले विकास कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

(ग) उपर्युक्त परियोजनाओं को अभी तक संस्वीकृति नहीं दी गई है।

हुगली नदी का तलकर्षण

1150. श्री सनत कुमार मंडलः क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मालदा के समीप हुगली नदी के तलकर्षण का कार्य कर रही डच कम्पनी ने अचानक कार्य ठप्प कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका कारण क्या है;

(ग) हुगली नदी के तलकर्षण के जारी रखने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं । उठाये जाने का विचार है;

(घ) क्या उपरोक्त कम्पनी पुनः भारतीय ठेका प्राप्त करने का प्रयास कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख). जी हां। हुगली के बलारी बार क्षेत्र में निकर्षण के लिए दिनांक 15.3.91 को एक डच ठेकेदार को लगाया गया था। परंतु कार्य प्रारंभ करने के तत्काल बाद, निकर्षित सामग्री को बाहर फेंकने वाली फ्लोटिंग पाइपलाइन टूट गई और ठेकेदार ने निकर्षण कार्य स्थगित कर दिया।

(ग) कलकत्ता पत्तन न्यास द्वारा भारतीय निकर्षण निगम तथा अपने स्वयं के निकर्षकों से हुगली नदी का रख–रखाव निकर्षण नियमित रूप से किया जा रहा है।

(घ) और (ङ). कलकत्ता पत्तन न्यास ने डच निकर्षण कंपनी के साथ करार समाप्त कर दिया है और उक्त कंपनी ने पुनः करार करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

[हिन्दी]

गुजरात में रूग्ण इस्पात की मिलें

1151. श्रीमती भावना चिखलियाः क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात में कितने इस्पात संयंत्र रूग्ण घोषित किए गए; और

(ख) 30 सितंबर, 1995 तक विभिन्न इस्पात संयंत्रों को संयंत्र–वार और राज्य–वार दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) समय–समय पर

यथासंशोधित रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (एस.आई.सी.ए.) की शर्तों के अनुसार 30.9.95 तक औद्योगिक एवम् वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा गुजरात राज्य में विद्युत चाप भट्ठी आधारित इस्पात का उत्पादन करने वाली 4 इकाइयां रुग्ण घोषित की गयी हैं।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की निधियों का अंतरण

1152. **श्री राम नाईकः** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की निधियों के अनियमित अंतरण के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निधियों को अवैध रूप से लगाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच समिति के निदेश पद क्या हैं; और

(घ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)ः (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं के लिए बोली

1153. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसीः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन केवल बोली द्वारा ही करने का अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों को इस आशय के कोई निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) क्या इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार को रोकने तथा राज्यों का और परियोजनाओं की गैर-सरकारी कम्पनियों के बीच उत्पन्न गलतफहमियों को दूर करने में सहायता मिली है;

(घ) यदि हां, तो बोली के आधार पर अब तक कितनी परियोजनाओं पर स्वीकृति दी गई है; और

(ङ) सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)ः (क) सरकार ने 18/2/1995 के बाद निजी विकासकर्ताओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) की स्वीकृति के लिए अपेक्षित विद्युत परियोजनाओं का ठेका प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया है। 100 करोड़ रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं, जिनके लिए के.वि.प्रा. की स्वीकृति अपेक्षित नहीं है, का ठेका देने के लिए राज्य सरकारों को प्रतिस्पर्धात्मक बोली माध्यम अपनाने की, जहां तक सम्भव हो, सलाह प्रदान की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) अनिवार्य बनाई जा रही प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया को ध्यान में न रखते हुए भ्रष्टाचार तथा गलतफहमियों को रोकने के लिए पर्याप्त संस्थागत तन्त्र विद्यमान है।

(घ) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा छः परियोजनाओं का ठेका प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से दिया गया है।

(ङ) भारत सरकार निजी विकासकर्ताओं को परियोजनाओं का ठेका प्रदान करने में प्रतिस्पर्धात्मक बोली माध्यम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्डों तथा एन. टी. पी. सी. का सरकार से सहयोग

1154. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठकः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई विद्युत नीति की घोषणा के पश्चात कई राज्य सरकारों तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा सरकार को उचित सहयोग नहीं मिलने के कारण वर्ष 2005 तक विद्युत की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त करना असम्भव हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)ः (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

चावल की मिलें

1155. श्री एन. जे. राठवाः क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में चल रही चावल की मिलों के विस्तार सेवा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 1995-96 के दौरान ऐसे केन्द्रों के लिए कोई बजटीय आबंटन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्त-प्रदत्त पांच क्षेत्रीय विस्तार सेवा केन्द्र (धान कुटाई) वर्तमान में भुवनेश्वर (उड़ीसा) नवगांव (गुजरात) मैसूर (कर्नाटक) इम्फाल (मणिपुर) और लुधियाना (पंजाब) में कार्यरत हैं। ये केन्द्र आदिवासी क्षेत्रों समेत पूरे राज्य में विस्तार गतिविधियाँ संचालित करते हैं।

(ख) और (ग). आवर्ती और अनावर्ती खर्च पूरा करने के लिए वर्ष 1995-96 के लिए 50.00 लाख रुपये का बजटीय आबंटन ऐसे केन्द्रों के लिए है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर रोजगार योजना

1156. श्री शिव शरण वर्माः क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जवाहर रोजगार योजना किस तिथि को आरम्भ की गई थी; और

(ख) योजना के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल, 1989 में शुरू की गई थी।

(ख) कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नानुसार हैः-

(क) प्राथमिक उद्देश्य

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और कम रोजगार वाले पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाना।

(ख) गौण उद्देश्य

1. ग्रामीण आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाकर स्थायी रोजगार का सृजन करना।
2. सामुदायिक व सामाजिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना।
3. ग्रामीण गरीबों विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रत्यक्ष व निरंतर लाभ के लिए परिसम्पत्तियों का निर्माण करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के समग्र जीवन स्तर में सुधार लाना।

[अनुवाद]

विक्रेताओं और हलर्स के कार्य

1157. श्री सुधीर सावंतः क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विक्रेताओं की अनिवार्यता समाप्त करने और "हलर्स" को काम करने की अनुमति देने का कोई प्रयास चल रहा है;

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूर दराज के उन पिछड़े क्षेत्रों में विक्रताओं का कार्य व्यावहारिक नहीं होता जहां जनसंख्या कम होती है?

खाद्य प्रंसस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) से (ग). धान कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 को रद्द करने के लिए एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। विधेयक में पिछड़े क्षेत्रों समेत किसी भी क्षेत्र में बिना लाइसेंस के किसी भी व्यक्ति द्वारा चावल शेलर या हलर स्थापित करने की व्यवस्था है।

पत्तन विकास के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता

1158. श्री गोपीनाथ गजपतिः क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एशियाई विकास बैंक के ऋण की सहायता से कुछ पत्तन विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इस उद्देश्य के लिए प्राप्त धनराशि क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) पत्तन विकास परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित एशियाई विकास बैंक ऋण प्राप्त हुए हैं:–

(i) "द्वितीय पत्तन परियोजना" जिसमें बम्बई पत्तन की छः स्कीमें सम्मिलित हैं अर्थात् पीरपाउ आयल बर्थ का प्रतिस्थापन, इन्दिरा गोदी में बाहरी लॉक गेट का प्रतिस्थापन, फायर फ्लोट शीतल का प्रतिस्थापन, मीयर वैदर औ हग्स ड्राई डॉक में कैशन गेट का प्रतिस्थापन, जहाज–मरम्मत सुविधाओं का आधुनिकीकरण तथा जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली, के लिए 129 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण सं. 1016 भारत। इस ऋण में गहरे जल पत्तन के रूप में काकीनाडा के विकास की एक स्कीम भी शामिल है। यह ऋण 31.12.1996 तक वैध है।

(ii) "कोयला पत्तन परियोजना" जिसमें इन्नौर में एक सैटेलाइट पत्तन की स्थापना के लिए मद्रास पत्तन की एक स्कीम तथा यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधा की स्थापना के लिए पारादीप पत्तन की एक स्कीम शामिल है, के लिए 285 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण सं. 1181 भारत का उपयोग किया जा रहा है। यह ऋण 30.6.98 तक वैध है।

(ग) बम्बई पत्तन से संबंधित 6 स्कीमों में से तीन स्कीमें पूरी कर ली गई हैं तथा दो स्कीमें प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। एक स्कीम से संबंधित करार अंतिम रूप दिए जाने की विभिन्न अवस्था में हैं। जहां तक काकी नाडा पत्तन परियोजना का संबंध है, यह कार्य पूरा होने वाला है। ऋण सं. 1181 भारत के संबंध में मद्रास पत्तन न्यास ने ब्रेक–वाटर निर्माण, व्हार्फ निर्माण तथा रॉक उत्खनन जैसी परियोजनाओं के कतिपय घटकों संबंधी निविदाओं की पूर्व–अर्हता प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसके अतिरिक्त, पारादीप पत्तन स्टेकर्स, रिक्लेमर्स औ शिप लोडर्स जैसी यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाओं की अधिप्राप्ति हेतु विभिन्न मदों के लिए निविदाएं प्रदान करने का कार्य कर रहा है। निकर्षण से संबंधित करार को भी अंतिम रूप दिया जाने वाला है।

[हिन्दी]

मुआवजे के वितरण में भ्रष्टाचार

1159. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने एक जांच दल भोपाल गैस दुर्घटना के संबंध में मुआवजों के वितरण में भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच हेतु भोपाल भेजा है;

(ख) इस जांच दल के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा जांच दल मुख्य रूप से किन–किन विषयों पर जांच करेगा तथा जांच दल द्वारा अब तक किन विषयों पर जांच की गयी है;

(ग) क्या उपरोक्त दल ने कोई अंतरिम अथवा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) जांच दल के निरीक्षण के आधार पर आगामी प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ङ). भोपाल का दौरा करने, तथ्यों की जांच करने तथा न्यायालय को स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उच्चतम न्यायालय विधि सहायता समिति के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति जिसमें दो अन्य वकील शामिल हैं, नियुक्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने 12 अक्टूबर, 1995 को आदेश जारी किया। समिति ने न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

ड्राइविंग लाइसेंस

1160. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये:** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उच्च कोटि की तथा समान पेशेवर ड्राइविंग कुशलता सुनिश्चित करने और खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने की निरंतर बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ऑटोमोबाइलों और भारी वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल और कारगर तथा आधुनिक बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दुर्घटनाओं की दर में कमी लाने हेतु अन्य विकसित देशों में अपनाये गये पैटर्न के अनुरूप सम्पूर्ण देश में ड्राइविंग कुशलता के मामले में समान प्रक्रिया और समान स्तर सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) से (ग). जी नहीं। मोटर वाहन अधिनियम (1988) और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली (1989) में सभी किस्म के वाहनों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का पहले से प्रावधान है तथा यह प्रक्रिया उच्च एवं समान व्यावसायिक ड्राइविंग दक्षता के लिए है। इन प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य परिवहन प्राधिकरणों की है और यह सरकार समय–समय पर राज्य सरकारों पर यह दबाव डालती रही है कि इन प्रक्रियाओं को सुचारू और पूर्ण बनाया जाए।

महाराष्ट्र में अवैध खनन

1161. **श्री अन्ना जोशीः** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र के देवभोग हीरा खानों और अन्य खानों में अवैध खनन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के इस्पात संयंत्र

1162. **श्री सत्यदेव सिंहः**
डा. लाल बहादुर रावलः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकांश संयंत्र गत तीन वर्षों से निरन्तर घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उनके घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) ये संयंत्र कहां-कहां स्थित हैं, और उनका तुलनात्मक घाटा कितना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, नहीं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अधीन अधिकांश संयंत्र पिछले तीन वर्षों से लगातार घाटा नहीं उठा रहे हैं।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

जलकारी पन-बिजली परियोजना

1163. **श्री संतोष कुमर गंगवारः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में जलकारी पन-बिजली परियोजना के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या इस परियोजना पर शीघ्र ही काम शुरू होने वाला है;

(ग) इस परियोजना से कितने परिवार प्रभावित होंगे और क्या उनके पुनर्वास की कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) क्या किसी स्तर पर इस परियोजना का विरोध किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति के लिए बिहार से जलकारी जल विद्युत परियोजना के नाम से कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

विखंडनीय सामग्रियों पर रोक

1164. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अमरीका एवं अन्य देशों को विखंडनीय सामग्रियों के निर्माण पर एक पक्षीय रोक पर भारत के दृष्टिकोण से अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार इस निर्णय की समीक्षा करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (घ). सरकार का यह मानना है कि नाभिकीय हथियारों के लिए विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने के उद्देश्य से एक बहुपक्षीय आधार पर विचारित सार्वभौमिक रूप से लागू की जाने वाली तथा भेदभाव रहित संधि एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर सभी नाभिकीय हथियारों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के उद्देश्य के चरणबद्ध तरीके से सार्वभौम नाभिकीय निरस्त्रीकरण का भाग है। सरकार ने विखण्डनीय सामग्री के निर्माण पर भारत द्वारा एकपक्षीय रूप से प्रतिबंध लगाने का कोई भी सुझाव स्वीकार नहीं किया है। सरकार ने इस संबंध में एक सैद्धांतिक एवं स्थायी नीति का अनुपालन किया है।

परती भूमि के अन्तर्गत क्षेत्रफल

1165. **श्री दिलीप भाई संघानीः** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान परती भूमि के विकास हेतु योजना के अन्तर्गत शामिल भूमि का राज्य-वार कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) सरकार द्वारा परती भूमि के विकास के लिए तैयार की गई भावी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में परती भूमि के उपयोग हेतु योजना तैयार करने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई तथा कितनी कुल भूमि का उपयोग किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): (क) और (ख). 20 सूत्री कार्यक्रम के विषय बिन्दु 16 के अंतर्गत बंजरभूमि सहित भूमि की विभिन्न श्रेणियों के लिए वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधि चलाई जाती है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों को केन्द्र और राज्य योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता के आधार पर वर्ष दर वर्ष आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस कार्यक्रम में बंजर भूमि विकास विभाग की निम्नलिखित योजनाएं भी शामिल हैं:-

1. समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना

2. सहायता अनुदान

3. निवेश संवर्धन योजना

4. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण

5. बंजरभूमि विकास कार्य बल

इस कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कवर किया गया राज्यवार क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में वाटरशैड विकास की सामान्य मार्गदर्शिकाओं को अंतिम रूप दिया है जिसके अंतर्गत मंत्रालय की सभी क्षेत्र विकास योजनाओं अर्थात समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना योजना/सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरुभूमि विकास कार्यक्रम/सुनिश्चित रोजगार योजना/गहन जवाहर रोजगार योजना को कवर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बंजरभूमि सहित भूमि के वाटरशेड विकास को शुरू किया जाएगा। मंत्रालय ने राज्य सरकारों को वाटरशेड मार्गदर्शिकाएं लागू करने के लिए लिखा है।

बंजरभूमि विकास विभाग ने भी राज्य सरकारों को बंजरभूमि के विकास के लिए योजनाएं आरम्भ करने के लिए लिखा है। 31 मार्च, 1995 तक, समेकित बंजरभूमि विकास के अंतर्गत 323.94 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से 128 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 3 से 5 वर्षों की समयावधि में लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा।

विवरण

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए राज्य वार वर्ष वार उपलब्धियां।

क्षेत्र हेक्टेयर में
अंकुरण लाख में

क्रं. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992-93 उपलब्धि		1993-94 उपलब्धि*		1994-95 उपलब्धि*	
		अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वनभूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वनभूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1102.63	47453.00	917.19	34530.00	418.69	44642.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	7200.00	5.00	7500.00	7.33	8341.00
3.	असम	11.80	22486.60	20.76	18144.00	21.46	16941.00

क्षेत्र हेक्टेयर में
अंकुर लाख में

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992–93 उपलब्धि		1993–94 उपलब्धि*		1994–95 उपलब्धि	
		अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वनभूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वनभूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	बिहार	180.00	20357.00	190.03	45855.39	32.39	5214.00
5.	गोवा	27.23	1722.00	33.46	4854.00	20.86	1652.00
6.	गुजरात	2281.46	64847.00	1631.76	73741.66	1566.72	69983.00
7.	हरियाणा	300.00	34826.00	231.81	33823.00	55.15	31430.00
8.	हिमाचल प्रदेश	88.59	31280.00	33.19	32315.00	48.49	36500.00
9.	जम्मू और कश्मीर	64.83	17010.85	42.01	15928.20	33.14	7802.00
10.	कर्नाटक	374.38	36479.97	274.19	46429.36	559.74	58452.00
11.	केरल	173.79	17342.70	136.61	3127.69	51.27	14360.00
12.	मध्य प्रदेश	600.12	121394.19	439.00	125187.19	438.12	135000.00
13.	महाराष्ट्र	824.97	153621.38	1141.25	100062.17	1339.30	136523.36
14.	मणिपुर	22.46	8600.00	22.00	6928.00	24.45	7415.00
15.	मेघालय	26.58	5148.00	54.88	11684.00	17.10	7575.00
16.	मिजोरम	5.86	14000.00	16.31	16758.00	23.25	14130.00
17.	नागालैंड	20.10	4700.00	54.30	2799.00	53.80	1710.00
18.	उड़ीसा	425.42	74134.85	390.04	78819.00	448.23	64687.00
19.	पंजाब	85.90	19360.00	51.78	17800.00	34.81	13593.00

क्षेत्र हेक्टेयर में

अंकुर लाख में

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992-93 उपलब्धि		1993-94 उपलब्धि*		1994-95 उपलब्धि*	
		अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वनभूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वनभूमि सहित सार्वजनिक भूमि)
1	2	3	4	5	6	7	8
20.	राजस्थान	405.13	66729.00	453.34	67238.00	353.82	88437.00
21.	सिक्किम	9.50	8665.[illegible]	10.85	3484.82	26.79	एन.आर
22.	तामिलनाडु	1037.36	113553.10	1124.32	86816.51	1007.30	92561.30
23.	त्रिपुरा	37.05	15253.00	28.14	8603.54	25.98	7171.00
24.	उत्तर प्रदेश	3468.29	100139.26	2929.00	83723.24	3015.00	72025.00
25.	पश्चिम बंगाल	802.00	50000.00	800.00	38200.00	1118.35	41285.00
26.	अण्डमान औ निकोबार द्वीप समूह	5.33	3200.00	5.00	3488.67	5.00	3506.00
27.	चंडीगढ़	0.28	430.20	0.05	8.00	एन.आर	450.00
28.	दादर और नागर हवेली	7.90	518.00	12.82	894.60	14.39	788.50
29.	दमन और दीव	1.14	83.34	0.94	62.00	1.03	47.00
30.	दिल्ली	41.60	1512.70	43.51	1740.40	42.21	1688.00
31.	लक्ष्यद्वीप	3.36	50.00	4.27	54.20	4.30	61.00
32.	पाण्डिचेरी	10.01	128.00	0.60	126.53	2.18	131.30
	योग	12450.87	1062225.52	11097.61	963888.17	10810.65	984102.05

* अनंतिम

एन. आर.– असूचित

परमाणु परीक्षण

1166: श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति:
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:
श्री राम नाईक:
श्री फूलचन्द वर्मा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में चीन और फ्रांस ने परमाणु परीक्षण किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन अन्य देशों में हाल ही में परमाणु परीक्षण पुनः आरम्भ कर दिया है;

(घ) क्या कतिपय देशों द्वारा उपरोक्त देशों द्वारा किए जाने वाले परमाणु परीक्षणों को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या विश्व बैंक ने ऐसे परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की सिफारिश की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) से (ग). चीन ने इस वर्ष 15 मई और 17 अगस्त को अपने लोपनोर परीक्षण स्थल पर दो नाभिकीय परीक्षण किए। 13 जून, 1995 को नाभिकीय परीक्षण पुनः आरम्भ करने की घोषणा के बाद फ्रांस की सरकार ने दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र में अपने द्वीप प्रदेशों में क्रमशः 5 सितम्बर, 2 अक्टूबर, 28 अक्टूबर तथा 22 नवम्बर को 4 परीक्षण किए।

(घ) और (ङ). बहुत से देशों ने विशेषकर एशिया प्रशान्त क्षेत्र के देशों ने परीक्षण पुनः आरम्भ किए जाने के लिए फ्रांस कीआलोचना करते हुए वक्तव्य जारी किए हैं। सरकार ने 15 सितम्बर को एक वक्तव्य जारी किया जिसमें हाल में किए गए नाभिकीय परीक्षणों पर खेद व्यक्त किया गया और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि जिस पर निरस्त्रीकरण संबंधी कान्फ्रेंस में इस समय बातचीत चल रही है, के उद्देश्यों के विपरीत कार्रवाई न करने का आह्वान किया है।

(च) जी नहीं।

(छ) और (ज). प्रश्न नहीं उठते।

पंचायतों के चुनाव

1167. श्री डी. वेंकटेश्वर राव: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने राज्य सरकारों को पंचायतों के चुनाव न कराने की स्थिति में सख्त कार्यवाही करने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) से (ग). ऐसे राज्यों और संघशासित क्षेत्रों जहां पंचायत के चुनाव होने बाकी हैं, को देर से देर वर्ष के अंत तक इन चुनावों को करा लेने के लिए कहा गया है। उनसे इस संबंध में केन्द्रीय निर्देशों के पालन करने की अपेक्षा है।

पंचायत चुनाव

1168. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंचायतों के चुनाव कराने और इन स्थानीय निकायों को प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों के हस्तांतरण पर विचार–विमर्श करने के लिए 11 सितंम्बर, 1995 को राज्यों के पंचायत मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों के मंत्रियों को जिला योजना समितियों और राज्य वित्तीय आयोगों के गठन के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही का भी स्मरण कराया गया था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बैठक में अन्य किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). सम्मेलन में चर्चा किए गए विषयों में जिला आयोजना समितियों एवं राज्य वित्तीय आयोगों का गठन शामिल थे। सम्मेलन में चर्चा की गई मदों की कार्यसूची की एक प्रति संलग्न विवरण–I पर है। इस सम्मेलन में II महत्वपूर्ण सिफारिशें की गयीं जो संलग्न विवरण–II पर है।

विवरण–I

कार्यसूची मदें

1. 3 जुलाई, 1993 को आयोजित पंचायतों के प्रभारी मंत्रियों/सचिवों के पिछले सम्मेलन में की गयी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा।

2. सभी स्तरों पर पंचायतों के चुनावों के बारे में अद्यतन स्थिति की समीक्षा और जहां चुनाव होने हैं वहां चुनाव कराया जाना।

3. 11वीं अनुसूची में शामिल विषयों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना से संबंधित पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों, कार्यों और निधियों का पता लगाना और उन्हें सौंपने के लिए राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई।

4. पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के उपाय।

5. पंचायत वित्त।

6. पंचायत कार्यकर्त्ताओं और कर्मचारियों को प्रशिक्षण/पूर्वाभिमुखीकरण के लिए राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई।

7. भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों सहित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायतों की भूमिका।

8. संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम 1992 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने के संबंध में कानून की सिफारिशें करने के लिए गठित समिति की सिफारिश पर संबंधित राज्य सचिवों के विचार।

9. पंचायत मंत्रियों की राष्ट्रीय समिति के विचार विमर्श पर रिपोर्ट।

विवरण–II

11.9.1995 को राज्यों/संघशासित प्रदेशों के पंचायत मंत्रियों एवं सचिवों का सम्मेलन

सिफारिशें

1. पंचायती राज संस्थाओं का गठन न किया जाना संविधान की अवहेलना है। अतः राज्यों को, जहां कहीं भी बाकी है, इसे अधिक से अधिक इस वर्ष के अंत तक गठित करना होगा और महात्मा गांधी की 125वीं जन्मशती तथा 2 अक्टूबर, 1995 तक चुनावों के लिए निश्चित कार्यक्रम अधिसूचित करने होंगे।

पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर दिए गए उचित एवं उपयुक्त प्रतिनिधित्व तथा अधिकारों, कार्यों और निधियों की सुपुर्दगी के साथ–साथ पंचायत मंत्रियों की राष्ट्रीय समिति द्वारा की गयी सुझावात्मक ढांचे संबंधी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, इस सम्मेलन में समस्त राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि अधिकारों, प्राधिकारों एवं कार्यों की सुपुर्दगी ऐसी होनी चाहिए, जो इन संस्थाओं को सक्षम एवं प्रभावी स्थानीय सरकारी संस्थाओं के रूप में कार्य करने योग्य बनाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के अध्ययनों में सुझाए गए प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों और कार्यों की सुपुर्दगी का ढांचा भी इस तथ्य के अनुरूप है। इस सम्मेलन में कहा गया है कि अधिकारों, प्राधिकारों एवं कार्यों की यह सुपुर्दगी प्रत्येक स्तर के लिए कार्य सूचियों अथवा सूचियों के रूप में पंचायती राज में संविधानों का एक हिस्सा बनें।

3. सम्मेलन में ग्रामीण विकास विभाग से यह कहा गया कि वह अगले दो महीनों के भीतर एक कार्यशाला आयोजित करें जिसमें आदर्श सुपुर्दगी का एक माडल उभरकर सामने आए।

4. राज्य सरकारों को चाहिए कि जिला स्तर की समस्त योजनाओं के नियंत्रण समीक्षा, मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को देकर उनकी आयोजना एवं कार्यान्वयन की क्षमताओं को सुदृढ़ करें। इनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं एवं कार्यक्रमों में इन योजनाओं के कर्मचारियों के स्थानान्तरण, प्रतिनियुक्ति तथा पुनः तैनाती द्वारा जो पंचायती राज संस्थाओं के साथ मिलकर काम करें, समर्थन दिया जाना चाहिए।

5. जिला परिषदों एवं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का भी अध्यक्षबनाया जाना चाहिए तथा एक अधिकारी जो जिला मजिस्ट्रेट से नीचे की रैंक का न हो, को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी का मुख्य कार्यकारी बनाया जाना चाहिए।

6. राज्यों को चाहिए कि वह अपने राज्य वित्त आयोगों से दिसम्बर, 1995 के अन्त तक अपनी सिफारिशें भेजने के लिए कहें। इस सम्मेलन में कहा गया कि राज्यों को अपने राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकृत करने की परंपरा बनानी चाहिए।

7. कई राज्य, पंचायती राज संस्थाओं के चुने गए प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का पुनीत कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय इस संबंध में कार्यनीतियां तैयार करने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन कर सकता है। प्रशिक्षण की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर ऐसे प्रशिक्षण देने योग्य और इच्छुक संस्थाओं का समूह बनाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान केन्द्रीय भूमिका अदा करेगा।

8. ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्री की अध्यक्षता में दो वर्षों की अवधि के लिए मंत्रियों की समिति पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया।

9. अब जबकि पंचायतें बन चुकी है, राज्यों को गंभीरतापूर्वक बहुस्तरीय विकेन्द्रीकृत आयोजना की शुरूआत करनी चाहिए तथा अपनी जिला आयोजना समितियों को सक्रिय बनाना चाहिए।

10. ग्राम सभा के निचले स्तर पर सहभागी आयोजना तथा विकासात्मक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होगी। इसे पूर्णतः क्रियाशील बनाने के लिए समस्त प्रयास किए जाने चाहिए और निश्चित अन्तराल पर बैठकों के साथ–साथ स्थानीय जनता के वास्तविक विचारों को पोरदार बनाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए इस निकाय को सक्रिय बनाया जाना चाहिए।

11. अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के विस्तार से संबंधित विधि विशेषज्ञों एवं संसद सदस्यों की समिति की सिफारिशों और उच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, सम्मेलन में भारत सरकार से यह आग्रह किया गया कि वह यथाशीघ्र अनुच्छेद 243 एम (4) (बी) के प्रावधान के अनुरूप इस विषय से संबंधित एक कानून संसद में प्रस्तुत करें। ऐसा करने के लिए, भारत सरकार राज्यों के साथ उपयुक्त विचार–विमर्श कर सकती है।

संयुक्त राष्ट्र सभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री द्वारा द्विपक्षीय मुद्दों का उठाया जाना

1169. **श्री मनोरंजन भक्तः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के स्वर्ण जयंती के संस्मारक सत्र में अपने भाषण में भारत से संबंधित कुछ द्विपक्षीय मुद्दों को उठाया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख). संयुक्त राष्ट्र महासभा की विशेष स्मारक बैठक को संबोधित करते हुए पाकिस्तान की प्रधान मंत्री ने कश्मीर का उल्लेख किया जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकृष्ट करना था।

सरकार सभी भारत–पाकिस्तान मसलों को शिमला समझौते के अन्तर्गत सीधे द्विपक्षीय विचार–विमर्शों के जरिये सुलझाने के प्रति वचनबद्ध है। सरकार ने पाकिस्तान से पूर्व–शर्तों के बिना द्विपक्षीय विचार–विमर्श पुनः आरम्भ करने की अपनी इच्छा बार–बार दोहराई है।

डी. डी. पी. और डी. पी. ए. पी.

1170. **श्रीमती वसुन्धरा राजेः** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मरू भूमि विकास कार्यक्रम सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का दायरा बढ़ाने की अत्यन्त आवश्यकता है;

(ख) यदि हां तो क्या इस बारे में राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरू भूमि विकास कार्यक्रम की कवरेज की समीक्षा की तात्कालिकता को मानते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 1993 में योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्रो. सी. एच हनुमंजराव की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की गई थी।

(ख) राज्यों ने तकनीकी समिति को दिए गये अपने ज्ञापनों में इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अतिरिक्त खण्डों को शामिल करने का अनुरोध किया था।

(ग) तकनीकी समिति की अप्रैल 1994 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में सिफारिश किए गये नये मानदंड के आधार पर मरू भूमि विकास कार्यक्रम की कवरेज को पांच राज्यों के 21 जिलों के 131 खण्डों से बढ़ाकर 7 राज्यों के 36 जिलों के 227 खण्डों तक किया गया है। इसी प्रकार सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम की कवरेज को 13 राज्यों के 96 जिलों के 627 खण्डों से बढ़ाकर 13 राज्यों के 149 जिलों के 946 खण्डों तक बढ़ाया गया है। यह विस्तारित कवरेज 01 अप्रैल, 1995 से प्रभावी हुई है। इस समय सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम/मरू भूमि विकास कार्यक्रम की कवरेज का और विस्तार करने का कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

भारत–हालैंड सहयोग से उत्तर प्रदेश में आरम्भ की गई परियोजनाएं

1171. **श्री केशरी लालः** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत–हालैंड योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के तहत कहां–कहां काम हो रहा है; और

(ख) इन परियोजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) और (ख). इण्डो–डच योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित विकासात्मक परियोजनाएं चल रही हैं:–

योजना का नाम	जिलों के नाम
(1) हैण्ड-पम्प	इलाहाबाद, मथुरा, इटावा, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, लखीमपुरखेड़ी, बहराईच, गोंडा, बस्ती, बलिया, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बदायूं कानपुर देहात, ऊन्नाव
(2) पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजना	इलाहाबाद, वाराणसी
(3) स्वच्छता	वाराणसी, अल्मोड़ा
(4) जल आपूर्ति	मेरठ, अल्मोड़ा

चालू विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के साथ-साथ विचार-विमर्श एवं अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से निधियों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है।

[अनुवाद]

दिल्ली परिवहन निगम का कर्मचारी भविष्य निधि खाता

1172. **श्री राम विलास पासवानः**
श्री राजेश कुमारः

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अब तक दिल्ली परिवहन निगम की ओर कर्मचारी भविष्य निधि खाते की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) उक्त राशि के भुगतान और दिल्ली परिवहन निगम को आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम.राजशेखर मूर्ति): (क) 24 करोड़ रू।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम और अधिक निधियां जुटाने के लिए पूरे प्रयास कर रहा है ताकि वह अपनी वचनबद्ध देयताएं पूरी कर सके। दिल्ली परिवहन निगम को स्वावलम्बी बनाने के लिए सरकार एक परस्पर संबद्ध पैकेज पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

[हिन्दी]

स्पंज लौह एकक

1173. **श्री नीतीश कुमारः**
डा. महादीपक सिंह शाक्यः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितम्बर, 1995 के "बिजिनेस स्टेन्डर्ड" में "पूअर क्वालिटी कोल इनफिलक्त ह्यूज आउटपुट लोस ऑन स्पोन्ज आयरन यूनिटस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में घटिया किस्म के कोयले के कारण इस्पात उत्पादों को भारी वित्तीय घाटा हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इन उत्पादकों को अच्छी किस्म का कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). स्पंज आयरन मैनुफैक्चरर्स एशोसिएशन (एस.आई.एम.ए.) ने कोयले पर आधारित मौजूदा स्पंज लोहा इकाइयों को सप्लाई किये जा रहे घटिया क्वालिटी के कोयले के विरूद्ध अभ्यावेदन किया था। एस.आई.एम.ए. द्वारा यह बताया गया है कि उन्हें सप्लाई किये गये कोयले में राख अंश अपेक्षित स्तर से अधिक है जिससे उत्पादकता, ईंधन खपत, वित्तीय निष्पादन आदि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) और (ङ). अन्य बातों के साथ-साथ स्पंज लोहा इकाइयों के निष्पादन में सुधार करने के लिए लोहा और इस्पात निर्माताओं द्वारा निजी खानों को अनुमति देने हेतु 9.6.93 से कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 को संशोधित किया गया है। यह संशोधन खानों से प्राप्त कोयले की धुलाई करने के लिए धोवनशालाओं की स्थापना करने की अनुमति भी देता है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 1994-95 के बजट में अकोककर कोयले पर सीमा शुल्क 85% से घटाकर 35% कर दिया है।

राज्यों के लिए विद्युत आपूर्ति का फार्मूला

1174. **श्री गिरधारी लाल भार्गवः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार योजनागत केन्द्रीय सहायता पर आधारित विद्युत

सम्बन्धी व्यय के संशोधन के पश्चात केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से राज्यों की विद्युत के वितरण संबंधी वर्तमान फार्मूला की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान की सरकार ने राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना समाप्त कर दिए जाने के कारण राज्य को 300 मे.वा. की क्षति हेतु वर्तमान दर पर मुआवजा देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) और (ख). केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से राज्यों को विद्युत के वितरण के संबंध में विद्यमान फार्मूला संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है और इस प्रकार, इस समय, विद्यमान फार्मूले की समीक्षा करने हेतु इसकी परिकल्पना नहीं की गई है।

(ग) और (घ). राजस्थान को, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की दोनों यूनिटों के बंद हो जाने के कारण होने वाली हानि का उपयुक्त रूप से मुआवजा दिया गया है। सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(1) उत्तरी क्षेत्र में बदरपुर और दादरी ताप विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन. टी. पी. सी.) विद्युत केन्द्रों के अनाबंटित (15%) का 50% राजस्थान को आबंटित कर दिया गया है।

(2) एन. टी. पी. सी. के अंता गैस विद्युत केन्द्र से विद्युत उत्पादन का 1/3 अक्तूबर, 1993 से राजस्थान को आबंटित कर दिया गया है।

(3) दादरी गैस विद्युत परियोजना में उत्तर प्रदेश का 50 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान को 16.3.95 से आबंटित कर दिया गया है।

ग्रामीण और विकास योजनाओं में परिवर्तन

1175. श्री राम सिंह कस्वा:
डा. राम कृष्ण कुसमरिया:
श्री पंकज चौधरी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण और रोजगार योजनाओं में मुख्य परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) और (ख). ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले भारत सरकार के समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना दो प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम हैं। राज्य प्राधिकारियों और क्षेत्रीय कार्यकताओं के परस्पर संबंधों के आधार पर इन कार्यक्रमों में सुधार किए गए हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सुधार करने और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डॉ. डी. आर. मेहता की अध्यक्षता में सितम्बर, 1993 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रभावी सुधार करने हेतु कुछेक सिफारिशें की हैं। महत्वपूर्ण सिफारिशें ये हैं– (1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को व्यापक रूप से शामिल करना, (2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता हेतु गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों का चयन कुशल ज्ञान/अनुभव/ वाले लोगों में से किया जाना चाहिए।

ग्रामीण विकास योजनाओं का विकेन्द्रीकरण

1176. श्री रामपाल सिंह:
श्री प्रभुदयाल कठेरिया:
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री अमरपाल सिंह:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास योजनाओं को उनके उचित क्रियान्वयन हेतु विकेन्द्रित करने का है ताकि इन योजनाओं का लाभ आवश्यक व्यक्ति तक पहुंचाने में कोई विलम्ब न हो;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाईपटेल): (क) से (ग). केन्द्र द्वारा शुरू की गई विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाएं अलग–अलग कार्यक्रमों के लिए जारी की गई विस्तृत मार्ग दार्शिकाओं के अनुसार विकेन्द्रित ढंग से जिला/खंड/ग्राम पंचायतों के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं।

इन योजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु अधिकांश कार्यक्रमों के संबंध में विभिन्न राज्यों की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को सीधे निधियां जारी की जाती हैं। यह देखने के लिए किस कार्यक्रमों के लाभ जरूरत मन्द गरीबों को मिलें इन कार्यक्रमों पर विभिन्न स्तरों पर निरंतर एवं नजदीकी से निगरानी रखी जाती है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने कार्यक्रमों का समावर्ती मूल्यांकन करने के लिए एक नियमित प्रणाली भी विकसित की है। ताकि जहां

कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में अमरीकी पूंजी निवेश

1177. **श्रीमती शीला गौतमः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अमरीकी निवेश वाली विद्युत परियोजनाओं के संबंध में अमरीकी सरकार को प्रगति संबंधी रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो अमरीकी सरकार को ये रिपोर्टें भेजे जाने की क्या विवशताएं हैं और स्वदेशी विद्युत उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)ः (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रायचूर ताप विद्युत परियोजना

1178. **श्री ए. वेंकटेश नायकः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कर्नाटक की सरकार ने रायचूर ताप विद्युत परियोजना के 5वें और 6वें चरण को कर्नाटक विद्युत निगम को सौंप देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार कर्नाटक में रायचूर ताप विद्यतु परियोजना के 5वें और 6वें चरण को आरम्भ करने हेतु कोई कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)ः (क) और (ख). कर्नाटक की सरकार ने रायचूर ताप विद्युत परियोजना की पांचवीं और छठी (2X210 मे.वा.) इकाई का क्रियान्वयन संबंधी कार्य कर्नाटक विद्युत निगम लि. को सौंप देने का निर्णय लिया है। रायचूर ताप विद्युत केन्द्र के विस्तार के रूप में यूनिट 5 व 6 की स्थापना संबंधी एक अद्यतन व्यवहार्यता रिपोर्ट तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कर्नाटक विद्युत निगम लिमिटेड से प्राप्त हो गई है।

(ग) और (घ). कर्नाटक की सरकार को आवश्यक निवेश यथा कोयला लिंकेज, जल उपलब्धता सुनिश्चित करने और पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति समेत आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सलाह प्रदान की गई है, ताकि के.वि.प्रा. कथित परियोजना तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन संबंधी कार्य कर सके।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवक

1179. **श्री राजेन्द्र कुमार अग्निहोत्रीः** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इसकी तुलना मे देश में बेरोजगारों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा इन युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और ऐसे प्रयास किन–किन क्षेत्रों में किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) मे राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार)ः (क) और (ख). योजना आयोग के अनुसार, आठवीं योजना अर्थात् अप्रैल, 1992 के आरंभ मे सुस्पष्ट बेरोजगारी अनुमानतः 17.0 मिलियन थी। योजना आयोग द्वारा किया गया मूल्यांकन यह दर्शाता है कि अप्रैल, 1993, अप्रैल, 1994 और अप्रैल 1995 के आरंभ में बेरोजगारी क्रमशः लगभग 17.10 मिलियन, 18.87 मिलियन और 18.69 मिलियन थी। ग्रामीण/शहरों द्वारा इन आकलनों के ब्यौरे, और आयु वर्ग को बनाया नहीं गया है।

(ग) आठवीं योजना में रोजगार की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि जैसे विशेष रोजगार कार्यक्रमों की सहायता से एक रोजागारोन्मुख विकास नीति की मार्फत औसतन 8.5 मिलियन वार्षिक अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करने की परिकल्पना है।

किसानों को फालतू भूमि का वितरण

1180. **डा. चिन्ता मोहनः**
श्री नवल किशोर रायः

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भूमि सीमा नियतन के पश्चात देश में निर्धन किसानों के बीच वितरण के लिए बड़े पैमाने पर फालतू भूमि पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी भूमि का अनुमानित कुल क्षेत्र कितना है;

(ग) इसमें से कितनी भूमि विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों से सम्बद्ध है;

(घ) क्या सरकार ने इन विवादों के शीघ्र निपटाने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) और (ख). जी, हां। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, समूचे देश में वितरण हेतु उपलब्ध अधिकतम सीमा से फालतू कुल भूमि 2222609 एकड़ है।

(ग) भूमि की उपरोक्त मात्रा में से, विभिन्न न्यायालयों में चल रहे मुकदमों में फंसी भूमि इस प्रकार है:

(1) सर्वोच्च न्यायालय में – 61776 एकड़,

(2) उच्च न्यायालयों में – 396268 एकड़,

(3) राजस्व न्यायालयों में – 375013 एकड़।

(घ) और (ङ). केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेद 323–बी के अंतर्गत भूमि न्यायाधिकरण गठित करने की सलाह दी है और इसी प्रकार उच्च न्यायालयों को मुकदमों के शीघ्र निपटान करने के लिए विशेष न्यायपीठ बनाने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

1181. **श्री फूलचन्द वर्माः**
श्री अमर रायप्रधानः
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डेः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1994–95 और 1995–96 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि में वृद्धि करने हेतु सम्बद्ध राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या सरकार उनके अनुरोध से सहमत है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया है;

(ङ) देश में इस समय कुल कितने गांव ऐसे हैं, जहां बिजली उपलब्ध नहीं है;

(च) क्या सरकार ने सभी गांवों में विद्युतीकरण हेतु कोई समयबद्ध योजना/कार्यक्रम तैयार किया है;

(छ) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) वर्ष 1994–95 और 1995–96 के दौरान अक्तूबर, 1995 तक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग). विद्युत मंत्रालय को उत्तर प्रदेश और असम सरकार से क्रमशः ग्रामीण विद्युतीकरण और कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता में वृद्धि करने हेतु दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हालांकि, सरकार देश में कुटीर–ज्योति कार्यक्रम के लिए, 1995–96 में बजटीय आबंटन को 6 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रूपये करने पर सहमत हो गई है, परन्तु फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध को वित्तीय बाधाओं और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की अत्यधिक बकाया देय राशियों के कारण नहीं माना जा सकता।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांवों का राज्यवार ब्यौरा विवरण– II में दिया गया है।

(ङ) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, देश में 84,056 गांवों में बिजली उपलब्ध नहीं है।

(च) से (ज). ग्रामीण विद्युतीकरण एक सतत प्रक्रिया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य, योजना आयोग द्वारा राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श से वार्षिक आधार पर संसाधनों की सम्पूर्ण उपलब्धता और राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त प्रस्तावों को देखते हुए निर्धारित किए जाते हैं।

विवरण–I

1994–95 और 1995–96 के दौरान (31.10.95 तक) (अनंतिम) ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर ई सी द्वारा प्रदान की गई निधियों और ऋण की राशि का राज्यवार आवंटन

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	1994–95		1995–96	
		आवंटन	संवितरण	आवंटन	संवितरण (31.10.95 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	73.73	132.21	59.15	37.24
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.50	27.79	11.25	5.14
3.	असम	7.25	36.00	36.25	–
4.	दिल्ली	1.00	0.00	0.25	–
5.	बिहार	4.75	5.88	16.00	–
6.	गोवा	0.25	0.00	0.00	–
7.	गुजरात	43.82	44.09	46.40	20.00
8.	हरियाणा	14.16	15.98	14.80	4.09
9.	हिमाचल प्रदेश	6.00	13.07	12.00	0.90
10.	जम्मू एवं कश्मीर	4.00	9.26	13.62	1.53
11.	कर्नाटक	15.00	50.05	45.75	36.37
12.	केरल	8.00	15.97	27.80	16.45
13.	मध्य प्रदेश	53.00	161.58	62.00	12.33
14.	महाराष्ट्र	62.54	92.99	63.30	50.00

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	1994–95		1995–96	
		आवंटन	संवितरण	आवंटन	संवितरण (31.10.95 तक)
1	2	3	4	5	6
15.	मणिपुर	10.40	7.09	8.86	–
16.	मेघालय	6.25	–	9.74	–
17.	मिजोरम	7.70	8.19	7.40	0.51
18.	नागालैण्ड	1.50	0.11	1.25	–
19.	उड़ीसा	25.00	17.00	18.60	–
20.	पंजाब	14.00	24.97	13.00	3.60
21.	राजस्थान	64.93	77.04	72.20	10.24
22.	सिक्किम	1.00	0.30	0.50	–
23.	तमिलनाडु	52.82	77.79	47.44	15.56
24.	त्रिपुरा	11.25	6.48	6.25	1.16
25.	उत्तर प्रदेश	108.00	92.53	92.42	–
26.	प. बंगाल	21.00	20.89	31.60	–
27.	अन्य एमएमएच/ओईसीएफ/वी को आपरेटिव आदि	87.00	90.72	87.00	0.35
	जोड़	709.85	1027.97	804.83	215.47

विवरण-II

ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन वर्षों के दौरान यथा; 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में देश में विद्युतीकृत * गांव

क्र.सं.	राज्य	निम्न अवधि के दौरान विद्युतीकृत गांव		
		1992-93	1993-94	1994-95
1.	अरूणाचल प्रदेश	134	80	310
2.	असम	17	14	170
3.	बिहार	258	205	59
4.	जम्मू एवं कश्मीर	5	6	50
5.	मध्य प्रदेश	605	751	1019
6.	मणिपुर	60	85	71
7.	मेघालय	69	23	शून्य
8.	मिजोरम	50	50	65
9.	उड़ीसा	200	226	223
10.	राजस्थान	689	711	699
11.	त्रिपुरा	200	200	150
12.	उत्तर प्रदेश	947	650	428
13.	प. बंगाल	435	351	310
	जोड़: (राज्य)	3669	3352	3554

* राज्य योजना सहित

पुलों की मरम्मत

1182. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1995 से 31 अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत के लिए राज्यवार कितना खर्च हुआ; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कितना खर्च किए जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख). निधियां जारी करने का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(लाख रू.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.95 से 31.10.95 तक हुआ खर्च	स्वीकृत कार्यों के लिए 31.10.95 तक होने वाला खर्च
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	25.00	20.94
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	89.19	53.80
4.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	–	–
5.	बिहार	2.30	2.30
6.	चन्'	–	–
7.	दादर एवं नागर हवेली	–	–
8.	दमन एवं दीव	–	–
9.	दिल्ली	–	–
10.	गोवा	10.85	–
11.	गुजरात	21.95	39.24
12.	हरियाणा	–	–
13.	हिमाचल प्रदेश	3.41	–
14.	जम्मू एवं कश्मीर	2.00	18.84
15.	कर्नाटक	1.80	3.64
16.	केरल	0.50	24.96

(लाख रू)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.95 से 31.10.95 तक हुआ खर्च	स्वीकृत कार्यों के लिए 31.10.95 तक होने वाला खर्च
1	2	3	4
17.	लक्षद्वीप	–	–
18.	मध्य प्रदेश	17.21	17.23
19.	महाराष्ट्र	48.00	23.71
20.	मणिपुर	1.01	–
21.	मेघालय	2.89	1.28
22.	मिजोरम	–	–
23.	नागालैंड	–	–
24.	एन.ई.सी.	–	–
25.	उड़ीसा	14.04	3.06
26.	पांडिचेरी	–	–
27.	पंजाब	5.45	3.26
28.	राजस्थान	1.60	–
29.	सिक्किम	–	3.87
30.	तमिलनाडु	4.31	12.15
31.	त्रिपुरा	–	–
32.	उत्तर प्रदेश	27.33	13.78
33.	पश्चिम बंगाल	3.8	16.68
	कुल	282.71	257.33

पश्चिम बंगाल में किया जाने वाला खर्च=6.68 लाख रू

उत्तर पूर्वी राज्यों में किया जाने वाला खर्च=55.08 लाख रू

ट्रकों की भार क्षमता

1183. **श्री सोमजीभाई डामोरः** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में नये नियम द्वारा ट्रकों की भार क्षमता सीमित कर देने के कारण परिवहन शुल्कों में भारी वृद्धि हो गयी है जिस कारण आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी और फलों की कीमतें प्रभावित हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अधिकतम और व्यवहार्य क्षमता की अनुमति देकर पूर्व स्थिति बहाल करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) से (ग). ट्रकों में भार को सीमित किए जाने संबंधी विनियमों में परिवर्तन नहीं किया गया है और वही विनियम अभी प्रचालित हैं जो मोटर यान अधिनियम 1988 लागू होने से पहले प्रचलित थे। चूंकि, अधिक–भार को सड़क दुर्घटनाओं और सड़कों को नुकसान के लिए मुख्य कारण माना जाता है, अतः समय–समय पर राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे ओवर–लोडिंग की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कारगर कदम उठाएं। केवल यही एक मात्र ऐसा कारण नहीं है जिससे इस अभियान को लागू करने के परिणामस्वरूप कुछ परिवाहकों ने परिवहन प्रभारों में बढ़ोत्तरी की है।

(घ) और (ङ). चूंकि विनियमों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अतः यथास्थिति बहाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जहाजरानी तथा परिवहन नीति

1184. **डॉ. वसंत पवारः**
श्री शरत पटनायकः
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुलः
श्री गोपीनाथ गजपतिः

क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास नई जहाजरानी तथा परिवहन नीति शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक नई नीतियों की घोषणा किए जाने तथा लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) उक्त नीतियों की मुख्य बातें क्या हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) से (ग). सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ द्वारा नौवहन नीति की रूपरेखा के संबंध में उठाए गए विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा अपनी सिफारिशें देने के लिए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के तत्वावधान में सितम्बर, 1995 में एक समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:–

(i) लाइनर, कन्टेनर, बहुविधि, शुष्क बल्क, सजल बल्क, तटीय एवं अपतटीय आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय बेड़े के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए किए जाने वाले उपाय,

(ii) अगले 5 से 10 वर्षों के लिए नियत किए जाने वाले टनभार लक्ष्य की प्रायोजना,

(iii) राष्ट्रीय बेड़े की कारगर तैनाती में मदद करने के लिए पत्तनों एवं जहाज–मरम्मत सुविधाओं जैसी अवसंरचना आधार को सुदृढ़ करने की आवश्यकता,

(iv) कार्गो आधार,

(v) मानव संसाधन विकास,

(vi) वित्तीय प्रोत्साहन,

(vii) कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय।

यह समिति अपनी रिपोर्ट 6 महीने के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

राष्ट्रीय परिवहन समन्वय समिति के गठन पर योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

1185. **श्री रामेश्वर पाटीदारः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस पर आधारित गैर–सरकारी क्षेत्र की किसी विद्युत परियोजना को पिछले 10 माह के दौरान स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर–सरकारी और सरकारी क्षेत्र में कुल विद्युत उत्पादन में कोयले पर आधारित विद्युत का इस समय योगदान कितना है; और

(घ) आठवीं योजनावधि की समाप्ति तक यह योगदान कितना होने की सम्भावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) और (ख). पिछले 10 वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निजी क्षेत्र की तीन गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका ब्यौरा निम्नलिखित है:–

क्र.सं.	स्कीम/राज्य प्रवर्तक	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	सीईए को स्वीकृति प्राप्त करने की तारीख
1.	हजीरा सीसीजीटी/गुजरात	515	1666.56	21.7.1995
2.	(मै. एस्सार पावर लि.)			
3.	बड़ौदा सीसीजीटी/गुजरात (मै. जीआईसीसीएल)	167	368.22	18.10.1995
4.	पिल्लइपेरुमल्लनेल्लूर सीसीजीटी/तमिलनाडु (मै. डायना माकोविस्की पावर कम्पनी)	330.5	1121.7	18.10.1195

(ग) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार गैस आधारित क्षमता का कुल हिस्सा 6.94% है, जिसमें से 0.60% और 6.34% क्रमशः निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20729.7 मे.वा. की सम्भावित क्षमता अभिवृद्धि के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में गैस आधारित क्षमता के हिस्से की 7.21% होने का अनुमान लगाया है, जिसमें 0.66% निजी और 6.55% सार्वजनिक क्षेत्र में शामिल है।

केरल में बिजली संकट

1186. श्री रमेश चेन्नितलाः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केरल में विद्युत की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य में नये विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अद्यतन स्थिति क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) और (ख). अप्रैल–अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान केरल में उर्जा की कमी और व्यस्ततमकालीन कमी क्रमशः 12 प्रतिशत और 15.7 प्रतिशत थी।

(ग) और (घ). जी, हां। एन.टी.पी.सी. के अन्तर्गत कायमकुलम 400 मे. वा. सी.सी.जी. टी. को अगस्त, 1995 में सरकार द्वारा निवेश संबंधी अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। वर्ष 1994 की तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर के आधार पर परियोजना की अनुमानित लागत 1310.58 करोड़ रुपये है। एन. टी. पी. सी. द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जो निष्पादित होने की अवस्था में हैं।

राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय निधि का अन्य मद में अंतरण

1187. श्री रवि रायः
श्री मोहन रावलेः
श्री माणिकराव होडल्या गावीतः

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने जवाहर रोजगार योजना और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको दी गई धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया है और इस धनराशि को अन्य मदों में अंतरित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पिछले गत वर्षों के दौरान ऐसी निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (घ). कुछ राज्यों में जवाहर रोजगार योजना और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे अन्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों का उपयोग निर्धारित मात्रा से कम हुआ है। तथापि राज्य सरकारों द्वारा अन्य स्रोतों में इन कार्यक्रमों की निधियों के अपवर्तन की सूचना नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बिहार

1188. श्री रामकृपाल यादवः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में इस समय कितने पासपोर्ट कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कार्यालयों द्वारा कितने पासपोर्ट जारी किए गए;

(ग) इन कार्यालयों द्वारा पासपोर्ट जारी करने में औसतन कितना समय लिया जाता है;

(घ) इन कार्यालयों में छः महीने से अधिक समय से कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा लम्बित आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) बिहार राज्य में पटना स्थित एक पासपोर्ट कार्यालय है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा जारी किए गए कुल पासपोर्ट की संख्या थीः 1992 में 36400, 1993 में 46608, और 1994 में 70521

(ग) पटना स्थित पासपोर्ट कार्यालय नए पासपोर्ट जारी करने में लगभग 5 सप्ताह का समय लेता है।

(घ) पटना स्थित पासपोर्ट कार्यालय में 6 माह और इस से अधिक समय से लम्बित आवेदनपत्रों की कुल संख्या 614 है।

(ङ) पासपोर्ट शीघ्रता से जारी करने के लिए पासपोर्ट कार्यालयों की कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने के उद्देश्य से सरकार ने कदम उठाए हैं और उठाती रहेगा जैसे कि स्टाफ में वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण सहित कार्यालय सुविधाओं को उन्नत बनाना, विलम्ब दूर करने के उद्देश्य से प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा, पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित रूप से निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्रवाई।

राज्यों में विद्युत आपूर्ति भंग होना

1189. श्री चन्द्रेश पटेलः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 1 सितम्बर, 1995 और 5 नवम्बर, 1995 के बीच गुजरात, दिल्ली और देश के अन्य भागों में विद्युत आपूर्ति भंग हो जाने से उद्योगों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और जन-साधारण को काफी कठिनाई का सामान करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विद्युत आपूर्ति भंग होने के क्या कारण थे;

(घ) ऐसी स्थिति में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) वर्ष 1994-95 के दौरान विद्युत के कुल उत्पादन, सप्लाई और मांग का ब्यौरा क्या है;

(च) वर्ष 1996-97 के लिए कुल कितनी बिजली के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम ठठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार को कुछ अर्द्ध-सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) 1 सितम्बर, 1995 और 5 नवम्बर, 1995 की अवधि के दौरान पश्चिमी ग्रिड (गुजरात समेत) में किसी प्रकार को बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई थी, जिसके कारण औद्योगिक तथा व्यावसायिक संस्थानों को लम्बे समय तक विद्युत की सप्लाई में बाधा आई हो। तथापि, 10 अक्तूबर, 1995 की रात्रि के समय उत्तरी ग्रिड में प्रमुख रूप से गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण समग्र उत्तर प्रदेश व राजस्थान तथा दिल्ली आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे।

(ख) और (ग). उत्तरी ग्रिड में 10 अक्तूबर, 1995 को 22.54 बजे ग्रिड में जो गड़बड़ हुई थी, वह एन टी पी सी के दादरी उपकेन्द्र में खराबी के कारण ट्रिगर की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे उत्तरी क्षेत्र में विभिन्न विद्युत केन्द्र विशेष रूप से उत्तर प्रदेश व राजस्थान पर विपरीत प्रभाव पड़ा था।

(घ) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें एन टी पी सी, पावरग्रिड, यू पी एस ई बी और एन आर ई बी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, इस समिति ने इस प्रकार की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कुछ उपचारात्मक उपाय सुझाए हैं और संबंधित संगठनों/राज्य बिजली बोर्डों से इनका क्रियान्वयन किए जाने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

(ङ) 1991–92 से 1994–95 तक के लिए देश में कुल मिलाकर विद्युत स्थिति का ब्यौरा निम्नवत् हैः–

(आंकड़े निवल मि.यू. में)

वर्ष	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	प्रतिशत
1990–91	267632	246560	–21072	–(7.9)
1991–92	288974	266432	–22542	–(7.8)
1992–93	305266	279824	–25442	–(8.3)
1993–94	323252	299494	–23758	–(7.3)
1994–95	352260	327281	–24979	–(7.1)

(च) यद्यपि, 1996–97 के लिए क्षमता वृद्धि और विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों का अभी निर्धारण किया जाना है, देश में विद्युत उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, पुरानी यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रम को हाथ में लेने के लिए बिजली बोर्डों की सहायता करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला और पर्याप्त मात्रा में कोयला आपूर्ति करना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना तथा पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना।

(छ) और (ज). अभी तक लगभग 93660 मे.वा. की अतिरिक्त क्षमता के लिए निजी क्षेत्र में 245 विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने के लिए रूचि प्रकट की गई है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों का होता है। इन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में यदि किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो इसको दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्य की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

असम में राष्ट्रीय राजमार्ग

1190. श्री प्रबीन डेकाः क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछ चुनिंदा खण्डों को सुदृढ़ बनाने हेतु 1994–95 के दौरान किसी परियोजना को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ असम में राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी खण्ड का चयन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) और (ग). असम में रा.रा.–31 के 16 कि.मी. लम्बे खंड में पेवमेंट को मजबूत बनाए जाने संबंधी कार्य को संस्वीकृति दी जा चुकी है और संस्वीकृति 1995–96 में जारी की गई।

कोचीन पत्तन का आधुनिकीकरण

1191. प्रो. के. वी. थामसः क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कोचीन पत्तन में 1993–94 और 1994–95 के दौरान कितने कंटेनर लादे गए/उतारे गए;

(ख) कोचीन पत्तन का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का विचार है; और

(ग) कोचीन में वल्लार पदम ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान कोचीन पत्तन ने क्रमशः 70,830 टी.ई.यू. और 86,450 टी.ई.यू. कंटेनरों को हैंडल किया।

(ख) कोचीन पत्तन का आधुनिकीकरण करने के विचार से हाल ही में एक सर्वांगपूर्ण कंटेनर टर्मिनल चालू किया गया है। कोचीन तेल टर्मिनल तक जाने वाले चैनल में बड़े निर्माण से संबंधित एक अन्य परियोजना भी पूरी की गई है। इसके अतिरिक्त 30/35 टन के दो बोलर्ड पुल टगों, एक बड़े डायनामिक स्किमर का प्रतिस्थापन करने तथा 2 रोच स्टेकरों को खरीदने का भी प्रस्ताव है।

(ग) कोचीन में वलारपाडम ट्रांशिपमेंट टर्मिनल के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

सऊदी अरब में कुछ भारतीयों का सर कलम किया जाना

1192. श्री बृशिण पटेल:
श्री गुमान मल लोढ़ा:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 सितम्बर, 1995 के "पायोनियर" में "सेवन इंडियन बिहेडिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इन सात भारतीयों के नाम क्या है और ये व्यक्ति किन–किन राज्यों से हैं;

(घ) उन्हें किस अपराध के लिए फांसी दी गई थी;

(ङ) क्या भारत सरकार ने सऊदी अरब द्वारा इन व्यक्तियों को फांसी दिए जाने से पूर्व इनके जीवन बचाने के प्रयास किए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया): (क) जी, हां।

(ख) स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित आंतरिक मंत्रालय, सऊदी अरब सरकार के एक बयान के अनुसार सात भारतीय राष्ट्रिक हुफुफ के पूर्वी नगर में स्थित "एक डिपार्टमैंटल स्टोर में डाका डालने और एक गार्ड की हत्या करने के दोषी पाए गए। उस गैंग के सदस्यों ने स्टोर की तिजोरी तोड़ने से पहले स्टोर के गार्ड और उसके पुत्र को बांध दिया। बाद में उन्होंने उस गार्ड को छुरा घोंप कर हत्या कर दी और तत्पश्चात चौकीदार की गाड़ी में फरार हो गए। इस डाके की योजना बनाने और उसको अंजाम देने के लिए पहले इन व्यक्तियों ने शहर में पांच महीने के लिए एक फ्लैट किराए पर लिया था।

(ग) उक्त सात भारतीयों और उनके मूल निवास राज्यों के नाम निम्न प्रकार से हैं।

नाम	मूल निवास राज्य
1. मनफूल राम ढाका	राजस्थान
2. राजकुमार ढाका	राजस्थान
3. निवास जाट बुदानिया	राजस्थान
4. सोहन मोइली भाई	गुजरात
5. विजय पाल रोडम	राजस्थान
6. मोहम्मद अबीब हूडा	राजस्थान
7. हुल्सा राम जागना	राजस्थान

(घ) यह आरोप लगाया गया था कि उपर्युक्त सभी सातों भारतीय राष्ट्रिकों ने मिलकर एक षडयंत्र रचा और डाका डाला तथा एक सऊदी राष्ट्रिक की हत्या की।

(ङ) और (च). प्रवासियों द्वारा किए गए हत्या, बलात्कार, व्यभिचार, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार आदि जैसे दण्डय अपराधों के मामलों में व्यक्तियों की रिहाई के लिए सऊदी सरकार राजनयिक/कांउसली मिशनों की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करती और इस बात पर बल देती है कि देश के कानून के अनुसार निर्णय होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में उर्वरकों का उत्पादन

1193. डा. साक्षी जी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में उर्वरक उत्पादन एककों में उनकी क्षमता के अनुकूल उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (ग). उत्तर प्रदेश में प्रमुख उर्वरक संयंत्रों की क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन के एकक-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं। इन संयंत्रों की क्षमता। उपयोगिता संतोषजनक रही है।

उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित अमोनिया-यूरिया संयंत्रों को इस समय कार्यान्वित किया जा रहा है:-

(i) 7.26 लाख टन यूरिया की वार्षिक क्षमता वाला ओस्वाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि, शाहजहांपुर संयंत्र ने नवम्बर 1995 में परीक्षण उत्पादन आरम्भ किया।

(ii) 7.26 लाख टन यूरिया की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता के साथ, जिला-बरेली, इफको की आंवला विस्तार परियोजना।

(iii) 7.26 लाख टन यूरिया की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता के साथ इफको की फुलपूर विस्तार परियोजना।

विवरण

1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रमुख उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन निष्पादन

क्रमांक	संयंत्र	क्षेत्र	उत्पाद	स्थापित क्षमता	उत्पादन 1994-95	क्षमता उपयोगिता प्रतिशतता
			-("000मी. टन)-			
1.	एफ सी आई: गोरखपुर	सार्वजनिक	यूरिया	285.0*	-	-
2.	इफको-फुलपूर	सहकारी	यूरिया	495.0	659.0	133.1
3.	इफको - आंवला	सहकारी	यूरिया	726.0	800.7	110.3
4.	डी. आई. एल.: कानपुर	निजी	यूरिया	675.0	718.4	106.4
5.	आई जी एफ सी सी: जगदीशपुर	निजी	यूरिया	726.0	784.3	108.0
6.	टी सी एल : बबराला**	निजी	यूरिया	742.0	156.2	84.2

* संयंत्र में दुर्घटना के कारण एफ सी आई का गोरखपुर संयंत्र 10.6.1990 से बन्द पड़ा है।

** 1.1.1995 से वाणिज्यिक उत्पादन का आरम्भ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग- 47 का रख-रखाव

1194. श्री एन. डेनिस: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेष रूप से त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग- 47 के उचित रख-रखाव हेतु क्या कदम उठाये हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 के त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी खंड सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए निधियां प्रतिवर्ष जारी की जाती हैं ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों को उपलब्ध निधियों के अंतर्गत यातायात चलने योग्य स्थिति में रखा जा सके।

[हिन्दी]

ग्रैंड ट्रंक रोड को चौड़ा किया जाना

1195. डा. लाल बहादुर रावल: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रैंड ट्रंक रोड को दोहरे लेन वाली सड़क बनाने हेतु इस सड़क को चौड़ा करने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह काम कब तक पूरा हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख). ग्रैंड ट्रंक रोड़ अमृतसर से दिल्ली तक रा. रा. - 1 है, दिल्ली से कानपुर तक उत्तर प्रदेश में यह राज्यीय सड़क है और कानपुर से कलकत्ता तक रा. रा. - 2 है। राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 लेन का बनाए जाने हेतु प्रगति और लक्षित तारीख के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

क्रम सं.	कार्य का नाम	प्रगति/पूरा करने की लक्षित तारीख
1.	रा. रा.-1 का 50 से 74.8 किमी. खण्ड (मुरथल से समालखा)	पूरा होने वाला है।
2.	रा. रा.-1 का 74.8 से 130 किमी. खंड (समालखा से करनाल)।	निम्न स्तर के कार्य निष्पादन के कारण ठेकेदार को कार्य से हटा दिया गया है और राज्य का लो.नि.वि. कार्य को पूरा करने के लिए कार्रवाई कर रहा है।
3.	रा.रा.-1 का 130 से 252 किमी. खंड (करनाल से सरहिन्द)	प्रगति पर । 3/96 में पूरा होने की संभावना है।
4.	रा.रा.-1 का 252 से 372 किमी. खंड (सरहिन्द से जालंधर)	अभी हाल ही में पूरा हुआ है।
5.	बिहार में सासाराम कस्बे के निकट रा.रा. 2 का 115 से 119 किमी. खंड।	प्रगति पर । पूरा होने की लक्षित तारीख 3/96 है।
6.	बिहार मे रा.रा.-2 का 398.75 से 441.44 किमी. खंड	कार्य निविदा-पूर्व स्थिति में है।
7.	रा.रा. 2 का 438.6 से 474 किमी. खंड (बिहार-पश्चिम बंगाल सीमा से रानीगंज)	
8.	पश्चिम बंगाल में रा.रा. 2 का 474 से 516 किमी. खंड (पानागढ़)	

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में कट्टरपंथियों का अभियान

1196. **श्री हरिन पाठक:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी सदन के विदेश विभाग की समिति के एक सदस्य ने यह बताया है कि 1989 से जम्मू और कश्मीर के कट्टरपंथी, पाकिस्तान के प्रभाव से, इस्लामी राज्य स्थापित करने के लिए कश्मीरी पंडितों के खिलाफ प्राणघाती अभियान छेड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा क्या है तथा भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख). फरवरी, 1995 को हाउ फारेन अफेयर कमेटी की एशिया प्रशान्त उप समिति की बैठक में कांग्रेस सदस्य शैरड ब्राउन (डेमोक्रेट-ओहायो) ने कश्मीरी पंडितों की हालत का मुद्दा उठाया जिन्होंने "इन वर्षों के दौरान इतना दुःख उठाया है...... जो अपनी ही भूमि पर कई प्रकार से शरणार्थी बन कर रह गए हैं........उनकी समस्याएं केवल शरणार्थी बन जाने की समस्या से कहीं बड़ी समस्या है, उनकी समस्याएं मानवाधिकारों की भी समस्या है" उन्होंने यह प्रश्न किया कि स्टेट डिपार्टमेंट की 1994 की मानवाधिकार संबंधी रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया।

सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि अमरीकी कांग्रेस के सदस्य कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद से प्रभावित कश्मीरी जनता के विभिन्न वर्गों के लोगों की हालत समझने लगे हैं।

समेकित ग्रामीण विकास योजना पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

1197. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने सरकार पर समेकित ग्रामीण विकास योजना को संतोषप्रद रूप से लागू करने में असफल होने का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सबसे गरीब ग्रामीण परिवार/परिवारों के आय–स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के ग्रामीण इलाकों में सुधार लाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई योजनाओं की संख्या वर्षवार कितनी है ;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किस हद तक ये योजनाएं शुरू हो पाई; और

(ङ) योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तमवार): (क) और (ख). समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निधियों की लीकेज तथा दुरुपयोग, अपात्र परिवारों का चयन, निधियों की मंजूरी/वितरण में विलम्ब, मूलभूत ढांचागत सुविधाओं का अभाव जैसी कार्यक्रम की कुछ प्रमुख कमियों का उल्लेख किया गया है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनावार मंजूरी के ब्यौरों की निगरानी इस मंत्रालय द्वारा नहीं की जाती है तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार राज्यों के संबंध में सहायता किए परिवारों की कुल संख्या और उपयोग की गई धनराशि के ब्यौरे, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) संवर्ती मूल्यांकन सर्वेक्षण के चौथे दौर (1992–93) से यह पता चलता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की परिसम्पत्तियों से हुई वार्षिक पारिवारिक आय बिहार में 58% मामलों में, मध्यप्रदेश में 46% मामलों में और उत्तर प्रदेश में 50% मामलों में प्रतिवर्ष 2000 रूपये से अधिक थी।

(ङ) सरकार जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों की वार्षिक प्लान को समय में पूरा करने और सबसिडी के वितरण को शीघ्र करने पर बल देती रही है। मार्गदर्शिकाओं के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मंजूरी के कम से कम 40% भाग को वित्तीय वर्ष के प्रथम 6 माह में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी बैंकों को अनुदेश जारी कर दिए हैं कि वे ऋण आवेदनों की समय पर जांच करें और मंजूरी के काम को दी गई समय अनुसूची के अन्दर पूरा करें।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कवर किए गए परिवारों की संख्या

	बिहार	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश
1992–93	264252	184083	387961
1993–94	335908	242673	445403
1994–95	224736	210560	369725
	उपयोग (रूपए लाख में)		
1992–93	7726.73	7336.37	14395.30
1993–94	10873.59	10040.21	20197.02
1994–95	8346.90	10276.75	19335.12

भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ

1198. श्री राम कापसेः क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ (एफ आई एम आई) द्वारा हाल ही में किये गए अध्ययन में निर्यात के लिए छब्बीस खनिजों की पहचान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ द्वारा क्या अन्य सिफारिशें की गई हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग): (क) और (ख). जी, हां। भारतीय खनिज उद्योग परिसंघ (फीमी) के अध्ययन के अनुसार निर्यात सम्भावना वाले 26 खनिज तथा बैराइट, बाक्साइट, बैंटोनाइट, फुलर्स अर्थ, क्रोमाइट, फेल्सपार, ग्रेफाइट, जिप्सम, इलेमेनाइट, स्टाइल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, ग्रेनाइट, मार्बल, स्लेट, टाल्क, डाइस्पोर, फायरक्ले, काओलिन, पाइरोफिलाइट, क्वार्टज, क्वार्टजाइट, सिलिका सैंड, वर्मिक्युलाइट और वाल्सटॉनाइट हैं।

(ग) रिपोर्ट में खनिज निर्यात में होने वाली तीव्र बढ़ोतरी के मार्ग में आने वाले अनेक प्रतिबंधक बाधाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें उपयुक्त आधार-भूत ढांचा और संचालन सुविधाओं का अभाव आदि शामिल हैं। फीमी ने इन अवरोधों को दूर करने के लिए सघन प्रयास करने की सिफारिश की है।

दुबई में बम्बई के अपराधी

1199. श्री श्रवण कुमार पटेलः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बम्बई अपराध जगत के कम से कम पचास अपराधी और भारतीय मूल के पेशेवर अपराधी और उग्रवादी, जो भारत में हुए विभिन्न अपराधों के संबंध में वान्छित है, दुबई में रह रहे हैं जैसा कि दिनांक 1 अक्तूबर, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इन अपराधियों को हिरासत में लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या दुबई प्राधिकारियों ने हाल ही में इस संबंध में सरकार की सहायता करने हेतु अपने रवैये में परिवर्तन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया): (क) और (घ) रिपोर्टों के अनुसार भारत में जांच अभिकरणों द्वारा जिन अपराधियों और आतंकवादियों की खोज की जा रही है वे एक से दूसरे शहर में घूम रहे हैं जिनमें दुबई भी शामिल है। अतः दुबई में रह रहे अपराधियों की सही संख्या बताना मुश्किल है। जहां कहीं भी यह अपराधी पकड़े जाते हैं वहां उन्हें हिरासत में लेने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। भारत में जांच अभिकरण विभिन्न देशों में अपने समकक्षों के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए हुए हैं जिसमें दुबई भी शामिल है।

रिफ्रेक्टरी और सिरेमिक उत्पादों की आवश्यकता

1200. श्री हाराधन रायः क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में विभिन्न इस्पात संयंत्रों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के रिफ्रेक्टरी और सिरेमिक उत्पादों की कुल आवश्यकता कितनी है और इसकी लागत कितनी है;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या-क्या हैं जिनसे रिफ्रेक्टरी और सिरेमिक उत्पाद खरीदे गए थे और ये उद्योग कहां-कहां स्थित हैं;

(ग) क्या इन इस्पात संयंत्रों द्वारा रिफ्रेक्टरी और सिरेमिक उत्पादों का आयात किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) गत तीन वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., (आर.आई.एन.एल.) और टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी (टिस्को) के एकीकृत इस्पात संयंत्रों की रिफ्रेक्टरी और सिरेमिक उत्पादों की खपत और मूल्य निम्नानुसार हैः-

(मात्राः टन)
(मूल्यः लाख रुपए)

	92-93		93-94		94-95	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
सेल	4,96,190	47,480	4,21,100	44,140	4,23,710	42,780
टिस्को	52,900	6,810	66,900	9,540	53,220	10,650
आर. आई. एन. एल.	54,032	6,654	44,450	4,800	57,326	5,225

(ख) विवरण–I में दिया गया है।

(ग) औ (घ). जी, हां। "सेल" और टिस्को से संबंधित आयात का विवरण निम्न है:–

(लाख रुपये)

	92–93	93–94	94–95
सेल	4120	3460	5540
टिस्को	460	500	800

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन उद्योगों के नाम और स्थिति जिनसे रिफ्रैक्टरी और सिरेमिक उत्पाद मुख्यतः खरीदे गये।

– ए.सी.सी., कटनी
– अजय मैटाकैम, पुणे
– अजय कैमिकल्स, दुर्ग
– अग्रवाल कोक ब्रिक्वैट, भिलाई
– अग्रवाल मिनरल्स, भिलाई
– अलाइड रिफ्रैक्ट्रीज, धनबाद
– अलवर रिफ्रैक्ट्री, जयपुर
– अशोक रिफ्रैक्ट्रीज, गिरसा
– ए.वी.एम. सेल्स कॉरपोरेशन, कलकत्ता
– अचिन्त कैमिकल्स, भीलवाड़ा
– ओरो कैमीकल वर्क्स, बोकारो स्टील सिटी
– आर्कोय इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद
– ऐसोशिएटेड सीमेन्ट कंपनीज लि., कलकत्ता
– ऐसोशिएटेड सैरेमिक प्रा. लि., धनबाद
– बिहार फायर ब्रिक, चिरकुंडा
– बिहार पॉल्ट्रीज, रूपनरिबापुर
– बल्लभगढ़ रिफ्रैक्ट्रीज, बल्लभगढ़
– बालाजी कैमिकल्स, राउरकेला
– बंगाल बिहार फायर ब्रिक्स एण्ड पॉटरी वर्क्स, मुग्मा
– भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि., बोकारो स्टील सिटी
– भारत मिनरल्स एण्ड सैरेमिक इंडस्ट्रीज, रांची
– भूपाल माइनिंग वर्क्स, भीलवाड़ा
– बिहार मिनरल कांप्लैक्स, बोकारो स्टील सिटी
– बिहार पेस्टीसाइड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, हजारीबाग
– बी. आई. ई. एन. आर्टियम नेचुरल साइंस, कलकत्ता
– बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि., बर्दमान
– बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि., धनबाद
– बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि., हावड़ा
– बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लि., रानीगंज
– बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लि., सेलम
– भवानी मैटकैम इंडस्ट्रीज, भिलाई
– बालाजी कैमिकल, दुर्ग
– बिलासपुर रिफ्रैक्ट्रीज, बिलासपुर
– चुरलिया मिनरल कंसर्न, चुरलिया, बिहार
– चिरकुंडा सैरमिक्स
– चैंपियन सैरेमिक्स, बिलासपुर
– कोरोमाउंडल यूनिवर्सल, मद्रास

– कॉरपोरेट सैरेमिक्स

– सैरेमिक इंजीनियरिंग, त्रिची

– कार्बो सैरेमिक्स लि., कलकत्ता

– कारबोरेण्डम यूनिवर्सल लि., होसर

– कारबोरेण्डम यूनिवर्सल लि., कलकत्ता

– कारबोरेण्डम यूनिवर्सल लि., मद्रास

– चामुण्डा ताप निरोधक प्रा. लि., भीलवाड़ा

– सी.आर.डी.सी., कटनी

– चंडी सैरेमिक, चिरकुंडा

– चुरलिया मिनरल्स, चुरलिया, पश्चिम बंगाल

– कोरोमंडल प्रोडोराइट, कलकत्ता

– डा. सी एण्ड बी रिफ्रैक्ट्रीज, दुर्गापुर

– डक्रीन मैकेनिकल एण्ड कैमकिल इंडस्ट्रीज, पुणे

– ईस्टर्न रिफ्रैक्ट्री, झांसी

– ऐवरीमैन्स, राउरकेला

– ऐक्सोमैट फाउंड्री, कलकत्ता

– ऐवरेस्ट एसबैस्टोज मैन्यूफैक्चरिंग कं., अहमदाबाद

– फॉसेको इंडिया, कलकत्ता

– फेयरफलक्स, राजनंदगांव

– फटका रिफ्रैक्ट्रीज, प्रा. लि., धनबाद

– जनरल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, कलकत्ता

– ग्राइंडवैल नोरटाज, त्रिची

– एच.बी. चोपड़ा रिफ्रैक्ट्रीज प्रा. लि., धनबाद

– ही टैक कैमिकल, जमशेदपुर

– हिमालयान मैग्नैसाइट, पिथौरागढ़

– ही टैम्प सैरेमिक्स प्रा. लि., अहमदाबाद

– हाई टैम्प कैमिकल्स प्रा. लि., बंगलौर

– हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता

– हैदराबाद इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बल्लभगढ़

– आई.वी.पी. लिमिटेड, जमशेदपुर

– आई. एफ.जी.एल. रिफ्रैक्ट्रीज, कलुंगा

– इपिटाटा रिफ्रैक्ट्रीज, धनकैनल

– इंडिया इन्सूलेशन, बोकारो स्टील सिटी

– इंडो फ्लोगेट्स लिमिटेड, कलंगा

– इंडोरिम रिफ्रैक्ट्रीज प्रा. लि., धनबाद

– इण्डस्ट्रियल कैमिकल मिनरल कंपनी, बोकारो स्टील सिटी

– इण्टरकिल्न रिफ्रैक्ट्रीज एण्ड सिरेमिक्स प्रा. लि., अहमदाबाद

– झलान रिफ्रैक्ट्रीज, अलवर

– जगन्नाथ मिनरल्स, भवानीपटणम

– झरिया फायरब्रिक्स, झरिया

– जयन्तीलाल एण्ड ब्रदर्स, कलकत्ता

– ज्यूपिटर थर्मो कैमीकल्स प्रा.लि., कलकत्ता

– कुमांउ रिफैक्ट्रीज, हलद्वानी

– किशोर कुमार कुठारी, दुर्गापुर

– के.एस. रिफ्रैक्ट्रीज, झर्सुगुडा

– कविता रिफ्रक्ट्रीज, पुरुलिया

– केरोमस, धनबाद

– कलिंगा रिफ्रैक्ट्रीज, झर्सुगुडा

– कटरास सिरेमिक्स, धनबाद
– कैरो राजेन्द्रा, कुल्टी
– केसोराम रिफ्रैक्ट्रीज, बर्दवान
– कुमारधुबी फायरक्ले एण्ड सिलिकावर्क्स लिमिटेड, धनबाद
– क्वालिटी रिफ्रैक्ट्रीज, चकराधापुर
– लॉयड इन्सूलेशन प्रा.लि. कलकत्ता
– लीलानन्द मैग्नेसाइट, पोरबन्दर
– माइका ट्रेडिंग, पटना
– मॉडर्न रिफ्रैक्ट्रीज, पुरुलिया
– मराठवाड़ा रिफ्रैक्ट्रीज, औरंगाबाद
– मिनरल अलाइड प्रोडक्ट्स, भिलाई
– मोनोलिथिक्स एण्ड रिफ्रैक्ट्रीज, दुर्गापुर
– एम.एच. दैत्रिक, कलकत्ता
– मैटाफ्लक्स, कलकत्ता
– मैथन, मिनरल,
– मैग्नेसाइट एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, पिथौरागढ़
– महावीर इन्सूलेशन प्रा. लि., भीलवाड़ा
– मैथेन सिरेमिक लिमिटेड, धनबाद
– मनीश्री रिफ्रैक्ट्रीज एण्ड सिरेमिक्स प्रा.लि., कटक
– मनोहर मिनरल्स एण्ड कैमिकल्स इण्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा
– मिनरल प्रोसेसिंग वर्क्स, हजारीबाग
– मिनरल वूल मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी, जमशेदपुर
– मुरुगप्पा मोर्गन थर्मल सिरेमिक्स लिमिटेड, मद्रास
– मधु रिफ्रैक्ट्रीज, मोर्वी
– एन.ई.सी.ओ. सिरेमिक, नागपुर
– न्यू एम.जी.एम. रिफ्रैक्ट्रीज, मगमा
– नवरंग रिफ्रैक्ट्रीज, भीलवाड़ा
– नवीन इण्डस्ट्रीज, बिहार
– नेशनल कैमीकल एण्ड पेस्टीसाइड्स, बोकारो स्टील सिटी
– नेशनल रिफ्रैक्ट्रीज, बर्दवान
– नेल्सन इंजीनियर्स, दुर्ग
– एन.ए.बी. भारत कैमिकल्स, बर्दवान
– न्यू भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, हजारीबाग
– न्यूटैक रिफ्रैक्ट्रीज प्रा. लि., भीलवाड़ा
– नटराज सिरेमिक्स, डालमिया नगर
– ओरियन्ट अब्रासिव्ज़ लिमिटेड, कलकत्ता
– ओरिएन्ट अब्रासिव्ज़ लिमिटेड, नई दिल्ली
– ओरिएन्ट सिरवूल लिमिटेड, कलकत्ता
– उड़ीसा सीमेन्ट लिमिटेड, सुन्दरगढ़
– उड़ीसा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, राउरकेला
– प्रभुदयाल अग्रवाल, सम्बलपुर
– पायरोसिरेमिक्स, धनबाद
– प्रताप स्टील, बल्लभगढ़
– राठी सिरेमिक, दिल्ली
– रक्षित रिफ्रैक्ट्रीज, दुर्गापुर
– रासी रिफ्रैक्ट्रीज, हैदराबाद
– रिलायंस फायरब्रिक्स, कलकत्ता
– राउरकेला मिनरल, राउरकेला

– राजहंस रिफ्रैक्ट्रीज, प्रा. लि., धनबाद

– रैफकॉम (इंडिया) प्रा.लि. पुरुलिया

– रैफरो कम इंडस्ट्रीज, जमशेदपुर

– साइनोरैगानिक पैन्ट्स, भिलाई

– शाह रिफ्रैक्ट्रीज, झर्सुगुडा

– श्री जनार्दन रिफ्रैक्ट्रीज, कुल्टी

– शंकर रिफ्रैक्ट्रीज, भद्रेश्वनगर

– श्री महावीर रिफ्रैक्ट्रीज, रांची

– सर्वेश रिफ्रैक्ट्रीज, राउरकेला

– साबू कैमीकल, जोधपुर

– सोना फाइबर, भावनगर

– स्टील कास्ट, भिलाई

– शिवा मिनरल, राउरकेला

– स्टील कैमीकल, राउरकेला

– शरद रिफ्रैक्ट्रीज प्रा.लि., चिरकुण्डा

– सुरेखा इंजीनियरिंग वर्क्स, बोकारो स्टील सिटी

– स्वास्तिक इंडस्ट्रीज, कलकत्ता

– टाटा नगर रिफ्रैक्ट्रीज, जमशेदपुर

– टाटा रिफ्रैक्ट्रीज, लिमिटेड, बेलपाहार

– तारा रिफ्रैक्ट्रीज, सम्बलपुर

– यू.पी. सिरेमिक्स, वाराणसी

– यूबिक मेटामेड, दुर्गापुर

– वैली मैग्नेसाइट कंपनी लिमिटेड, चिरकुण्डा

– वैली रिफ्रैक्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, धनबाद

– विशाल इंडस्ट्रीज, रायपुर

– विश्व विशाल रिफ्रैक्ट्रीज, भिलाई

– वी.आर डब्ल्यू. रिफैक्ट्रीज, मद्रास

– वैक्सपॉल इंडस्ट्रीज, कलकत्ता

– जीवन रिफ्रैक्ट्रीज, राउरकेला

– अन्नपूर्णा टैक्नीकल सिरेमिक्स एन अंजया, इलुरू

– अपोलो ट्रेडर्स, विशाखापट्टणम

– एन्कॉय इंडस्ट्रीज, अहमदाबाद

– भिलाई रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, भिलाई

– भास्कर सिरेमिक इंडस्ट्रीज, डोवलैश्वरम

– बोप्पूडी रिफ्रैक्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, रामावरम

– कारबो सिरेमिक लिमिटेड, मैसूर

– चित्रा सिलीकेट्स एण्ड कैमिकल्स, विशाखापट्टणम

– कारोमंडेल प्रोडोरक्ट लिमिटेड, मद्रास

– फटका रिफ्रैक्ट्रीज (प्रा.) लिमिटेड, चिरकुण्डा

– फैरो इन्सूलेशन प्रा. लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश

– फोसेको इंडिया लिमिटेड, जमशेदपुर

– ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता

– ग्रिन्डवैल नॉर्टन लिमिटेड, बंगलौर

– आई.एफ.जी.एल. रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, सुन्दरगढ़

– इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इन्सूलेशन कंपनी लिमिटेड, महाराष्ट्र

– इंडो फ्लोगेट्स लिमिटेड, कलकत्ता

– जसीडीह कैमीकल्स एण्ड इंडस प्रा. लिमिटेड, बिहार

– एम.पी.आर. रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद

- मरीती कैम इंडस्ट्री, विशाखापट्टणम
- मैटाफल्क्स प्रोडक्टस प्रा. लिमिटेड, नागपुर
- मिनटेक यूरोप लिमिटेड, जमशेदपुर
- पदमा इंडस्ट्रीज (सिरेमिक्स), रामपेटा
- पॉयनियर सिरेमिक एण्ड पॉटरी मैन्यूफैक्चरिंग आई.सी.एस. लि., विशाखापट्टणम
- पॉलीगॉन रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, हैदराबाद
- रिफ्रैक्ट्रीज स्पेक (आई) लिमिटेड, सीतारामपुर
- रैसकॉन इंडिया (पा.) लिमिटेड, कलकत्ता
- सजीला एन्टरप्राइसेस, विशाखापट्टणम
- श्री नटराज सिरेमिक एण्ड कैम इंडस्ट्रीज लि., तमिलनाडु
- सिन्धुरा ट्रेडर्स, विशाखापट्टणम
- स्मिथ ग्लास प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड, बम्बई
- स्टील प्लांट रिफ्रैक्ट्रीज, इलुरू
- स्वेता कैमीकल्स प्रा. लिमिटेड, विशाखापट्टणम
- टाटा रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता
- तिरूमली सिरेमिक्स, रामावरम
- सिंहभूम रिफ्रैक्ट्रीज, बिहार
- अंजना मिनरल्स प्रा. लिमिटेड, बिहार
- राजलक्ष्मी रिफ्रैक्ट्रीज, बिहार
- मित्तर सिस्टम (कैम.) प्रा. लिमिटेड, बर्दवान
- टाटानगर रिफ्रैक्ट्रीज एण्ड मिनरल कंपनी प्रा. लिमिटेड, जमशेदपुर
- अलाइड इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, बिहार
- नवीन इंडस्ट्रीज रिफ्रैक्ट्रीज वर्क्स, बिहार
- टाटा रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड, उड़ीसा

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का कार्यान्वयन

1201. **श्री राजेन्द्र कुमार अग्निहोत्री:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा स्वच्छ पेयजल स्रोत वाले गांवों में पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत की जाती है। इसके अतिरिक्त वार्षिक समीक्षा बैठकों योजनाओं के सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों और क्षेत्र अधिकारियों आदि द्वारा दौरों की मार्फत भी प्रगति की समीक्षा की जाती है।

(ग) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को रिलीज की गई त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की 10% निधियां जल सप्लाई योजना के संचलन और रखरखाव के लिए निर्धारित की गई है। इसमें राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से भी 10% निधियां जोड़ी जाती हैं। हैंडपंपों के सुचारू रूप से कार्य करने की समय-समय पर निगरानी की जाती है और पीने के पानी की नियमित सप्लाई के लिए खराब पड़े हैंडपंपों की मरम्मत के लिए राज्य सरकारें उचित कदम उठाती हैं।

इजराइल और दक्षिण अफ्रीका के साथ आर्थिक संबंध

1202. **श्री हरिसिंह चावड़ा:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण अफ्रीका और इजराइल के साथ आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए अब तक देश-वार और क्षेत्रवार क्या प्रगति हुई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार संबंधी करार अगस्त, 1994 में सम्पन्न किया गया। राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की यात्रा के दौरान एक व्यापक संयुक्त आयोग करार सम्पन्न किया गया तथा इसकी पहली बैठक जुलाई, 1995 में प्रीटोरिया में हुई। इस व्यापार उप-समिति में भारत-दक्षिण अफ्रीका व्यापार संबंध संवर्धित करने के तौर तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। अनेक मंत्री स्तरीय, व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिष्टमंडलों का आदान-प्रदान किया जा चुका है। इस क्रम में पिछली यात्रा अभी हाल ही में की गई। दक्षिण अफ्रीका के व्यापार एवं उद्योग मंत्री के नेतृत्व में 40 सदस्यीय व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा थी। वे भारत का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और फिक्की गए तथा सी आई आई ने 4 व्यावसायिक संगोष्ठियां

आयोजित की जिनमें से एक दिल्ली में, एक मद्रास में, एक कलकत्ता और एक मुम्बई में की गई जिनका उद्देश्य भारतीय व्यावसायियों के साथ परस्पर सम्पर्क कायम करना था।

इस्राइल के भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री शीमोन पेरैज की भारत की यात्रा के दौरान मई, 1993 में भारत और इस्राइल के बीच आर्थिक सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया। उसी समय फिक्की तथा फेडरेशन आफ इस्राइली चैम्बर्स आफ कामर्स के बीच एस संयुक्त व्यावसायिक परिषद की स्थापना से संबंधित एक करार सम्पन्न किया गया। दिसम्बर 1994 में एक दूसरे को अति अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र का दर्जा देते हुए एक द्विपक्षीय करार सम्पन्न किया। इस्राइल को भारत द्वारा किए जाने वाला निर्यात जो 1992 में 75 मिलियन अमरीकी डालर का था, 1994 में बढ़कर 151.7 मिलियन अमरीकी डालर का हो गया। इसी अवधि के दौरान इस्राइल से होने वाला आयात 127 मिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 364 मिलियन अमरीकी डालर हो गया। अनेक व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिष्टमंडलों का आदान–प्रदान भी किया जा चुका है। इसके अलावा यह बताया जाता है कि लगभग 56 भारत–इस्राइली संयुक्त उद्यम हैं जो अधिकांशतः कृषि के क्षेत्र में हैं।

[हिन्दी]

रुग्ण उर्वरक एकक

1203. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीन विभिन्न उर्वरक निगमों के अन्तर्गत रुग्ण उर्वरक एककों की संख्या कितनी है और इनमें से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अन्तर्गत विचाराधीन एककों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन एककों के पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और

(घ) मंत्रालय का किन स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त करने का प्रस्ताव है और उन एककों के नाम क्या हैं; जिन पर इस धनराशि को खर्च किये जाने की संभावना है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफसीआई) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम उर्वरक का उत्पादन कर रहे हैं जिन्हें औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा रुग्ण कम्पनियां घोषित किया जा चुका है। एफ सी आई के चार एकक अर्थात सिन्दरी (बिहार) गोरखपुर (उ. प्र.), रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) और तालचर (उड़ीसा) में हैं जबकि एचएफसी के तीन एकक अर्थात बरौनी (बिहार), दुर्गापुर (प. बंगाल) और नामरूप (असम) में हैं। बारम्बार उपस्कर खराबियों के कारण एच. एफ. सी. की हल्दिया परियोजना के आरम्भ कार्यकलाप अक्तूबर 1986 से स्थगित हैं।

(ख) से (घ). सरकार ने सिद्धान्त रूप में, एफ सी आई और एच एफ सी के लिए पुनरुद्धार पैकेज को अनुमोदित किया है। जिसमें एफ सी आई के सिन्दरी, रामागुण्डम और तालचर एककों और एच एफ सी के बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप एककों के पुनरुद्धार की परिकल्पना की गई है। चूंकि एफ सी आई के गोरखपुर एकक तथा एच एफ सी की हल्दिया परियोजना का पुनरुद्धार आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था, इसलिए उनके पुनर्वास के लिए निजी पूंजी आकर्षित करने के विकल्प पर विचार करने का निर्णय लिया गया है। इन उपक्रमों के लिए पूंजी संरचना तथा अन्य वित्तीय सहायता के अतिरिक्त पुनरुद्धार पैकेज के लिए 2201.13 करोड़ रु का नया निवेश आवश्यक होगा (एफ सी आई के लिए 1736.20 करोड़ रु. और एच एफ सी के लिए 464.93 करोड़ रु.) पुनरुद्धार पैकेजों के लिए निधियों की व्यवस्था भी अभी तक नहीं हो पायी है। पुनरुद्धार पैकेजों का कार्यान्वयन निधियों की व्यवस्था तथा बी आई एफ आर जो अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा उसके अनुमोदन के सापेक्ष है।

[अनुवाद]

दक्षिण अफ्रिका के साथ सहयोग

1204. श्री शरत पटनायक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रिका की सरकार ने औषधियों के निर्माण में सहयोग का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). स्वास्थ्य और भेषजों के क्षेत्र में सहयोग की संभावना का पता लगाने के लिए और दो देशों के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए दक्षिण अफ्रिका सरकार के साथ उत्साहवर्धक बातचीत हुई है।

[हिन्दी]

विद्युत का उत्पादन तथा वितरण

1205. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन–किन राज्यों में विद्युत उत्पादन एवं वितरण का कार्य निरन्तर

घाटे में चल रहा है;

(ख) इनमें से निजी क्षेत्रों को सौंपे जाने वाली प्रस्तावित इकाइयों के नाम क्या हैं तथा वर्ष 1994–95 के दौरान निजी क्षेत्र को सौंपी गई इकाइयों के राज्यवार नाम क्या हैं;

(ग) घाटे में चल रही इकाइयों के नाम क्या हैं तथा निजी क्षेत्र को सौंपी जाने वाली इकाईयों के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन तथा वितरण की ऐसी इकाईयों को सौंपने के लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ). वर्ष 1993–94 के दौरान, पारेषण और वितरण में होने वाली ऊर्जा की हानि और उपलब्ध ऊर्जा का राज्यवार ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा आरम्भ निजी विद्युत नीति द्वारा विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि, आर एण्ड एम में निजी क्षेत्र को जोड़ते समय जिन विकल्पों की खोज की जा सकती है, उन्हें विद्युत मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को संबोधित अभी हाल ही के पत्र में दर्शाया गया है, परन्तु शर्तों और नियमों को निर्धारित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई है। यह इन राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वह यह निर्धारित करें कि आर एण्ड एम के लिए कौन से संयंत्र निजी क्षेत्र को सौंपे जाएंगें।

विवरण

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य	उपलब्ध ऊर्जा	हानियों की मात्रा	हानियों का %
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र	हरियाणा	10563.29	2640.50	25.00
	हिमाचल प्रदेश	2080.91	391.26	18.80
	जम्मू और काश्मीर	2973.19	1378.68	46.37
	पंजाब	19053.92	3754.48	19.70
	राजस्थान	15210.92	3779.82	24.85
	उत्तर प्रदेश	31540.23	7685.11	24.37
	चंडीगढ़	620.34	169.16	27.27
	दिल्ली	10998.40	3579.05	32.54
	बी. बी. एम. बी.	10363.32	377.08	3.64
पश्चिमी क्षेत्र	गुजरात	28501.93	5931.40	20.81
	मध्य प्रदेश	23684.57	5159.45	21.78
	महाराष्ट्र	45235.01	8068.49	17.83
	गोवा	1025.45	251.27	24.50

क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य	उपलब्ध ऊर्जा	हानियों की मात्रा	हानियों का %
1	2	3	4	5
	दमन और दीव	167.43	37.40	22.34
	दादर और नागर हवेली	239.03	30.21	12.64
दक्षिणी क्षेत्र	आन्ध्र प्रदेश	27037.05	5464.01	20.21
	कर्नाटक	17524.23	3416.34	19.49
	केरल	7892.90	1619.80	20.52
	तमिलनाडु	25285.06	4294.79	16.99
	पांडिचेरी	835.72	132.01	15.80
	लक्षद्वीप	12.48	2.12	16.99
पूर्वी क्षेत्र	बिहार	10957.98	1656.49	15.12
	उड़ीसा	8072.34	1861.98	23.07
	पश्चिम बंगाल	14622.03	2333.98	15.96
	डी. वी. सी.	7725.34	103.04	1.33
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	66.94	15.87	23.71
	सिक्किम	69.64	15.74	22.60
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	असम	2119.09	475.55	22.44
	मणिपुर	284.59	68.08	23.92
	मेघालय	641.32	114.73	17.89
	नागालैंड	130.72	43.72	33.45
	त्रिपुरा	258.39	78.88	30.53
	अरुणाचल प्रदेश	105.59	44.39	42.04
	मिजोरम	111.54	35.58	31.89
			अखिल भारत	21.41

[अनुवाद]

भारतीय बाजार में विदेशी विद्युत कम्पनियां

1206. **श्री एस. एम. लालजान बाशा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विद्युत कम्पनियों पर विदेश में पूंजी जुटाने पर कोई प्रतिबंध है;

(ख) क्या विदेशी विद्युत कम्पनियों ने देश में पूंजी जुटाने के अपने इरादे की घोषणा की है;

(ग) क्या भारतीय बाजार का उपयोग करने के सम्बन्ध में विद्युत कम्पनियों की कोई सीमा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (घ). भारत में निजी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए विद्युत कंपनियां भारतीय बाजार से वित्त पोषण हेतु निधियां जुटा सकती हैं। बशर्तें, वित्त पोषण संबंधी निम्न प्रावधानों के अधीन निजी विद्युत परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया हो :–

(1) 4:1 तक का ऋण इक्विटी अनुपात हो।

(2) भारतीय वित्तीय संस्थानों के ऋण की राशि परियोजना की लागत की राशि का 40% से अधिक न हो।

(3) प्रवर्तकों के अंशदान की राशि कम से कम परियोजना की लागत का 11% हो।

विदेशी विद्युत कंपनियों समेत अनेक विद्युत कंपनियों ने, अन्य बातों के साथ–साथ, उपरोक्त नीति संरचना के अधीन विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित करने के लिए अपनी रुचि प्रकट की है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में पूंजी निवेश

1207. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में अन्य उद्योगों की तुलना में पूंजी निवेश की गुंजाइश अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में विशेषज्ञों की राय मांगी है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में क्या अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) से (ङ). उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1987–88 और 1991–92 में उपलब्ध सूचना के आधार पर यह देखा गया है कि खाद्य और पेय क्षेत्रों में पूंजी–उत्पादन में वृद्धि का संयुक्त अनुपात 0.42:1 है जबकि सभी उद्योगों में पूंजी–उत्पादन वृद्धि का अनुपात 0.74:1 है जिससे पता चलता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्पाद के यूनिट मूल्य को तैयार करने में कम पूंजी लगती है।

मालवाहक तथा यात्री पोत

1208. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के पास कितने मालवाहक तथा यात्री पोत हैं;

(ख) क्या कुछ निजी जहाज भी मालवाहक तथा यात्री जहाज के रूप में कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इनकी संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे और जहाज खरीदने/ निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) से (ङ). महानिदेशक, नौवहन के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार 1.11.1995 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों में कुल 468 कार्गो तथा यात्री जहाज हैं। आवश्यकता और प्रस्ताव की आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर और जहाज खरीदे जाएंगे।

महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जल–मल व्यवस्था

1209. **श्री दत्ता मेघे:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में

मल–जल व्ययन के संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में की गई प्रगति तथा समीक्षा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को राज्यवार लागू किए जाने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है।

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आबूधाबी में फंसे भारतीय तकनीशियन

1210. श्री धर्मण्णा मोड्डयया सादुल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी की एक फर्म ने आबूधाबी में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सड़सठ भारतीय तकनीशियनों को आमंत्रित किया था परन्तु वहां पहुंचने के पश्चात इन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराए गए;

(ख) क्या उन व्यक्तियों को उचित समय पर रोजगार न मिलने की स्थिति में आबूधाबी में उनके प्रवास को अवैध माना जाएगा;

(ग) क्या केरल के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सरकार को कोई पत्र लिखा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आबूधाबी के प्राधिकारियों के साथ चर्चा के द्वारा इस स्थिति का समाधान ढूंढ निकालने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) इटली की एक कंपनी मैसर्ज फोची इंटरनेशनल के प्रायोजन के तहत 137 भारतीय तकनीशियन आबूधाबी गए थे। उक्त कंपनी का दिवाला निकल गया और कंपनी के आबूधाबी कार्यालय के बंद हो जाने के परिणामस्वरूप, वहां आगमन पर भारतीय कामगारों को नौकरियां नहीं दी जा सकीं।

(ख) आबूधाबी में उनके प्रवास को नियमित करने के लिए मिशन स्थानीय विनियमों के अनुसार अपेक्षित प्रयास कर रहा है।

(ग) सरकार को केरल के मुख्यमंत्री की ओर से इस संबंध में भेजे गए किसी लिखित पत्र की जानकारी नहीं है।

(घ) और (ङ). अपनी शिकायतों के निवारण के लिए यह कामगार दूतावास गए। समस्या के निराकरण के लिए हमारे दूतावास ने इस मामले को स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर उठाया है। 35 कामगारों को उनके अनुरोध पर स्वदेश प्रत्यावर्तित किया जा चुका है। अनेक कामगारों ने उचित नौकरियों के लिए अनुरोध किया है क्योंकि वे भारत लौटने के इच्छुक नहीं हैं। दूतावास उनके मामलों को स्थानीय श्रम व सामाजिक मामलों के मंत्रालय के साथ उठाता रहा है। यू. ए. ई. में स्थानीय प्राधिकारियों ने इस समस्या के समाधान के लिए या तो उन लोगों के प्रत्यावर्तन द्वारा जो वापिस जाना चाहते हों अथवा अन्यों के मामले में उनके वीजा किसी अन्य नियोजक के नाम हस्तांतरित करके पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति

1211. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश के सम्बन्ध में 197 समझौता ज्ञापन का भविष्य अधर में लटका हुआ है क्योंकि कोयला कम्पनियों और रेलवे ने प्रस्तावित ताप परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति और दुलाई को उच्च प्राथमिकता देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इन विभागों को हो रही कठिनाइयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय तथा कोयला कंपनियों ने प्रस्तावित ताप परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति और परिवहन के लिए प्राथमिकता प्रदान करने के वास्ते मना नहीं किया है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

कोर क्षेत्र द्वारा एन. टी. पी. सी. से विद्युत की खरीद

1212. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को विद्युत की खरीद

के लिए देय बकाया राशि की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या धन की कमी से जूझ रहे एन. टी. पी.सी. जिसे राज्य बिजली बोर्डों से करोड़ों रुपये की राशि वसूली है, ने उनके मंत्रालय से इस सुझाव के साथ सम्पर्क किया कि कोयला, रेल और सरकार नियंत्रित इस्पात संयंत्र आदि जैसे कोर क्षेत्र द्वारा एन. टी. पी.सी. से विद्युत की खरीद को अनिवार्य बनाया जाए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोर क्षेत्र के लिए एन.टी.पी.सी. से विद्युत की खरीद को अनिवार्य किए जाने पर राज्य बिजली बोर्डों पर प्रतिकूल असर पड़ने की सम्भावना है;

(ड) यदि हां, तो क्या उन्होंने उक्त प्रस्ताव के विरूद्ध आशंका व्यक्त की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) एन.टी.पी.सी. के उक्त प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) 31 अक्तूबर, 1995 तक, कुछ राज्य सरकारों के राज्य बिजली बोर्डों और विद्युत विभागों इत्यादि की ओर, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से विद्युत की खरीद के लिए कुल बकाया राशि 3428.69 करोड़ रुपये है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (छ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

केरल में मौयदू पुल

1213. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग–17 पर मौयदू पुल स्थल पर एक नये पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर) : (क) केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का चयन करना

1214. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 नवम्बर, 1995 के "बिजनेस स्टैन्डर्ड" में "सेंटर शार्ट लिस्ट्स फर्म्स फार 770 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट" शीर्षक से छपे सामाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लिए निर्धारित परियोजना के संदर्भ में इस मामले के तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या वे इन महत्वाकांक्षी हाईवे परियोजनाओं के लिए वे 42 अर्ह कंपनियों जिनका मंत्रालय ने चयन किया है, का ब्यौरा देंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) जी हां, तथापि, 42 फर्मों ने नहीं बल्कि 44 फर्मों ने पूर्व अर्हता प्राप्त की है।

(ख) एशियाई विकास बैंक की ऋण सहायता (ऋण सं. 1274–भारत) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को पांच ठेकों में विभाजित किया गया है। इन ठेकों के लिए ठेकेदारों की पूर्व–अर्हता मई/जून 1995 में पूरी हुई थी। पश्चिम बंगाल की परियोजना के लिए रानीगंज से पानागढ़ तक 474.00 कि. मी. से 515.326 कि. मी. के बीच सड़क को मजबूत करने और चार लेन बनाने की परिकल्पना की गई है जिसके लिए 33 फर्मों ने पूर्व–अर्हता प्राप्त की है।

(ग) तथा (घ). पूर्व–अर्हता प्राप्त फर्मों की एक सूची विवरण पर संलग्न है।

विवरण

एशियाई विकास बैंक ऋण सहायता (ऋण सं. 1274 भारत) के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

पूर्व अर्हता प्राप्त ठेकेदारों की सूची

क्रम सं.	नाम और पता
1.	मै. प्रकाश बिल्डिंग एसोशिएट्स लि. और मै. प्रकाश कन्स्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी का संयुक्त उद्यम 613/3, वी.एन. पुरव मार्ग, चेम्बूर नाका, बम्बई–400 071

क्रम सं.	नाम और पता
2.	मै. तांतिया कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. और मै. तांतिया कैसेट प्रोडेक्ट्स लि. के साथ मै. टारमैक, यू. के.का. सी. एम. एम एफ के रूप में संयुक्त उद्यम 25/27 नेताजी सुभाष रोड़, कलकत्ता – 700 004
3.	मै. कृष्ण मोहन कन्स्ट्रक्शन और टिलबरी डगल्स कन्स्ट्रक्शन लि., यू. के का संयुक्त उद्यम 5वां तल, माडल हाउस, पुंज गुत्ता, हैदराबाद–500 452, आंध्र प्रदेश
4.	मै. एस. ई. डब्ल्यू. कन्स्ट्रक्शन लि., मै. प्रसाद एंड कंपनी आर. डब्ल्यू.) लि. और मै. पावीमेटल एस. पी. ए. रोम, इटली का संयुक्त उद्यम 5–871 स्नेहलता, बेगमपेट, हैदराबाद–500 016
5.	मै. गांगिया कन्स्ट्रक्शन (भारत) प्राईवेट लि. और मै. पावीमेंटल एस. पी. एम., रोम, इटली का संयुक्त उद्यम बी–21, हंस भवन, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली–110 002
6.	मै. युनिटेक लि. और मै. आर. डी. सी. कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लि. सिंगापुर का संयुक्त उद्यम युनिटेक हाउस, 6 कम्यूनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली–110 017
7.	मै. बिरला जी टी एम–इंटरपोज लि. और बिरला–जीन लिफेबर कन्स्ट्रक्शन लि. का संयुक्त उद्यम 230, अंसल चैम्बर्स–II, 6, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110 066
8.	मै. गम्मन इंडिया लि. और मै. एफ. ली. कोसटैन्जो एस. पी. ए. इटली का संयुक्त उद्यम गम्मण हाउस, वीर सावरकर मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 9129 प्रभादेवी, बम्बई–400 025
9.	मै. बी. सिवा प्रसाद और टेरकॉन कन्ट्रैक्टर्स लि., कनाडा का संयुक्त उद्यम नं. 58–9–21, सेन्थापेट, ओंगोल–523 001, हैदराबाद

क्रम सं.	नाम और पता
10.	मै. हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. के साथ सी एमएफ के रूप में मै. जॉन लेंग इंट लि., यू. के. का संयुक्त उद्यम कन्स्ट्रक्शन हाउस, बालचंद हीराचंद मार्ग, बेलाई एस्टेट, बम्बई–400 001
11.	मै. कृष्ण मोहन कन्स्ट्रक्शन, 5 वां तल, माडेल हाउस, पुंज गुत्ता, हैदराबाद – 500 452, आंध्र प्रदेश
12.	मै. प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन लि., जे–213, साकेत, नई दिल्ली–110 017
13.	मै. सैमसुंग इंजीनियरिंग एंड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. और टारमैट इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इंजीनियरिंग प्राईवेट लि. का संयुक्त उद्यम 677–25, योकसम–डांग, कंगनम–कु, सियोल, कोरिया
14.	मै ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स लि. और मै. चिना चॉक्विंक इंटरनेशनल कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन का संयुक्त उद्यम 21, कामर्शियल कॉम्पलेक्स, मालचा मार्ग, डिप्लोमैटिक एन्कलेव, नई दिल्ली–110 021
15.	मै. यूनिटैक लि. और मै. हयुंडई इंजीनियरिंग एंड कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. का संयुक्त उद्यम यूनिटैक हाउस, 6 कम्यूनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017
16.	मै. हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. और मै. अल्फ्रेड एम सी अल्पाइन इन्ट. लि., यू. के. का संयुक्त उद्यम कन्स्ट्रक्शन हाउस, वालचंद हीराचंद मार्ग, बेलाई एस्टेट, बम्बई–400 001
17.	मै. ए. एल. सुदर्शन कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. और मै. बेलास रोड़ कन्ट्रैक्टर्स ए/ एस का संयुक्त उद्यम 7–3–719, सप्तपति रोड़, सिकन्दराबाद–500 003, आंध्र प्रदेश

क्रम सं.	नाम और पता
18.	मै. ए. एल. सुदर्शन कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. और मै. टी. एन. एल. कन्स्ट्रक्शन लि. कनाडा का संयुक्त उद्यम 7–3–719, राष्ट्रपति रोड़, सिकन्दराबाद–500 003, आंध्र प्रदेश
19.	मै. ए. एल. सुदर्शन कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. और मै. अल्फ्रेड एम सी अल्पाइन यू. के. का संयुक्त उद्यम 7–3–719, राष्ट्रपति रोड़, सिकन्दराबाद–500 003, आंध्र प्रदेश
20.	मै. सोम दत्त, बिल्डर्स लि. , 56–58, कम्यूनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110 065
21.	मै. ट्राफलगर हाउस कन्स्ट्रक्शन इंडिया लि. और मै. ट्राफलगर हाउस कन्स्ट्रक्शन इंटरनेशनल लि. का संयुक्त उद्यम अंसल चैम्बर्स, द्वितीय तल, 5, चौरिंगी एप्रोच, पीओ बॉक्स 2119, कलकत्ता – 700 072
22.	मै. एफकोन्स पॉलिंग (इंडिया) लि. और मै. किएर इंटरनेशनल, यू. के. का संयुक्त उद्यम एफकोन्स हाउस, 16, शाह इंडस्ट्रियल एस्टेट, बीरा देशाई रोड़, अन्धेरी (वेस्ट), बम्बई –400 053
23.	मै. वालेया और मै. नोर्वेस्ट, यू. के. का संयुक्त उद्यम केश्वा, 8वां तल, बांद्रा कुर्ला कॉम्पलेक्स, बांद्रा ईस्ट, बम्बई – 400 057
24.	मै. ब्रिज और रूफ कंपनी लि. हैरिंगटन मेन्शन, फ्लैट नं. 17 और 18 (तीसरा तल), 8, हो–चि–मिन्ह्–सराणी, कलकत्ता – 700 007
25.	मै. एस. बी. सीनियाह एंड कंपनी, मै. रोड़ बिल्डर्स (एम) एसडीएन बीजीडी, मलेशिया और मै. पाति एसडीएन बीएचडी, मलेशिया का संयुक्त उद्यम 5–2–913/914, 5वां तल, प्रोग्रेसिव टावर्स, खैरताबाद, हैदराबाद–500 004, आंध्र प्रदेश
26.	मै. गायत्री और मै. आइजेएम–कॉर्पोरेशन, बेर्हाड, मलेशिया का संयुक्त उद्यम, 6–3–249/5/ए, रोड़ नं.–1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद – 500 034
27.	मै. सी आर इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लि. और मै. नोवैस्ट का संयुक्त उद्यम, प्लॉट नं. 21, धाया पांडुरंगा पुरम, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश –530 003
28.	मै. प्रोपेल और मै. यूनाइटेड इंजीनियरिंग, का संयुक्त उद्यम 17 वां तल, मेनारा 2, फैबर टावर्स, जालान देसा बहागिया, टेपन देसा, 58100, कुआलालम्पुर, मलेशिया
29.	मै. मधु कान्टिनेन्टल और मै. बिनापुरी होल्डिंग्स बीएचडी, मलेशिया का संयुक्त उद्यम, डी–27, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली–110 065
30.	मै. अंसल प्रोपर्टीज और इंडस्ट्रीज लि. और मै. दीवू कॉर्पोरेशन साउथ कोरिया का संयुक्त उद्यम, अपार्टमेंट ए–4, कुतुब होटेल, श्री ऑरोबिन्दो मार्ग, नई दिल्ली – 110 016
31.	मै. जैन इंजीनियरिंग एंड कन्ट्रैक्टर्स और मै. कोह ब्रदर्स बिल्डिंग प्राइवेट लि. सिंगापुर का संयुक्त उद्यम, 3–6–365, लिबर्टी प्लाजा, बशीर बाग, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश
32.	मै. आर. के. इंजीनियर्स और मै. औरी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लि. सिंगापुर का संयुक्त उद्यम, 8–2–248/ए/5/33, रोड़ न. 3, बन्जारा हिल्स, हैदराबाद – 500 034
33.	मै. लार्सन एंड टुब्रो लि. और मै. कोलास, एस ए, फ्रांस का संयुक्त उद्यम (मै. कोलास : एस ए, एम ई पी), माउंट पुनामाली रोड, पोस्ट बॉक्स नं. 979, मनापक्कम, मद्रास–600 089
34.	मै. सत्यम कन्स्ट्रक्शन लि. एंड मै. ग्राहम कन्स्ट्रक्शन और मै. शंकरनारायण कन्स्ट्रक्शन कंपनी (मै. ग्राहम कन्स्ट्रक्शन का एमईपी) के रूप में संयुक्त उद्यम द्वितीय तल, केपीआर हाउस, सरदार पटेल रोड, सिकन्दराबाद–500 003, आंध्र प्रदेश

क्रम सं.	नाम और पता
35.	मै. इन्डो कोरियन कन्स्ट्रक्शन लि. एंड मै. कोरिया जनरल कंपनी, कोरिया का संयुक्त उद्यम (मै. कोरिया जेनेरल कंपनी का एमईपी) के रूप में, ग्रैंडले सिनेमा कॉम्प्लेक्स, न्यू फ्रैंड्स कालोनी, नई दिल्ली – 110 065
36.	मै. मैकिम्सन अस्फाल्ट टाहुत इंसात साणाई वे टिकारेट ऐज रेसित गैलिप कैड. गोलगेली साके नं.– 6, गाजियोसमनपासा, अंकारा/तुर्की
37.	मै. सालिनी कन्स्ट्रक्ट्री एच. पी. ए. 22, वाया हेल्ला, दतारिया–00187, रोम, इटली
38.	मै. सुभाष प्रोजेक्ट एंड मार्केटिंग लि. और मै. कुकडोंग इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि. का संयुक्त उद्यम (मै. कुकहोंग इंजीनियरिंग का एम ई पी), सुभाष हाउस, एफ–27/2, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया फेज–II, नई दिल्ली–110 020
39.	मै. लैको कन्स्ट्रक्शन लि. एंड मै. गुप्पों डिपेन्टा कन्स्ट्रजियोनी का संयुक्त उद्यम (मै. गुप्पों डिपेन्टा कन्स्ट्रजियोनी का एम ई पी) ग्राउंड फ्लोर, बिसाका टावर्स, 1–6–303/69/3 एस. पी. रोड़ सिकन्दराबाद – 500 003 (इंडिया)
40	मै. कृष्ण मोहन कन्स्ट्रक्शन एंड मै. हॉक लायन सेंग इंजीनियरिंग (प्राइवेट लि. का संयुक्त उद्यम) मै. हॉक लायन सेंग का एमईपी, 5 वां तल, मोडल हाउस, पुंज गुत्ता, हैदराबाद –500 482
41.	मै. सिम्प्लेक्स कंक्रीट पाइल्स (इंडिया) लि. और मै. वाल्टर बाउ–इत्तीएंग सवाफ्ट का एमईपी) के रूप में संयुक्त उद्यम 12/1, नेल्ली सेनगुप्ता सराणी, कलकत्ता – 700 087
42.	मै. प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन लि. एंड मै. एम्को होल्डिंग्स इंक. का संयुक्त उद्यम (मै. एम्को होल्डिंग्स इंक. का एमईपी)
43.	मै. हनजिन इंजीनियरिंग एंड कन्स्ट्रक्शन लि. और मै. पुंज इंडिया का संयुक्त उद्यम (मै. हनजिन का एमईपी) 546–1 कुई–डांग, सुंडॉग–के. सियोल, कोरिया
44.	मै. प्रोग्रेसिव कन्स्ट्रक्शन लि. और मै. चिक, कनाडा का संयुक्त उद्यम (मै. चिक का एम ई पी) जे,– 23, साकेत, नई दिल्ली – 110 017

[हिन्दी]

उर्वरकों की मांग तथा आपूर्ति

1215. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :
डा. सत्यनारायण जटिया :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों की मांग तथा आपूर्ति में अंतर को दूर करने के लिए कुछ और संयंत्र लगाने की योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मांग तथा आपूर्ति की वर्ष–वार स्थिति क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ है; और

(घ) शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाने वाला उर्वरक एकक कब तक कार्य करना शुरूकर देगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को जारी किये गये औद्योगिक नीति वक्तव्य के अनुसार उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तथापि सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी एककों को प्रदत्त वित्तीय अधिकार से अधिक पूंजी व्यय करने के लिए सरकार की मंजूरी प्राप्त करनी होती है। उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी एककों ने सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी आई बी) के समक्ष इसकी विचारणीय परियोजना मंजूरी प्रक्रिया के अंतर्गत देश में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं:–

क्रमांक	कम्पनी/उपक्रम का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ में)	परिकल्पित उत्पाद	उत्पाद क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)
1.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	काण्डला गुजरात (विस्तार)	212.80	फास्फेट पोषक	2.11
2.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	नैलोर आ. प्र. (ग्रासरूट)	1468.20	यूरिया	7.26
3.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको)	हजीरा गुजरात (ग्रासरूट)	601.38	एनपी (20:20) केन (25% एन)	3.00 2.85
4.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि. (कृभको)	हजीरा गुजरात (ग्रासरूट)	979.00	यूरिया	7.26
5.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल)	पानीपत हरियाणा (विस्तार)	1175.42	यूरिया	7.26

इसके अतिरिक्त देश में निम्नलिखित उर्वरक परियोजनायें कार्यान्वयनाधीन हैं:

देश में कार्यान्वयनाधीन उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे

क्रमांक	कम्पनी/सहकारी एकक का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ में)	परिकल्पित उत्पाद	उत्पादन क्षमता लाख मी. टन प्रतिवर्ष	शून्य तिथि	आरम्भन की प्रत्याशित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	आंवला (उ.प्र.) (विस्तार)	960.00	यूरिया	7.26	30.9.93	1.1.97
2.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	कलोल (गुजरात) (विस्तार)	119.08	यूरिया	1.50	1.3.95	1.9.97
3.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	फुलपूर (उ.प्र) (विस्तार)	993.00	यूरिया	7.26	20.4.95	20.1.98

क्रमांक	कम्पनी/सहकारी एकक का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ में)	परिकल्पित उत्पाद	उत्पादन क्षमता लाख मी. टन प्रतिवर्ष	शून्य तिथि	आरम्भ की प्रत्याशित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल)	विजयपुर (म. प्र.) (विस्तार)	987.30	यूरिया	7.26	30.9.93	1.1.97
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम एफ एल)	मनाली मद्रास (विस्तार)	487.47	यूरिया एनपीके	0.76 1.84	1.1.93	30.6.96
6.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट)	उद्योगमण्डल केरल (अमोनिया पुर्नस्थापन सयंत्र)	618.08	अमोनिया	2.97	10.5.93	31.3.97
7.	आसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि.	शाहजहांपुर (उ.प्र.) ग्रासस्ट	1325.00	यूरिया	7.26	1.4.92	दिस.,95
8.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. (एन एफ सी एल)	काकीनाडा, आ. प्र. (विस्तार)	954.21	यूरिया	4.95	–	1997–98 का उत्तरा
9.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल)	नांगल , पंजाब (डि–बोटलेनेकिंग)	50.00	यूरिया	1.81	1.1.95	1.11.96
		कुल यूरिया –	38.06लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष				
		एन पी के –	1.84 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष				

(ख): गत तीन वर्षों के दौरान पोषकों के रूप में देश में उर्वरकों की मांग एवं आपूर्ति के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

(लाख मी. टनों में)

वर्ष	आपूर्ति					मांग		
	उत्पादन		आयात*					
	एन	पी	एन	पी	के	एन	पी	के
1992–93	74.30	23.06	11.37	6.89	10.82	84.27	28.44	8.84
1993–94	72.31	18.16	15.64	7.22	8.80	87.89	26.69	9.08
1994–95	79.45	24.93	14.76	3.80	11.09	95.07	29.32	11.25

*डीएपी का आयात 17.9.1992 को असरणीबद्ध कर दिया गया।

एमओपी का आयात 17.6.1993 को असरणीबद्ध कर दिया गया।

अत: 1993–94 और 1994–95 के दौरान आयातों के आंकड़े अंतरिम हैं।

(ग) : 1994–95 के दौरान देश में पोषकों के रूप में उर्वरकों का कुल उत्पादन नीचे दिया गया है:

(लाख मी. टन)

उत्पादन	1994–95
एन	पी
79.45	24.93

(घ) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. की शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश परियोजना में 24.11.1995 को यूरिया का परीक्षण उत्पादन आरम्भ कर दिया है।

मध्य प्रदेश की विद्युत परियोजनाओं हेतु कोयला तथा गैस की आवश्यकता

1216. **श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में प्रत्येक विद्युत परियोजनाओं हेतु कोयले तथा गैस की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान कोयले तथा गैस की वर्षवार कितनी आपूर्ति की गई;

(ग) क्या कोयले तथा गैस की आपूर्ति में कोई गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश में एन. टी. पी. सी. स्टेशनों समेत राज्य में विद्युत केन्द्रों के संबंध में वर्ष 1992–93 से 1994–95 तक कोयले की की आवश्यकता और प्राप्ति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मध्य प्रदेश में गैस आधारित कोई विद्युत केन्द्र नहीं है। जहां तक कोयला आपूर्ति का संबंध है, इन वर्षों के दौरान कोयलों का आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई थी।

(घ) मध्य प्रदेश समेत देश में सभी ताप विद्युत केन्द्रों को की जाने वाली कोयला आपूर्ति की स्थिति की उच्च अन्तर्विभागीय बैठकों में समीक्षा किए जाने समेत निरन्तर समीक्षा की जाती है तथा समय–समय पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

मध्य प्रदेश में ताप विद्युत स्टेशनों में कोयले की आवश्यकता और प्राप्ति

(1000 टन में)

ताप वि. स्टेशनों का नाम	1992–93		1993–94		1994–95	
	आवश्यकता	प्राप्ति	आवश्यकता	प्राप्ति	आवश्यकता	प्राति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड						
1. अमरकंटक	1200	1000	990	1014	1290	1098
2. कोरबा पूर्व	1921	1507	1900	1763	2050	1979
3. कोरबा पश्चिम	3778	3315	3542	3304	3410	3192
4. विरसिंगपुर	156	–	150	185	750	897
5. सतपुरा	4470	4454	4390	4528	4910	5310
कुल जोड़ मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड	11525	10276	10972	10794	12410	12476

(100 टन में)

ताप वि. स्टेशनों का नाम	1992–93		1993–94		1994–95	
	आवश्यकता	प्राप्ति	आवश्यकता	प्राप्ति	आवश्यकता	प्राप्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
एन. टी. पी. सी.						
1. कोरबा एसटीपीएस	8260	9328	8630	10161	10290	9571
2. विन्ध्याचल एसपीटीएस	3776	3773	3900	5461	5120	5453
कुल मध्य प्रदेश	23561	23377	23502	26416	27820	27500

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की स्थिति

1217. **श्री गोपीनाथ गजपतिः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के संचालन से परिचित है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की कार्यप्रणाली में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की अधिक मात्रा प्राप्त करने और अपने विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिक्त, डेसू ने अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ–साथ, विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाना, उपभोक्ताओं की शिकायतों पर अधिक ध्यान देना और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करना शामिल है।

[हिन्दी]

भोपाल गैस पीड़ितों के लिए आवास

1218. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित अधिनियम में प्रभावित परिवारों के रिहायशी स्थान को महत्व दिये जाने हेतु कोई उपबंध नहीं होने के बावजूद आयुक्त ने मुआवजे की धनराशि तय करते समय यह आदेश दिया है कि धनराशि तय 36 वार्डों में रहने वाले परिवारों को मुआवजे के रूप में 25,000/– रुपये की धनराशि समान रूप से दी जाए;

(ख) क्या भोपाल के निर्वाचित संसद सदस्य ने कल्याण आयुक्त द्वारा दिये गए निर्णय के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या 36 वार्डों में रहने वाले परिवारों के पक्ष में दिये गये निर्णय को पूरे भोपाल शहर में लागू किया गया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). माननीय सदस्य ने अपने पत्र में 36 वार्डों में रहने वाले परिवारों के लिए मुआवजों के भुगतान में कल्याण आयुक्त द्वारा किए गए भेद–भाव तथा भोपाल शहर के अन्य वार्डों में रहने वालों को ये मुआवजे न दिए जाने के बारे मे उल्लेख किया है और लिखा है कि कल्याण आयुक्त का ऐसा भेद–भाव पूर्ण आदेश भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कार्यवाही) अधिनियम, 1985 और उसके अधीन बनी योजना के विरुद्ध है। माननीय सदस्य द्वारा उठाए गये मुद्दों से संबन्धित जानकारी संबन्धित प्राधिकारी से मंगाई जा रही है।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों पर रा. ता. वि. नि. और रा. ज. वि. नि. की बकाया धनराशि

1219. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1995 तक राष्ट्रीय विद्युत निगम और विद्युत क्षेत्र में संलग्न अन्य केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों का राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य प्रमुख उपभोक्ताओं पर बकाया धनराशि का अलग–अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) बकाया राशि को वसूल करने के लिए अब तक क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य विद्युत बोर्डों की ओर से धनराशि अदा न किए जाने के बावजूद विद्युत क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के वित्तीय कार्य–निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आगे क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य प्रमुख उपभोक्ताओं का सरकारी उपक्रमों के दावों से सम्बन्धित विवादों को निपटाने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) 30 सितम्बर, 1995 तक विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू) का राज्य बिजली बोर्डों और अन्य उपभोक्ताओं पर बकाया धनराशि का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग). रा. बि. बो. से तत्काल भुगतान करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों में ये शामिल हैं; राज्यों को किए जाने वाले केन्द्रीय योजना आबंटन से कटौती, चूककर्ता रा. बि. बो./राज्य सरकारों को मंत्रालय की तरफ से विभिन्न स्तरों पर परामर्श ताकि वे अपनी बकाया राशियों का भुगतान कर सकें, संबंधित राज्य सरकारों और रा. बि. बो. के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, राजस्व एकत्रण के लिए तेज अभियान, जहां भी वास्तविक और तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो, वहां रा. बि. बो. द्वारा चूक किए जाने के मामले में विद्युत आपूर्ति बंद करने/पुनः आबंटित किए जाने का नोटिस जारी करना, और रा. बि. बो. पर उचित धनराशि के साख पत्र खोलने हेतु दबाव डालना। 1990–95 की अवधि के दौरान केन्द्रीय विनियोजन के जरिए 2735.34 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए हैं।

(घ) रा. बि. बो. के साथ सीएसयू के विवादित दावों को निपटाने के लिए क्षेत्रीय आधार पर अम्पायारों को नियुक्त किया गया है।

विवरण

30 सितम्बर, 1995 तक विद्युत मंत्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की रा. बि. बो. और अन्य उपभोक्ताओं पर बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	रा. बि.बो. राज्य	आरईसी 9/95	एनटीपीसी 9/95	नीपको 9/95	डीवीसी 9/95	एनएचपीसी 9/95	पीएफसी 9/95	पीजीसी 9/95
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.10	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	38.82
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.54	0.00	0.25	0.00	−0.16	0.00	0.10
3.	असम	58.26	0.00	66.19	2.74	31.27	0.00	0.61
4.	बिहार	202.04	300.77	0.00	562.80	1.96	72.97	−0.73
5.	गुजरात	0.00	84.33	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.30
6.	गोवा	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.74
7.	हरियाणा	0.07	285.32	0.00	0.00	169.56	0.00	6.35

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	रा. बि.बो. राज्य	आरईसी 9/95	एनटीपीसी 9/95	नीपको 9/95	डीवीसी 9/95	एनएचपीसी 9/95	पीएफसी 9/95	पीजीसी 9/95
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	12.13	0.00	0.00	15.33	0.00	−1.84
9.	जम्मू और काश्मीर	0.20	266.38	0.00	0.00	53.85	0.00	−4.35
10.	कर्नाटक	0.00	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	10.88
11.	केरल	0.19	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51
12.	मध्य प्रदेश	139.13	215.37	0.00	0.00	0.00	29.02	1.90
13.	महाराष्ट्र	0.16	128.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78
14.	मणिपुर	0.00	0.00	8.47	0.00	10.90	0.01	1.31
15.	मेघालय	14.11	0.00	1.10	0.00	0.70	0.00	0.10
16.	मिजोरम	0.02	0.00	1.75	0.00	0.84	0.01	−0.07
17.	नागालैंड	0.55	0.00	5.85	0.00	1.89	0.00	0.83
18.	उड़ीसा	87.64	51.87	0.00	0.44	1.24	15.94	−3.06
19.	पंजाब	0.07	28.39	0.00	0.00	38.17	0.00	−12.23
20.	राजस्थान	15.35	171.86	0.00	0.00	34.72	0.00	8.53
21.	सिक्किम	0.03	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22.	तमिलनाडु	0.00	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.15	0.00	1.98	0.00	−0.40
24.	उत्तर प्रदेश	309.17	829.32	0.00	0.00	137.08	108.60	49.11
25.	पश्चिम बंगाल	152.47	94.60	0.00	188.70	2.97	29.36	13.43

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	रा. बि.बो. राज्य	आरईसी 9/95	एनटीपीसी 9/95	नीपको 9/95	डीवीसी 9/95	एनएचपीसी 9/95	पीएफसी 9/95	पीजीसी 9/95
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	डेसू	0.00	499.43	0.00	0.00	102.52	0.00	−3.80
27.	डीवीसी	0.00	125.58	0.00	0.00	1.32	0.00	0.73
28.	डीएनएच	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	यूटीसी	0.00	3.98	0.00	0.00	0.07	0.00	−0.28
30.	निपको	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	0.00	0.00
31.	दमन और दीव	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	पांडिचेरी	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.54
33.	कोप्रेट्विस	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	राज्य सरकार	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पावर ग्रिड	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	989.54	3355.23	83.76	754.68	605.86	255.91	112.63

30 सितम्बर, 1995 तक संचयी : 6157.61 करोड़ रुपए

रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम

1220. **श्री सैयद सहाबुद्दीन :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी खण्ड को सम्मिलित करने का मानदंड क्या है;

(ख) इस समय रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किए खंडों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) सम्मिलित किये जाने के लिये विचाराधीन खंडों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(घ) रोजगार गारंटी योजना के लिए कुल चालू योजनागत आबंटन, 1994-95 तक राज्यों को किये गए आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा, 1995-96 के लिए बजट आबंटन और 31 मार्च, 1995 और अप्रैल सितम्बर, 1995 के दौरान वास्तविक व्यय क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) सुनिश्चित रोजगार योजना के विस्तार के लिए सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरूस्थली क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के पिछड़े खण्डों का चयन किया गया था।

(ख) सूचना विवरण-I में देखी जा सकती है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है।

(घ) चूंकि योजना 2-10-93 से शुरू की गई थी अतः विनियोजित परिव्यय में कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। चूंकि योजना मांग पर आधारित है अतः राज्यों के लिए निश्चित आबंटन नहीं किया जाता है। 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय और राज्यों की रिलीजें तथा खर्च के ब्यौरे विवरण II और III में देखे जा सकते हैं। वर्तमान वार्षिक योजना 1995-96 के लिए बजट प्रावधान 1570.00 करोड़ रुपए है। 31-3-95 तक का वास्तविक खर्च 1419.20 करोड़ रुपए था जबकि अप्रैल से सितम्बर 1995 तक का कुल खर्च 552.21 करोड़ रुपए था।

विवरण-I

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कवर किए गए खण्ड

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कवर किए गए खण्ड
आंध्र प्रदेश	155
अरुणाचल प्रदेश	56
असम	142
बिहार	266
गोवा	–
गुजरात	131
हरियाणा	44
हिमाचल प्रदेश	19
जम्मू व कश्मीर	85
कर्नाटक	119
केरल	21
मध्य प्रदेश	297
महाराष्ट्र	171
मणिपुर	22
मेघालय	32
मिजोरम	20
नागालैंड	52

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कवर किए गए खण्ड
उड़ीसा	175
पंजाब	–
राजस्थान	172
सिक्किम	4
तमिलनाडु	89
त्रिपुरा	18
उत्तर प्रदेश	248
पश्चिम बंगाल	128
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	2
चण्डीगढ़	–
दादर व नागर हवेली	1
दमण व दीव	1
दिल्ली	–
लक्षद्वीप	5
पांडिचेरी	–
कुल	2475

विवरण–II

1993–94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निष्पादन

(रूपए लाख में)

क्रम संख्या	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय रिलीज	राज्य मैचिंग अंश	कुल केन्द्र+ राज्य	खर्च	कुल निधियों का प्रतिशत खर्च
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3600.00	900.00	4500.00	2566.02	57.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	240.00	60.00	300.00	136.17	45.39

(रुपए लाख में)

क्रम संख्या	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय रिलीज	राज्य मैचिंग अंश	कुल केन्द्र+ राज्य	खर्च	कुल निधियो का प्रतिशत खर्च
1	2	3	4	5	6	7
3.	असम	2070.00	517.50	2587.50	963.09	37.22
4.	बिहार	4710.00	1177.50	5887.50	1608.36	27.32
5.	गुजरात	485.00	121.25	606.25	146.21	24.12
6.	हरियाणा	1320.00	330.00	1650.00	993.85	60.23
7.	हिमाचल प्रदेश	35.00	8.75	43.75	2.47	5.65
8.	जम्मू व कश्मीर	835.00	208.75	1043.75	133.75	12.81
9.	कर्नाटक	2820.00	705.00	3525.00	678.26	19.24
10.	केरल	580.00	145.00	725.00	171.20	23.61
11.	मध्य प्रदेश	5695.00	1423.75	7118.75	2503.49	35.17
12.	महाराष्ट्र	2645.00	661.25	3306.25	430.10	13.01
13.	मणीपुर	660.00	165.00	825.00	116.89	14.17
14.	मेघालय	160.00	40.00	200.00	NIL	0.00
15.	मिजोरम	600.00	150.00	750.00	470.98	62.80
16.	नागालैंड	840.00	210.00	1050.00	975.15	92.87
17.	उड़ीसा	4268.00	1067.00	5335.00	1280.35	24.00
18.	राजस्थान	3660.00	915.00	4575.00	926.99	20.26
19.	सिक्किम	116.00	29.00	145.00	20.27	13.98
20.	तमिलनाडु	1055.00	263.75	1318.75	319.48	24.23
21.	त्रिपुरा	610.00	152.50	762.50	659.35	86.47

(रूपए लाख में)

क्रम संख्या	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय रिलीज	राज्य मैचिंग अंश	कुल केन्द्र+ राज्य	खर्च	कुल निधियो का प्रतिशत खर्च
1	2	3	4	5	6	7
22.	उत्तर प्रदेश	2806.25	701.56	3507.81	647.68	18.46
23.	पश्चिम बंगाल	4055.00	1013.75	5068.75	2621.00	51.71
24.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	10.00	0.00	10.00	2.41	24.10
25.	दादर व नागर हवेली	5.00	0.00	5.00	1.51	30.20
26.	दमन व दीव	5.00	0.00	5.00	NIL	0.00
27.	लक्षद्वीप	25.00	0.00	25.00	NIL	0.00
	कुल	43910.25	10966.31	54876.56	18375.03	33.48

एन. आई. एल. – शून्य

विवरण-III

1994–95 के दौरान रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत निष्पादन

क्रमांक	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	1.4.94 की स्थिति के अनुसार खर्च न की गई निधियां	केन्द्रीय रिलीज अंश	राज्य मैचिंग	कुल केन्द्र+ राज्य	कुल उपलब्ध	खर्च निधियां	कुल उपलब्ध निधियों का प्रतिशत खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1933.98	10390.00	2597.50	12987.50	14921.48	13787.18	92.40
2.	अरूणाचल प्रदेश	163.83	960.00	240.00	1200.00	1363.83	862.81	63.26
3.	असम	1624.41	4632.00	1158.00	5790.00	7414.41	4115.31	55.50
	बिहार	4279.14	10390.00	2597.50	12987.50	17266.64	9639.54	55.83
	गुजरात	460.04	3580.00	895.00	4475.00	4935.04	1899.94	36.68

क्रमांक	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	1.4.94 की स्थिति के अनुसार खर्च न की गई निधियां	केन्द्रीय रिलीज अंश	राज्य मैचिंग	कुल केन्द्र+राज्य	कुल उपलब्ध	खर्च निधियां	कुल उपलब्ध निधियों का प्रतिशत खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	हरियाणा	656.15	2880.00	720.00	3600.00	4256.15	2901.54	68.17
7.	हिमाचल प्रदेश	41.28	500.00	125.00	625.00	666.28	115.02	17.26
8.	जम्मू व कश्मीर	910.00	2950.00	737.50	3687.50	4597.50	2338.54	50.87
9.	कर्नाटक	2846.74	6550.00	1637.50	8187.50	11034.24	8024.38	72.72
10.	केरल	553.80	1360.00	340.00	1700.00	2253.80	1901.38	84.36
11.	मध्य प्रदेश	4615.26	14536.00	3634.00	18170.00	22785.26	17959.01	78.82
12.	महाराष्ट्र	2876.15	7222.00	1805.50	027.50	11903.65	7617.01	63.99
13.	मणीपुर	708.11	990.00	247..50	1237.50	1945.61	1327.52	68.23
14.	मेघालय	200.00	640.00	160.00	800.00	1000.00	65.83	6.59
15.	मिजोरम	279.02	1600.00	400.00	2000.00	2272.02	2206.38	96.81
16.	नागालैंड	74.85	1120.00	280.00	1400.00	1474.85	1124.87	76.27
17.	उड़ीसा	4054.65	7884.00	1971.00	9855.00	13999.65	11655.94	83.80
18.	राजस्थान	3648.01	9900.00	2475.00	12375.00	16023.01	10876.32	67.83
19.	सिक्किम	124.73	160.00	40.00	200.00	324.73	243.07	74.84
20.	तमिलनाडु	999.27	3942.00	985.50	4927.50	5926.77	4409.84	74.40
21.	त्रिपुरा	103.15	1818.00	454.50	2272.50	2375.65	2375.65	100.00
22.	उत्तर प्रदेश	2860.13	10990.00	2747.50	13737.50	16597.63	8908.28	53.67
23.	पश्चिम बंगाल	2447.75	7698.00	1924.50	9622.50	1270.25	9220.72	76.39

क्रमांक	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	1.4.94 की स्थिति के अनुसार खर्च न की गई निधियां	केन्द्रीय रिलीज अंश	राज्य मैचिंग	कुल केन्द्र+राज्य	कुल उपलब्ध	खर्च निधियां	कुल उपलब्ध निधियों का प्रतिशत खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह	7.59	40.00	0.00	40.00	47.59	42.11	88.48
25.	दादर व नागर हवेली	3.49	20.00	0.00	20.00	23.49	3.16	13.45
26.	दमन व दीव	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	3.46	69.20
27.	लक्षद्वीप	25.00	100.00	0.00	100.00	125.00	10.94	8.75
	कुल	36501.53	112852.00	28173.00	141025.00	177526.53	123545.28	69.59

एन. आर असूचित

महाराष्ट्र में विद्युत की आवश्यकता

1221. **श्री अन्ना जोशी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवी पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में विद्युत की आवश्यकता सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी विद्युत उत्पादित किए जाने की योजना है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है तथा ये कहां–कहां स्थापित किए जायेंगे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) और (ख). महाराष्ट्र में आठवीं योजना के दौरान 1490.5 मे. वा. की परिकल्पित क्षमता अभिवृद्धि के आधार पर आठवीं योजना के अन्त में महाराष्ट्र में प्रत्याशित विद्युत आपूर्ति की स्थिति निम्नवत् होगी:–

ऊर्जा (मि. यू.)			व्यस्ततमकालीन (मे. वा.)		
आवश्यकता		58036	व्यस्ततमकालीन मांग		9202
उपलब्धता		51497	व्यस्ततमकालीन आपूर्ति		7364
कमी (–)	(–)	6539	कमी (–)	(–)	1838
(%)	(–)	11.3	(%)	(–)	20.0

(ग) मांग तथा उपलब्धता के बीच अन्तर को समाप्त करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों में, नई विद्युत उत्पादक क्षमता को शीघ्रता से चालू करना, अल्पविधि में निर्माणाधीन, परियोजनाओं को चालू करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी रहना, बेहतर मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों का क्रियान्वयन किया जाना तथा पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से विद्युत का अंतरण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य को पश्चिमी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र वाले केन्द्रों से भी अपना उचित हिस्सा मिलता है।

(घ) 8वीं योजना के दौरान महाराष्ट्र में क्षमता अभिवृद्धि का परियोजनावार ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

परियोजना का नाम	स्वरूप	स्थिति (एस–स्वीकृत)	कुल अधिष्ठापित क्षमता (मे. वा.)	लाभ 1992–97 (मे. वा.)
भण्डारडारा	(एच)	(एस)	34.0	34.0
भिरा पीएसएस	(एच)	(एस)	150.0	150.0
डिम्भे	(एच)	(एस	5.0	5.0
दुधगंगा	(एच)	(एस)	24.0	24.0
कोयना चरण–4	(एच)	(एस)	1000.0	250.0
मानिकडोह	(एच)	(एस)	6.0	6.0
सरदार सरोवर (27% हिस्सा)	(एच)	(एस)	67.5	67.5
सूर्या	(एच)	(एस)	6.0	6.0
उज्जैनी	(एच)	(एस)	12.0	12.0
वारना	(एच)	(एस)	16.0	16.0
उरण डब्ल्यू. एच. यू. 1	(जी)	(एस)	120.0	120.0
उरण डब्ल्यू. एच. यू. 2	(जी)	(एस)	120.0	120.0
ट्राम्बे सीसीजीटी	(जी)	(एस)	120.0	120.0
ट्राम्बे सीसीएसटी	(जी)	(एस)	60.0	60.0
दहानु	(टी)	चल रही	500.0	500.0
कुल जोड़			2240.5	1490.5

[हिन्दी]

भूमि सुधार

1222. श्री मती भावना चिखलिया :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री रामपाल सिंह :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को भूमि सुधार के काम में जी लाने हेतु कोई दिशा–निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त निर्देशों का सफलतापूर्वक पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (घ). भूमि राज्य का विषय है, इसलिए भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। भारत सरकार केवल समन्वयकारी और परामर्शी भूमिका निभाती है। तथापि भारत सरकार समय–समय पर राज्यों में भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है भारत सरकार अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के वितरण हेतु वार्षिक लक्ष्य भी निर्धारित करती है और इसकी समय–समय पर निगरानी करती है।

[अनुवाद]

यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के चेयरमेन का प्रत्यार्पण

1223. श्री राम नाईक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा श्री वारेन एण्डरसन, जो भोपाल गैस त्रासदी समय यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के चेयरमेन थे के प्रत्यर्पण के लिए कोई कदम ए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कदम उठाए गए हैं; और अब तक इसके क्या परिणाम ले; और

(ग) प्रत्यावर्तण को लागू करते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) से (ग). यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष के प्रत्यर्पण से संबंधित मामले के विभिन्न पहलू सरकार के विचाराधीन है।

सामाजिक परियोजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि

1224. श्री डी वेंकटेश्वर राव :
श्री शरत पटनायक :

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित सामाजिक परियोजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि उपलब्ध करायी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) सर्वप्रथम चरण की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी हां, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने प्रधान मंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस, 1995 को घोषित राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए राज्यों को निधियां उपलब्ध कराई हैं।

(ख) 1995–96 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तीन घटकों के लिए निधियों का आबंटन दर्शाने वाला एक विवरण है।

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में फिलहाल इसके घटकों के रूप में तीन लाभ दिए गए है अर्थात्–

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना

(3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों, मार्गदर्शिकाओं और शर्तों के अनुसार इसके अंतर्गत लाभ मुहैया करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शत–प्रतिशत सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ की मात्रा निम्नानुसार

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	:	प्रतिलाभार्थी को प्रतिमाह 75 रुपए।
(2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		प्रमुख जीविकोपार्जन की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु होने पर शोक संतप्त परिवार को 5000 रुपए तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 10,000 रुपए।
(3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना		दो जीवित बच्चों तक प्रति गर्भधारण पर 300 रुपए।

इन तीन योजनाओं की अन्य विशेष शर्तें निम्नलिखित हैं:–

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	:	(1) आवेदक की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
		(2) आवेदक दीनहीन होना चाहिए जिसकी आय का निजी स्रोत बहुत कम अथवा जीने का कोई नियमित साधन न हो।
(2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	:	(1) प्रमुख जीविकोपार्जक परिवार का सदस्य पुरुष अथवा महिला होना चाहिए जिसकी आय का योगदान कुल पारिवारिक आय का एक बड़ा भाग हो।
		(2) ऐसे प्रमुख जीविकोपार्जन की मृत्यु 18 से 64 वर्ष के आयु समूह में हुई हो।
		(3) भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार शोकसंतप्त परिवार गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाला परिवार होना चाहिए।
(3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना		गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाली 19 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु वाली गर्भवती महिला इस योजना के लाभ की पात्र होगी।

(घ) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अर्हक वित्तीय पात्रता और सीमांकन 1995–96 (रु लाख में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना/ अर्हक/वित्तीय पात्रता	सीमांकन (संख्या)	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना/ अर्हक वित्तीय पात्रता	सीमांकन (संख्या)	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना/ अर्हक वित्तीय पात्रता	सीमांकन संख्या	प्रशासनिक प्रभार	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	2474.5	466000	1275.3	23187	687.1	229034	190.834	4627.73
2. अरुणाचल प्रदेश	8.5	1700	3.0	55	3.5	1167	0.647	15.65

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना/अर्हक/वित्तीय पात्रता	सीमांकन (संख्या)	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना/अर्हक वित्तीय पात्रता	सीमांकन (संख्या)	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना/अर्हक वित्तीय पात्रता	सीमांकन संख्या	प्रशासनिक प्रभार	कुल
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.	असम	372.3	70100	366.7	6667	165.8	55267	38.915	943.71
4.	बिहार	4112.1	774400	2054.2	37350	1066.9	355630	311.104	7544.30
5.	गोवा	11.6	2200	6.5	118	5.0	1667	0.994	24.09
6	गुजरात	850.1	160100	420.4	7788	220.5	73500	64.474	1503.47
7.	हरियाणा	200.2	37700	87.6	1693	67.6	22530	15.287	370.69
8.	हिमाचल प्रदेश	61.6	11600	22.7	413	25.7	8567	4.730	114.73
9.	जम्मू व कश्मीर	141.2	26600	51.9	944	58.3	19430	10.835	262.235
10.	कर्नाटक	1679.0	316200	736.6	13392	445.2	148400	123.046	2983.85
11.	केरल	767.3	144500	191.5	3482	132.9	44300	46.954	1138.65
12.	मध्य प्रदेश	2600.8	489800	1593.3	28969	865.2	288400	217.607	5276.91
13.	महाराष्ट्र	2664.0	501700	1665.0	21182	675.1	225030	193.725	4697.83
14.	मणीपुर	18.6	3500	6.5	118	7.8	2600	1.413	34.31
15.	मेघालय	18.0	3400	6.5	118	7.6	2530	1.375	33.475
16.	मिजोरम	7.5	1400	3.2	58	3.1	1030	0.589	14.38
17.	नागालैण्ड	12.8	2400	3.2	58	5.4	1800	0.916	22.316
18.	उड़ीसा	1504.9	283400	989.7	17995	448.5	149500	126.586	3069.69
19.	पंजाब	193.8	36500	71.4	1298	47.6	15867	13.455	326.255
20.	राजस्थान	1062.0	200000	512.7	9322	384.3	128100	84.258	2043.26
21.	सिक्किम	4.3	800	3.2	58	1.9	630	0.398	9.80
22.	तमिलनाडु	2081.0	391900	1080.6	19647	514.2	171400	158.099	3833.90

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना/ अर्हक/वित्तीय पात्रता	सीमांकन (संख्या)	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना/ अर्हक वित्तीय पात्रता	सीमांकन (संख्या)	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना/	सीमांकन संख्या अर्हक वित्तीय पात्रता	प्रशासनिक प्रभार	कुल
1	2	3		5	6	7	8	9
23. त्रिपुरा	28.0	5300	9.7	176	11.9	3967	2.132	51.732
24. उत्तर प्रदेश	5456.1	1027500	3011.4	54753	1642.0	547330	434.818	10544.32
25. पश्चिमी बंगाल	1879.2	353900	1025.4	18644	512.3	170767	146.963	3563.86
संघ शासित क्षेत्र								
1. अंडमान और निकोबार	3.2	1600	3.3	60	1.3	430	0.330	8.13
2. चण्डीगढ़	6.9	1300	3.3	60	3.0	1000	0.566	13.77
3. दादरा व नागर हवेली	1.6	300	3.2	58	0.7	230	0.231	5.731
4. दमन व द्वीव	1.0	200	3.3	60	0.5	167	0.200	5
5. दिल्ली	100.9	1900	35.7	649	41.9	13967	7.679	186.179
6. लक्षद्वीप	0.5	100	3.2	58	0.4	133	0.170	4.27
7. पांडिचेरी	8.0	1500	3.2	58	3.4	1130	0.627	15.23
	28331.5	5335600	14761.4	268389	8056.5	2685500	2199.957	53349.45

विद्युत अधिनियम को पुनः लागू किया जाना

1225. **श्री राम विलास पासवान** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत विकास कार्यक्रम में सुधार लाने हेतु विद्युत अधिनियमों के उपबंधों की समीक्षा हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस सम्बन्ध में विशेषज्ञों ने क्या सुधार करने के सुझाव दिए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं कि विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनियाँ अथवा राज्य विद्युत बोर्ड अनावश्यक मुकदमेबाजी में न पड़े और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब न हो?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). विभिन्न विद्युत नियमों के बारे में किसी प्रकार के औपचारिक व्यापक समीक्षा कार्य नहीं किये जा रहे हैं, तथापि परिवर्तनीय परिस्थितियों के अनुरूप समय–समय पर नियमों की समीक्षा किए जाने पर विचार किया जाता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में महिलाएं

1226. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना और बढ़ावा देने में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) से (ग). जी हां। मंत्रालय केवल महिलाओं के लिए कोई स्कीम विशेष नहीं चलाता, पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए महिला उद्यमियों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरह इस मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण देने को प्राथमिकता दी जाती है ताकि उन्हें खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिले। सरकार ने महिला उद्योग निधि भी स्थापित की है जिसके मार्फत महिला उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[हिन्दी]

सड़कों के लिए विश्व बैंक सहायता

1227. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान कुल कितनी नई सड़कों के निर्माण हेतु विश्व बैंक ने भारत को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों के बीच वित्तीय सहायता के बंटवारे में कोई असमानता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में ऐसी कितनी सड़के हैं जिनके निर्माण हेतु आगामी वर्ष विश्व बैंक से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) वर्ष 1995-96 के दौरान नई सड़कों के निर्माण के लिए विश्व बैंक द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(ख) और (ग). विश्व बैंक से नई सड़कों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता राज्यवार वितरण के आधार पर प्राप्त नहीं होती है। बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड के आधार पर बैंक परियोजनाओं का चयन करता है जिनमें अलग-अलग परियोजनाओं की आर्थिक कार्य क्षमता शामिल होती है।

(घ) विश्व बैंक की ऋण सहायता से इस समय क्रियान्वित की जा रही 28 सड़क परियोजनाओं में से 5 सड़क परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में हैं।

[अनुवाद]

सड़क परियोजनायें

1228. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित सड़क परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इन परियोजनाओं के धीमें/क्रियान्वयन नहीं होने के कारण दिए जाने वाला ऋण स्थगित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पुनः सक्रिय करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल भूतल-परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). कार्यों की प्रगति निधियों की उपलब्धता के अनुरूप समान्यतः संतोषजनक है किन्तु कुछ मामलों में भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, उपयोगी वस्तुओं के स्थानान्तरण और संविदात्मक समस्याओं के कारण कार्यों की प्रगति में रूकावट आई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये कार्य शीघ्र पूरे हों, प्रगति पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

(ग) और (घ). विश्व बैंक ने प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग ऋण के संबंध में कुल 200 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण में से 96.6 मिलियन अमरीकी डालर की राशि रद्द कर दी थी।

(ङ) और (च). जी हां। अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्यों तथा सहयोगी अधिकारियों की नियुक्ति के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कार्य प्रारंभ कर दिया है।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा इस्पात उत्पादन

1229. **श्री सत्यदेव सिंहः** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1994–95 के दौरान भा. इ. प्रा. द्वारा इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) 1994–95 और 1995–96 के लिए वर्षवार कुल कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) 1994–95 के दौरान "सेल" के एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा 89.62 लाख टन विक्रेय इस्पात का उत्पादन किया गया।

(ख) 1994–95 और 1995–96 के दौरान "सेल" के एकीकृत इस्पात संयंत्रों के विक्रेय इस्पात के उत्पादन लक्ष्य निम्नलिखित हैंः–

(इकाई : हजार टन)

	1994–95	1995–96
विक्रेय इस्पात	8687	9255

(ग) जी, हां। वर्ष 1994–95 के लक्ष्य पूरे किये गये और अप्रैल–अक्तूबर, 95 के लक्ष्य भी पूरे किये गये हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए राज सहायता

1230. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए राज सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज सहायता देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ये राज सहायता गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग जिसमें बहुत अधिक पूंजी लगती है; को बढ़ावा देने के लिए दी जाती है।

विवरण

गहन समुद्री मत्स्यन के लिए दी जाने वाली राज सहायता का ब्यौरा

(1) गहन समुद्री मत्स्यन जलयान खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज–दर पर राज सहायता।

(2) गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों में फेरबदल करने ताकि वे विविधीकृत मत्स्यन कार्य कर सकें, की लागत पर 30% सब्सिडी जिसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रुपये है तथा ऐसे जलयानों पर ब्लास्ट फिजर लगाने की लागत पर 38 %सब्सिडी जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है।

(3) समुद्री उत्पादों के निर्यात में लगे गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों द्वारा खर्च किए जाने वाले डीजल की लागत के एक अंश की प्रतिपूर्ति।

(4) भारतीय मत्स्यन कंपनियों के लिए मत्स्यन ट्रालर्स बनाने के वास्ते "फिशिंग ट्रालर" बिल्डिंग सब्सिडी "शीर्ष" के तहत भारतीय शिपयार्डों को राज सहायता।

राज्य सरकारों द्वारा निधियों का अन्तरण

1231. **श्री रवि राय** : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों द्वारा अलग–अलग लेखा शीर्षों के अंतर्गत जिला, खंड तथा गांवों की निधियों के अंतरण की पहले से ही स्वीकृति दी जा चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख). संविधान के अनुच्छेद 243–ज में अन्य बातों के साथ–साथ यह व्यवस्था है

कि राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा, राज्य सरकार द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत ऐसे कर, शुल्क, पथकर और फीसें किसी पंचायत को ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, समनुष्टि कर सकेगा, राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता–अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा, और पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकालने के लिए भी उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243–झ में यह व्यवस्था है कि राज्यपाल पंचायतों की ठोस वित्तीय स्थिति के संबंध में राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को, उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। राज्यों से इस संवैधानिक प्रावधानों पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

विद्युत क्षेत्र में भारतीय/विदेशी कम्पनियां

1232. **श्री मनोरंजन भक्तः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र के लिए कोई विद्युत परियोजना निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वास्तव में कितनी परियोजनाओं को निजी कम्पनियों को देने की पेशकश की गई है और उन कम्पनियों के नाम क्या है; और

(ग) विद्युत परियोजनाओं में उनके द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है तथा ये कम्पनियां कितनी विद्युत का उत्पादन करेंगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल) : (क) से (ग). अभी तक लगभग 339708 करोड़ रूपये के निवेश से 73646 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने के लिए निजी क्षेत्र में 245 विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने हेतु रूचि प्रकट की गई है। कंपनियों के नाम समेत परियोजनाओं के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रकट की गई रूचि का अनंतिम ब्यौरा

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रूपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	भूपालापल्ली	विदेशी/सं. उ.	135	472.500*	लेविल स्टेन्ली एनर्जी ग्रुप प्रा. लि. यूएसए
2.	कुड्डापाह	भारतीय	420	1470.000*	लेविल स्टेन्ली एसोसिएट्स इन्क.
3.	ईस्ट गोदावरी	भारतीय	100	350.000*	रायलसीमा पैट्रो कैमिकल्स लि.
4.	गोदावरी	विदेशी/भारतीय स. उ.	208	748.430	स्पैक्ट्रम टैक. यूएसए/जया फूड्स एंड एनटीपीसी
5.	गोपालापल्ली	भारतीय	250	875.000*	ओरिएंट पेपर एण्ड इंडस्ट्रीज
6.	हैदराबाद	भारतीय	200	700.000*	बालाजी होटल एंड इन्टरप्राइजेज लि.
7.	हैदराबाद	भारतीय	200	700.000*	बीएमआर वासावी इंडस्ट्रीज लि.
8.	हैदराबाद	भारतीय	700	2450.000*	मै. आरपीजी इंडस्ट्रीज लि.
9.	हैदराबाद	भारतीय	200	700.000*	बालाजी डिस्ट्रिल्लरीज लि.
10.	हैदराबाद	भारतीय	200	700.000*	बालाजी बायोटैक लि.
11.	जेगुरुपाडू जी बी पी पी	विदेशी/भारतीय स. उ.	216	827.000	जी वीके इंडस्ट्रीज लि. यूएसए

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
12.	काकीनाडा	भारतीय	660	2310.000*	मैं कुमार्स पावर
13.	काकीनाडा	भारतीय	250	875.000*	मै. एडवांस्ड रेडियो मास्ट्स
14.	काकीनाडा पोर्ट्र	भारतीय	1000	3500.000*	मै. हाडीसन प्रा. लि.
15.	कलिंगापट्टनम टीपीएस	1	1X250	875.000*	बोली के अधीन
16.	कलिंगापट्टनम	भारतीय	120	420.000*	मै. कृष्णा–गोदावरी बेसिन पावर यूटिलिटीज
17.	करीमनगर	भारतीय	120	420.000*	लेविस स्टेन्ली एसोसिएट्स इन्क.
18.	कृष्णापट्टनम "ए' टीपीएस	भारतीय	500	1750.000*	जी वी के इंडस्ट्रीज लि.
19.	कृष्णापट्टनम "बी" टीपीएस	विदेशी	500	1750.000*	बेसीकोर्प इन्ट. पावर
20.	माचिलीपट्टनम	भारतीय	500	1750.000*	अनाग्राम फाइनेंसिल लि.
21.	मानुगुरू	भारतीय	1000	3500.000*	सांघी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज
22.	मानगुरू	भारतीय	500	1750.000*	श्री शिवा पावर लि.
23.	नेल्लौर	विदेशी	530	1855.000*	बीएसएक्स इंटरनैशनल ग्रुप इंक. हाउस्टेन,यूएसए
24.	निजामाबाद	भारतीय	200	700.000*	मै. रिचीमैन सिल्क्स लि.
25.	रामागुण्डम	भारतीय	500	1750.000*	मै. एडवांस्ड रेडियो मास्ट्स
26.	रामागगुण्डम	भारतीय	2 X250	1603.700*	बीपीएल ग्रुप
27.	रानीगुंटा	भारतीय	200	700.000*	बालाजी इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि.
28.	सिम्हाद्री	भारतीय	1000	3500.000*	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि.
29.	ट्विन गिटीज	भारतीय	250	875.000*	मै. रिचीमैन सिल्क्स लि.
30.	विशाखापत्तनम	भारतीय	650	2275.000*	इस्सार इन्वेस्टमेंट्स लि.
31.	विशाखापत्तनम	भारतीय	500	1750.000*	श्री शिवा प्रिया पावर लि.
32.	विशाखापत्तनम	भारतीय	500	1750.000*	मै. आमरैक्स एप्लांयसेज
33.	विशाखापत्तनम टीपीएस	विदेशी/भारतीय स. उ.	2X500	4797.000	अशोक लीलैण्ड एंड नैशनल पावर यू. के.

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
34.	विजयानगरम	भारतीय	220	770.000*	पावर पावर कारपोरेशन
35.	वाडापल्ली टीपीएस	भारतीय	120(2 X60)	420.000*	मै. कृष्णा गोदावरी बेसिन पावर यूटिलिटीज लि.
	जोड़: 35		14399.00	51638.630	
अरुणाचल प्रदेश					
36.	कामेंग एचईपी	विदेशी/भारतीय सं. उ.	600	1800.00	इंटरकोर्प इंडस्ट्रीज लि./स्नोवी माउंटेन इंजीनियरिंग लि.
37.	खारसांग जीबीपीपी	विदेशी/भारतीय स. उ.	48	223.00	इन्टर कोर्प/स्नोवी माउंटेन इंजी. आस्ट्रेलिया
	जोड़: 2			648.00	2023.000
38.	आदमतिल्ला ओपन साइकल	भारतीय	9	52.500	डीएलएफ पावर कम्पनी
39.	अमगुरी जीबीपीपी	विदेशी	280	1260.000	असम पावर पार्टनर्स, नार्दर्न इंजी. इन्क. यूएसए/ आगरा इंडस्ट्रीज
40.	बांसाकांडी ओपन साइकल	भारतीय	15.50	78.750	डीएलएफ पावर कम्पनी लि.
41.	कारवी कांग्वनी एचईपी	भारतीय	(2 X250)	284.300	मै. भारत हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि.
42.	नामरूप टीपीएसी विस्तार	भारतीय	90	315.000*	मै. विलियमसन मंगोर
	जोड़: 5		494.50	2010.550	
बिहार					
43.	चांडिल टीपीएस	भारतीय	2 X250	1637.000	आरपीजी इंटरप्राइजेज
44.	जोजोबेरा	भारतीय/विदेशी संयुक्त उद्यम (यूएसए)	3 X67.5	1240.000	टाटा स्टील/मिशन एनर्जी, यूएसए
	जोड़: 2		702.50	2877.000	

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
दिल्ली					
45.	[illegible] जीबीपीपी		800	2000.000	रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.
जोड़:	1		800.00	2000.000	
गुजरात					
46.	एकरीमोटा टीपीएस	भारतीय	240	840.000*	गुजरात मिनरल डवलपमेंट कारपोरेशन
47.	कोस्टल टीपीएस	भारतीय	1 X1000 मे. वा.	3500.00*	बोली के अधीन
48.	घोघा		1 X2500 मे. वा.	875.000*	बोली के अधीन
49.	जी. आई. पी. सी. एल [illegible]म्पेंशन पी. पी.	भारतीय	145 मे. वा.	399.000	गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कं. लि.
50.	हजीरा कारपोरेशन	भारतीय	1 X515 मे. वा.	1765.940	मै. एस्सार कारपो.
51.	जाम नगर	भारतीय	2 X250 मे. वा.	1967.000	रिलायंस पावर लि.
52.	मैणक्रोला टी.पी. एस.	भारतीय	250 मे. वा.	1082.810	गुजरात इन्डस्ट्रीज पावर कम्पनी लि., बड़ोदा
53.	पेगोठान सी. बी. पी. पी.	विदेशी/भारतीय जे.वी.	655 मे. वा.	2298.140	गुजरात टोरेन्ट इनर्जी कारपो. लि./सीमेंस, जर्मन
54.	पिपावर	–	1 X615 मे. वा.	00*	बोली के अधीन
	योग	9	4170.00	14880.390	
हिमाचल प्रदेश					
55.	ऐलेन–दोहागन	भारतीय	192 मे. वा.	672.000	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि.

*जहां कहीं राज्य/प्रवर्तक ने [illegible]स्थाई लागत अनुमान नहीं दिया है 3.5 करोड़ रुपए पूंजी लागत मानी गई है।

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
56.	बी. ए. एस. पी. ए. चरण–I	भारतीय	240 मे. वा.	840.000*	बोली के अधीन
57.	बी. ए. एस. पी. ए. चरण–II	भारतीय	300 मे. वा.	949.230	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
58.	बुद्धहिल		51 मे. वा.	283.500*	बोली के अधीन
59.	चिरगांव मझगांव		46 मे. वा.	161.000*	बोली के अधीन
60.	धमवारी एच. ई. पी.	विदेशी	70 मे. वा.	463.080*	हर्वा इंजिनियरिंग कम्पनी, यू. एस. ए.
61.	हिब्रा, एच. ई. पी.	विदेशी	231 मे. वा.	1020.000	–वही–
62.	कारचम वांगटू	भारतीय	900 मे. वा.	3150.000	जय प्रकाश इन्डस्ट्रीज लि.
63.	खाडली		10.5 मे. वा.	36.750*	बोली के अधीन
64.	कोल डाम		800 मे. वा.	2008.000*	बोली के अधीन
65.	खुतर		240 मे. वा.	840.000	बोली के अधीन
66.	मलाना, एच. ई. पी.	भारतीय	86 मे. वा.	456.000	राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि.
67.	नियोगल, एच ई. पी.	भारतीय	15 मे. वा.	106.120	ओम पावर कारपो. नई दिल्ली
68.	पीटीक्री		680 मे. वा.	2380.000*	बोली के अधीन
69.	रामपुर		680	2380.000	बोली के अधीन
70.	साल–I		8.25	28.875*	बोली के अधीन
71.	सावरा कुडडू		86	301.000*	बोली के अधीन
72.	शोंगटोंग–करछम		225	787.500*	बोली के अधीन
73.	उहल–3 एचईपी	भारतीय	2 X50	516.00	बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि. , दिल्ली
जोड़:	19		4327.75	15861.055	
हरियाणा					
74.	अम्बाला डीपीपी		75	262.500*	बोली के अधीन
75.	फरीदाबाद डीपीपी		75	262.500*	बोली के अधीन

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
76.	गुड़गांव		75	262.500*	बोली के अधीन
77.	हिसार टीपीएस		2 X250	1750.000*	बोली के अधीन
78.	कुण्डली डीग		75	262.500*	बोली के अधीन
79.	महेन्द्रगढ़ डीपीपी		75	262.500*	बोली के अधीन
80.	यमुनानगर टीपीएस	विदेशी	2 X350	3500.000	आइजनवर्ग ग्रुप ऑफ कं. इजरायल
जोड़	7		1575.00	6562.500	
जम्मू एवं कश्मीर					
81.	एन्स		370.000	150.000	बोली के अधीन
82.	बरसर एचईपी		1020	2000.000	बोली के अधीन
83.	चुटक		12	100.000	बोली के अधीन
84.	किशनगंज एचईपी		3 X110	100.000	बोली के अधीन
85.	पाकलदूल एचईपी		1000	2000.000	बोली के अधीन
86.	पारखवाक		30	200.000	बोली के अधीन
87.	परनाई एचईपी		3 X12.5	150.000	बोली के अधीन
88.	सावालकोट		2 X200	2000.000	बोली के अधीन
89.	सिवा-2		3 X40	350.000	बोली के अधीन
जोड़:	9		3186.50	7950.000	
कर्नाटक					
90.	अलमती डैम	विदेशी	600	1900.000	एशिया पावर कंपनी लि. (टापको) यूएसए, केपीसी
91.	आनंदका एचईपी	भारतीय	9	31.500*	अरविन्द मिल्स, अहमदाबाद

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
92.	बेल्जारी हॉसपैट	विदेशी/भारतीय सी. उ.	2 X120	838.900	जिंदल गुप ट्रैक्टबैल बैल्जियम
93.	बिदर	भारतीय	20	70.000*	एचएमजी पावर लि.
94.	बीजापुर	भारतीय	150	525.000*	केई एनर्जी
95.	सीवी एम एच एस	भारतीय	6.5	22.750*	सीवी मैथ्यू चारायेल, मैसूर
96.	चुनचानाकाट्टे	भारतीय	15	52.500*	मै. ग्रेफाइट इंडिया लि.
97.	देवांगोन्या	विदेशी	76	266.000*	इंडीपैंडेंट पावर सर्विसेज कारपोरेशन
98.	हारांगा एलवीसीएचईपी	विदेशी	4.5	15.750*	नार्थ–ईस्ट एनर्जी सर्विसेज यूएसए
99.	हेमावती एलवीसी	भारतीय	15	52.500*	दी सन्धुर मैग्नीज एंड आयरन ओरिखा लि.
100.	हुड्डी	भारतीय	40	140.000*	खोड़े इण्डिया लि. ,
101.	हॉसपैट टीपीएस	विदेशी	2 X250	224.000	हॉक इन्टर कोंटिनेंटल लि., यूएसए
102.	इंडी	भारतीय	20	70.000*	एचएमजी पावर लि.
103.	जाम खण्डी	भारतीय	20	70.000*	एचएमजी पावर लि.
104.	काविनी डीपीएच	भारतीय	20	80.000	मै. सुभाष प्रोजैक्ट एंड मार्केटिंग लि.
105.	कीर्ति होल	भारतीय	21	98.000	मै. सुभाष प्रोजैक्ट एंड मार्केटिंग लि.
106	कोलार	भारतीय	20	70.000*	एच एमजी पावर लि.
107.	कोप्पल	भारतीय	50	175.000*	मै. किर्लोस्कर ऑयल इंडिया लि.
108.	कुमारधारा	भारतीय	48	168.000*	मै. मोस्का पावर कारपोरेशन लि.
109.	मंगलौर	भारतीय	2 X22.5	174.410	मै. एमआरजीएल
110.	मंगलौर टीपीएस	विदेशी	4X250	5088.000	कोजैन्ट्रिक्स इन्क. यूएसए
111.	मंगलौर टीपीएस	भारतीय	3 X120	1260.000*	जयप्रकाश इंजी. एंड स्टील कंपनी लि.
112.	नागार्जुन	भारतीय	2 X500	4000.000	जैस्को (नागार्जुन ग्रुप)
113.	नारायणपुर एलबीसीएचईपी	भारतीय	9	31.500*	मुद्रेस्वरा पावर कारपोरेशन लि.

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (म. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
114.	पीन्या	भारतीय	50	175.000*	मै. सुभाष प्रोजैक्ट एंड मार्केटिंग लि.
115.	रायचूर चरण–5 एवं 6	विदेशी	2 X210	1750.000	पब्लिक पावर इन्ट. इन्क. (नार्थ–ईस्ट एनर्जी) यूएसए
116.	धुबिनाकेरे	भारतीय	130	455.000*	इंडिया पावर पार्टनर्स
117.	टुमकुर	भारतीय	50	175.000*	मै. सुभाष प्रोजैक्ट एंड मार्केटिंग लि.
118.	टूंगा एनीकट	भारतीय	20	70.000*	मै. डाण्डेल स्टील एंड फैररो एल्लोयस लि.
119.	अपर कोनेरी एचईपी	भारतीय	3.5	12.250*	गुजरात स्पिन्नर कंपनी
120.	वाराही आईडीपीएच	भारतीय	15	52.500*	मै. भोक्का पावर कारपोरेशन लि.
121.	वाराही टेलरेस	भारतीय	15	52.500*	मै. सान्धूर मैग्नीज एंड ऑयल ओरिया लि.
122.	व्हाइट फिल्ड	भारतीय	200	700.000*	कर्नाटक ब्रैवरीज एंड डिस्ट्रील्लरीज
	जोड़: 33		5192.50	19448.060	

केरल

123.	अनाक्कायाम एचईपी	भारतीय	8	36.000	आइडियल प्रोजैक्ट एंड सर्विसेज (पी) लि.
124.	बारोवोल एचईपी	भारतीय	9	28.730	आइडियल प्रोजैक्टस एंड सर्विसेज प्रा. लि.
125.	वूथाथानकेट्टू	भारतीय	16	56.000	सिलिकल मैटलर्जिक (पी) लि.
126.	चाथान्कोट्टूनाडा–2	भारतीय	7	22.810	आइडियल प्रोजैक्ट एंड सर्विसेज (पी.). लि.
127.	चैम्बूक्कादावु–2	भारतीय	7	22.290	आइडियल प्रोजैक्ट एंड सर्विसेज (पी.) लि.
128.	कारीक्कायाम एचईपी	भारतीय	12	42.000	ट्रावान्कोर इलैक्ट्रो कैमिकल एंड इण्ड. लि.
129.	कसारकोडे	भारतीय	500	1750.000*	फिनलैक्स केबल्स लि.
130.	कसारकोडे टीपीएस	विदेशी/भारतीय सं. उ.	3 X500	5250.000*	आरपीजी इंडस्ट्रीज लि. (संयुक्त उद्यम)
131.	कुथूगल एचईपी	भारतीय	20	70.000	इंडिसल इलैक्ट्रोलाइटस लि.
132.	पालचुराम एचईपी	भारतीय	3.50	12.2800	आइडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (पी.) लि.

क्र स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
133.	थिक्कारीपुर टीपीपी	भारतीय	2 X210	1470.000	बीपीएल ग्रुप
134.	उल्लूंकल एचईपी	भारतीय	6	21.000	ट्रोन्कोर इलैक्ट्रिक कैमिकल इण्ड. लि.
135.	वायपेन	विदेशी	500	1750.000*	फिनोलैक्स केबल्स लि./ब्लैक एंड विच (यूएसए)
136.	विलांगद एचईपी	भारतीय	7	24.960	आइडियल प्रोजैक्ट एंड इंडस्ट्रीज (पी.) लि.
137.	वैस्टर्न काल्लार एचईपी	भारतीय	5	14.240	आइडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्विसेज (पी.) लि.
	जोड़: 15		3020.50	10569.510	

मध्य प्रदेश

138.	मंडेर दुएल फ्यूल टीपीएस	भारतीय	330	1280.000	इस्सार इन्वेस्टिगेशन लि., बम्बई
139.	भिलाई टीपीएस	विदेशी /भारतीय सं. उ.	2 X250	2160.000	सेल, एल एंड टी, सीईए (यूएसए) का संयुक्त उद्यम
140.	बिना टीपीएस	भारतीय	1000	4000.000	ग्रासिम इण्ड लि.
141.	बिरसिंगपुर टीपीएस	विदेशी	500	2000.000	डाउस्टन इण्ड. एनर्जी इंडिया इन्क., गुजरात अम्बुजा सिमेंट लि.
142.	बुरहनपुर डीसीपीपी	भारतीय	150	525.000*	मै. सुभाष प्रोजैक्ट्स एंड मार्केटिंग लि. नई दिल्ली
143.	बरहानपुर खण्डवा	भारतीय	120	420.000*	मै. सुभाष प्रोजैक्ट्स एंड मार्केटिंग लि. नई दिल्ली
144.	गुना डुएल फ्यूल टीपीएस	भारतीय	330	1155.000*	मै. एसटीआई, इन्दौर
145.	ग्वालियर–2 (डीजल पीपी)	विदेशी	120.00	420.000*	वार्टशिला डीजल फिनलैण्ड
146.	झाबुआ	भारतीय	330	1300.000	मै. केडिया पावर्स लि.
147.	कोरबा ईस्ट टीपीएस	भारतीय	250	875.000*	मै. रायपुर एल्लॉयस एण्ड स्टील्स लि., रायपुर
148.	कोरबा ईस्ट टीपीएस	विदेशी	2 X500	875.000	डाइवो कारपोरेशन साऊथ कोरिया

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
149.	कोरबा वैस्ट विस्तार	भारतीय	2 X210	1600.000	मै. मुकुन्द लि.
150.	कोरबा वैस्ट टीपीएस	भारतीय	10 X250	1687.000	आरपीजी इंडस्ट्रीज लि.
151.	महेश्वर एचईपी	विदेशी/भारतीय सं. उ.	10 X40	1073.000	मै. एस कुमार्स/बैचटेल, यूएसए
152.	मन्दोदीप डीसीपीपी	भारतीय	150	525.000*	डीसीडब्ल्यू पावर कारपोरेशन लि., बम्बई
153.	नरसिंहपुर	भारतीय	150	520.000*	ग्लोबल बोर्डर्स लि.
154.	नरसिंहपुर डीसीपीपी	भारतीय	150	525.000*	मै. ग्लोबल बोर्डस लि.
155.	पेंच टीपीएस	विदेशी	500	2500.000*	सोरोस फण्ड मैनेजमेंट, यूएसए
156.	पितमपुरा डीसीपीपी	भारतीय	120	420.00*	शापरजी पाल–ओन–जी पावर कम्पनी लि., बम्बई
157.	रायगढ़ टीपीएस	भारतीय	1000	4000.00	जिन्दल स्ट्रिप्स प्रा. लि.
158.	राजगढ़ दुएल फ्यूलटीपीएस	भारतीय	150	1155.000*	अल्पाइन इण्डिया प्रा. लि. इंडिया
159.	रतलाम	भारतीय	150	525.000	मै. जी. वी. के पावर लि.
160.	तावा एचईपी (कैप्टिव)	भारतीय	12	65.000	एचईजी लि.
161.	टिकमगढ़	भारतीय	150	525..000*	मै. आई टी सी लि. कलकत्ता
	जोड़ 124		8662.00	33885	

महाराष्ट्र

162.	भद्रावती टीपीएस	विदेशी	2 X500	5187.000 (695–पीएच)	इस्पात अल्लॉयस लि./ईसीजीडी, यू. के/ ईडीएफ, फ्रांस
163	भिवपुरी सीसीजीटी	भारतीय	1 X450	1340.000	मै. टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनीज, बम्बई
164.	भिवपुरी पीएसएस	भारतीय	1 X90	315.000	टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनीज

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
165.	दाभोल सीसीजीटी (एलएनजी)	विदेशी	2015	1051.270 (695–पी एन)	एन्रोन डेवलपमेंट कारपोरेशन जीई एण्ड बैचटेल, यूएसए
166.	खापरखेड़ा टीपीएस	विदेशी	2 X210	1353.000	एरान्को लाइनशिप्पिंग कम्पनी, माल्टा/सिंगापुर
167.	खापरखेड़ा यूनिट 3 एवं 4	भारतीय	2 X250	1750.000	मै. बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज लि.
168.	नागोथाणे जीवीपीपी	भारतीय	410	1435.000	रिलांयस
169.	वानी–वारोरा	भारतीय	500	1750.000*	आरपीजी ग्रुप
जोड़:	8		5457.00	22181.270	
उड़ीसा					
170.	वालिमेला एचईपी–7 एवं 8	भारतीय	2 X60	420.000*	मै. एलएम जैड
171.	बोमलाई टीपीएस	विदेशी	4 X250	2362.000*	गैलेक्सी पावर कम्पनी, यूएसए एण्ड इण्डैक ऑफ चिकागो।
172.	चिपुलिमा बी	भारतीय	200	700.000*	मै. जे. के. कारपोरेशन लि., नई दिल्ली।
173.	चौदवार सीपीपी	भारतीय	110	385.000*	मै. इण्डियन चार्म क्रोम लि.
174.	डुबुरी टीपीएस	विदेशी/भारतीय स. उ.	500	1750.000	[illegible] पावर कारपोरेशन (एनई पावर यूएसए)
175.	दुर्गापुर	भारतीय	2 X250	1750.000*	ज. के. कारपोरेशन लि.
176.	हीराकुंड वी	भारतीय	208	1914.000	मै. जे. के. कारपोरेशन लि., नई दिल्ली।
177.	हिरमा टीपीएस चरण–I	विदेशी	5 X660	14033.000	मै. सीईपीए हांगकांग
178.	इब घाटी टीपीएस	विदेशी	420	1993.630	एईएस कारपोरेशन, यूएसए
179.	जालापुर टोई	भारतीय	3 X6	63.000*	उड़ीसा पावर कारपोरेशन लि.
180.	कामलांग्या टीपीएस	विदेशी	2 X250	2400.000	एस एण्ड टी विद सीईएस, यूएसए

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
181.	लापांगा टीपीएस	विदेशी	500	1750.000*	पायोनीयर एण्ड थाण्डा इंजीनियरिंग, यूएसए, सामलाई (पी) लापांगा कम्पनी
182.	मैस्को	विदेशी	240	840.000*	मै. इण्डेक एनर्जी सर्विसिज पावर लि.
183.	नाराज टीपीएस	भारतीय/विदेशी सं. उ.	4 X250	2170.000	मै. इण्डिया पावर पार्टनर्स प्रा. लि./ओपीसीएल/ डब्ल्यू इंटरनेशनल एनर्जी
184.	रंगाली टीपीएस		2 X250	1750.000*	बोली के अधीन
185.	सामल बाराज एचईपी	भारतीय	4X5	70.000*	
जोड़:	16		9136.00	34350.630	
पंजाब					
186.	जीएनटीओपी चरण–4		2 X250	1750.000*	बोली के अधीन
187.	गोविन्दवाल साहिब		2 X250	1750.000*	बोली के अधीन
जोड़:	2		10000.000	3500.000	
राजस्थान					
188.	आबू रोड़		75	262.500*	बोली के अधीन
189.	बरसिंहसर टीपीएस		240	840.000*	बोली के अधीन
190	भिवाड़ी		75	262.500*	बोली के अधीन
191.	चित्तौड़गढ़	भारतीय	500	1750.000*	सैंच्यूरी टैक्सटाइल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि.
192.	धौलपुर	भारतीय	2 X250	2958.000	मै. इन्टरप्राइजेज
193.	जयपुर		75	262.500*	बोली के अधीन
194.	जालिया		4 X250	1967.540	बोली के अधीन
195.	जोधपुर		75	262.500*	बोली के अधीन

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
196.	कपूरडी		2 X250	1932.460	बोली के अधीन
197.	मिया–अल्वर		75	262.500*	बोली के अधीन
198.	सूरतगढ़ चरण–2		2 X250	1697.900*	बोली के अधीन
199.	उदयपुर		75	262.500*	बोली के अधीन
जोड़:	12		3890.00	12620.900	
सिक्किम					
200.	तीस्ता–3		1200.00	4200.00*	बोली के अधीन
जोड़:	1		1200.00	4200.00	
तमिलनाडु					
201.	बेसिन ब्रिज चरण–2	भारतीय	200	750.000	जीएमआर वासावी पावर कारपोरेशन लि.
202.	कुड्डालूर टीपीएस	विदेशी	2 X660	5664.000	इन्टरनेशनल कांट्रेक्टिंग एण्ड मार्केटिंग कम्पनी, यूएसए
203.	गुमाडीपुण्डी	भारतीय	500	1750.000*	विडियोकोन इन्टरनेशनल
204.	गुमाडीपुण्डी	भारतीय	1000	3500.000	जीवीके इण्डस्ट्रीज
205.	जायमकोण्डम लिग्नाइट पोवो	विदेशी	3 X500	4679.000	मैकनैली भारत इंजीनियरिंग कम्पनी लि. एण्ड टिडको, संयुक्त उद्यम
206.	नार्थ मद्रास–2	भारतीय	2 X500	3500.000*	मै. विडियोकोन इंटरनेशनल लि., बम्बई
207.	नार्थ मद्रास टीपीपी–3	विदेशी	500	1750.000	मै. परो–मैजेस्टिक एसडीएन, बीएचडी, मलेशिया
208.	पेरियार वागई एमईपी	भारतीय	2 X5	3500.000	मै. सिल्काल इण्डस्ट्रीज लि. कोयम्बटूर
209.	पिल्लईपेरुमलनेल्लूर	विदेशी/भारतीय स. उ.	1 X320	1120.000*	डायनाविजन आफ रेड्डी ग्रुप/जे. मकोवस्की, यूएसए

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
210.	रि-एलोकेशन टीपीएस	भारतीय	6 X120+ 4 X200	320.000*	एचएनजैड पावर लि.
211.	साभालपट्टी डीईपीपी	भारतीय	1000	350.000*	मै. शिव इण्डस्ट्रीज लि., कोयम्बटूर
212.	सामायानैल्लूर डीईपीपी	भारतीय	1000	364.00	बालाजी ग्रुप
213.	श्रीभुष्णम लिग्नाइट	भारतीय	250	875.000*	टिकापको, बीएम स्वामी एसोसिएट्स
214.	तूतीकोरिन-4 टीपीएस	भारतीय	500	1750.000*	मै. तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्ट्स लि., मद्रास
215.	विम्बार टीपीपी	विदेशी	2000	7000.000*	मै. सीआरएसएस कैपिटल कारपोरेशन एंड इन्टरनेशनल रिसोर्सेस, यूएसए
216.	बीरो यूनिट (एनएलसी)	विदेशी	250	1325.110	एसटी पावर सिस्टम्स इन्क. यूएसए.
जोड़:	16		11070.00	39752.110	

उत्तर प्रदेश

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
217.	अलीगढ़ पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350.000*	मै. यूनियन पावर लि.
218.	बोवाला नन्द प्रयाग		3 X44	347.00	बोली के अधीन
219.	चन्दौसी पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350.000*	मै. इण्डिया पावर पार्टनर्स प्रा. लि.
220.	गजरौला पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350.000*	मै. इन-परो इण्डिया लि.
221.	ग्रेटर नोयडा (पी) प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350.000*	मै. आरपीजी इण्डस्ट्रीज लि.
222.	जवाहरपुर टीपीएस	विदेशी	800	2896.000	पेसिफिक इलैक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन कनाडा
223.	कोसिकला पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	60	210.000*	मै. डी एस एम लि.
224.	लोहारीनाग-2 पला		4 X130	637.000	बोली के अधीन
225.	मनेरीभाली-2 एचईपी		304	1064.000*	बोली के अधीन

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
226.	मुरादाबाद	भारतीय	100	350.000*	मै. ग्लोबस बोर्डस लि.
227.	मुजफ्फर नगर पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350.000*	मै. सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग लि.
228.	पालामनेरी एचईपी		416	1456.000*	बोली के अधीन
229.	पनकी पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350.000*	मै. डालमिया ब्रदर्स प्रा. लि.
230.	रेणुसागर	भारतीय	2 X70	424.330	मै. हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लि.
231.	रोसा टीपीएस	विदेशी/भारतीय स. उ.	2 X250+ 1 X250	587.470	इण्डो–गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल इण्डिया एण्ड पावर जेनरेशन एल. सी., यू. के.
232.	साहिबाबाद पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350.000*	मै. मोदी मिर्रलैस ब्लैक स्टोन लि.
233.	सिकन्दराबाद पावर प्रोजेक्ट	भारतीय	100	350.000*	मै. डालमिया ब्रादर्स प्रा. लि.
234.	श्रीनगर एच ईपी	भारतीय	330	1510.000	मै. डनकन एग्रो इण्डस्ट्रीज लि.
235.	तपोवन विष्णुगाद एच ई पी		360	1260.000*	बोली के अधीन
236.	विष्णुप्रयाग एचईपी	भारतीय	4 X100	1287.130	जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि.
जोड़:	20		5112.00	16828.930	
प. बंगाल					
237.	बक्रेश्वर टीपीएस	विदेशी/भारतीय	420	1860.000	डीसीएल कल्जियान कारपोरेशन, सीएमएस, जेनेरेशन, यूएसए एण्ड डब्ल्यू पीडीसीएल.
238.	बालागढ़ टीपीएस	विदेशी/भारतीय (संयुक्त उद्यम)	2 X250	2235.000	बालागढ़ पावर कम्पनी लि. (सीईएससी/एडीबी/टीएफसी)
239.	बज–बज	भारतीय	2 X250	1950.000	सीएससी लि., कलकत्ता
240.	धानकुनी	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	20	70.000	स्पैक्ट्रन टैक्नोलोजी, यूएसए

क्र. स.	परियोजना का नाम	विदेशी / भारतीय	क्षमता (मे. वा.)	अनंतिम लागत (करोड़ रुपये)	कम्पनी का नाम
1	2	3	4	5	6
241.	फरक्का	विदेशी	5 X25	602.000	बोली के अधीन
242.	गौरीपुर टीपीएस	विदेशी/भारतीय (संयुक्त उद्यम)	2 X75	732.870	बीटीएस, टीईएस, यूएसए, बीएचईएस, डब्ल्यू बी एसईबी,
243.	सागरदीघि टीपीएस	विदेशी/भारतीय (संयुक्त उद्यम)	2X500	4960.000	डीसीएल कुल्जियन कारपोरेशन, सीएमएस, जेनरेशन, यूएसए, डब्ल्यूपीडीसीएल
जोड़: 7			2715.00	12418.870	
244.	ग्रुप ऑफ पावर प्रोजेक्ट	विदेशी	6700.00	23450.000	कोन्सोलिडेटिड इलैक्ट्रिक पावर एशिया लि., हांगकांग
जोड़: 1			6700.00	23450.000	
245.	एनर्जी एफिशियंसी जेनरेशन	विदेशी/भारतीय (संयुक्त उद्यम)	200.00	700.000*	मै. जेएमसी डेवलपमेंट, यूएसए/अपोलो होस्पिटल्स
जोड़ 1			200.00	700.000	
कुल जोड़: 245			93661.25	339708.405	

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों मे मकानों का निर्माण

1233. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा कितने मकानों का निर्माण किया गया और उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये मकान आबंटित किए गए हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणी के लोगों को उपलब्ध कराए गए रोजगार अवसरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1996 और 1997 के दौरान कितने मकानों का निर्माण किया जायेगा और रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध कराए जाने की संभावना है तथा योजना का ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

असम में अंतर्राज्यीय सड़क पुल

1234. **श्री प्रबीन डेका :** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान असम सरकार को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय सड़क पुलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सहायता देने के लिए इस प्रकार की परियोजनाओं के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) और (ख). जी नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र के सड़क कार्यक्रम के लिए निधियों के सीमित आबंटन के कारण आठवीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कुछ चुनिंदा परियोजनाओं को ही शुरू कर पाना संभव हुआ है।

(ग) विस्तृत मानदण्ड इस प्रकार हैः-

(i) संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अंतर्राज्यीय सड़कें/पुल

(ii) ऐसे नए क्षेत्रों को खोलने के लिए अपेक्षित सड़कें/पुल जहां निकट भविष्य में रेल सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

(iii) सड़कें/पुल जो तेजी से आर्थिक विकास अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों और खनिज संसाधन सम्पन्न क्षेत्रों के उपयोग के लिए वास्तविक योगदान दे सकते हैं।

गहरे समुद्र में मत्स्यन के लाइसेंस वापिस लेना

1235. प्रो. के. वी. थामस :
श्री एन. डेनिस :
श्री चित्त बसु :
श्री हाराधन राय :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त उद्यमों को अब तक गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु कितने लाइसेंस दिए गए हैं और 30 नवम्बर, 1995 तक इनमें से कितने लाइसेंसों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को गहरे समुद्र में मत्स्यन हेतु मछुआरों को मछली पकड़ने वाली विदेशी नौकाओं के लिए दिए गए लाइसेंस वापस लेने के कारण हो रहे आंदोलन के बारे में जानकारी है;

(ग) सरकार द्वारा पारम्परिक मछुआरों को मत्स्यन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या मुरारी समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और इसे प्रस्तुत कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) 30 नवंबर, 1995 की स्थिति के अनुसार 16 कंपनियों, जिनके 61 जलयान हैं को संयुक्त उद्यम के तहत तथा 11 कंपनियां जिनके 57 जलयान हैं, को लीजिंग के तहत दिए गए लाइसेंस वैध है। इनमें से 8 कंपनियां संयुक्त उद्यम के तहत 15 जलयान तथा 2 कंपनियां लीजिंग के तहत 5 जलयान चला रही हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पारम्परिक मछुआरों की सहायता के लिए लागू की जा रही स्कीमें

1. मछली के परिरक्षण और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं की स्थापना हेतु स्कीम।
2. पारम्परिक नौकाओं में मोटर लगाना।
3. प्लाईवुड क्राफ्ट की शुरूआत।
4. पैलैजिक मत्स्यन संसाधनों के दोहन के लिए इंटरमीडिएट क्राफ्ट की शुरूआत।
5. 20 मीटर से कम लम्बाई वाले मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों के लिए हाई स्पीड डीजल पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।
6. समुद्री मत्स्यन विनियमन अधिनियम को लागू करना।
7. कृत्रिम रीफ और सी-फार्मिंग परियोजनाओं की स्थापना।
8. मछुआरों के लिए कल्याण कार्यक्रम जिसमें मछुआरों के लिए आदर्श गांवों का विकास, सक्रिय मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना स्कीम तथा समुद्री मछुआरों के लिए बचत एवं राहत शामिल हैं।
9. मात्स्यिकी प्रशिक्षण तथा विस्तार।

पत्तनों की स्थिति में सुधार

1236. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ प्रमुख पत्तनों की असंतोषजनक वित्तीय प्रदर्शनों के लिए निंदा की गई है तथा उनके प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए उपाय सुझाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कई पत्तन प्राधिकारियों को ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में दोषी पाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश के पत्तनों में सुधार हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) जी हां, कुछ महापत्तन न्यासों को विगत में समग्र घटिया कार्य निष्पादन के लिए सचेत किया गया है।

(ख) तथापि, सभी महापत्तन न्यास प्रचालन अधिशेष अर्जित कर रहे हैं। परन्तु उनमें से कुछ ने सरकारी ऋणों को वापस नहीं किया है।

(ग) पत्तनों को अपनी वित्तीय और प्रचलानात्मक स्थिति मजबूत करने की दृष्टि से अपने टैरिफ ढांचों को संशोधित करने, खर्च कम करने, दक्षता में सुधार लाने तथा संसाधनों का बेहतर उपयोग करने की सलाह दी गई है।

जम्मू और कश्मीर उग्रवादियों को पाक द्वारा सहायता देने के मामले में अमरीकी दृष्टिकोण

1237. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्याः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अमरीका ने पाकिस्तान से जम्मू और कश्मीर उग्रवादियों को सहायता देना बन्द करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान अमरीकी सरकार के प्रस्ताव से सहमत हो गया है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर के उग्रवादियों को पाकिस्तान द्वारा सहायता देने पर अमरीका द्वारा रोक लगाने के प्रयासों के संबंध में कोई जानकारी है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख). अमरीका ने इस बात का संकेत दिया है कि उन्होंने यह मुद्दा पाकिस्तान के साथ उठाया है तथा पाकिस्तान ने कश्मीर में उग्र विद्रोहियों को केवल नैतिक, राजनीतिक एवं राजनयिक समर्थन दिया जाना स्वीकार किया है। हमने अपनी ओर से उन प्रमाणों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जिससे यह स्थापित होता है कि पाकिस्तान उग्रवादियों को सक्रिय रूप से वित्तीय सहायता दे रहा है, दुष्प्रेरित कर रहा है, प्रशिक्षण एवं हथियार प्रदान कर रहा है तथा भारत विशेषकर जम्मू एवं कश्मीर में घुसपैठ में सहायता कर रहा है।

(ग) और (घ). सरकार को अमरीका द्वारा इस संबंध में पाकिस्तान से किए गए किसी विशिष्ट प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा स्थापित किये जाने वाले नए संयंत्र

1238. डा. लाल बहादुर रावलः क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का नए संयंत्र स्थापित किये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार किन–किन स्थानों पर ये संयंत्र स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग). स्टील अर्थॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा नया इस्पात संयंत्र स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। "सेल" की निवेश योजना अपने मौजूदा इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और उत्पाद विकास के जरिए उत्पादकता और लाभ में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना/मरम्मत करना

1239. श्री एन.जे. राठवाः क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में तथा विशेष रूप से गुजरात के पिछड़े/ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने/मरम्मत करने के लिए कोई कार्य योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य के लिए राज्यवार तथा प्रति वर्ष कितनी राशि आबंटित की गई; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख). वार्षिक योजना 1995–96 के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के लगभग 750 कि.मी. लम्बे भाग को चौड़ा करने की व्यवस्था की गई है। इसमें गुजरात के पिछड़े/ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्र से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग खंड शामिल है। चूंकि रख–रखाव और मरम्मत एक गैर–योजनागत कार्य है इसलिए ऐसे कार्य के लिए कोई योजना तैयार नहीं की जाती है।

(ग) विभिन्न राज्यों के लिए आवंटन राज्यवार किया जाता है न कि स्कीम–वार। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव हेतु आबंटित की गई निधियां संलग्न विवरण –I में दी गई हैं।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उन्हें चौड़ा करना एक सतत् प्रक्रिया है। उनका पूरा होना मुख्यतः निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण–I

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992–93		1993–94		1994–95	
		विकास	रख–रखाव एवं मरम्मत (लाख रू)	विकास	रख–रखाव एवं मरम्मत (लाख रू)	विकास	रख–रखाव एवं मरम्मत (लाख रू)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आंध्र प्रदेश	2600.00	1249.44	4580.00	1716.42	4590.50	2146.64
2.	अरुणाचल प्रदेश	80.00	35.41	400.00	53.51	130.00	67.24
3.	असम	1275.00	1039.625	1400.00	1355.22	1485.00	1678.23
4.	बिहार	1385.00	1072.66	1920.00	1276.45	1875.00	1472.53
5.	चण्डीगढ़	25.00	15.48	25.00	14.00	25.00	21.00
6.	दिल्ली	700.00	171.80	550.00	208.21	150.00	142.25
7.	गोवा	850.00	208.308	570.00	225.05	375.00	385.65
8.	गुजरात	4650.00	881.37	6850.00	1033.95	5630.00	1316.61
9.	हरियाणा	1870.00	380.83	3200.00	513.86	5160.00	580.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1150.00	529.55	1200.00	881.70	1350.00	894.80
11.	जम्मू एवं कश्मीर	50.00	143.39	40.00	84.54	45.00	75.60
12.	कर्नाटक	1880.00	1105.87	2900.00	1234.19	2425.00	1506.78

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992–93		1993–94		1994–95	
		विकास	रख–रखाव एवं मरम्मत (लाख रू)	विकास	रख–रखाव एवं मरम्मत (लाख रू)	विकास	रख–रखाव एवं मरम्मत (लाख रू)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
13.	केरल	1400.00	587.82	3089.00	726.15	2750.00	924.10
14.	मध्य प्रदेश	1915.00	1213.25	1850.00	1316.28	1534.50	1696.01
15.	महाराष्ट्र	3280.00	1506.677	3080.00	1815.54	2675.00	2150.45
16.	मणिपुर	250.00	73.32	300.00	130.47	325.00	115.20
17.	मेघालय	387.00	170.27	470.00	231.13	500.00	270.06
18.	नागालैंड	50.00	3.50	45.00	7.29	40.00	4.00
19.	उड़ीसा	1[illegible]	738.52	1350.00	1016.11	3390.00	1186.50
20.	पांडिचेरी	44.64	5.78	50.00	16.02	50.00	14.73
21.	पंज	2800.00	638.97	2200.00	661.30	3500.00	736.97
22.	राजस्थान	3095	1141.02	4200.00	1339.97	4350.00	1810.83
23.	तमिलनाडु	1600.00	1134.69	3150.00	1613.67	2503.50	1702.86
24.	उत्तर प्रदेश	4995.00	1394.96	4750.00	1710.52	6264.00	2065.00
25.	पश्चिम बंगाल	2230.00	1071.51	3500.00	1760.45	3987.00	1744.00

[अनुवाद]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली

1240. **श्री हरिन पाठक:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार के अंतर्गत और किन–किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने का है कि इस विस्तार से इस कार्यालय की कार्य कुशलता और क्षमता कम न हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार गुजरात में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों के क्षेत्राधिकार

का भी विस्तार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) और (ख). जी हां। उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ और गाजियाबाद जिले और हरियाणा राज्य के फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत तथा रोहतक जिले 13 फरवरी, 1995 से दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ). क्षेत्री पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली के क्षेत्राधिकार में विस्तार करने से इस कार्यालय की दक्षता प्रभावित होने की संभावना नहीं है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पासपोर्ट आवेदक व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली जा सकेंगे जो इसी क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्थानांतरित किए गए जिलों को देखते हुए काफी सुविधाजनक स्थान पर स्थित है।

(ङ) और (च). क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गुजरात के क्षेत्राधिकार में विस्तार करने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।

सिन्हा समिति रिपोर्ट की सिफारिशें

1241. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा गठित सिन्हा समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या अभी भी 55 प्रतिशत से अधिक गांव शहरों तथा नगरों से सड़क द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन गांवों को शहरों तथा नगरों से जोड़ने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) और (ख). इस मंत्रालय को सिन्हा समिति की रिपोर्ट के बारे कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ). न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सड़कों) के अन्तर्गत 1994–95 तक 1000 से अधिक जनसंख्या वाले 83.4% गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। आठवीं योजना (1992–97) के लिए इस श्रेणी के सभी गांवों को योजना के अन्त तक सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है।

उर्वरक उत्पादन

1242. **श्री श्रवण कुमार पटेल**: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उर्वरक उत्पादन में वृद्धि करने हेतु 6,000 करोड़ रुपये को परियोजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इस तरह से उर्वरकों की विभिन्न किस्मों का कितनी अतिरिक्त क्षमता का उत्पादन होगा;

(ग) इस समय तथा 1997 के लिए विभिन्न उर्वरकों की मांग तथा आपूर्ति की क्या स्थिति है; और

(घ) इन परियोजनाओं पर कब तक अमल होने की संभावना है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (घ). अनुमानित पूंजी लागत क्षमता तथा आरम्भण की प्रत्याशित तिथि सहित कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार है:–

क्रमांक	कम्पनी/सहकारी उपक्रम का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ों में)	परिकल्पित उत्पादन उत्पाद क्षमता (लाख मी. टन प्रति वर्ष)	आरम्भण की प्रत्याशित तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	आंवला (उ.प्र.) (विस्तार)	9[illegible]	यूरिया 7.26	1.1.97

क्रमांक	कम्पनी/सहकारी उपक्रम का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (करोड़ों में)	परिकल्पित उत्पादन उत्पाद क्षमता (लाख मी. टन प्रति वर्ष)	आरम्भण की प्रत्याशित तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	कलोल (गुजरात) (विस्तार)	119.08	यूरिया 1.50	1.9.97
3.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि. (इफको)	फुलपुर (उ.प्र.) (विस्तार)	993.00	यूरिया 7.26	20.1.99
4.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल)	विजयपुर (म.प्र.) (विस्तार)	987.30	यूरिया 7.26	1.1.97
5.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम एफ एल)	मनाली (मद्रास) (विस्तार)	437.47	यूरिया 0.76 एनपीके 1.84	30.6.96
6.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि. (फैक्ट)	उद्योगमण्डल केरल (अमोनिया पुनर्स्थापन संयंत्र)	618.00	अमोनिया 2.97	31.3.97
7.	आसवाल कैमिकल्स एण्ड	शाहजहांपुर(उ.प्र.) (ग्रासरूट)	1325.00	यूरिया 7.25	दिसम्बर, 95 को परीक्षण उत्पादन प्रारम्भ किया गया
8.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. (एनएफसीएल)	काकीनाडा आन्ध्र प्रदेश (विस्तार)	954.21	यूरिया 4.95	1997-98 का दूसरा भाग
9.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ एल)	नांगल, पंजाब (डि-बाटलेकिंग)	50.00	यूरिया 1.81	1.11.1996

कुल अनुमानित पूंजी लागत – 6494.06 करोड़

कुल उत्पादन (क) यूरिया – 38.06 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष

(ख) एनपीके– 1.64 लाख मीटरी टन प्रतिवर्ष

(ग) कृषि मंत्रालय ने वर्ष 1995-96 के लिए "एन", "पी" तथा "के" पोषकों का क्रमशः 10.75 मिलियन मीट्रिक टन, 3.56 मिलियन मीट्रिक टन तथा 1.35 मिलियन मीट्रिक टन मांग का अनुमान लगाया है। "एन" पोषकों की खपत में 6% तथा "पी" एवं "के" पोषकों से प्रत्येक के लिए 5% की औसत वार्षिक वृद्धि के अनुमान से वर्ष 1997-98

के दौरान मांग के क्रमशः 12.03 मिलियन मीट्रिक टन "एन", 3.92 मिलियन मीट्रिक टन "पी" तथा 1.48 मीट्रिक टन "के" तक बढ़ने की संभावना है। उनकी वास्तविक खपत अन्य बातों के साथ-साथ पोषक मूल्य, मानसून की दशा आदि परिवर्तियों पर निर्भर करेगा। आयातों द्वारा संपूरित घरेलू उत्पादन से 1997-98 के दौरान विभिन्न पोषकों की वास्तविक मांग के पूरा हो जाने की आशा है।

इस्पात संयंत्रों द्वारा लौह और इस्पात का उत्पादन

1243. श्री हाराधन रायः क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन्टेग्रेटिड इस्पात संयंत्रों द्वारा 1992-93, 1993-94 और 1994-95 में लोहे और इस्पात का श्रेणीवार कुल कितना उत्पादन किया गया है;

(ख) छोटे इस्पात संयंत्रों द्वारा उक्त अवधि के दौरान लोहे और इस्पात का कुल कितना उत्पादन किया गया है; और

(ग) रिरोलिंग मिलों द्वारा उक्त अवधि के दौरान कुल कितना उत्पादन किया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) परिसज्जित इस्पात को मोटे तौरे पर दो श्रेणियों अर्थात चपटे और अचपटे उत्पादों में बांटा गया है। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा किये गये चपटे तथा अचपटे उत्पादनों के उत्पादन और परिसज्जित इस्पात के कुल उत्पादन संबंधी ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

(हजार टन)

	1992-93	1993-94	1994-95
अचपटे उत्पाद	3221	3383	3798
चपटे उत्पाद	5193	5385	5768
कुल	8414	8768	9566

(ख) विद्युत चाप भट्टी इकाइयां जो लघु इस्पात संयंत्रों के नाम से भी जाना जाता है द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान किया गया कुल उत्पादन निम्नानुसार रहाः-

(हजार टन)

1992-93	1993-94	1994-95
2976	2500	3073

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान पुनर्बेलन इकाइयों द्वारा उत्पादित कुल इस्पात निम्नानुसार रहाः-

(हजार टन)

1992-93	1993-94	1994-95
5378	4878	5470

इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए ऑस्ट्रिया सहायता

1244. श्री शरत पटनायकः क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण के लिये ऑस्ट्रिया ने वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख). आस्ट्रिया इस्पात उत्पादन प्रौद्योगिकी में अग्रणी देशों में है। आस्ट्रिया के इस्पात उद्योग जिसके पास "स्टेट ऑफ-दॉ-ऑर्ट टेकनालौजी" है, की विशेषज्ञता और अनुभव भारतीय इस्पात उद्योग के प्रौद्योगिकीय उन्नयन और आधुनिकीकरण में अत्यधिक मूल्यवान हो सकता है और उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करने और उत्पादन की लागत कम करने में सहायक हो सकता है। भारतीय इस्पात उद्योग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्रमुख रूप से इसके उत्पादों की क्वालिटी और लागत पर निर्भर करेगी। जिससे यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बनाए रख सकेगा।

नवम्बर, 1995 के दौरान इस्पात राज्य मंत्री के आस्ट्रिया के दौरे के दौरान विकसित

हो रहे भारतीय इस्पात उद्योग द्वारा अपेक्षित काफी संख्या में श्रमशक्ति को प्रशिक्षण, पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट तथा जल–उपचार, कोयले का अंगधकीकरण और इस्पात संयंत्रों में निजी विद्युत उत्पादन को भारत और आस्ट्रिया के बीच सहयोग के सम्भावित क्षेत्रों के रूप में अभिज्ञात किया गया। आस्ट्रिया की सरकार ने प्रौद्योगिकी के चरण–वार हस्तान्तरण में रुचि दर्शाई है ताकि संयंत्र और मशीनरी के निर्माण के लिए अन्ततः प्रौद्योगिकी और क्षमता, दोनों ही, भारत में स्वदेशी रूप से उपलब्ध हो सके।

[हिन्दी]

लघुतम खनन क्षेत्र

1245. श्री शिवराज सिंह चौहानः क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश में खनन और लघुतम खनन क्षेत्र के लिए पट्टे की अवधि में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000 तक खनन क्षेत्र में विशेषकर मध्य प्रदेश में रोजगार के कितने अवसर सृजित किए जाएंगे;

(घ) क्या मध्य प्रदेश में खनन के लिए पट्टे की अवधि को स्वीकृति देने, इनके नवीकरण और हस्तांतरण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग): (क) और (ख). खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा खनन पट्टों की मंजूरी को विनियमित किया जाता है। इन नियमों में खनन पट्टों की मंजूरी के लिए विस्तृत प्रावधान और प्रक्रियाएं निहित है। उपरोक्त अधिनियम में कोई न्यूनतम पट्टा क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, अधिनियम में अंतर्विष्ट प्रावधान के अनुसार खनन पट्टे की मंजूरी की अधिकतम अवधि 30 वर्ष से अधिक नहीं होगी और इस प्रकार से खनन पट्टे के लिए दी जाने वाली मंजूरी की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी।

(ग) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ). खनन पट्टों की मंजूरी, नवीकरण या हस्तांतरण के लिए आवेदनों के निपटान हेतु खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (यथा संशोधित) के तहत कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु वित्त पोषण

1246. श्री एस. एम. लालजान बाशाः क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा "ट्रोलर डेवलपमैंट फंड" के पुनरुद्धार में अवरोध उत्पन्न हुआ है;

(ख) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के क्षेत्र के वित्त–पोषण हेतु अन्य वित्तीय संस्थाएं सामने नहीं आ रही हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीतियों का वित्त पोषण सुनिश्चित करने का है;

(घ) क्या रूग्ण मत्स्यन–पोतों के वित्त पोषण हेतु किसी नये प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव): (क) "ट्रोलर डेवलपमैन्ट फंड" के पुनरुद्धार हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). एस.सी.आई.सी.आई. ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नई परियोजनाओं का वित्त पोषण किया है और ऐसी परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु यह सरकार की नामजद एजेंसी है।

(घ) और (ङ). भारत में समुद्री मत्स्यन उद्योग से संबंधित तकनीकी समिति ने गहन समुद्री मत्स्यन एककों के पुनरुत्थान हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए अंतर–मंत्रालय कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में इस्पात संयंत्र

1247. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवारः क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में लघु, मध्यम और वृहत इस्पात संयंत्रों की संख्या कितनी है; और

(ख) 1994–95 के दौरान इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) मध्यम क्षेत्र में विद्युत चाप भट्ठी पर आधारित इस्पात का उत्पादन करने वाली 32 इकाइयां हैं। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य में इस्पात के उत्पादन में लगी काफी संख्या में प्रेरण भट्ठी इकाइयां भी हैं जिनमें से अधिकांश लघु क्षेत्र में हैं।

(ख) राज्य में इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने के लिए 1994–95 के दौरान कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया।

चीन की जेलों में भारतीय युद्ध बंदी

1248. **श्री दत्ता मेघे:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन की जेलों में भारतीय युद्ध बंदी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों की अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच युद्ध बंदियों के आदान–प्रदान की कुल संख्या क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अनुवाद]

भूमि का व्यवसायिक दोहन

1249. **श्री राम कापसे:** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री 9 मई, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 6981 तथा 14 अगस्त, 1995 के तारांकित प्रश्न सं. 200 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के भूमि के व्यवसायिक दोहन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) से (ग). सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1250. **श्री ए. वैंकटेश नायक:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की कुल संख्या लगभग नगण्य है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कर्नाटक में, विशेषतः रायचूड़ और गुलबर्गा जिलों में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव): (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं इसलिए सभी खाद्य प्रसंस्काण उद्योगों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1991–92 और अखिल भारतीय द्वितीय लघु उद्योग गणना (1987–88) के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की राज्य–वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). यह मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना नहीं करता। लेकिन इसकी योजना स्कीमों के तहत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाती है।

विवरण

उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1991–92 और अखिल भारतीय द्वितीय लघु उद्योग गणना, 1987–88 के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों का राज्यवार ब्यौरा

क्र सं.	राज्य का नाम	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (91–92)	लघु उद्योग गणना (87–88)
1.	आंध्र प्रदेश	10434	11050
2.	असम	743	1379

क्र सं.	राज्य का नाम	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (91–92)	लघु उद्योग गणना (87–88)
3.	बिहार	449	4510
4.	गुजरात	1200	2599
5.	हरियाणा	584	2843
6.	हिमाचल प्रदेश	40	2106
7.	जम्मू एवं कश्मीर	60	1467
8.	कर्नाटक	1259	10771
9.	केरल	1031	5234
10.	मध्य प्रदेश	1503	12668
11.	महाराष्ट्र	1976	2739
12.	मणिपुर	7	392
13.	मेघालय	3	152
14.	नागालैंड	5	69
15.	उड़ीसा	363	2918
16.	पंजाब	1013	4156
17.	राजस्थान	425	7883
18.	तमिलनाडु	3514	9566
19.	त्रिपुरा	19	250
20.	उत्तर प्रदेश	2731	9925
21.	पश्चिम बंगाल	941	5049
22.	सिक्किम	*	19

क्र सं.	राज्य का नाम	उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (91–92)	लघु उद्योग गणना (87–88)
23.	अंडमान निकोबार	3	89
24.	अरुणाचल प्रदेश	*	172
25.	चंडीगढ़	34	44
26.	दादर एवं नागर हवेली	–	20
27.	दिल्ली	134	144
28.	दमण एवं दीव	4	51
29.	एल. एम. एवं ए. आइलैंड	*	–
30.	मिजोरम	*	143
31.	पाण्डिचेरी	35	296
32.	गोआ	35	1099
	कुल योग	28545	99792

* उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और संघशासित प्रदेश लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र से इस्पात की चोरी

1251. श्री सुरेन्द्र पाल पाठकः क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को बोकारो इस्पात संयंत्र से करोड़ों रुपये मूल्य की इस्पात की चोरी के मामले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस जांच के आधार पर दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इन घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) बोकारो इस्पात संयंत्र में करोड़ों रुपए मूल्य के इस्पात की चोरी की कोई घटना नहीं हुई।

(ख) से (ङ). उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बोस्निया–हर्जेगोविना में शांति रक्षण

1252. श्री सैयद शहाबुद्दीनः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बोस्निया–हर्जेगोविना में युद्धविराम और संवैधानिक पुनर्गठन

संबंधी हाल के समझौते के मसौदे का अध्ययन किया है;

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बोस्निया में शांति रक्षण के लिए सैन्य–दस्ता देने के लिए सरकार से सम्पर्क किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह अनुरोध मान लेने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख). सरकार बोस्निया हर्जेगोविना तथा भूतपूर्व युगोस्लाविया के अन्य भागों में शांति प्रक्रिया संबंधी बातचीतों पर करीब से गौर करती रही है। सरकार की निरन्तर स्थिति यह रही है कि केवल बातचीत के जरिए किया गया एक ऐसा राजनीतिक समझौता जो न्यायोचित, न्यायसंगत और सभी संबद्ध दलों को स्वीकार्य हो इस संघर्ष का स्थायी समाधान हो सकता है। इस संदर्भ में सरकार हाल के समझौते का स्वागत करती है और आशा करती है कि इससे इस दुःखद संघर्ष का अन्त होगा।

(ग) और (घ). यह उल्लेखनीय है कि भूतपूर्व युगोस्लाविया में संयुक्त राष्ट्र शांति–स्थापना बलों का पहला कमांडर भारत से था। बोस्निया–हर्जेगोविना में शांति–स्थापना आपरेशनों में भारत की भूमिका की अवधि आगे नहीं बढ़ाई गई है और न ही बढ़ाए जाने का विचार है।

कंटेनरों को रखने का प्रभार

1253. **श्री अन्ना जोशी**: क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न जहाजरानी कम्पनियों द्वारा कंटेनरों को रखने के प्रभार में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मुम्बई बंदरगाह में कंटेनरों को रखने का औसत समय 26 दिन है जबकि कम्पनियां केवल पांच निःशुल्क दिवस देती हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप आयातकों को अधिक प्रभार देना पड़ता है; और

(ङ) सरकार द्वारा मुम्बई बंदरगाह के कामकाज में सुधार लाने और आयातकों/निर्यातकों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख). कन्टेनर विलम्ब प्रभार नौवहन कांफ्रेंस द्वारा लगाए जाते हैं तथा नौवहन एजेंटों द्वारा आयातकों/निर्यातकों से सीधे वसूल किए जाते हैं। इन प्रभारों का पत्तन प्रभारों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है तथा इन प्रभारों पर पत्तनों का कोई नियंत्रण नहीं है।

(ग) से (ङ) बम्बई पत्तन पर 26 दिनों का औसत ठहराव समय, अपने माल की उचित अवधि में निकासी की आयातकों/निर्यातकों की असक्षमता से प्रत्यक्ष संबंध रखता है। ऐसा आयातकों/निर्यातकों की वित्तीय समस्याओं के कारण और सीमाशुल्क प्रक्रिया को पूरा करने के कारण हो सकता है। चूंकि वर्तमान स्थिति स्वयं आयातकों/निर्यातकों के कारण उत्पन्न हुई है, विलम्ब से बचने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई मुख्यतः उन्हीं के द्वारा की जाएगी।

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटन

1254. **श्री गोपीनाथ गजपति**: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का है,

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को धनराशि का आवंटन किया गया है और उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए चालू योजना अवधि की शेष अवधि के दौरान कितनी शेष धनराशि के आवंटन का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत, विभिन्न राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया।

वर्ष 1995–96 के दौरान किया गया राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण में दिया गया है। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निधियों का अतिरिक्त आवंटन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा।

विवरण

1995–96 के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवंटित निधियां

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	आवंटन		
		केन्द्र	राज्य	कुल
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आंध्र प्रदेश	7764.21	1941.05	9705.26
2.	अरुणाचल प्रदेश	79.71	19.93	99.64
3.	असम	2555.95	638.99	3194.94
4.	बिहार	15229.21	3807.30	19036.51
5.	गोआ	86.12	21.53	107.65
6.	गुजरात	2850.09	712.52	3562.61
7.	हरियाणा	684.63	171.16	955.79
8.	हिमाचल प्रदेश	273.65	68.41	342.06
9.	जम्मू व कश्मीर	556.07	139.02	695.09
10.	कर्नाटक	5213.33	1303.33	6516.66
11.	केरल	1896.68	474.17	2370.85
12.	मध्य प्रदेश	9838.39	2459.60	12297.99
13.	महाराष्ट्र	8464.06	2116.02	10580.08
14.	मणिपुर	102.16	25.54	127.70
15.	मेघालय	119.54	29.89	149.43

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	आवंटन		
		केन्द्र	राज्य	कुल
1.	2.	3.	4.	5.
16.	मिजोरम	50.36	12.89	149.43
17.	नागालैंड	128.13	32.03	160.16
18.	उड़ीसा	6298.60	1574.65	7873.25
19.	पंजाब	486.85	121.71	608.56
20.	राजस्थान	4087.49	1021.87	5109.36
21.	सिक्कम	46.65	11.66	58.31
22.	तमिलनाडु	7018.73	1754.68	8773.41
23.	त्रिपुरा	132.69	33.17	165.86
24.	उत्तर प्रदेश	18921.14	4730.29	23651.43
25.	पश्चिम बंगाल	6957.87	1739.47	8697.34
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	47.17	0.00	47.17
27.	दादर व नागर हवेली	25.61	0.00	25.61
28.	दमन व दीव	15.08	0.00	15.00
29.	लक्षद्वीप	23.65	0.00	23.65
30.	पांडिचेरी	46.18	0.00	46.18
	योग	100000.00	24960.58	124960.58

[हिन्दी]

"पृथ्वी" के ऊपर अमरीकी दबाव

1255. श्रीमती भावना चिखलिया:
प्रो. प्रेम धूमल:
श्री पंकज चौधरी:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्लिंटन प्रशासन पाकिस्तान को करोड़ों डालर की सामरिक सहायता प्रदान करने के बाद भारत के ऊपर "पृथ्वी" मिसाइल न छोड़ने और "अग्नि" विकसित न करने हेतु दबाव डाल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) और (ख). क्लिंटन प्रशासन ने विगत में हमारे बॉलास्टिक मिसाइल विकसित करने सबंधी कार्यक्रम के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है तथापि हाल ही में कांग्रेस द्वारा ब्राउन संशोधन अनुमोदित किए जाने के बाद जिसके अन्तर्गत पाकिस्तान को 368 मिलियन डालर मूल्य के आधुनिक अमरीकी सैन्य उपकरणों के स्थानांतरण की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रेसलर संशोधन में एक बार छूट देने की व्यवस्था है, यह मुद्दा अमरीका के साथ नहीं उठाया गया है।

[अनुवाद]

विकास योजनाओं की निगरानी

1256. श्री डी. वेंकटेश्वर राव: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों में विभिन्न विकास योजनाओं की निगरानी हेतु नये उपायों को लागू किया है;

(ख) क्या सरकार को योजनाओं में विलम्ब किये जाने और उन्हें ठीक तरह से लागू न करने और धनराशि का दुरुपयोग किये जाने के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है। किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने इन योजनाओं में लेखा प्रणाली का पुनर्गठन करने वाली एजेंसियों को समर्थन प्रदान किये जाने पर जोर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) केन्द्र द्वारा देश भर में चलाई जा रही मुख्य ग्रामीण विकास योजनाएं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना एवं त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम हैं। इन योजनाओं के सख्त क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई निगरानी तंत्रों की स्थापना की है, जो इस प्रकार हैं–

(1) सावधि प्रगति रिपोर्टें;

(2) केन्द्रीय/राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें; तथा

(3) क्षेत्रीय अधिकारियों की योजना के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की प्रगति एवं उसके निष्पादन की आलोचनात्मक समीक्षा।

(ख) और (ग). योजनाओं के विलम्बित एवं अनुचित कार्यान्वयन तथा धन के दुरुपयोग के संबंध में केन्द्र को समय–समय पर कुछेक शिकायतें मिलती रही हैं। फिर भी, कार्यरत एजेंसियों की संख्या को देखते हुए शिकायतों की यह संख्या कोई अधिक नहीं है। इन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों को तत्काल ही भेज दिया जाता है।

(घ) और (ङ). केन्द्र सरकार ने ब्लाक/जिला/राज्य स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों का गठन करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा है। राज्यों को यह भी सुझाव दिया गया है कि बड़ी मात्रा में धन की उपलब्धता का प्रभावी प्रबंध करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों/जिला परिषदों में लेखा स्कंधों को सही ढंग से मजबूत बनाया जाए। इसके अतिरिक्त, प्रबंध सूचना व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु एक उपाय के रूप में केन्द्र एवं राज्यों के बीच लागत की भागेदारी के आधार–पर कम्प्यूटीकरण करने का भी निर्णय लिया गया है।

बहुराज्यीय बड़ी विद्युत परियोजनाएं

1257. श्री राम विलास पासवान: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विद्युत नीति सम्बन्धी पैकेज को प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) बहुराज्यीय बड़ी विद्युत परियोजनायें स्थापित करने के लिए किन नये मानदण्डों का प्रस्ताव किया गया है; और

(ग) अनावश्यक मुकदमेबाजी और परियोजना के क्रियान्वयन में विलम्ब को टालने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) अक्टूबर, 1991 में आरम्भ की गई निजी विद्युत नीति की सतत् रूप से समीक्षा की जाती है और इसे अधिक प्रभावी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए इसे समय–समय पर संशोधित किया गया है।

(ख) और (ग). मेगा विद्युत परियोजनाएं, जिन में निजी क्षेत्र द्वारा एक से अधिक राज्यों को विद्युत की बिक्री की जानी निहित होती है; अधिष्ठापित किए जाने को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार द्वारा इस संबंध में हाल ही में एक नीति की घोषणा की गई है।

(1) 1000 मेगावाट और इससे अधिक क्षमता वाली परियोजनाएं, जो कि मेगा परियोजनाओं के रूप में एक से अधिक राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं, के बारे में कार्रवाई करना।

(2) इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए ठेका निजी प्रवर्तकों को देना, जिनका समन्वय कार्य पावरग्रिड द्वारा किया जाएगा; और

(3) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा शक्यता स्थल अभिज्ञात किया जाना और एन.टी.पी.सी. द्वारा व्यापक परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार किया जाना।

चूंकि, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से परियोजनाओं का विकास किया जाएगा और प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के पश्चात इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा, इसलिए किसी प्रकार के अनावश्यक मुकदमें–बाजी की परिकल्पना नहीं की गई है।

कोयला आधारित विद्युत परियोजनाएं

1258. श्रीमती वसुन्धरा राजे: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला आधारित विद्युत संयंत्रवार कोयले की न्यूनतम आवश्यकता कितनी कितनी है;

(ख) ऐसे विद्युत संयंत्रों को संयंत्रवार अधिकतम कितना कोयला उपलब्ध कराया गया;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा संयंत्रों की आवश्यकतानुसार कोयला उपलब्ध करने के लिए क्या प्रयास किए गए; और

(घ) इस दिशा में किए गए प्रयासों के क्या परिणाम निकले?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) और (ख). अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ). देश के समग्र ताप विद्युत केन्द्रों को कोयले की सप्लाई की स्थिति की उच्चस्तरीय अंतः विभागीय साप्ताहिक बैठकों समेत स्थिति की सतत् रूप से समीक्षा की जाती है और समय–समय पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

अप्रैल–अक्टूबर, 1995 की अवधि के दौरान कोयले की आवश्यकता और प्राप्ति का ब्यौरा

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	आवश्यकता (आनुपातिक)	प्राप्ति	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
उत्तरी क्षेत्र				
1.	बदरपुर	2304	1856	81
2.	इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	6838	567	89
3.	राजघाट	368	350	95
4.	फरीदाबाद	408	425	104

क्र.सं.	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	आवश्यकता (आनुपातिक)	प्राप्ति	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
5.	पानीपत	1336	994	74
6.	भटिण्डा	1114	960	88
7.	रोपड़	3016	2473	82
8.	कोटा	2730	1787	65
9.	अनपारा	4352	3956	91
10.	हरदुआगंज	642	426	66
11.	ओबरा	3121	2011	64
12.	पनकी (ओ)	–	–	–
13.	पनकी (ई)	478	2[illegible]	61
14.	परिछा	403	175	43
15.	टाण्डा	706	405	57
16.	ऊंचाहार	1068	1320	124
17.	रिहन्द	2549	2651	104
18.	सिंगरौली एसटीपीएस	5332	4890	[illegible]
19.	एनसीटीपीपी दादरी	1336	1693	127
20.	हरिद्वार (बी एच ई एल)	58	–	–
पश्चिमी क्षेत्र				
21.	अहमदाबाद	910	935	103
22.	गांधीनगर	1499	1727	115

क्र.सं.	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	आवश्यकता (आनुपातिक)	प्राप्ति	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
23.	सिक्का	601	430	72
24.	उकई	2269	1694	75
25.	वानाकबोरी	3156	2597	82
26.	अमरकंटक	624	575	92
27.	बिरसिंगपुर	951	709	75
28.	कोरबा ईस्ट	1870	1170	63
29.	कोरबा वैस्ट	2007	1556	78
30.	सतपुरा	3121	2722	87
31.	कोरबा एसटीपीएस	5828	5381	92
32.	विन्धयाचल	3051	3101	102
33.	भुसावल	1382	1073	78
34.	चनद्रपुर	5915	5038	85
35.	कोराडी	3249	2982	92
36.	खापरखेड़ा	1289	1009	78
37.	नासिक	2357	2215	94
38.	पारली	1855	1398	75
39.	पारास	88	99	113
40.	ट्राम्बे	379	117	31
41.	दाहानु	817	260	32

क्र.सं.	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	आवश्यकता (आनुपातिक)	प्राप्ति	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
दक्षिणी क्षेत्र				
42.	कोठागुडम	2065	2129	103
43.	रामागुण्डम	152	124	82
44.	विजयवाड़ा	3984	4096	103
45.	रामागुण्डम एसटीपीएस	5594	4712	84
46.	नैल्लौर	64	38	59
47.	मुद्दानुर	828	282	34
48.	रायचुर	2316	1862	60
49.	एन्नौर	1184	1048	89
50.	मैतूर	2508	1758	70
51.	तुतीकोरिन	2736	2456	90
52.	नोर्थ मद्रास	373	51	14
पूर्वी क्षेत्र/उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
53.	बरौनी	403	171	42
54.	मुजफ्फरपुर	356	139	39
55.	पतरातु	1132	620	55
56.	कहलगांव	817	816	100
57.	पटना	35	–	–
57 क	तेनूघाट	292	–	–

क्र.सं.	ताप विद्युत केन्द्र का नाम	आवश्यकता (आनुपातिक)	प्राप्ति	प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.
58.	बोकारो	1639	1184	72
59.	चन्द्रपुरा	1062	674	63
60.	दुर्गापुर	683	548	80
61.	तलचेर	893	602	67
62.	इब घाटी	408	274	67
63.	तलचेर एसटीपीएस	449	561	125
64.	बन्देल	799	509	76
65.	संतालडिह	653	399	61
66.	कोलघाट	2683	2554	95
67.	कलकत्ता	484	543	112
68.	टिटागढ़	502	588	117
69.	एस.सी.स्टेशन	315	339	108
70.	डी पी एल	420	363	86
71.	फरक्का एस टी पी एस	3296	2538	77
72.	बोंगाईगांव	228	182	80

अमरीकी दूतावास का वीसा के संबंध में इंकार

1259. **श्री राम नाईकः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है मुंबई स्थित अमरीकी वाणिज्यिक दूतावास ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के तत्वावधान में हो रहे डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की आवक्ष प्रतिमा उद्घाटन समारोह में भाग लेने के इच्छुक 30 व्यक्तियों को वीसा देने से इंकार कर दिया; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी अप्रिय घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अमरीकी दूतावास से इस संबंध में बातचीत करने का है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नए राष्ट्रीय जलमार्ग

1260. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गोदावरी नदी के कुछ भाग को शीघ्र ही राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) और (ख). गोदावरी नदी के चेरला-राजमुन्दरी खंड (208 कि.मी.) के साथ-साथ इसकी नौचालन योग्य डेल्टा नहरों को एक राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि इस परियोजना पर होने वाले व्यय से बजट पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। इस बारे में एक केन्द्रीय कानून बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक की सहायता

1261. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में विद्युत की आपूर्ति में सुधार लाने हेतु विश्व बैंक तथा अन्य किसी देश से सहायता प्राप्त करने के लिए किसी परियोजना का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी तथा इस पर अनुमानतः कितना खर्च किया जायेगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) से (ग). विद्युत परियोजनाओं/स्कीमों के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार/उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से अभी हाल ही में प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	चालू किए जाने का संभावित कार्यक्रम	विदेशी सहायता हेतु अनुरोध
1.	2.	3.	4.	5.
1.	अनपारा "सी" ता. वि. केन्द्र (2 X 500 मे.वा.)	3234 करोड़ रू	1998-99	ओईसीएफ (जापान)
2.	उ.प्र. में पारेषण और कार्य	577 करोड़ रू	3 वर्ष	ओसीएफ (जापान)
3.	मनेरी भाली ज. वि. प. फेज-2 (4X76 मे.वा.)	659 करोड़ रू	2000	ओईसीएफ (जापान)
4.	लखवार व्यासी बहुउद्देशीय परियोजना	1115 करोड़ रू	2000-01	ओईसीएफ (जापान)
5.	रिषी गंगा लघु ज.वि.प. चमोली	लागू नहीं	लागू नहीं	ओईसीएफ (जापान)
6.	आसीगंगा लघु ज.वि.प. फेज-1 एवं 2 उत्तरकाशी	लागू नहीं	लागू नहीं	ओईसीएफ (जापान)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	चालू किए जाने का संभावित कार्यक्रम	विदेशी सहायता हेतु अनुरोध
1.	2.	3.	4.	5.
7.	बासुली लघु ज.वि.प. उत्तरकाशी	लागू नहीं	लागू नहीं	ओईसीएफ (जापान)
8.	नौसेरा लघु ज.वि.पि. सहारनपुर	लागू नहीं	लागू नहीं	ओईसीएफ (जापान)
9.	ओबरा ता. वि. के. (क) ओबरा विस्तार/पनकी ता. वि. के/ पनकी विस्तार रिहंद ज. वि. के. ओबरा ज.वि.के का पुनरुद्धार/ नवीकरण एवं आधुनिकीकरण	595 करोड़ रू	1999–2000 तक	ओडीए (यू.के.)
10.	पारेषण लाइनों का पुनरुद्धार/नवीकरण उन्नयनीकरण	272 करोड़ रू	–	ओडीए (यू.के.)
11.	ग्रामीण एवं शहरी प्रणाली सुधार स्कोमें	300 करोड़ रू	18 महीने	ओडीए (यू.के.)

[अनुवाद]

मध्य एशियाई देशों में व्यापार संबंधी संभावनायें

1262. श्री रमेश चन्नित्तलाः
श्री के. एम. मैथ्यूः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूर्व सोवियत संघ के सभी मध्य एशियाई देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन देशों में व्यापार सहित आपसी हितों वाले विभिन्न क्षेत्रों में वृहत संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाये गये हैं। उठाये जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी देशवार ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) सभी मध्य एशियाई देशों अर्थात कजाखस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तथा उजबेकिस्तान में भारत के राजनयिक प्रतिनिधि हैं। इन मिशनों के प्रमुख राजदूत हैं और वे पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सरकार ने व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा परस्पर लाभकारी अवसरों का लाभ उठाने के लिए कई कदम उठाए हैं और आगे भी कदम उठाने का प्रस्ताव है।

(ङ) कजाखस्तान के साथ सरकार सक्रिय रूप से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रही है। राजनयिक प्रतिनिधित्व के अलावा सरकार ने भारतीय संस्कृति में व्यापक रूचि को देखते हुए सांस्कृतिक संबंध विकसित करने के उद्देश्य से हमारे मिशन के एक भाग के रूप में अल्माती में एक भारतीय सांस्कृतिक केन्द्र खोला है। कजाखस्तान के साथ हमारा संयुक्त आयोग भी है जो व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के विकास पर चर्चा करने के लिए समय–समय पर अपनी बैठकें आयोजित करता है। प्रधानमंत्री एवं कजाखस्तान के राष्ट्रपति के बीच शिखर स्तरीय क्रियाकलाप भी हो चुके हैं। हमारे बीच सरकारी स्तर पर भी बातचीत चल रही है। सरकार निजी क्षेत्र को कजाखस्तान में निवेश के लिए प्रोत्साहित करके व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ करना चाहती है। हमने संयुक्त उद्यमों को संवर्धित करने के लिए कजाखस्तान को 20 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण भी दिया है। प्रशिक्षण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संबंध विस्तृत करने की संभावना है।

किर्ग्रीज गणराज्य के साथ सक्रिय राजनीतिक क्रियाकलाप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में बिश्केक की यात्रा की और हमारे नेताओं के बीच क्रियाकलाप जारी रखने का प्रस्ताव है। भारत किर्ग्रीज संयुक्त आयोग की पहल बैठक अक्तूबर 1995 में आयोजित की गई जिसके लिए किर्ग्रीज प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व किर्ग्रीज उद्योग मंत्री तथा भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य राज्य मंत्री ने किया। सरकार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग, किर्ग्रीज राष्ट्रिकों के प्रशिक्षण, पण्यों के आदान–प्रदान एवं व्यापार की काफी संभावनाएं पाती है। हम यह सहयोग शिष्टमंडलों के आदान–प्रदान के माध्यम से विकसित करना चाहते हैं। भारत ने किग्रीज गणराज्य को 5 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया है।

ताजिकिस्तान के साथ हमारा सतत् राजनयिक क्रियाकलाप है जिसमें एक–दूसरे देश की यात्राएं शामिल हैं। 1994 में विदेश राज्य मंत्री श्री सलमान खुर्शीद ताजिकिस्तान की यात्रा पर गए। 5 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण से वित्तपोषित औषधियों के उत्पादन से संबंधित एक संयुक्त उद्यम दुशान्बे में पहले से ही कार्य कर रहा है। नई दिल्ली और दुशान्बे के बीच ताजिक एयरलाइन्स की सीधी विमान सेवा है। अपने व्यापार एवं आर्थिक सहयोग विस्तृत करने के लिए भारत–ताजिक संयुक्त आयोग स्थापित करने का हमारा प्रस्ताव है।

तुर्कमेनिस्तान की प्रधानमंत्री की यात्रा बहुत सफल रही। प्रशिक्षण हाइड्रो कार्बन सेक्टर तथा पण्यों के आदान–प्रदान एवं व्यापार में सहयोग की हम काफी संभावनाएं पाते हैं। तुर्कमेनिस्तान के साथ एक संयुक्त आयोग गठित किया जा चुका है और इसकी बैठक शीघ्र होने की उम्मीद है और हमें आशा है कि भारत ईरान और तुर्कमेनिस्तान के बीच त्रिपक्षीय मार्गस्थ करार भी जल्दी सम्पन्न कर लिया जाएगा। तुर्कमेनिस्तान में भारत–महोत्सव और भारत में तुर्कमेनिस्तान महोत्सव आयोजित किए जाने की भी उम्मीद है। तुर्कमेनिस्तान को 15 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया गया है और उम्मीद है कि प्रथम संयुक्त उद्यम द्वारा निकट भविष्य में काम करना शुरू कर दिया जाएगा।

उजबेकिस्तान में भारत की राजनयिक उपस्थिति स्वतंत्रता के पूर्व से ही है। दोनों देशों के नेताओं के बीच शिखर स्तरीय वार्ता की प्रक्रिया सतत् है; हमारे प्रधानमंत्री उजबेकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं और राष्ट्रपति करीमोय दो बार भारत आ चुके हैं और अपने ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करने के लिए भारतीय राजदूतावास में हमारा एक सांस्कृतिक केन्द्र है। एक भारत उजबेक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र का ताशकंद में उद्घाटन किया जा चुका है। हमारे व्यापार एवं आर्थिक सहयोग विकसित करने के लिए भारत और उजबेकिस्तान के बीच एक संयुक्त आयोग भी है। हमने उजबेकिस्तान को 20 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण भी दिया है और उम्मीद करते हैं कि इसका शीघ्र उपयोग किया जाएगा।

नालको में भाई–भतीजावाद

1263. श्री रवि राय: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 नवम्बर, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "नेपोटिज्म सर्फेस अगेन इन नालको" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मिशनों के कन्सुलर अनुभागों में कर्मचारियों की संख्या

1264. श्री मनोरंजन भक्त: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वीजा जारी करने और पासपोर्ट प्रदान करने/नवीनीकरण करने के संबंध में आवेदनो पत्रों की जांच पड़ताल करने वाले भारतीय मिशन के कन्सुलर अनुभागों में कार्यभार में तो वृद्धि हुई है लेकिन कर्मचारियों की संख्या में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है; और

(ख) यदि हां, तो विदेश स्थित भारतीय मिशनों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) और (ख). विदेश स्थित मिशनों में कौंसली पदों की संख्या की स्वीकृति प्रत्येक कौंसली सेवा के लिए लगने वाले समय के लिए निर्धारित मानदण्डों पर आधारित होती है। अतः समय–समय पर इन पदों की संख्या में वृद्धि की गई है और चूंकि यह एक सतत प्रक्रिया है, विदेशों में कार्यरत भारतीय राष्ट्रिकों की भारी संख्या वाले देशों में स्थित कतिपय मिशनों में भारतीय कौंसली अनुभागों के कार्यभार में तीव्रता से हुई वृद्धि को देखते हुए इन पदों की संख्या और बढ़ाने के लिए मंत्रालय से सम्बद्ध अभिकरणों के साथ नियमित सम्पर्क बनाए हुए है।

असम में इस्पात संयंत्र की स्थापना

1265. श्री प्रबीन डेका: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गैर–सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना के लिए आशय–पत्र जारी करने के संबंध में असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत गैर–सरकारी कंपनियों के क्या नाम हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग). निजी क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना हेतु आशय–पत्र जारी करने के संबंध में असम सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। औद्योगिक लाइसेंस के लिए केन्द्र सरकार की मंजूरी केवल तभी आवश्यक होती है जब प्रस्तावित परियोजना 1991 की जनगणना के अनुसार 10

लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहर की मानक नगरीय क्षेत्र की परिसीमाओं की परिरेखा से 25 कि.मी. के भीतर अवस्थित होती है और यह परियोजना 25 जुलाई, 1991 से पूर्व राज्य सरकार द्वारा "औद्योगिक क्षेत्र" के रूप में घोषित क्षेत्रों के भीतर भी स्थित न हो।

आंध्र प्रदेश द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता

1266. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्तिः क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राज्य में केन्द्रीय सरकार से प्रायोजित ग्रामीण विकास और रोजगार योजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के पास कोई ठोस कार्यक्रम भेजा गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सरकार को यह सहायता कब तक दे दी जाएगी?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल): (क) से (घ). आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास और रोजगार योजनाएं हैं: (1) जवाहर रोजगार योजना (2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (3) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम।

आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बाढ़ द्वारा उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए जवाहर रोजगार योजना, गहन जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना और इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय आबंटन का अनुरोध किया है। इन सभी अनुरोधों पर मंत्रालय में जांच की गई है। इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत राज्य को 10.00 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित 40,000 मकानों के अतिरिक्त लक्ष्य की मंजूरी देने का निर्णय लिया गया है। निधियों की बकाया आवश्यकता को जवाहर रोजगार योजना की अन्य उप-योजनाओं की निधियों का इस्तेमाल करके वहन किया जाएगा।

इसी प्रकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इसकी उप-योजनाओं के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार से 1995-96 के दौरान ड्वाकरा के अंतर्गत 25,000 समूहों के अतिरिक्त आवंटन हेतु एक अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें केन्द्र सरकार से 37.50 करोड़ रुपए की रिलीज शामिल है। केन्द्र ने अनुरोध पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और 1995-96 के दौरान 5000 अतिरिक्त समूहों को आबंटित करने के लिए 12.50 करोड़ रुपए की केन्द्रीय रिलीज करने का निर्णय लिया है। ये रिलीजें तभी रिलीज की जाएंगी जब राज्य सरकार द्वारा पहले से रिलीज की गई निधियों के खर्च का 50 प्रतिशत प्राप्त कर लिया हो।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वर्ष में राज्य का आबंटन 3.31 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने गांवों में 10 लाख पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु 226.00 रुपए की अनुमानित लागत वाली समन्वित ग्रामीण स्वच्छता संबंधी एक परियोजना भेजी है। परियोजना की लागत केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा 50.50 के आधार पर वहन की जाएगी। परियोजना पर राज्य अधिकारियों से चर्चा की गई थी और उन्हें चर्चाओं के आलोक में ग्रामीण स्वच्छता दुकानों, महिलाओं के लिए स्वच्छता परिसरों, स्कूल स्वच्छता, सूचना, शिक्षा और संचार आदि जैसे अन्य घटकों को शामिल करते हुए परियोजना प्रस्तावों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता

1267. **डा. लाल बहादुर रावलः क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान इसके लिए निर्धारित राशि कितनी है; और

(ग) इस सहायता से लागू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके द्वारा कितनी सफलता प्राप्त हुई?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी हां। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे लोगों को सरकारी सब्सिडी तथा कम बैंक ऋणों दोनों की मार्फत आय सृजन करने वाली परिसम्पत्तियों को प्राप्त करने के लिए दी जाती है इसी प्रकार ट्राइसेम के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) 1994-95 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता के रूप में 2419.92 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसमें सब्सिडी और ऋण दोनों शामिल है। ट्राइसेम के अंतर्गत इसी अवधि के दौरान ग्रामीण युवाओं को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण के लिए 68.46 करोड़ रुपये खर्च किये गये थे।

(ग) ट्राइसेम के अतिरिक्त समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में ऋण तथा सब्सिडी की मार्फत विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण किया गया था। योजना के अंतर्गत 21.15 लाख परिवारों को सहायता देने के लक्ष्य की तुलना में कुल 21.82 लाख परिवारो को सहायता दी गई थी।

परती भूमि पर वृक्षारोपण कार्यक्रम

1268. श्री एन. जे. राठवा: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परती भूमि के कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है तथा कितनी परती भूमि वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त नहीं है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत शामिल की गयी भूमि का राज्यवार कुल क्षेत्र क्या है; और

(ग) सफलतापूर्वक योजना को लागू करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): (क) और (ख). 20 सूत्री कार्यक्रम के विषय बिन्दु 16 के अंतर्गत बंजर भूमि सहित अन्य भूमि पर वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधियां चलाई जा रही हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के विषय बिन्दु 16 के अंतर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान देश में वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधि के तहत कवर किया गया राज्यवार क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है। इस कार्यक्रम में बंजरभूमि विकास विभाग की निम्नलिखित योजनाएं भी शामिल हैं।

1. समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना

2. सहायता अनुदान

3. निवेश संवर्धन योजना

4. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार और प्रशिक्षण

5. बंजर भूमि विकास कार्य बल

वनरोपण के लिए अनुपयुक्त बंजर भूमि का अनुमानित ब्यौरा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तथापि बंजर भूमि विकास विभाग ने राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी के सहयोग से देश में बंजर भूमि का मान चित्रण करने के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि चयन परियोजना लागू की है। इस बंजर भूमि में वनरोपण के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र भी शामिल होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5% से अधिक बंजर भूमि वाले 237 जिलों को अभी तक कवर किया गया है। एक अनुमान के अनुसार देश में 129.57 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि (वनीय और गैर वनीय) है।

(ग) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय 20 सूत्री कार्यक्रम के बिन्दु 16 के तहत लक्ष्य निर्धारित करने वाला एक नोडल मंत्रालय है। यह मंत्रालय लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करता है और उसका मूल्यांकन अध्ययन भी करता है। इसके अतिरिक्त अलग–अलग केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारों की जो बंजर भूमि सहित अन्य भूमि पर वनरोपण कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, की अपनी निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियां हैं।

हाल ही में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड में एक निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ बोर्ड की सभी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करने में सहयोग करता है।

विवरण

1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वनरोपण/वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए राज्यवार वर्षवार उपलब्धियां।

(क्षेत्र हेक्टेयर में)
(अंकुरण लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992–93 उपलब्धि		1993–94 उपलब्धि*		1994–95 उपलब्धि*	
		अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आंध्र प्रदेश	1102.63	47453.00	917.19	34530.00	418.69	44642.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.00	7200.00	5.00	7500.00	7.33	8341.00
3.	असम	11.00	22486.60	20.76	18144.00	21.46	16941.00

(क्षेत्र हेक्टेयर में)
(अंकुरण लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992–93 उपलब्धि		1993–94 उपलब्धि*		1994–95 उपलब्धि*	
		अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.	बिहार	180.00	20357.00	190.03	45855.39	32.39	5214.00
5.	गोवा	27.23	1722.00	33.46	1854.00	20.86	1652.00
6.	गुजरात	2281.46	64847.00	1631.76	73711.66	1566.72	69983.00
7.	हरियाणा	300.00	34826.00	231.80	33823.00	55.15	31430.00
8.	हिमाचल प्रदेश	88.59	31280.00	33.19	32395.00	48.49	36500.00
9.	जम्मू और काश्मीर	64.83	17010.05	42.00	15928.20	33.14	7802.00
10.	कर्नाटक	374.38	36479.97	274.19	46429.36	559.74	58452.00
11.	केरल	173.79	17342.70	136.61	3127.69	51.27	14360.00
12.	मध्य प्रदेश	600.12	121394.19	439.00	125187.19	438.12	135000.00
13.	महाराष्ट्र	824.97	153621.38	1141.25	100062.17	1339.30	136523.36
14.	मणिपुर	22.46	8600.00	22.00	6928.00	24.45	7415.00
15.	मेघालय	26.58	5148.00	54.88	11684.00	17.10	7575.00
16.	मिजोरम	5.86	14000.00	16.31	16758.00	23.25	14130.00
17.	नागालैंड	20.10	4700.00	54.30	2799.00	53.80	1710.00
18.	उड़ीसा	425.42	74134.85	390.04	78819.00	448.23	64687.00
19.	पंजाब	85.90	19360.00	51.78	17800.00	34.81	13593.00

(क्षेत्र हेक्टेयर में)
(अंकुरण लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992–93 उपलब्धि		1993–94 उपलब्धि*		1994–95 उपलब्धि*	
		अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि)	अंकुरण वितरण (निजी भूमि में पौधरोपण हेतु)	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
20.	राजस्थान	405.13	66729.00	453.34	67238.00	353.82	88437.00
21.	सिक्किम	9.50	8665.38	10.85	8484.82	26.79	एन.आर.
22.	तामिलनाडु	1037.36	113553.10	1124.32	86816.51	1007.30	92561.30
23.	त्रिपुरा	37.05	15253.00	28.14	8603.54	25.98	7171:00
24.	उत्तर प्रदेश	3468.29	100139.26	2929.00	83723.24	3015.00	72025.00
25.	पश्चिम बंगाल	802.00	50000.00	800.00	38200.00	1118.35	41285.00
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	5.33	3200.00	5.00	3488.67	5.00	3506.59
27.	चंडीगढ़	0.28	430.20	0.05	8.00	एन.आर	450.00
28.	दादर और नागर हवेली	7.90	518.00	12.82	894.60	14.39	788.50
29.	दमन व दीव	1.14	83.34	0.94	62.00	1.03	47.00
30.	दिल्ली	41.60	1512.70	43.51	1740.40	42.21	1680.00
31.	लक्ष्यद्वीप	3.36	50.00	4.27	54.20	4.30	61.00
32.	पाण्डिचेरी	10.01	128.00	0.60	126.53	2.18	131.30
	योग	12450.87	1062225.52	11097.61	963888.17	10810.65	984102.05

* अनंतिम

एन. आर.– असूचित

[अनुवाद]

विदेशी शिष्टमंडल के साथ किए गए समझौते

1269. श्री हरिन पाठक: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारत की यात्रा पर आये विदेशी शिष्टमंडलों/पदाधिकारियों के साथ, वर्षवार और देशवार कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए; और

(ख) इन दौरों की समग्र उपलब्धियां क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया): (क) और (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1994

उजबेकिस्तान

जनवरी, 1994 में राष्ट्रपति करीमोव की यात्रा के दौरान तीन करार सम्पन्न किए गए:

(1) डाक एवं संबंधित मामलों पर करार।

(2) सांस्कृतिक सहयोग पर करार।

(3) व्यापक आर्थिक सहयोग पर करार।

यात्रा से उजबेकिस्तान के साथ संबंध और सुदृढ़ हुए।

नवम्बर, 1994 में भारत–उजबेकिस्तान संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान 10 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण से संबद्ध एक करार सम्पन्न किया गया।

म्यांमा

म्यांमा के उप विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान जनवरी, 1994 में भारत–म्यांमा सीमा व्यापार से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा के परिणाम स्वरूप भारत–म्यांमा सम्बन्ध सुदृढ़ हुए। विशेषरूप से, इससे दोनों देशों के असैनिक सीमा प्राधिकारियों के बीच पूर्वोत्तर सीमा पर विद्रोह को नियंत्रित करने और औषधों तथा हथियारों की तस्करी की रोकथाम के कार्य को प्रभावकारी ढंग से करने में सहयोग बढ़ा।

इजरायल

मार्च–अप्रैल, 1994 में इजरायल के उप प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान वायु परिवहन करार सम्पन्न हुआ।

इस यात्रा ने द्विपक्षीय सम्बन्धों को गहन करने के लिए एक रूप रेखा प्रदान की।

दिसम्बर, 1994 में इजरायल के व्यापार एवं उद्योग मंत्री की यात्रा के दौरान व्यापार एवं आर्थिक सहयोग से संबंध एक करा सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में सम्बन्धों को गहन करने के लिए रूप रेखा प्रदान की गई।

नवम्बर, 1994 में इजरायल के दूरसंचार मंत्री की यात्रा के दौरान दूरसंचार एवं डाक के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध करार सम्पन्न किया गया।

आर्मेनिया

मार्च, 1994 में आर्मेनिया के उच्च शिक्षा एवं विज्ञान मंत्री की यात्रा के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग से सम्बद्ध करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ हुए।

उक्रेन

अप्रैल, 1994 में उक्रेन के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान दो करार सम्पन्न किए गए:

(1) व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय, औद्योगिक एवं सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध अन्तर–सरकारी आयोग के संबंध में करार।

(2) आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध करार।

इस यात्रा से मौजूदा सम्बन्ध और अधिक सुदृढ़ हुए।

रूसी परिसंघ

दिसम्बर, 1994 में रूसी परिसंघ के प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान छह करार सम्पन्न किए गए:

(1) मर्चेन्ट शिपिंग से सम्बद्ध करार।

(2) निवेश के संवर्धन एवं आपसी संरक्षण से सम्बद्ध करार।

(3) भारत में कुछ पण्यों की दीर्घावधि खरीद पर करार

(4) राजनयिक एवं कौंसली मिशनों के राजनयिक एवं कार्मिक पासपोर्ट धारकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बहु-प्रवेशीय वीजा जारी करने से सम्बद्ध करार।

(5) शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अन्तरिक्ष की सम्भावनाओं और उसके उपयोग में सहयोग से सम्बद्ध करार।

(6) सूचना के क्षेत्र में सहयोग।

इस यात्रा से मौजूदा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और सुदृढ़ हुए।

बीजिंग

जुलाई, 1994 में चीन के उप-प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान आय पर करों के मामले में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन की रोकथाम से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान को गति मिली और स्थायी, सुदीर्घ एवं अच्छे प्रतिवेशिता के संबंधों को बढ़ाने को आवश्यक बल मिला।

अर्जेन्टीना

अप्रैल, 1994 में अर्जेन्टीना के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान राजनयिक एवं कार्मिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा समाप्त करने से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न किया गया।

सिंगापुर

जनवरी, 1994 में सिंगापुर के प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान दो करार सम्पन्न किए गए:

(1) दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार।

(2) द्विपक्षीय नौवहन सेवा से सम्बद्ध करार।

इस यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ हुए।

लाओ

अगस्त, 1994 में लाओ के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान भारत एवं लाओ जन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच सांस्कृतिक करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ हुए।

भूटान

फरवरी, 1994 में भूटान के व्यापार और उद्योग मंत्री की यात्रा के दौरान कुरिचु पन बिजली परियोजना से सम्बन्द्ध एक करार सम्पन्न हुआ।

इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में सुधार हुआ।

जर्मनी

जुलाई, 1994 में जर्मनी के उप-चांसलर एवं विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान भारत को 460 मिलियन डी एम के बराबर वित्तीय सहायता देने से सम्बद्ध करार।

1995

ईरान

ईरान के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान समुद्री वाणिज्यिक नौवहन से सम्बद्ध द्विपक्षीय करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ़ हुए।

तुर्की

जनवरी-फरवरी, 1995 में राष्ट्रपति डेमिराल की यात्रा के दौरान दो करार सम्पन्न किए गए:

(1) दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार।

(2) पर्यटन सहयोग से सम्बद्ध करार।

इस यात्रा से तुर्की के साथ द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ हुए।

किर्गिजस्तान

अक्तूबर, 1995 में भारत-किर्गिज संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक के दौरान दो करार सम्पन्न किए गए:

(1) जनवरी, 1995 में हस्ताक्षरित ऋण करार का संशोधन।

(2) भारतीय स्टेट बैंक एवं किर्गिजस्तान के जायंट स्टाक कमर्शियल बैंक

बीमा बैंक संबंधी करार।

इस यात्रा से किर्गिजस्तान के साथ संबंध और सुदृढ़ हुए।

कजाखस्तान

भारत–कजाख संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान मई, 1995 में भारत–कजाख ऋण करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से कजाखस्तान के साथ संबंध और सुदृढ़ हुए।

सूडान

जनवरी, 1995 में सूडान के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान पत्रों के आदान–प्रदान के माध्यम से आर्थिक, तकनीकी, वाणिज्यिक, सूचना, राजनीतिक, व्यापार एवं सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध करार सम्पन्न हुए।

इस यात्रा ने द्विपक्षीय सम्बन्धों को गहन करने के लिए रूपरेखा प्रदान की।

मिस्र

अप्रैल, 1995 में मिस्र के नशीले पदार्थों से सम्बन्धित आन्तरिक मंत्री की यात्रा के दौरान नशीले पदार्थों और मनःप्रभावी द्रव्यों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए आपसी सहयोग से सम्बद्ध करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ हुए।

रूसी परिसंघ

रूसी फेडरल बोर्डर गार्डस के निदेशक की यात्रा के दौरान राज्य की सीमाओं के पार सहयोग से सम्बद्ध करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा के पहले से मौजूद मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सुदृढ़ हुए।

स्लोवानिया

स्लोवानिया के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की जनवरी, 1995 में यात्रा के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से मौजूदा सम्बन्ध और सुदृढ़ हुए।

रोमानिया

अक्तूबर–नवम्बर, 1995 में रोमानिया के आन्तरिक मंत्री की यात्रा के दौरान अवैध–दर्जे के अप्रवासियों के पुनः प्रवेश से सम्बद्ध करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ हुए।

यूनी

नवम्बर, 1995 में यूनी के संचार मंत्री की यात्रा के दौरान वायु सेवा करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ हुए।

सिंगापुर

जनवरी, 1995 में सिंगापुर के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ़ हुए।

दक्षिण अफ्रीका

जनवरी, 1995 में राष्ट्रपति मंडेला की यात्रा के दौरान 2 करार सम्पन्न किए गए:

(1) अन्तर–राज्यीय संबंधों एवं सहयोग के सिद्धान्तों संबंधी संधि।

(2) राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए अन्तर–सरकारी संयुक्त आयोग संबंधी करार।

इस यात्रा से सीधे राजनीतिक सम्पर्क सुदृढ़ करने के साथ–साथ द्विपक्षीय संबंधों को संस्थागत बनाने में योगदान मिला।

नामीबिया

नवम्बर–दिसम्बर में नामीबिया के प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान एक व्यापार करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से प्रौद्योगिकी सहयोग और आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे।

डेनमार्क

सितम्बर, 1995 में डेनमार्क के प्रधान मंत्री की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय निवेश संरक्षण संबंधी करार सम्पन्न किया गया।

इस यात्रा से राजनीतिक एवं आर्थिक संबंध सुदृढ़ हुए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार

1270. श्री श्रवण कुमार पटेलः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हाल में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अस्थायी तौर पर सुधार लाकर जापान और जर्मनी को स्थायी सदस्य के रूप में स्थान देने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारतीय प्रतिनिधि की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को शामिल करने के लिए कोई मानदंड स्वीकृत किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में उपयुक्त मानदंड बनाने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी): (क) संयुक्त राज्य अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की श्रेणी में जर्मनी और जापान को शामिल किए जाने का समर्थन किया है।

(ख) भारत ने यह कहा है कि परिषद का किसी भी प्रकार का विस्तार व्यापक होना चाहिए। उसमें विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व शामिल होना चाहिए और निष्पक्ष मानदण्डों पर आधारित होना चाहिए।

(ग) सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को शामिल किए जाने के बारे में किसी भी मानदण्ड पर अभी सहमति नहीं हो पाई है। एक सहमत मानदण्ड की आवश्यकता के बारे में हमारी स्थिति संयुक्त राष्ट्र महासभा के "ओपन एन्डेड" कार्यदल में प्रस्तुत की जा रही है जहां इस विषय पर चर्चा की जा रही है।

निजी पार्टियों को खनन पट्टा दिया जाना

1271. श्री सनत कुमार मंडलः क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार सोने, चांदी, ताम्बा एवं निकल जैसे क्षेत्रों में खनिज संसाधन कार्य शुरू करने हेतु प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का तरीका अपनाने का है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय भी किसी खनिज विशेष के खनन कार्य हेतु पट्टा किसी गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने पर बल देने के बजाय विविध खनिजों का साथ-साथ संसाधन करने को प्रोत्साहन देने हेतु एक ब्लू प्रिंट तैयार कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(घ) विविध खनिजों के संसाधन तथा प्रतिस्पर्धात्मक निविदा का तरीका अपनाए जाने के संबंध में विदेशी तथा भारतीय गैर-सरकारी पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यह मामला वर्तमान में किस स्थिति में है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग): (क) से (ङ). राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार खनन कार्य के दौरान संरक्षण और परिष्करण के लिए प्रभावी उपाय करके, संबद्ध खनिजों की प्राप्ति और बाद में खनिजों का सफल संसाधन करके उपलब्ध खनिज संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

सरकार ने स्वर्ण, तांबा और निकल अयस्क को निजी क्षेत्र द्वारा विदोहन करने के लिए अनारक्षित कर दिया है। सरकार पट्टे देने के संबंध में नीति के तौर पर प्रतिस्पर्द्धात्मक निविदा का तरीका अपनाने का कोई प्रस्ताव नहीं रखती।

अगर किसी अयस्क में एक से अधिक धातु या खनिज समाविष्ट होते हैं तो पार्टियों जिन्हें उस विशेष खनिज के लिए पट्टे की मंजूरी दी जाती है, आमतौर पर बहु-आयामी खनिजों का संसाधन करती हैं। साधारणतया अगर आर्थिक स्थिति अनुकूल होती है तो पट्टाधारी स्वयं यथा संभव उपोत्पादों की प्राप्ति के लिए पहल करता है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश को धन देना

1272. श्री शिवराज सिंह चौहानः क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि से कितनी धन राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को इस निधि का अधिकांश भाग अभी भी जारी किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाकी बची धनराशि को कब तक जारी कर दिया जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से मध्य प्रदेश को आवंटित की गई राशियां निम्न प्रकार हैः-

वर्ष	लाख रू
1992-93	50.00
1993-94	45.00
1994-95	236.00

(ख) सभी निधियां जारी की जा चुकी हैं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा अतिरिक्त "स्टील मेल्टिंग शाप" स्थापित करना

1273. श्री एम.एम. लालजान बाशाः क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र द्वारा अतिरिक्त स्टील मेल्टिंग शाप और (एस.एम.एस.) का निर्माण किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस अतिरिक्त सुविधा पर क्या लागत आयेगी और क्या इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं; और

(ग) नई स्टील मेल्टिंग शाप की विशिष्ट अनुमानित उत्पादन क्षमता क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में एक अतिरिक्त इस्पात गलन शाला का निर्माण करने के लिए अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग). उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन

1274. श्री दत्ता मेघेः क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों का राज्य के सार्वजनिक परिवहन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

नई विद्युत नीति

1275. श्री सुरेन्द्र पाल पाठकः क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा लागू की गई नई विद्युत नीति की मूल विशेषताएं, तर्काधार और लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या नई विद्युत नीति में निजी क्षेत्रों की भूमिका पर अधिक जोर दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल): (क) विद्युत उत्पादन एवं वितरण में क्षमता अभिवृद्धि के संसाधनों की कमी को मद्देनजर रखते हुए विद्युत उत्पादन, सप्लाई और वितरण में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने तूबर, 1991 में एक नीति की शुरूआत की है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है। नीति के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग). सार्वजनिक एवं निजी, दोनों क्षेत्रों में 30.3.1992 के पश्चात (अधिष्ठापित की गई परियोजनाओं के लिए यह नीति समान रूप से लागू है।

विद्युत उत्पादन और वितरण में अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाने के लिए निजि निवेश को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से संबंधित नीति के बारे में प्रोत्साहन/मार्गदर्शी सिद्धान्त

विवरण

विद्युत (प्रदाय) उत्पादन, आपूर्ति और वितरण में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने से संबंधित स्कीम का ब्यौरा निम्नवत है:-

- विद्युत क्षेत्र में निजी उद्यमियों के लिए नये कानून, प्रशासनिक और वित्तीय वातावरण की स्थिति बनाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 और विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 में संशोधन किया गया है।

- निजी क्षेत्र किसी आकार की ताप विद्युत परियोजनाएं (कोयला/गैस आदि) और जल विद्युत प्रदाय परियोजनाएं तथा पवन/सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित कर सकते हैं।

  ऐसी विद्युत परियोजनाएं जिनके समग्र परिव्यय की राशि 1100 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है, उनकी स्वीकृति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

- निजी क्षेत्र कंपनियां लाइसेंधारी अथवा विद्युत उत्पादन कंपनियों के रूप में प्रचालन हेतु उद्यम स्थापित कर सकती हैं।
- सभी निजी कंपनियों को जब विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेंगी इनको ऋण ई÷ टी का अनुपात 4:1 बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी।
- प्रवर्तकों का अंशदान कम से कम समग्र परिव्यय का 11 प्रतिशत होना चाहिये।
- इस क्षेत्र में निजी उद्यमियों द्वारा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना के लिए समग्र परिव्यय की कम से कम 60% राशि सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से भिन्न स्रोतों से जुटायी जानी चाहिये।
- विदेशी निजी निवेशकों द्वारा स्थापित परियोजनाओं के लिए शत–प्रतिशत (100%) विदेशी इक्विटी भागीदारी की अनुमति दी जा सकती है।
- विदेशी निवेश के मामलों में निर्यात अर्जन के द्वारा लाभांश संतुलन की 51% ई÷ टी की शर्त, जोकि सामान्यतः लागू होती है, विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशकों के लिए यह लागू नहीं होगी।
- परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यह्रास की दरों को उदार बनाया गया है।
- ऐसे मामले जिनमें विदेशी सप्लाईकर्ता (सप्लाईकर्ताओं) अथवा एजैंसी (एजेंसियों) रियायती ऋण की सुविधा प्रदान करती हैं, विद्युत परियोजनाओं के लिए सरकार के अनुमोदन से उपस्कर आयात करने की भी अनुमति दी जाएगी।
- विद्युत उपस्कर आयात करने के लिए सीमा–शुल्क को घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है और विद्युत संयंत्र के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण हेतु अपेक्षित मशीनरी के लिए भी इस दर की सुविधा प्रदान की गई है।
- पांच साल के लिए कर की छूट के लिए अनुमति प्रदान की गई है।
- विद्युत क्षेत्र की अधिकांश पूंजीगत सामग्री और यंत्रों के लिए सीमा शुल्क की दर कम कर दी गई है।
- टैरिफ में शामिल विदेशी इक्विटी पर 16 प्रतिशत तक के लाभांश की राशि संबंधित विदेशी मुद्रा में उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- 68.5 प्रतिशत के संयंत्र भार अनुपात पर निर्धारित लागत वसूल की जा सकती है। इस संयंत्रभार अनुपात से बेहतर कार्य निष्पादन के लिए आकर्षक प्रोत्साहन निर्धारित किए गए हैं।
- मार्च, 1992 की टैरिफ अधिसूचना में निर्धारित मानदण्डों में परिवर्तन करके टैरिफ का निर्धारण किया जा सकता है, बशर्ते प्रति यूनिट निर्धारित की गई टैरिफ का राशि मानदण्डों के आधार पर निर्धारित की गई टैरिफ की राशि से अधिक न हो।

विद्युत उत्पादन कंपनियों के लिए विशेष प्रोत्साहन

- अधिसूचित नियामक मानदण्ड, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ 68.5 प्रतिशत संयंत्र भार अनुपात पर इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश और संयंत्र भार अनुपात में प्रत्येक एक प्रतिशत की वृद्धि पर 0.7% लाभांश का प्रावधान किया गया है।
- कोयला आधारित, गैस आधारित विद्युत परियोजनाएं समुचित रूप से निर्धारित टू–पार्ट टैरिफ पर विद्युत की बिक्री कर सकती है।
- निर्धारित की गई टैरिफ तथा अन्यमानदण्ड केवल सीमा निर्धारण मानदण्ड है और बोर्डों तथा विद्युत उत्पादन कंपनियों को संशोधित मानदण्डों को अपनी सहमति प्रदान करने की अनुमति प्रदान करते हैं।
- शेयरपूंजी जारी करते समय और विद्यमान कम्पनी को मुक्त आरक्षित राशि में से आंतरिक संसाधन जुटाकर निवेश करते समय विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा जुटाए गए प्रीमियम के लिए ई÷ टी पर लाभांश की पात्रता भी होगी, बशर्ते विद्युत उत्पादन परियोजना के पूंजीगत व्यय की पूर्ति किए जाने के लिए वस्तुत इस प्रकार की राशि का समुपयोजन किया गया हो और यह राशि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वित्तीय पैकेज का एक अंग हो।
- जल विद्युत परियोजनाओं के लिए टैरिफ संबंधी मानदण्डों को भी उदार बनाया गया है, यथा क्षमता प्रभार, प्रारंभिक ऊर्जा प्रभार, 90 प्रतिशत के अधिक अधिष्ठापित क्षमता की उपलब्धता में प्रत्येक प्वाइंट की वृद्धि के लिए ई÷ टी लाभांश (आरओई) में 0.7ब की वृद्धि को प्रोत्साहन देना।

लाइसेंसधारियों के लिए विशेष प्रोत्साहन

- प्रारंभ में दीर्घावधि के लिए 3 वर्ष हेतु लाइसेंस जारी किया जाएगा। तदुपरांत इसका नवीकरण जो कि पहले क्रमशः 20 और 10 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता था, इसके स्थान पर अब यह 20 वर्ष के लिए किया जाएगा।
- विगत के 2 प्रतिशन के लाभांश की दर के स्थान पर 5 प्रतिशत की लाभांश की दर जो कि आर. बी. आई. की दर से अधिक है।
- विगत की आर. बी. आई. की दर से एक प्रतिशत अधिक दर होने की अपेक्षा

वास्तविक लागत पर निर्माण के दौरान ब्याज का पूंजीकरण (विस्तार परियोजनाओं के लिए भी।

* ऋण विमोचन दायित्वों की पूर्ति के लिए विशेष विनियोग।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु आबंटन

1276. **श्री सैयद शहाबुद्दीनः** क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, चौड़ा करने के लिए रख–रखाव तथा मरम्मत हेतु चालू योजना में कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) वर्ष 1994–95 तक प्रदान की गई वास्तविक धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1995–96 के लिए आबंटित धनराशि क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष तथा राज्यों के माध्यम से 31 मार्च, 1995 तथा अप्रैल–सितम्बर 1995 तक खर्च की गई वास्तविक धनराशि क्या है;

(घ) इस समय कार्यान्वित की जा रही मुख्य योजनाएं क्या हैं; और

(ङ) इन योजनाओं की अनुमानित लागत, शुरू होने की तारीख, कार्यान्वयन एजेंसी तथा इसके पूरा होने की तारीख का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 2460 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है जिसमें आंठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और उन्हें चौड़ा किया जाना शामिल है। राष्ट्रीय राजमार्गों का रख–रखाव और मरम्मत एक गैर–योजनागत कार्य है। निधियां वार्षिक आधार पर जारी की जाती हैं।

(ख) वर्ष 1992–93 से 1994–95 के बीच जारी की गई वास्तविक राशि और वर्ष 1995–96 के दौरान किए गए आबंटन को दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न विवरण–I पर दिया गया है।

(ग) किया गया वास्तविक खर्च निम्न प्रकार हैः–

(लाख रू)

	विकास	रख–रखाव और मरम्मत
1992–93 से 1994–95 तक	136496.55	64836.87
अप्रैल–सितम्बर 95	18669.26 (अनंतिम)	7270.20 (अनंतिम)

(घ) तथा (ङ. 20 करोड़ रुपए से अधिक लागतवाली परियोजनाओं के संबंध में एक संलग्न विवरण–II पर दिया गया है।

विवरण–I

लाख रुपए

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	1992–93		1993–94		1994–95		1995–96 (10/95 तक)	
		विकास	रख–रखाव और मरम्मत	विकास	रख–रखाव और मरम्मत	विकास	रख–रखाव और मरम्मत	विकास	रख–रखाव और मरम्मत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आंध्र प्रदेश	2600.00	1249.44	4524.00	1716.42	5194.50	2146.64	5700.00	2099.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	80.00	35.41	100.00	53.51	130.00	67.24	–	–
3.	असम	1275.00	1039.62	1400.00	1335.22	1485.00	1678.23	1800.00	979.00

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	1992–93		1993–94		1994–95		1995–96 (10/95 तक)	
		विकास	रख–रखाव और मरम्मत	विकास	रख–रखाव और मरम्मत	विकास	रख–रखाव और मरम्मत	विकास	रख–रखाव और मरम्मत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4.	बिहार	1385.00	1072.66	1920.34	1276.45	2221.00	1472.53	2050.00	924.28
5.	चण्डीगढ़	25.00	15.48	25.00	14.00	25.00	21.00	25.00	15.00
6.	दिल्ली	700.00	171.80	550.00	208.21	150.00	143.25	400.00	83.55
7.	गोवा	850.00	208.30	570.00	225.05	454.40	385.65	500.00	110.52
8.	गुजरात	4650.00	881.37	6200.00	1033.95	7098.00	1316.64	4600.00	1312.80
9.	हरियाणा	1870.00	380.83	3200.00	513.86	5160.00	560.43	7300.00	324.00
10.	हिमाचल प्रदेश	1150.00	529.55	1200.00	881.70	1350.00	894.80	1600.00	412.41
11.	जम्मू एवं कश्मीर	50.00	143.39	40.00	94.54	45.00	75.60	50.00	20.11
12.	कर्नाटक	1880.00	1105.87	2709.00	1234.19	3189.00	1506.78	2600.00	888.80
13.	केरल	1400.00	587.82	3089.00	726.15	3124.95	924.10	4200.00	605.50
14.	मध्य प्रदेश	1915.00	1213.25	1678.00	1316.28	2347.39	1696.01	2400.00	1150.90
15.	महाराष्ट्र	3280.00	1506.67	2831.00	1815.54	3262.92	2150.45	3059.00	1934.00
16.	मणिपुर	250.00	73.32	300.00	130.47	331.93	115.20	500.00	87.64
17.	मेघालय	387.00	170.27	470.00	231.13	500.00	270.06	600.00	216.10
18.	नागालैंड	50.00	3.50	45.00	7.29	40.00	4.00	50.00	5.00
19.	उड़ीसा	1375.00	730.52	1221.00	1016.11	3557.55	1186.50	4600.00	1078.21
20.	पांडिचेरी	44.64	5.78	50.00	16.02	50.00	14.73	50.00	14.38
21.	पंजाब	2800.00	638.97	2200.00	661.30	3559.80	736.97	3900.00	423.88

क्र. सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	1992–93 विकास	1992–93 रख–रखाव और मरम्मत	1993–94 विकास	1993–94 रख–रखाव और मरम्मत	1994–95 विकास	1994–95 रख–रखाव और मरम्मत	1995–96 (10/95 तक) विकास	1995–96 (10/95 तक) रख–रखाव और मरम्मत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
22.	राजस्थान	3095.00	1141.02	4028.00	1339.97	4720.88	1810.83	4800.00	1366.83
23.	तमिलनाडु	1600.00	1134.69	3064.00	1643.67	2589.50	1702.86	1100.00	951.31
24.	उत्तर प्रदेश	4995.00	1394.96	4579.00	1710.52	8455.68	2065.48	7950.00	1916.00
25.	पश्चिम बंगाल	2230.00	1311.47	3500.00	1760.45	3987.00	1744.02	3600.00	1145.09

विवरण –II

क्र. सं.	राज्य	रा. रा. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत करोड़ रू	शुरू होने की तारीख	पूरा किए जाने की संभावित तारीख	एजेंसी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	आंध्र प्रदेश	5	अनाकपतली–विशाखापत्तनम तक चार लेन बनाकर चौड़ा करना	83.33	2/91	12/96	राज्य लो.नि.वि.
2.	हरियाणा	2	37.30–93.83 कि.मी. में चौड़ा करके चार लेन बनाना।	68.91	1/91	6/96	"
3.	हरियाणा	1	132.675–212.61 कि.मी. में चौड़ा करके चार लेन बनाना।	287.22	11/94	7/98	"
4.	कर्नाटक	7	8.00–33.00 कि.मी. में चौड़ा करके चार लेना बनाना।	48.11	4/92	4/97	"
5.	केरल	47 ए	लिंक रोड का निर्माण	39.78	12/92	12/96	"
6.	केरल	47	जल्वाई–वाईटिल्ला तक में चौड़ा कर चार लेन बनाना और वाईटिल्ला–अरूर को मजबूत करना।	93.97	3/94	3/98	"

क्र. सं.	राज्य	रा. रा. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत करोड़ रू	शुरू होने की तारीख	पूरा किए जाने की संभावित तारीख	एजेंसी
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
7.	केरल	17	वारापूजा पुल तथा पहुंचमार्गों का निर्माण	33.97	6/95	6/97	रा. लो. नि. वि.
8.	मध्य प्रदेश	3	इन्दौर बाईपास	73.43	–	3/98	"
9.	मध्य प्रदेश	3	573–590 कि.मी. में चौड़ा कर चार लेन बनाना।	29.53	–	3/98	"
10.	महाराष्ट्र	8	439–477 कि.मी. में चौड़ा कर चार लेन बनाना।	61.51	–	3/97	"
11.	महाराष्ट्र	8	477–497 कि.मी. में चौड़ा कर चार लेन बनाना।	31.00	–	3/98	"
12.	उड़ीसा	5	महानदी पुल को चौड़ा करना चार लेन बनाना	28.62	–	5/98	"
13.	उड़ीसा	5	0.27.80 कि.मी. में चौड़ा कर चार लेन बनाना	79.00	–	3/97	
14.	उड़ीसा	5	चार लेन बनाने के लिए चार बड़े पुलों का निर्माण।	25.74	–	5/98	"
15.	पंजाब	1	212–252.25 कि.मी. में चौड़ा कर चार लेन बनाना	82.75	3/95	9/98	"
16.	राजस्थान	8	162.5–231 कि.मी. में चौड़ा कर चार लेन बनाना	93.66	5/92	3/97	"
17.	उत्तर प्रदेश	2	93.83–148.33 कि.मी में चौड़ा कर चार लेन बनाना	64.00	5/91	3/97	"
18.	उत्तर प्रदेश	2	148.33–199.66 कि.मी. चौड़ा कर चार लेन बनाना।	93.21	–	3/99	"
19.	उत्तर प्रदेश	2	वाराणसी में गंगा पुल का निर्माण	26.98	12/88	12/96	बी आर डी बी
20.	उत्तर प्रदेश	27	यमुना पुल, नैनी का निर्माण	100.36	–	3/2000	राज्य लो.नि.वि.
21.	पश्चिम बंगाल	2	438.6–474 कि.मी. में चौड़ा कर चार लेन बनाना।	88.26	–	3/98	"

संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद के बारे में भारत का पक्ष

1277. श्री श्रवण कुमार पटेलः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल ही के सत्र में भारत के प्रतिनिधि ने महासभा से आतंकवाद विशेषकर कश्मीर में आतंकवाद के अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में क्या सहमति हुई है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)ः (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा के चालू 50 वें सत्र में भारत ने "अन्तरराष्ट्रीय आतंकवाद समाप्त करने संबंधी उपाय" पर एक संकल्प के प्रारूप का समर्थन करने की पहल की। इस संकल्प पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

नए पासपोर्ट कार्यालय

1278. श्रीमती भावना चिखलियाः
श्री अमर रायप्रधानः

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 31 अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में विशेषकर गुजरात, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां नए पासपोर्ट कार्यालय खोले गए हैं और नए पारपत्र कार्यालय खोलने के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ग) क्या सरकार 1995-96 और 1996-97 के दौरान गुजरात, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) जिन विभिन्न कारकों के आधार पर नया पासपोर्ट कार्यालय खोलने का निर्णय लिया जाता है वे इस प्रकार हैः स्थान की भौगोलिक स्थिति, प्रयोक्ताओं की सुविधा और जन सेवा, निकटतम पासपोर्ट कार्यालय से दूरी, कार्यभार तथा उपलब्ध संसाधन आदि। संसदीय स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि पासपोर्ट कार्यालय किसी ऐसे राज्य/नगर में स्थित होना चाहिए जहां नये पासपोर्टों के लिए वार्षिक आधार पर कम से कम 50,000 आवेदन प्राप्त होते हों।

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान केवल एक नया पासपोर्ट कार्यालय खोला गया है जो जम्मू में स्थित है। यह पासपोर्ट कार्यालय मार्च, 1994 में खोला गया था। श्रीनगर और अमृतसर में संग्रहण केन्द्र भी खोले गये हैं। मंगलौर में भी एक संग्रहण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) पासपोर्ट कार्यालय तन्त्र के विस्तार से सम्बद्ध कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और 1995-96 और 1996-97 के दौरान गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में पासपोर्ट कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मात्र नये पासपोर्ट कार्यालय खोलने से ही सेवाओं में सुधार नहीं होता जब तक कि आवश्यक आधारभूत संरचना और कार्मिक उपलब्ध नहीं हों। अतः कार्यविधियों को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर तथा आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करके बकाया आवेदनों को निपटाने तथा पासपोर्ट जारी करने में होने वाले विलम्ब को कम करने की ओर सरकार अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है।

[अनुवाद]

एशिया-यूरोपीय संघ की बैठक

1279. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसीः क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निकट भविष्य में एशिया यूरोपीय संघ की बैठक होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कौन-कौन से देश इस बैठक में भाग लेंगे;

(ग) क्या भारत को उक्त बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)ः (क) और (ख). जी हां। एशिया यूरोपीय संघ की बैठक 1996 की प्रथम तिमाही में थाईलैंड में होगी। जहां तक एशियाई पक्ष का संबंध है, इस बैठक में पूर्व एशिया के दस देश ही भाग लेंगे (जिनमें से सात आसियान सदस्य हैं अर्थात-ब्रूनी दारेसलाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम-तथा चीन, जापान और कोरिया गणराज्य) यूरोपीय पक्ष की तरफ से युरोपीय संघ के 15 सदस्य भाग लेंगे (अर्थात् आस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, आईसलैंड, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, नार्वे, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, और यूनाइटेड किंगडम)

(ग) से (ड). भारत को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है। आसियान देशों को एशियाई भागीदारी तय करनी थी। उन्होंने एशिया यूरोपीय संघ की प्रथम बैठक में सहभागिता को उपर्युक्त दस एशियाई देशों तक सीमित रखने का निर्णय शिखर सम्मेलन में सीमित भागेदारी रखने तथा उसे संचालनीय बनाने के आधार पर लिया है। भारत ने इस बैठक में भाग लेने वाले देशों को यह स्पष्ट कर दिया है कि एशिया से सम्बद्ध किसी भी प्रतिनिधिक शिखर सम्मेलन में भारत की सहभागिता स्वाभाविक और तर्कसंगत होगी। इसके बाद विस्तारित सहभागिता वाली बैठकों के आयोजन की सम्भावना है।

उड़ीसा और कर्नाटक के लौह–अयस्क खानों का गैर–सरकारीकरण

1280. श्री रवि राय :
श्री हाराधन राय :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 नवम्बर, 1995 के "स्टेट्समैन" में आयरन ओर माइन्स इन उड़ीसा, कर्नाटक में बी प्रावेटाइज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने उड़ीसा की मलंगटोली खान क्षेत्र में खनन कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन. एम. डी. सी.) की उड़ीसा में लौह अयस्क की कोई खान नहीं है। उड़ीसा सरकार द्वारा एन. एम. डी. सी. को मलंगटोली लौह अयस्क निक्षेप के लिए खनन पट्टे की मंजूरी 5–5–77 को दी गयी थी। तथापि, एन.एम.डी.सी. ने उस क्षेत्र में अवसंरचनात्मक अड़चनों के कारण और घरेलू मांग के अभाव में पट्टा निष्पादित नहीं किया। इसलिए राज्य सरकार ने 31–1–92 को खनन पट्टे को रद्द कर दिया। मलंगटोली लौह अयस्क निक्षेप के खनन पट्टे के लिए उड़ीसा सरकार के एक उपक्रम, मैसर्स उड़ीसा खनन निगम लिमिटेड (ओ. एम. सी.) द्वारा दिया गया आवेदन इस समय विचाराधीन है।

कर्नाटक में कुमार स्वामी के ब्लाक "बी" तथा "सी" के खनन पट्टे एन. एम. डी. सी. के पास हैं। कर्नाटक सरकार से एन. एम. डी. सी. को सलाह देने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वे कर्नाटक के कुमारस्वामी का ब्लाक "सी" राज्य सरकार को दे दे ताकि कर्नाटक राज्य सरकार उसे एक निजी कम्पनी जो कि उस क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र स्थापित कर रही है, को पट्टे पर दे सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सड़क परियोजनाओं संबंधी समिति

1281. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित की जाने वाली सड़क परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा एक उच्च–स्तरीय समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक स्वीकृत की गई और विचाराधीन परियोजनाओं का अलग–अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो गया है और इन पर कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : यह मंत्रालय मुख्यतः केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख–रखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित सूचना इस प्रकार है : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में खनिज आधारित इकाईयां

1282. श्री एन. जे. राठवा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव देश विशेषकर गुजरात के पिछड़े/ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों में खनिज आधारित कुछ नई इकाईयां स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार तथा स्थानवार किन–किन स्थानों पर ये इकाईयां स्थापित की जाएंगी ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग) : (क) और (ख). सूचना एकत्र

की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भोपाल गैस पीड़ितों संबंधी समिति

1283. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में मुआवजे के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने हेतु जस्टिस कासलीवाल की अध्यक्षता में कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन का ब्यौरा क्या है और इसके आरम्भ होने और अवधि की समाप्ति की तिथि क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो यह रिपोर्ट किस तिथि को प्रस्तुत की गई; और

(ङ) उक्त रिपोर्ट में अंतर्विष्ट की गई मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ). भोपाल गैस पीड़ितों के मुआवजा दावों के अभिर्णीत मामलों को शीघ्र निपटाने के मामलों की जांच करने और उस पर अपनी राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एन. एन. कासलीवाल की अध्यक्षता में जनवरी 1994 में एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई थी। भारत सरकार के विधि और न्याय, रसायन एवं पेट्रोरसायन, व्यय विभागों के सचिव, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और भोपाल गैस पीड़ितों के कल्याण आयुक्त इस समिति के सदस्य थे। समिति का कार्यकाल जो प्रारम्भ में एक वर्ष का था। पहले 31.3.95 तक और बाद में अंतिम रूप से 30.6.95 तक बढ़ा दिया गया था। समिति ने सरकार को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।

[अनुवाद]

भारत-हालैंड योजना के अन्तर्गत कानपुर में हैण्ड पम्प लगाये जाना

1284. श्री जगत वीर सिंह द्रोण : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-हालैंड योजना के अन्तर्गत कानपुर देहात में हैण्ड पम्प लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं;

(ग) कितने हैण्ड पम्प अभी और लगाये जाने हैं; और

(घ) इन बकाया हैण्ड पम्पों को लगाये जाने में विलंब के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अभी तक कोई भी हैंडपंप नहीं लगाया गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत लगाये जाने वाले 3145 हैंडपंपों में से, 1995-96 तक 970 हैंडपंप लगाये जाने का लक्ष्य है।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निधियों की रिलीज के पश्चात् उत्तर-प्रदेश जल-निगम हैंड-पंपों को लगाएगी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता

1285. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के भारत के दावे का "गुट निरपेक्ष देशों के समूह" तथा "15 देशों के समूह" के देशों ने समर्थन किया है तथा इसमें वर्तमान स्थायी सदस्यों की स्थिति क्या है; और

(ख) क्या ओ. ए. यू., ई. यू., "आसियान" ओ. ए. एस. तथा "सार्क" जैसे विभिन्न क्षेत्रीय ग्रुपों द्वारा इस मुद्दे पर कोई दृष्टिकोण अपनाया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) कार्टागेना, कोलम्बिया में हाल ही में सम्पन्न 11वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में पारित अंतिम दस्तावेज में सुरक्षा परिषद के व्यापक विस्तार तथा एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका के "नाम" सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व में पर्याप्त वृद्धि किए जाने का समर्थन किया गया है। इस घोषणा में किन्हीं विशिष्ट देशों की उम्मीदवारी का जिक्र नहीं किया गया है। 15 के दल ने इस विषय पर कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया है तथा मौजूदा स्थायी सदस्य अभी अपना दृष्टिकोण तैयार कर रहे हैं।

(ख) ओ. ए. यू., ई. यू. आसियान, ओ. ए. एस. तथा सार्क जैसे क्षेत्रीय दलों द्वारा सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के संबंध में सहमत दृष्टिकोण अभी अपनाया जाना है।

पाकिस्तान द्वारा यूक्रेन से हथियार लिया जाना

1286. श्री मोहन रावले : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान बड़ी मात्रा में यूक्रेन से टैंक, जेट लड़ाकू विमान तथा युद्धपोतों सहित घातक हथियार तथा अद्यतन सैनिक हार्डवेयर प्राप्त कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने यूक्रेन सरकार के साथ इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो यूक्रेन की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्थिति से निपटने के लिए क्या अन्य कदम लिए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख). उक्रेन के रक्षा मंत्री हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा पर गए और इस आशय की रिपोर्ट मिली है कि दोनों देशों के बीच हथियार बेचने के संबंध में बातचीत चल रही है। अभी तक किसी संविदा के सम्पन्न किए जाने की कोई पुष्टि नहीं की गई है।

(ग) से (ङ). इस संबंध में भारत सरकार की गहरी चिन्ता से उक्रेन की सरकार को दिल्ली में विदेश मंत्रालय तथा कीव स्थित भारतीय राजदूतावास के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। सरकार इस स्थिति को करीब से मानीटर कर रही है तथा इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

तीर्थ यात्राओं के लिए राज सहायता

1287. श्री अमर पाल सिंह : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान हज तीर्थयात्राओं हेतु कितनी राज सहायता दी गयी;

(ख) क्या अन्य धर्मों के तीर्थयात्रियों के विदेशों स्थित विभिन्न तीर्थों की यात्रा करने हेतु कोई राज सहायता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया) : (क) हज यात्रियों को नीचे लिखे अनुसार आर्थिक सहायता दी गई :

1992	14.43 करोड़
1993	25.59 करोड़
1994	24.43 करोड़
1995	17.05 करोड़

(ख) और (ग). जी, नहीं। तथापि सरकार कैलास – मान सरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराती है जिनमें चिकित्सा सहायता, वायरलैस सुविधा, चीन के साथ संचार सम्पर्क, विदेशी मुद्रा जारी करना तथा आपातकालीन स्थिति में तीर्थयात्रियों को विमान द्वारा वहां से निकालने की सुविधाएँ शामिल है। विज्ञापन के प्रकाशन, संचार संपर्क स्थापित करने तथा विमान द्वारा वहां से निकालने पर होने वाला व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। कुमाँऊ मण्डल विकास निगम को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जो भारतीय पक्ष की ओर से संभारतंत्र संबंधी व्यवस्था का उत्तरदायी होता है।

विदेश मंत्रालय वर्ष में चार बार पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों की सिख तीर्थयात्रियों की यात्रा, वर्ष में एक बार सिंध में हयात पिताफी में शदानी दरबार की तथा वर्ष में दो बार श्री काटस राज की हिन्दू तीर्थ यात्रियों की यात्रा की व्यवस्था करता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में हीरे का खनन

1288. श्री खेलन राम जांगड़े : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में किन-किन स्थानों पर हीरे एवं एलेक्सेण्डराइट के पाए जाने की संभावना है;

(ख) उनके खनन के लिए किन-किन कंपनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने अब तक प्राप्त प्रस्तावों का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा खनन कार्य के लिए किस कंपनी को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ङ) इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या सुझाव दिए हैं;

(च) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए सुझावों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(छ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त शिकायतों की जांच की गई है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमांग) : (क) मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार प्राथमिक हीरा और एलेक्सेण्डराइट की प्राप्ति रायपुर जिले के दक्षिण-पूर्व भाग में अंकित की गई है।

(ख) से (ज). मध्य प्रदेश सरकार ने अप्रैल, 1994 में रायपुर जिले के दक्षिण-पूर्व

भाग में हीरा और एलेक्सेण्डराइट के पूर्वेक्षण के लिए निविदायें आमंत्रित की थीं। उत्तर में 23 आवेदन प्राप्त हुए। राज्य सरकार ने निम्नलिखित आवेदकों को पूर्वेक्षण अधिकारों की स्वीकृति के लिए सिफारिश की है और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत केन्द्र सरकार से पूर्व मंजूरी मांगी गई है :-

(1) मैसर्स डी बीयर्स (इंडिया) प्रोस्पेक्टिंग लिमिटेड

(2) मैसर्स सी. आर. ए. एक्सप्लोरेशन (इंडिया) लिमिटेड

(3) मैसर्स अर्स्थान माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

केन्द्र सरकार को राज्य सरकार के उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। जबलपुर उच्च न्यायालय में राज्य सरकार के प्रस्ताव के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की गई है। इस मामले के संबंध में केन्द्र सरकार ने अपनी कोई राय नहीं बनाई है।

नाइजीरिया में फांसी देने संबंधी घटना

1289. श्री राम बदन :
श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नाइजीरिया में सुप्रसिद्ध मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को हाल ही में फांसी दिये जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी पश्चिमी देश ने इस मामले में अपना विरोध दर्ज कराया है;

(घ) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस मामले में अपने विचार व्यक्त किये है और इस संबंध में कोई कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) नाइजीरिया की सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि 1994 में चार प्रमुख ओगोनी जाति के नेताओं की हत्या करने के आरोप न्यायालय द्वारा सिद्ध कर दिए जाने और सत्तारूढ़ पी. आर. सी. द्वारा मृत्युदण्ड की पुष्टि किए जाने के बाद लेखक, पर्यावरण विद एवं राजनेता श्री केन सारोवीवा सहित आठ अन्य ओगोनी जाति के लोगों को 10, नवम्बर, 1995 को फांसी लगा दी गई।

(ग) और (घ). जी हां। कई पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया है। कुछ देशों ने अपने राजदूत वापिस बुला लिए हैं और अन्य सहायता रोक दी है। नाइजीरिया को राष्ट्रकुल से निष्कासित करने के राष्ट्रकुल के निर्णय का भारत समर्थक था।

(ङ) और (च). नाइजीरिया को राष्ट्रकुल से निष्कासित करते हुए राष्ट्रकुल के शासनाध्यक्षों द्वारा 11 नवम्बर, 1995 को पारित क्वीन्स टाउन घोषणा का भारत समर्थक था। ऐसा करते हुए हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि भारत नाइजीरिया के साथ अपने लम्बे एवं घनिष्ठ संबंधों को बहुत महत्व देता है और आशा करता है कि नाइजीरियाई प्राधिकारी राष्ट्रकुल के आह्वान अनुसार शीघ्र कार्रवाई करेंगे ताकि इस संस्था में वे यथाशीघ्र पुनः प्रवेश कर सकें।

[अनुवाद]

प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्वच्छ पेयजल

1290. श्री सनत कुमार मंडल : क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को क्या भूमिका सौंपी गई है; और

(ख) पेयजल योजना लागू करने के लिए राज्यों को उपलब्ध कराए जा रहे संसाधनों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) राज्य सरकारों की भूमिका योजना को कार्यान्वित करने तथा निधियों का अपना अंश मुहैया कराने की होगी।

(ख) राज्यों को अभी तक कोई भी निधियां रिलीज नहीं की गई हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर कराधान से प्राप्त राजस्व

1291. श्री हरिन पाठक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कराधान और अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से गुजरात के राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए किया गया कुल आबंटन कितना है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि आवंटित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किया गया है?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः पुलों पर शुल्क लगाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अर्जित किए गए राजस्व का उल्लेख कर रहे हैं जिसके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 11254.09 लाख रु. को राशि अर्जित की गई है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इसमें से गुजरात को 1848.00 लाख रु. की राशि का आवंटन किया गया है ।

(ग) निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को संबंधित राज्यों में वसूले गए शुल्क के बराबर आबंटन किया जाता है जिसमें से वसूली प्रभार कम कर दिए जाते हैं जो राज्य के भीतर की गई कुल वसूली के 12% से अधिक नहीं होते ।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद

1292. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या जल–भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्यों के नाम सहित परिषद के गठन का ब्यौरा क्या है और उनकी नियुक्ति/अवधि की समाप्ति की तारीख क्या है;

(ख) उनके चयन हेतु क्या शर्तें निर्धारित की गई है और उन्हें सौंपे गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कार्य सरकारी मैनुअल में निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल–भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम. राजशेखर मूर्ति) : (क) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद में सरकारी तथा गैर–सरकारी सदस्य हैं । स्थायी सरकारी सदस्यों की सूची, संलग्न विवरण– I और II में दी गई है। जहां तक गैर–सरकारी सदस्यों का मामला है, फिलहाल ऐसे केवल दो सदस्य हैं, अर्थात श्री बी. डी. शर्मा और श्री पी. ठाकुर, जो 20 सितम्बर, 1994 को नामित किए गए थे । गैर–सरकारी सदस्यों का कार्यकाल केवल दो वर्ष है ।

(ख) गैर–सरकारी सदस्यों को, सड़क सुरक्षा कार्य में उनकी भूमिका/सहयोग के आधार पर, अवैतनिक सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है । परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए वे यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते के लिए पात्र होते हैं । देश में विभिन्न सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने और निगरानी रखने के लिए यह परिषद शीर्षस्थ नीति निर्धारण निकाय है ।

(ग) और (घ). यह परिषद मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 215 के तहत गठित की गई है और इसका सरकारी मैनुअल से कोई संबंध नहीं है ।

विवरण–I

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सरकारी सदस्य

क्र. सं.	विवरण	सरकारी (स्थायी)	सं.	संक्षिप्त विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	केन्द्रीय जल–भूतल परिवहन मंत्री	अध्यक्ष	1	केन्द्रीय जल–भूतल परिवहन मंत्री
2.	राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में सड़क परिवहन के प्रभारी मंत्री	सरकारी	32	परिशिष्ट के अनुरूप प्रत्येक तीसरे वर्ष
3.	सभी राज्यों/सं. शा. क्षेत्रों में पुलिस के महानिदेशक	सरकारी	32	

क्र. सं.	विवरण	सरकारी (स्थायी)	सं.	संक्षिप्त विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
4.	केन्द्रीय, मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि	सरकारी	9	(i) गृह मंत्रालय
				(ii) मानव संसाधन विकास
				(iii) पर्यटन
				(iv) रेल
				(v) शहरी विकास
				(vi) रसायन और पेट्रो विभाग
				(vii) व्यय विभाग
				(viii) औद्योगिक विकास विभाग और
				(ix) योजना आयोग
5.	महानिदेशक (स. वि.) जल–भूतल परिवहन मंत्रालय	सरकारी	1	सड़क पक्ष
6.	सदस्य सचिव	सरकारी	1	संयुक्त सचिव (परिवहन)

विवरण–II

सड़क परिवहन के प्रभारी मंत्री और पुलिस के महानिदेशक

प्रथम वर्ष के सदस्य		दूसरे वर्ष के सदस्य	
1.	आंध्र प्रदेश	1.	असम
2.	बिहार	2.	गुजरात
3.	हरियाणा	3.	हिमाचल प्रदेश
4.	जम्मू तथा कश्मीर	4.	कर्नाटक

प्रथम वर्ष के सदस्य			दूसरे वर्ष के सदस्य
5.	केरल	5.	मध्य प्रदेश
6.	महाराष्ट्र	6.	मणिपुर
7.	तमिलनाडु	7.	नागालैंड
8.	उत्तर प्रदेश	8.	पंजाब
9.	राजस्थान	9.	पश्चिम बंगाल
10	[illegible]	10.	त्रिपुरा
11.	मेघालय	11.	सिक्किम
12.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	12.	मिजोरम
13.	चंडीगढ़ प्रशासन	13.	गोवा
14.	दिल्ली प्रशासन	14.	अरुणाचल प्रदेश
15.	लक्षद्वीप	15.	दमन और दीव
16.	पांडिचेरी	16.	दादर और नागर हवेली

11.35 म. पू.

तत्पश्चात् लोक सभा, मंगलवार, 5 दिसम्बर, 1995/14 अग्रहायण 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।